खण्ड-403, अंक-9
बृहस्पतिवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(27 फरवरी, 1992 ई0)

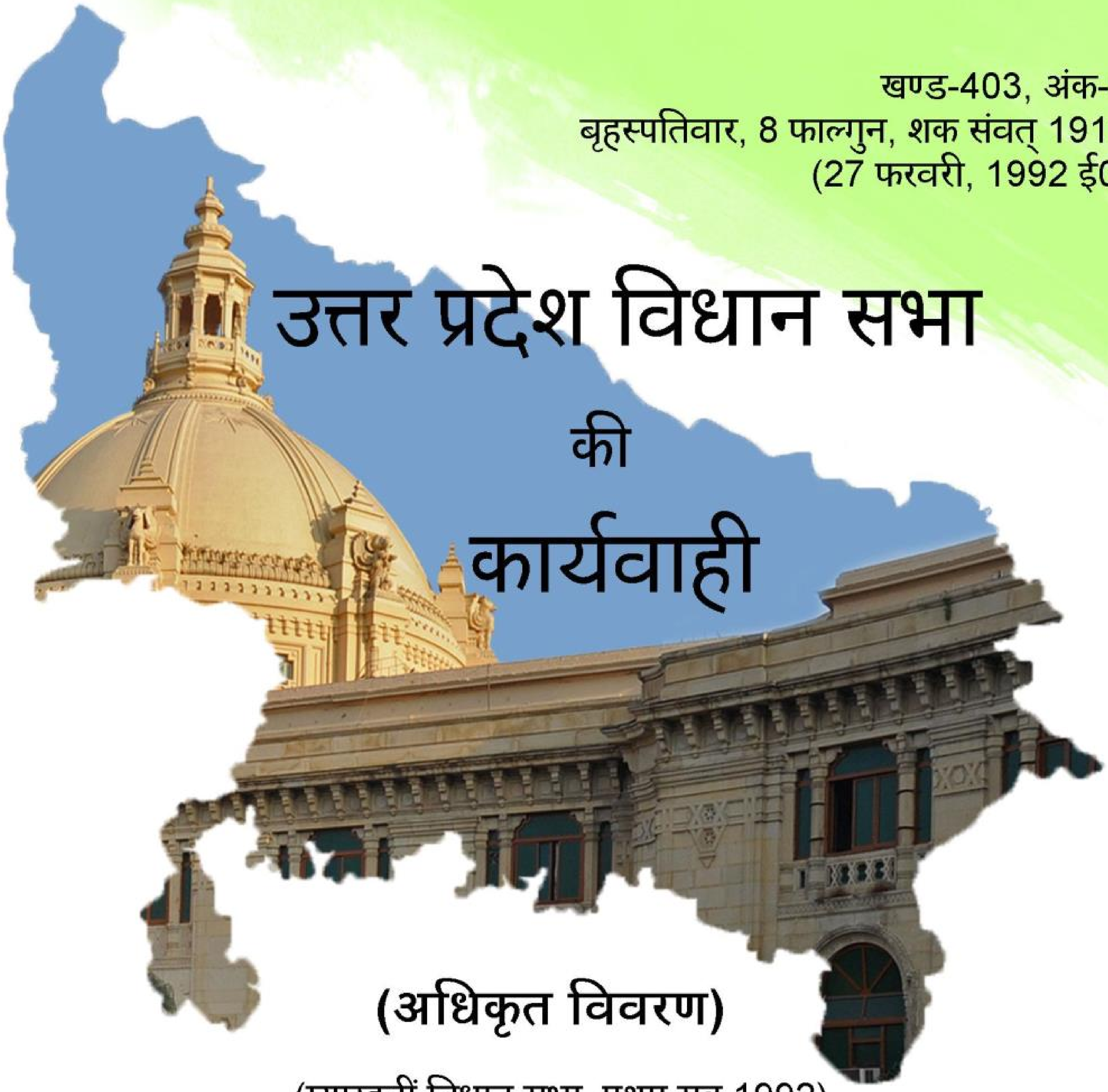

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	१–१००
एंग्लो इण्डियन समुदाय का प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१००–१०१
पालनीय नियमों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१०१–१०३
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१०३–१०४
सदन की भाषा विषयक व्यवस्था का प्रश्न ..	१०४–१०५
नियम ३०१ की सूचनायें	१०५
इलाहाबाद जिले के अपर जिलाधिकारी समाज कल्याण द्वारा मा० उच्च न्यायालय एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना पर उन्हें दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०६
जनपद बलिया में सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत मनियर में ३३ के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के कार्य न करने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०६
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रदेश के पर्वतीय एवं जनजातीय विकास खण्डों में अभी तक लागू न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०६–१०७
जनपद बांदा में परिवहन निगम में परिचालक के पद पर कार्यरत ग्राम प्रधान इछावर द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की जा रही धांधली के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०७
जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र गोपालपुर में पक्की सड़कें व पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०७
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ३९वां तथा ५७वां वृत्त खण्ड में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में हो रहे गतिरोध के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना ..	१०८

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२ एवं उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२ (विधान परिषद् द्वारा पारित होने की सूचना के साथ सदन के पटल पर रखे गये) ..	१०८
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	१०८
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१०९
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा –धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१०९–११०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	११०–१८९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१९०
जनपद देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों पर अवैधानिक ढंग से तदर्थ नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य का स्थगन	१९०
जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र से संबंधित दिनांक १४ फरवरी, १९९२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९ नत्थी (ग) के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	१९०–१९२
गाजियाबाद स्थित करनाल फार्मेसी में निर्मित कर्पूरासव से ५०० लोगों की मृत्यु तथा आयुर्वेद यूनानी प्रयोगशाला, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा जांच में ५० प्रतिशत अल्कोहल पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने पर नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन ..	१९२
नत्थियां	१९३–२१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक २७ फरवरी, १९९२

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मदन भईया, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	मायाशंकर पाठक, श्री	वाराणसी
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
जी० एस० विनोद, डा०	मुजफ्फरनगर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
दीना नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
दौलत राम, श्री	सीतापुर	राम सेवक, श्री	बदायूं
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर	लाखन सिंह, श्री	नैनीताल
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	सर्वेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
पतिराज, श्री	आजमगढ़	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
पवन कुमार पाण्डेय, श्री	फैजाबाद	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज	हरपाल, श्री	बुलन्दशहर
बृजराज त्रिपाठी, श्री	बहराइच	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिवालय, पटना

बृहस्पतिवार, दिनांक २७ फरवरी, १९९२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अतारांकित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्गत आदेश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में जानकारी

**१—श्री नरेश अग्रवाल, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री बलराम यादव, श्री अरविन्द प्रताप सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री बाबू राम यादव, श्री अशोक कुमार तथा श्री अवधपाल सिंह यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि खाद्य सचिव, उ० प्र० ने अपने रेडियोग्राम पत्रांक—५३६८/२९-खाद्य(६)-९१, दिनांक ५ दिसम्बर, १९९१ व ५५८०/२९-खाद्य (६) दिनांक २१ दिसम्बर, १९९१ द्वारा प्रदेश सरकार के मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि इस वर्ष प्रदेश के सरकारी राशन विक्रेताओं के अनुबन्ध एक वर्ष की जगह मात्र तीन माह ही किये जायें ? क्या यह सत्य है कि उ० प्र० सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद् ने शासन के उक्त आदेश के विरुद्ध १५ फरवरी, १९९२ से बेमियादी हड़ताल की घोषणा की तथा मण्डलायुक्तों के यहां स्थगन आदेश लेने के लिये अपने सभी सदस्यों को निर्देश दिये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिनांक २० दिसम्बर, १९९१ को अपने परिपत्र संख्या—५५६/२९-खाद्य-(६)१२/८८ सी० सी० (डी०) द्वारा प्रदेश के मण्डल आयुक्तों के स्थगन आदेश देने के अधिकार को वापस ले लिया है जिससे प्रदेश के राशन दुकानदारों व सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी और जनता को सस्ते दर पर राशन मिलना बन्द हो गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों की मंशा क्या है ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)—

जी हां । यह आदेश केवल नगरीय क्षेत्र की दुकानों के लिये किये गये थे ।

शासन को उक्त संस्था की ओर से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

जी नहीं । शासनादेश सं०—५५६१/२९-खाद्य-६-१२/८८ टी० सी० (डी०), दिनांक २०-१२-९१ द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग दो माह पहले निर्गत किया गया था । अतः उचित दर के दुकानदारों तथा शासन के बीच टकराव उत्पन्न होने अथवा राशन वितरण में व्यवधान होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि पहले राशन की दुकानों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये हुआ करता था लेकिन अबकी बार जो नवीनीकरण हुआ है वह मात्र ३ माह के लिये ही हुआ है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को राशन की दुकानों का आवंटन करने के लिये यह व्यवस्था बनाई है और दूसरा जो वर्तमान में राशन की दुकानें हैं वह मण्डलायुक्त के यहां से कोई स्थगनादेश न ले लें इसके आदेश भी यहां से दिये गये हैं तो मान्यवर, यह बताने की कृपा करें कि अपनी पार्टी के ही लोगों को राशन की दुकानों को दिये जाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य का यह प्रश्न है पार्टी के लोगों की दुकान देने की तो यह बात बिल्कुल निराधार और असत्य है और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि आयुक्त को जो अधिकार दिये गये थे, वह वापस ले लिये गये हैं तो मान्यवर, वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह आदेश वापस ले लिये गये तो क्या नवीनीकरण एक वर्ष के लिये कर दिया गया है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, अभी नवीनीकरण केवल ३१ मार्च तक के लिये ही किया गया है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन अपरिहार्य कारणों के कारण ३ माह के ही नवीनीकरण के आदेश दिये गये हैं, जबकि पहले एक वर्ष के लिये होता था ? मान्यवर, वह अपरिहार्य कारण माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने अभी पूर्व में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिये इस प्रकार का कदम उठाया गया है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने नगरीय क्षेत्रों के बारे में लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में यह व्यवस्था की गयी है, तो क्या केवल नगरीय क्षेत्रों में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, यह प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों में ऐसा किया गया है। इसकी जब समीक्षा पूरी होगी, जैसे परिणाम आयेंगे उसके आधार पर आगे विचार किया जायेगा।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह कहा गया कि इस प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये मण्डलायुक्तों से यह अधिकार वापस लिये गये हैं। क्या जो प्रदेश में मण्डलायुक्त हैं वे आपको इसमें असहयोग कर रहे थे ? यदि नहीं, तो क्या औचित्य है कि मण्डलायुक्तों से अधिकार वापस ले लिये गये ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, यह प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही। १९७३ से लेकर १९८८ तक इस प्रकार की व्यवस्था रही। उसके बाद १९८८ के बाद १९९० में हुआ फिर १९९१ में किया गया था।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

मेरे मूल प्रश्न का इसमें उत्तर नहीं आया कि क्या मण्डलायुक्त इसमें असहयोग कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि मण्डलायुक्त क्या इसमें असहयोग कर रहे हैं जिसके कारण आपको इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ी ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, कोई ऐसी वैधानिक व्यवस्था नहीं है । कमिश्नर्स के द्वारा कोई असहयोग की बात नहीं है । केवल प्रशासनिक दृष्टि से यह किया गया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक वर्ष के अनुबन्ध की अवधि को घटाकर ३ महीने किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार रहित करने की बात कही गयी । मान्यवर, यह जो एक वर्ष की अवधि घटाकर ३ महीने की गयी है, निश्चित रूप से इस बात का अध्ययन किया गया होगा कि उसके यह-यह प्रभाव होंगे और यह-यह बेहतरी होगी । मैं जानना चाहूंगा कि यह अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष से घटाकर ३ महीने की गयी है उससे किस प्रकार से वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त होगा और किस प्रकार से वितरण प्रणाली दुरुस्त हो पायेगी ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, तीन महीने की अवधि केवल इसलिये रखी कि इस तीन महीने में इन दुकानों की समीक्षा की जाय ।

श्री दुलारे लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये यह सरकार ने व्यवस्था दी है गांव सभा में मीटिंग के माध्यम से दुकानदारों को तय किया जायेगा तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं गांव में पुराने दुकानदारों की समीक्षा की बात है । ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी दुकानें इस प्रकार की हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कितने गांव हैं वह तो बहुत व्यापक है लेकिन पहले भाग का उत्तर माननीय खाद्य मंत्री जी दे दें।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, कितनी ऐसी दुकानें हैं इसका उत्तर देने के लिये जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, हमने पहले भी कहा है कि माननीय खाद्य मंत्री जी जानकारी लेकर बैठा करें लेकिन यह आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे मिर्जापुर में वहां के आदिवासियों को जो राशन देने की व्यवस्था है उसी के अनुसार उन्हें राशन दिया जा रहा है या उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है ?

श्री एजाज रिजवी–

अभी तक जो पुरानी व्यवस्था है उसी के अनुसार व्यवस्था है । इस संबंध में एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें इस प्रकार की बातें रखी गयी थीं, अभी वह प्रभावी नहीं हैं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, एक बात स्पष्ट नहीं हो पायी है, मण्डलायुक्तों को स्थगन आदेश देने का अधिकार है । जब वह कोर्ट में बैठकर आदेश करें, तो कोसाई-जुडिशियल है, तो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है और एक आयुक्त के स्थगन आदेश के अधिकार को पत्र द्वारा वापस ले लिया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी समस्या सामने आयी कि उनको जो कोसाई-जुडिशियल पावर दी है उसको स्नैच करने की आवश्यकता पड़ी ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि स्पष्ट कर दिया था कि विधिक व्यवस्था में जो अपील करने का अधिकार माननीय आयुक्तों को दिया था वह कानून के तहत नहीं था एक शासनादेश के तहत था तो सरकार ने उसे वापस ले लिया, उनकी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली और अगर बाधा ही डालना होता तो हमें यह अधिकार है कि हम बिल लाते और यह तय कर देते कि जिलाधिकारी के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती, उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है । मान्यवर, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं , अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ तीन माह का समय बढ़ाया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस आदरणीय सदन में आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट हैं तो शासन स्तर पर एक-एक दुकानों की समीक्षा की जा रही है, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कलंकित किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। हमने अपने पार्टी के लोगों को इसमें रखने का कोई प्राविधान नहीं किया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे दो बातें सामने आयीं पहली यह कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये यह तीन माह का आदेश जारी किया गया है तो क्या यह भ्रष्टाचार सिर्फ नगरीय क्षेत्र में है या पूरे प्रदेश में व्याप्त है और अगर केवल नगरीय क्षेत्र में है, पूरे प्रदेश में नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो वितरण व्यवस्था है, इस तरह की, उसके लिये कोई समिति बनायेंगे? और, दूसरे यह कि मंडलायुक्तों के अधिकार की बात अभी माननीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी ने कही, तो जो अधिकार उनको दिया गया था उससे कौन सी बाधा इस सरकार को पड़ी जो उन्होंने उस अधिकार को छीन लिया ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही प्रथम चरण की है और यह सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में की जा रही है उसके जो परिणाम आयेंगे तो उस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विचार

करेंगे । जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, आयुक्तों को जो अधिकार स्थगन आदेश देने के संबंध में थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी अधिनियम के तहत अपील करने का अधिकार दुकानदार को नहीं है और इसी आधार पर पूर्व में भी शासन ने इस तरह की कार्यवाही की है । मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि वितरण व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिये भ्रष्ट दुकानदारों के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती रही है और इसको बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये शासन ने इस तरह की कार्यवाही की है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक पत्र माननीय सदस्यों को भेजा था और उसमें सहयोग की अपेक्षा की गयी थी। माननीय मंत्री जी ने पूर्व में बताया भी था कि हमारे यहां जितने कार्ड हैं, जितनी यूनिट हैं और एक यूनिट पर जितना गल्ला हमको देना चाहिये, उतना गल्ला हमारे पास नहीं है । आपने यह भी कहा था कि केन्द्र सरकार से बार-बार प्रयास करने पर भी हमको उतना गल्ला नहीं मिल पा रहा है, जितना हमको चाहिये और इसी वजह से आप दुकानदारों को पर्याप्त मात्रा में गल्ला नहीं दे पा रहे हैं और केवल आर्डर देकर ही व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार इस परिस्थिति में सम्भव है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, एक अगस्त, १९९१ से शासन ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिये कार्यवाही की । इसी क्रम में १ अगस्त, १९९१ से राशनकार्डों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी, जिसका परिणाम हमारे पास आया कि २ करोड़ ७८ लाख यूनिट के कार्ड फर्जी पाये गये । दूसरी बात मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में जो राशन की दुकानें हैं, उनके बारे में शासन के पास शिकायतें थीं, माननीय सदस्यों ने भी शिकायतें की थीं, इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि इन दुकानों की समीक्षा करायी जाय और तभी यह आदेश पारित किया गया ।

भू-अभिलेखों की कम्प्यूटीकरण योजना को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किये जाने का प्रस्ताव

**२–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भू-अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह योजना प्रथम चरण के रूप में किन-किन जिलों में लागू होगी ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

जी हां ।

सर्वप्रथम केन्द्र द्वारा पुनरोधारित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा भू अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण की दिशा में एक अग्रगामी योजना के रूप में जनपद देवरिया के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत करने की योजना लागू की गयी है ।

प्रदेश के समस्त जिलों में कम्प्यूटर स्थापित किये जाने के लिये वृहद योजना तैयार की गयी है जिसमें खसरा-खतौनी, सीलिंग से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित सूचना को कम्प्यूटीकरण करने का प्रस्ताव है । इस योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिये राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन द्वारा सम्मिलित प्रस्ताव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है ।

भारत सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को लागू करने में कौन-कौन सी सावधानियां बरती जायेंगी और इसको समयबद्ध ढंग से लागू करने की कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्या का प्रश्न है कि इस कम्प्यूट्रीकृत योजना में कौन-कौन सी सावधानियां बरती जायेंगी, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ऐसी कोई सूचना जो संग्रहीत करनी आवश्यक हो और वह संग्रहीत करने से छूट जाय या कहीं ऐसा न हो कि कोई कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके गलत सूचना उसमें संग्रहीत कर दे, इस सबको रोकने के लिये और चेकिंग करने के लिये माइक्रो फिल्मिंग की योजना प्रस्तावित है, पहली सावधानी तो हम यह बरत रहे हैं। इसके पश्चात् हमारे भू-अभिलेखों के जो एक्सट्रेक्ट हैं, ६१-ख में जो इंतखाब दिये जाते हैं, उनको कैसे प्रमाणित माना जाय। इसका हम परीक्षण राजस्व विभाग के अधिकारी से करवा रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कम्प्यूटरीकरण से कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे। दूसरा, इस पर कितना खर्च अनुमानित है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इस योजना को लागू करने से किसी के बेरोजगार होने का सवाल नहीं पैदा होता है। इस योजना को राजस्व परिषद् स्तर पर परीक्षण कराया गया और इसे अत्यन्त उपयोगी पाया गया। आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भू-अभिलेखों में जिस तरह से जालसाजी होती थी, उसे मार्डनाइज करने की आवश्यकता है, उसके मेन्टिनेन्स की आवश्यकता है। राजस्व का जो प्रशासन है, उसको सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण में नई तकनीक को लाकर प्रदेश में व्याप्त राजस्व भू-अभिलेखों में जो भ्रष्टाचार है, उसे दूर करने के लिये इस उपयोगी योजना को हम ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कितना व्यय आयेगा, यह आपने नहीं बताया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रथम चरण में दो करोड़ रुपये की योजना भेजी गयी थी। जिसमें से ५० प्रतिशत राज्य सरकार का और ५०- प्रतिशत केन्द्र सरकार का है। अभी-अभी जनवरी के महीने में हमने सभी जिलों में कम्प्यूटरीकरण लागू करने हेतु ९२ लाख रुपये की योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र गड़वारा में राजकीय सेतु निगम द्वारा बनाये गये बमरौरा के पुल पर पथकर वसूल किया जाना

*१–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र गड़वारा में राजकीय सेतु निगम द्वारा बनाये गये बमरौरा के पुल पर विगत १५ वर्षों से पुल की लागत वसूल करने

के लिये वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है जिसमें वाहनों के निर्वाध गमनागमन में बाधा और अन्य कई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं ? क्या अभी पुल की लागत अदा नहीं हुई है ? यदि हां, तो अभी कितने वर्ष और टोल-टैक्स वसूल किया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

जी हां । प्रश्नगत पुल पर जनवरी, १९७४ से पथकर वसूल किया जा रहा है ।

जी, नहीं । यातायात सामान्य रूप से चलता रहता है ।

जी, हां । अभी पुल की लागत, लागत पर ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय आदि अदा नहीं हुए हैं ।

नियमानुसार तब तक पथकर वसूल किया जाता है जब तक कि पुल की सम्पूर्ण लागत, लागत पर ब्याज तथा अनुरक्षण व्यय आदि वसूल नहीं हो जाता अथवा पथकर अधिरोपण के प्रथम दिनांक से पचास वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पुल पर कितनी लागत आई है और अभी तक उससे कितना पथकर आया है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जो बमरौरा का पुल है, इसकी मूल लागत १५ लाख रुपये की है । माह दिसम्बर, १९९१ तक कुल धनराशि सात लाख, तिरासी हजार, नौ सौ सात रुपये की वसूली की जा चुकी है ।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्षेत्र की फटे-हाली व गरीबी को देखते हुए तथा पिछड़ेपन को देखते हुए, क्या सरकार इस पथकर की वसूली को रोक कर निर्बाध रूप से गमनागमन हेतु रास्ता सुलभ कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं कि जब तक मूल लागत, उस लागत पर ब्याज और अनुरक्षण की राशि या तो यह वसूल हो जाय या जब से वसूली शुरू हुई है पथकर अधिरोपण के प्रथम दिनांक से पचास वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती । वर्तमान में यही व्यवस्था है ।

राज्य की जेलों में बन्दियों को दी जाने वाली भोजन आदि अन्य सुविधाओं का विवरण

*२–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की जेलों में प्रति बन्दी भोजन आदि अन्य क्या-क्या सुविधायें अनुमन्य है ? यह सुविधायें किस वर्ष घोषित हुई थीं ? क्या नयी सरकार ने इन सुविधाओं का पुनरीक्षण किया है ? यदि हां, तो सुविधाओं के नये प्रस्ताव क्या हैं ?

कारागार एवं होमगार्ड्स उप मंत्री (श्री मन्नू लाल कुरील)–

सूचना सूची 'क' पर संलग्न है ।

अधिकतर सुविधायें १९६४ में जेल नियमावली के पुनर्प्रकाशन से पूर्व से अनुमन्य है, जिनमें वर्ष १९७८, १९७९, १९८० तथा १९९० में सुधार किया गया है।

जेल मैनुअल का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

सूचना सूची "ख" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९३-१९५ पर)

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साधारण बंदियों को जो सुविधायें मिल रही हैं उनके भोजन आदि पर कितना खर्च प्रतिदिन आता है एक ही डाइट में और दूसरा पुनरीक्षण के लिये मुख्य आधार क्या है ? (व्यवधान)

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

कागज तलाश कर रहे हैं।

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

साधारण बंदी निर्धारित श्रेणी के भोजन का हकदार होता है।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं एक साधारण कैदी पर प्रति दिन कितना खर्च आता है ?

श्री उमानाथ सिंह–

साधारण बंदी पर ९ रु० प्रतिदिन लागत आती है।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

आपने खर्च बता दिया उसमें दालों, चावल आदि में जो कूड़ा, कंकड़ रहता है क्या उसकी भी कीमत उसमें लगायी जाती है। दूसरा यह कि क्या ट्रायल वाले कैदियों से भी काम लिया जाता है क्या बैरकों की समुचित व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष–

एक-एक कर संक्षेप में प्रश्न पूछें।

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या अंडर ट्रायल कैदियों से काम लिया जाता है और उनसे खाना बनवाया जाता है ?

श्री उमानाथ सिंह–

संभवतः माननीय सदस्य को जानकारी होगी, बंदियों को नियमानुसार उनकी कैटेगरी के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। बंदियों से काम भी लिया जाता है दोषी बंदियों से नियमानुसार ही काम लिया जाता है।

श्री इजहार आलम खां–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बंदी हैं उनके खाने पर कितना खर्च आ रहा है और जो आपने ९ रु० प्रति बंदी बताया उसमें कुल कितना खर्च आ रहा है ?

श्री उमानाथ सिंह–

आपका प्रश्न बंदियों की सुविधाओं से संबंधित नहीं है इसके लिये आप अलग से प्रश्न करेंगे तो जानकारी करा देंगे ।

डा० बृज भान यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो जेलों में कैदियो को भोजन मिल रहा है क्या वह डाक्टरी दृष्टिकोण से सन्तुलित है अथवा नहीं ?

श्री उमानाथ सिंह–

वर्तमान समय में जो भोजन दिया जा रहा है वह निश्चित रूप से उपयुक्त है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इधर भी देख लें, इधर से भी बहुत से सदस्य सवाल करना चाहते हैं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा अभी आपने कहा कि केवल सिद्ध दोष बंदियों से ही काम लिया जाता है । मान्यवर, मेरी जानकारी में यह है कि जो भी बंदी जेल में हैं उनसे जेल अधिकारी काम लेते हैं, तो क्या मंत्री जी जो दोष सिद्ध बंदी नहीं हैं उनसे काम न लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनसे काम लिया जाये ।

(व्यवधान)

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जेलों में सुविधायें कम हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जेल मैनुअल कब बनाया गया था ? अब की परिस्थितियो को देखते हुए क्या संशोधन हो रहा है जेल मैनुअल में ? यदि हां, तो संशोधन कब तक हो जायेगा ?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, जेल मैनुअल की नई सुविधाओं के संबंध में बड़ी लम्बी सूची है । संशोधन किया गया है।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

संशोधन मंत्री जी ने कहा है कि किये गये हैं, तो कौन-कौन संशोधन हुए हैं, यह बता दें ?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, सभी कारागार बंदियों के लिये वाचनालय में पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है, उनके मनोरंजन हेतु खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था की जा रही है..... (व्यवधान)

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि संशोधन कब तक कर देंगे, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

संशोधन के संबंध में मंत्री जी बता दें ।

श्री उमानाथ सिंह–

जेल मैनुअल का पुनरीक्षण हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता जेल न जाते हों और जेल की हालत अपनी आंखों से न देखा हो, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब तमाम पार्टी के नेता जनता को बराबरी, समानता का दर्जा देने की बात कहते हैं तो क्या जेल में श्रेणी ए, बी, सी, सभी को समाप्त करके चाहे वह साधारण बंदी हो या राजनैतिक बंदी हों सभी को एक समान भोजन की व्यवस्था जेलो में क्या आप प्रदान करेंगे ?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, राजनीतिक बंदियों और अपराधी बंदियों को एक श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने अच्छी बात कही है । १९७८ में शासनादेश हुआ था कि जो राजनीतिक लोग गिरफ्तार किये जायेंगे उनको थाने पर चाय पिलाने की व्यवस्था होगी और रात में हिरासत में रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आयुक्तों से स्थगनादेश देने के अधिकार को वापस ले लिया है, तो क्या उस व्यवस्था को आप वापस लायेंगे और राजनीतिक बंदियों को वही सुविधायें देंगे ?

श्री उमानाथ सिंह–

जहां तक हिरासत का प्रश्न है कारागार में राजनैतिक बंदियों की श्रेणी जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति के आधार पर उनको उच्च श्रेणी प्रदान की जाती है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मेरा यह प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि राजनीतिक लोग पकड़े गये, थाने पर बैठाये गये तो उन्हें वहां पर चाय-पानी की जो व्यवस्था पहले थी, वही लागू है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कैलाश नाथ जी, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसकी अनुमति नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

गुरुवार, दिनांक २७ फरवरी, १९९२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्षों की स्वीकृतियों को निरस्त न किया जाना

*१–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्षों की स्वीकृतियां निरस्त कर नई स्वीकृतियों पर धन आवंटित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सम्प्रति विगत वर्षों की स्वीकृतियां निरस्त नहीं की गयी हैं । नई स्वीकृत परियोजनाओं पर धनावंटन संसाधनों की उपलब्धता की सीमा के अन्तर्गत स्थानीय महत्व, तकनीकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ।

विकलांग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर साधनहीन व्यक्तियों को शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की वितरण व्यवस्था

*२–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकलांग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर, साधनहीन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा अपंग विकलांगों को रिक्शा आदि खरीदने के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता को सीधे जिला मुख्यालय पर ही जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत करके वितरित कराने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

इस योजना में वर्तमान लागू व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे जिला मुख्यालय पर ही संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाती है और स्वीकृत धनराशि का वितरण सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अथवा उस चिकित्सालय के प्राधिकारी द्वारा जहां कि वह चिकित्सा प्राप्त कर रहा है, ही किया जाता है ।

प्रचलित व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है अतः इसमें किसी परिवर्तन का औचित्य नहीं बनता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रश्न देख लें और उसका उत्तर देख लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा जी वाले प्रश्न पर हमारी रुचि है । प्रश्नकाल के बाद उसमें हमको थोड़ा समय दे दें । अन्त में इसको ले लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, इसको मैं बाद में कर दूंगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रश्न को देख लें और इसके उत्तर का भी अवलोकन कर लें । समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विपन्न, अपंग लोगों के लिये कृत्रिम अवयव और उपकरणों की सुविधा और देय अनुदानों के संबंध में पूछा गया था और उत्तर आ रहा है चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में। अगर आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो करें। मेरी संतुष्टि की बात छोड़ दें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

अनुपूरक तो बाद की बात है। प्रश्न पूछा गया है समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर, साधनहीन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने हेतु सहायता या जो भी अनुमन्य अनुदान हैं, के बारे में। उत्तर आ रहा है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के विषय में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप उत्तर का अन्तिम भाग देख लें उसमें लिखा है कि प्रचलित व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है अतः इसमें परिवर्तन का औचित्य नहीं बनता है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, व्यवस्था तो बताई गई है परन्तु वह चिकित्सा संबंधी है। मैंने जो प्रश्न किया है, मान्यवर, उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न तो देखें। प्रश्न किया गया है कि क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि विकलांग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर, साधनहीन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा अपंग विकलांगों को रिक्शा आदि खरीदने के लिये शासन द्वारा सहायता। सहायता तक तो आपने स्वीकार कर लिया। इसके आगे जो व्यवस्था कराये जाने के बारे में प्रश्न किया है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि प्रचलित व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है अतः इसमें किसी परिवर्तन का औचित्य नहीं बनता है। उत्तर तो आ गया। ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न का उत्तर न आया हो। कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो करें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, वर्तमान व्यवस्था तो प्रश्न में ही निहित है। समाज के इस श्रेणी के व्यक्तियों को, जो कि आर्थिक दृष्टि से साधनहीन हैं उनको कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिये सहायता किस स्तर पर दी जाती है। जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अब तक जो अनुदान पांच सौ रुपये दिया जाता था उसको बढ़ाकर अब एक हजार कर दिया गया है। अब उससे चाहे वह उपकरण खरीदें, चाहे चिकित्सा करावें। जब वह जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देते हैं, तो उनको उपलब्ध करा दिया जाता है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, प्रार्थना पत्र जो है वह जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां से अग्रसारित हो विभाग को आता है.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जो विकलांग व्यक्ति होता है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रार्थना-पत्र की पैरवी करे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य सुविधाओं और उपकरण देने के लिये अनुदान जिला स्तर से दिया जायेगा ।

श्री रमापति शास्त्री–

उपकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ५०० रु० पहले अनुदान दिया जाता था अब उसको बढ़ाकर १,००० रु० कर दिया गया है । वैसे कुछ संस्थायें ऐसी हैं जो उपकरण बनाकर देते हैं । अगर माननीय सदस्य को इस तरीके की कोई जरूरत होगी तो हम उनको उपकरण उपलब्ध करा देंगे ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

यह कह रहे हैं कि माननीय सदस्यों को आवश्यकता होगी तो हम तो उस श्रेणी में आते नहीं हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विकलांगों के प्रार्थना पत्र जमा करने में जो औपचारिकतायें होती हैं उनको पूरी करने के लिये सुविधायें मुहैया करायी जायें । जो विकलांग ऐसे होते हैं जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं उनके लिएं प्रमाण-पत्र प्राप्त करना असम्भव सा हो जाता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि विकलांगता प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये तहसील स्तर, ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाये जायें और विकलांगता प्रमाण-पत्र दिये जायें ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला मुख्यालय से प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं । कहीं-कहीं ब्लाक स्तरों पर कैम्प लगाकर भी प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं तो यह तो पहले से ही व्यवस्था है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, क्या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि उपकरण खरीदने के लिये विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे तो जिला स्तर पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उसका निष्पादन कराया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

एक हजार रुपये के नीचे जो उपकरण आयेंगे उसको उपलब्ध करा दिया जाये ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मैं अनुदान की राशि नहीं पूछ रहा हूं उसका निष्पादन जिला स्तर पर कर दिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गांधी जी की जिज्ञासा जो है वह उत्तर में स्पष्ट है । जिला मुख्यालय की बात से यह संतुष्ट हैं । मान्यवर, अन्तिम स्वीकृति जो है वह जिलाधिकारी के माध्यम से होना आवश्यक है मैं समझता हूं कि आपको ऐसा समर्थन करना चाहिये । यह व्यवस्था ठीक है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, साधारणतः यह शिकायत रही है कि विपक्ष शासन से सहयोग नहीं करता है । इस मामले में हम शासन का पूरा सहयोग करने के लिये उत्सुक हैं । मंत्रियों को हर जगह विशिष्ट सुविधा मिलती है। [xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, जो पर्वतीय क्षेत्र के विकलांग हैं और जो मैदानी क्षेत्र के विकलांग हैं उनकी स्थिति में अन्तर है । पर्वतीय क्षेत्र के विकलांग रिक्शा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहां पर रिक्शा चलाया नहीं जा सकता है । तो क्या माननीय मंत्री जी पहाड़ों के संबंध में नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे । पर्वतीय क्षेत्र के विकलांगो के लिये क्या कोई योजना अलग मे बनाने पर विचार किया जायगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो इस समय व्यवस्था है इसमें कोई कठिनाई नहीं है इसलिये अलग से कोई योजना बनाने का औचित्य नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न किया गया है उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि शासन की तरफ से पहले ५०० रुपया निर्धारित था जिसको अब ९ हजार रुपया कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि मूल प्रश्नकर्ता माननीय गांधी जी को अब जरूरत पड़ेगी तो उनके लिये रिक्शे की व्यवस्था कर देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था सिर्फ गांधी जी के लिये की जायगी या समाज कल्याण मंत्री जी के लिये भी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

मान्यवर, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद में स्वतः रोजगार योजना के माध्यम से गरीब लोगों को समाज कल्याण विभाग एवं वित्त निगम से पैसा मिला है उसमें बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं । क्या इनकी जांच करायी जायगी ?

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह मूल प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न करे । यह मूल प्रश्न से बहुत हटकर है ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले यह धनराशि ५०० रुपये थी जिसको बढ़ाकर १ हजार रुपया कर दिया गया है। विकलांगों की कैटेगरी अलग-अलग है। यदि किसी व्यक्ति की उंगली कटी है तो वह भी विकलांग है और यदि किसी व्यक्ति का पैर कटा है और वह चल फिर नहीं सकता तो वह भी विकलांग माना जाता है। तो यह जो अलग श्रेणी के विकलांग हैं उनमें क्या कोई अन्तर करेंगे या सबको एक बराबर देंगे ?

नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री मस्तराम)–

मान्यवर, हम ३०० रुपये प्रति माह से कम आमदनी वाले को ही देते हैं। उससे ज्यादा वाले तो स्वयं लगवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा था कि विकलांगता की प्रकृति को देखकर धनराशि में अन्तर करेंगे ?

श्री मस्तराम–

मान्यवर, धन देने की अन्तिम रेखा एक हजार है। उंगली कट जायगी तो कम कर देंगे, उससे आगे जायगा तो एक हजार देंगे।

श्री राम किशन ददाजू–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो साधनहीन व्यक्ति हैं, जिनको कृत्रिम अवयव लगाये जाते हैं, उनको वितरण सही किया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता है।

*३–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[९वें बुधवार में ता० प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति यूनिट प्रतिमाह दी जाने वाली सामग्री के वितरण की जानकारी

*४–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति यूनिट कौन-कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है और क्या वाराणसी के उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में उपरोक्त सामग्रियां उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है और निर्धारित मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री एजाज रिजवी–

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति यूनिट प्रतिमाह निम्नलिखित सामग्री निम्न मात्रा में उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है :––

	सामग्री	मैदानी शहरी क्षेत्र	मैदानी ग्रामीण क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
१.	गेहूं	८ कि० ग्रा०	८ किग्रा०	१० किग्रा०
२.	चावल	६ किग्रा०	६ किग्रा०	८ किग्रा०
३.	चीनी	१ किग्रा०	२५० ग्राम	१ किग्रा०
४.	मिट्टी तेल	१० लीटर	५ लीटर	शहरी- १० लीटर ग्रामीण- ५ लीटर

जी नहीं।

भारत सरकार से प्रदेश को (गेहूं, चावल, लेवी चीनी एवं मिट्टी तेल) प्राप्त होने वाला आवंटन उक्त निर्धारित दरों से कम प्राप्त होने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता है।

भारत सरकार से निर्धारित मात्रा में प्रदेश को इन वस्तुओं का निश्चित आवंटन देने के लिये शासन स्तर से हमेशा अनुरोध किया जाता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि निर्धारित मात्रा में जो सामग्री है, न मिलने के कारण कम दे पा रहे हैं । मान्यवर, आज की जो महंगाई की स्थिति है, उसको देखते हुए और जो हमारी प्रदेश की सरकार है, उसके साथ केन्द्र सरकार द्वारा जानबूझ कर जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जानबूझ कर भाजपा शासन को बदनाम करने के लिये जो कम सप्लाई की जा रही है, उसके तहत यह मात्रा कम दी जा रही है ? तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में वाराणसी में कितनी यूनिटें हैं और उसके आधार पर कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु की आवश्यकता है ? एक अंग यह होगा । दूसरा पार्ट यह है कि और कितना प्राप्त हो रहा है, यह बता दें तो अगला प्रश्न करें ?

(इस समय ११ बजकर ५३ मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए)

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, वाराणसी जनपद में १९९१ की जनगणना के अनुसार कुल आबादी ४८ लाख है । शहरी क्षेत्र में १३ लाख और ग्रामीण क्षेत्र में ३५ लाख है । कुल वितरण स्केल के अनुसार इस जनपद में ३० हजार टन गेहूं, २० हजार टन चावल की आवश्यकता होती है । जब कि हम इसे केवल २,३३९ टन गेहूं और १,०२१ टन चावल ही दे पा रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक निर्धारित लेवी पर खरीददारी करनी थी, मान्यवर, लक्ष्य क्या था और ये कितनी लेवी वसूल कर पाये हैं और कितनी वसूल नहीं कर पाये, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ये अभी मंत्री नहीं बने हैं ।

मान्यवर, इस सरकार को सेन्ट्रोफोबिया की बीमारी हो गयी है । मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समुचित खाद्यान्न के वितरण के लिये लेवी गेहूं की वसूली का लक्ष्य बनाया था ? यदि बनाया था, तो वह लक्ष्य कितना था और वसूली कर पाये, तो कितनी वसूली कर पाये ?

श्री अधिष्ठाता–

वह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान उपलब्धि है, केन्द्र सरकार द्वारा जिस-जिस मात्रा में जो-जो खाद्यान्न और अन्य चीजें दी जा रही हैं, उस उपलब्धि के आधार पर वाराणसी में प्रति यूनिट कौन सी वस्तु, किस मात्रा में दिया जाना अनुमन्य है और वह दी जा रही है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, अभी हमने पूर्व में बताया है कि २,३३९ टन गेहूं तथा १,०२१ टन चावल केवल वाराणसी क्षेत्र में वितरित किया जा रहा है ।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय के पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको बाद में फिर मौका दिया जायगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है । मान्यवर, मेरा उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको फिर टाइम मिल जायेगा, मैंने माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

इस तरह से कैसे व्यवस्था चलेगी । आप बैठ जाइये । आपको फिर मैं टाइम दूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद वाराणसी में प्रति यूनिट कितना अनाज दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके अनुसार जो यूनिटें हैं वाराणसी में, उन यूनिटों में प्रति यूनिट किस मात्रा में कौन सी वस्तु दिये जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा है और क्या उस मात्रा में वाराणसी में सामान वितरित हो रहा है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में जो मानक बताया है, वही है और मान्यवर, इस समय एक यूनिट पर गेहूं लगभग २ किलो ग्राम और लगभग १ किलो ग्राम चावल वितरित किया जा रहा है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ कर दिया है कि प्रति यूनिट जो गल्ला हमको देना चाहिये, वह गल्ला हम नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, राम रोटी और इन्साफ के नाम पर आयी हुई यह सरकार जो है, आज यह कह रही है कि हम रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और राम की व्यवस्था इन्होंने किया नहीं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश की जनता आज रोटी के बिना है, इसको रोटी दिलाने के लिये माननीय मंत्री जी कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं ? मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा था और मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ कर दिया है कि जो गल्ला प्रति यूनिट दिया जा रहा है, उसको वह गल्ले के अभाव में नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि केन्द्र सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिये प्रदेशीय सरकार नहीं दे पा रही है। मान्यवर, राम, रोटी और इन्साफ के नाम पर यह सरकार आई है। राम की व्यवस्था नहीं हुई है और रोटी यह सरकार जनता को दे नहीं पायी है। जनता रोटी के बिना मर रही है, उसके लिये सरकार कौन सी व्यवस्था करने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डेय जी आप प्रश्न करें। राम की व्यवस्था हो रही है।

(व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

आपने व्यवस्था दी कि राम की व्यवस्था हो गयी है। राम राज्य की कल्पना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, लेकिन आज लोग भूखों मर रहे हैं, रोटी के बिना मर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो वितरण के स्केल हैं, उनको बताया और एक बात कही कि केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में राशन या गल्ला न मिल पाने के कारण ऐसी व्यवस्था की गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी केन्द्र सरकार के निर्देश हैं कि शहरों में प्रति यूनिट कितना राशन दिया जाये और गांवों में प्रति यूनिट कितना राशन दिया जाये और क्या केन्द्र सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि मैदानी क्षेत्र में प्रति यूनिट कितना राशन दिया जाये और पर्वतीय क्षेत्र में प्रति यूनिट कितना राशन दिया जाये। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी भाग से कम राशन दिया जाता है। ऐसा करने का क्या कारण है कि गांव में रहने वालों को कम चीनी दी जाये और शहर में रहने वालों को अधिक चीनी दी जाये ? मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात माननीय मंत्री जी ने यह कही है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रति यूनिट जो चावल दिया जा रहा है वह १० किलो प्रति यूनिट पर दिया जा रहा है। मैं मान्यवर, निश्चित आरोप लगा रहा हूं कि मेरे जनपद देहरादून के विकास खण्ड कलसी, चकराता, विकास नगर और सहसपुर में प्रति यूनिट दो किलो गेहूं दिया जा रहा है, ८०० ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैदानी भाग और पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है और उसका औचित्य क्या है और

क्या माननीय मंत्री जी इसको संशोधित करेंगे कि जिनता प्रति यूनिट मानक इन्होंने तय किया है उसका क्या पहाड़ पर वितरण हो रहा है ? मान्यवर, मैं निश्चित जानकारी के आधार पर यह आरोप लगा रहा हूं कि उसका ५० फीसदी, २५ फीसदी भी वितरण नहीं हो पा रहा है विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि मैदानी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में यह जो अन्तर है इसका क्या कारण है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो मैंने मानक सदन के सामने प्रस्तुत किया है यह २ अप्रैल, १९८२ को तत्कालीन सरकार ने निर्धारित किया था, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, अभी यहां पर राम और रोटी की बात कही गयी ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार के आने के पहले कितना गेहूं और चावल आवंटित होता था और अब कितना आवंटित हो रहा है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जो मानक बताया गया है वही है । गेहूं का आवंटन ५० हजार मीट्रिक टन मासिक १९८२ से मिलता चला आ रहा है और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है और चावल का आवंटन ३० हजार मीट्रिक टन सन् १९८२ से मिलता चला आ रहा है, इसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है । केवल फरवरी के मास में जब हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया था उसके उपरान्त २० हजार मीट्रिक टन गेहूं हमें इस महीने में अधिक मात्रा में मिल पाया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने आखिरकार, अंततोगत्वा यह स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र सरकार ने २० हजार मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया है, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

हड़काने के बाद ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार से प्राप्त करने के लिये, जो लेवी का खाद्यान्न जमा किया जाता है, केन्द्र के प्रति जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जरूर प्रयास किया जायेगा ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-५ पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री विजय सिंह राणा जी नहीं हैं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-७ पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

बिना मेरी अनुमति के कोई सदस्य बोलेगा वह लिखा नहीं जायेगा । मैंने माननीय श्री विजय सिंह को बुला लिया है, तारांकित प्रश्न संख्या-७

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह नहीं हैं । तारांकित प्रश्न संख्या-८

लोक निर्माण विभाग में कार्मिक विभाग द्वारा दि० २०-३-९१ को जारी की गयी ज्येष्ठता नियमावली, १९९१

*५–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक २०-३-९१ को जारी की गयी ज्येष्ठता नियमावली, १९९१ के तहत विभाग के सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के रूप में प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रोन्नति से लाभान्वित कितने सहायक अभियन्ता अब तक अधिशासी अभियन्ता का पद प्राप्त कर सके हैं और यदि नहीं, तो इस ज्येष्ठता सूची के अभी तक लागू न होने के क्या कारण हैं ? अब यह ज्येष्ठता कब से लागू की जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी विवाद अभी विचाराधीन होने के कारण कार्मिक विभाग की दिनांक २०-३-९१ से प्रवृत्त ज्येष्ठता नियमावली को लोक निर्माण विभाग में लागू नहीं किया जा सका ।

*६–श्री भारत सिंह रावत–

[७वें मंगलवार में ता० प्र० सं० २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के रिहन्द नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग का उपलब्ध कराया जाना

*७–श्री विजय सिंह (सोनभद्र) (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रिहन्द नदी पर बना स्प्रिंग पुल टूटने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पुल के टूट जाने से नार्दर्न कोल्ड फील्ड, एन० टी० पी० सी० और अनपरा "ब" तापीय परियोजना का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो पुल अविलम्ब निर्माण हेतु सरकार क्या कर रही है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पुल मरम्मत का काम सेना के माध्यम से एन० सी० एल० करा रही थी ? यदि हां, तो लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने सेना को काम करने से क्यों रोक दिया ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

अत्यधिक वर्षा के कारण सिंचाई विभाग द्वारा रिहन्द बांध के १३ में १२ गेट एक साथ खोले जाने पर रिहन्द नदी का सेतु क्षतिग्रस्त हुआ । यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण कार्य अवरुद्ध नहीं हुआ है ।

पुल का निर्माण कार्य नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के माध्यम से बार्डर रोड संगठन द्वारा कराया जा रहा है ।

जी नहीं, कार्य रोका नहीं गया है ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थायी मस्टर रोल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी मस्टर रोल पर रखे जाने हेतु जारी किये गये आदेश

*८–श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० द्वारा दिनांक १-३-८७ को तीन वर्ष मस्टररोल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिये आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो इन आदेशों के अनुपालन में जनपद फैजाबाद में कितने मस्टर रोल कर्मचारी नियमित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा वस्तुतः १-३-८७ तक अस्थाई मस्टर रोल पर तीन वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को स्थाई मस्टर रोल अथवा अनियमित वर्कचार्ज में रखने के आदेश जारी किये गये थे ।

इस आदेश के अनुपालन में जनपद फैजाबाद में १७९ मस्टर रोल कर्मचारी स्थायी मस्टर रोल पर किये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं.....

(घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरे हितों की रक्षा आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ? मैंने सवाल पूछा था आपने इजाजत दी थी उसका जवाब नहीं आया आप जवाब दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दल सिंगार जी, आप अपना प्रश्न करें ।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, फैजाबाद जिले में कितने लोग ऐसे हैं जो दस वर्षों से मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं..

(घोर व्यवधान के मध्य श्री मुन्ना चौहान सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

(इस समय १२ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री दल सिंगार–

जो लोग मस्टर रोल पर काम कर रहे थे उसमें से कितने लोगों को नियमित किया गया और वे कब से काम करते रहे हैं क्या इसके पूरे विवरण सहित सूची देने की कृपा करेंगे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पहले भी उत्तर दिया कि इसमें १-३-८७ तक अस्थायी मस्टर रोल पर कार्यरत लोगों को तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर स्थायी मस्टर रोल पर किया गया तो उस समय १७९ लोग हुए थे । १५२ लोगों का प्रोसेस चल रहा था कि तभी फ्रीज करने का एक नोटीफिकेशन हो गया और यह जो सारी प्रक्रिया थी, वह वेकेन्सीज फ्रीज हो जाने के कारण रोक दी गयी ।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग छूट गये वह क्यों छोड़ दिये गये जबकि वह नियमों के अन्तर्गत आते हैं तथा १० वर्ष से काम कर रहे हैं उनको नियमित क्यों नहीं किया गया ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, ऐसा है कि वर्कचार्ज और नियमित में थोड़ा अन्तर है । पहले तो डेली वेजेज होते हैं । १-३-८७ तक जिन्होंने तीन वर्ष पूरे किये थे उनको वर्कचार्ज में किया गया । नियमित होने की एक अलग प्रक्रिया है । इसीलिये नियमित होने के बारे में सम्प्रति कोई विचार नहीं किया जा सका है । अगर यह जानना चाहते हैं कि यह सिर्फ १-३-८७ तक किया और उसके बाद क्यों नहीं किया गया तो उसका कारण यह है कि १९८८ में शासन द्वारा वेतन आयोग के संबंध में एक समिति का नोटीफिकेशन आया, जिसके अनुसार वेकेन्सीज फ्रीज कर दी गयी ।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मस्टर रोल पर लोग १०-१०, १५-१५ वर्षों से काम कर रहे थे ।

फैजाबाद जिले में पूरी सूचना है, वहां लापरवाही की वजह से न तो वर्कचार्ज पर किया गया, न नियमित हुए, जब प्रश्न हुआ तो मनमाने ढंग से जिनको चाहा नियमित कर दिया गया तथा जिनको चाहा वर्कचार्ज पर कर दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने फैजाबाद में इस तरह से मनमाने ढंग से कार्य किया क्या यह सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस समय लोक निर्माण विभाग की अधिष्ठान व्यय २७ प्रतिशत है। कार्य भार बढ़े उसके अनुसार निर्णय लिया जाय यह तो उचित बात है। आज यदि हमारी आवश्यकता रहेगी और हम कार्य बढ़ायेंगे तो उसी के अनुसार हम नियमित कर पायेंगे। इस समय यह सम्भव नहीं है।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि काम बढ़ेगा कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि जो लोग दस-दस साल से काम करते चले आ रहे हैं उनको क्यों नहीं शासन ने नियमित किया तथा यह कब तक हो जायेंगे ? मेरा कहना यह है कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने जो अनियमितता बरती होगी उनको न नियमित करके.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री दल सिंगार–

तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उनको नियमित कराने के आदेश यह सरकार कब तक कर देगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, तीन बार यह प्रश्न पूछ चुके हैं और तीन बार ही मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। १९८८ में एक नोटीफिकेशन हुआ था उसके अनुसार वेकेन्सीज फ्रीज कर दी गयी। आज तक यह फ्रीज हटी नहीं है।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ने बहुत ही उत्तेजित होकर उत्तर दिया है। उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां काम की अनुपलब्धता होने के कारण उनको हटा दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि १० वर्ष पहले जो कर्मचारी रखे गये होंगे, तब से आज तक काम तो निश्चित बढ़ा होगा, इससे शासन की नीति में फर्क आया है, जो लोग १० वर्ष की सेवा कर चुके हैं उनका इसमें क्या दोष है ? दोष तो उनका है जो लोग इनको हटा रहे हैं तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह बात बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी गयी है कि फ्रीज लगी हुई है, जब तक यह हटेगी नहीं तब तक इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह बहुत स्पष्ट है, फिर भी यह बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, १२.३० होने वाला है। मैं यह चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह फ्रीज की बात बार-बार कहते हैं, लगता है कि यह विपक्ष में बैठे हैं। आप पी० डब्लू० डी० विभाग के मंत्री हैं.... मान्यवर, बेरिया जी और दल सिंगार जी ने जो बात कही कि १० साल काम करते लोगों को हो गये और तब से कितना काम बढ़ा है, पेंटिंग हो गयी, खड़ंजा का काम बन गया और भी कई काम हुए हैं। मंत्री जी ने कहा, काम की उपलब्धता पर सम्भव है। जहां तक फ्रीज की बात है, तो फ्रीज तो आप ही हटायेंगे, शासन हटायेगा। आप यह उत्तर क्यों नहीं देते कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और फ्रीज हटाकर उन लोगों को समायोजित कर देंगे। जो लोग १० साल से काम कर रहे हैं, ८ साल से, ५ साल से हैं, उनका क्या कसूर है ? आप इस पर पुनर्विचार कर लें और जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें समायोजित करा दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे नहीं पता था कि नेता विरोधी दल के भी साढ़े बारह बजते हैं, बड़ी चिन्ता इन्हें अनावश्यक हो रही थी, खैर अभी १० मिनट बाकी हैं। आपने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में पहले से उत्तर दे दिया गया है। फ्रीज हटाने और समायोजित करने में गहरा संबंध है और जब हम समझेंगे कि हमें आवश्यकता है और लोगों को करने की, तो हम उसे हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।[1]

जनपद बांदा में ८ किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से शहरी कोटेदारों को गेहूं उपलब्ध कराये जाने की मांग

*९–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बतलायेंगे कि बांदा जनपद में शहरी क्षेत्रों में ८ किलो ग्राम प्रति यूनिट गेहूं मिलना चाहिए किन्तु केवल तीन किलो ग्राम प्रति यूनिट के दर से कोटेदारों को दिया जा रहा है। क्या शीघ्र ही ८ किलो ग्राम प्रति यूनिट की दर से कोटेदारों को गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

शासन द्वारा ऐतिहासिक रूप से ८ किलोग्राम प्रति यूनिट की दर तय है और वितरण के इस स्केल के आधार पर बांदा जनपद के नगरीय क्षेत्रों के लिये ५५९७ मी० टन गेहूं की आवश्यकता है जबकि प्रदेश को प्राप्त आवंटन को नगरीय जनसंख्या के आधार पर अनुपातनः वितरित करने पर बांदा जनपद के लिये आवंटन औसत रूप से लगभग १००० मी० टन आता है, जो केवल शहरी क्षेत्र की कुल आवश्यकता का लगभग ६२.५ प्रतिशत है। अतः सीमित उपलब्धता व अन्य स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिला स्तर पर विवेकानुसार वितरण की व्यवस्था की गयी है।

निर्धारित स्केल के अनुसार गेहूं आवंटित किये जाने का अनुरोध निरन्तर भारत सरकार से किया जा रहा है। भारत सरकार से उक्त आधार पर आवंटन प्राप्त होने पर बांदा जनपद को भी तदनुसार आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

*१०–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[दिनांक १३-२-९२ को ता० प्र० सं० ८ द्वारा उत्तरित]

---

[1]नोटः- नत्थी 'ग' के तारांकित प्र० सं०–८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

जनपद मिर्जापुर, के विकास खण्ड के भड़िहान ग्राम सिरसी राहकला में जमीन के अवैध पट्टे एवं भारी पैमाने पर हेराफेरी की शिकायत

*११—श्री भागवत पाल—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सिरसी राहकला, विकास खण्ड भड़िहान, जनपद मिर्जापुर में लगभग चार हजार एकड़ जमीन की भारी पैमाने पर हेराफेरी कर लोगों के नाम अवैध पट्टे किये जा रहे हैं ? क्या उन पट्टों का पुराना रिकार्ड भी गायब कर दिया गया है ? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

ग्राम सिरसी राहकला, वि० खं० भड़िहान, जनपद मिर्जापुर में ३१४६ बीघा (१९६६.२५ एकड़) भूमि दिनांक १८-३-६८ को रक्षित वन भूमि घोषित की गयी है। विज्ञप्ति की तिथि के बाद उपरोक्त भूमि के संबंध में १७० व्यक्तियों द्वारा १६७८ बीघा ११ बिस्वा पर अलग-अलग कथित पट्टों के आधार पर वन बन्दोबस्त अधिकारी, मिर्जापुर के न्यायालय में अपना नाम भू-अभिलेखों में अंकित कराने हेतु आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं। वन बन्दोबस्त अधिकारी ने ८३ आपत्तियों को निरस्त कर दिया है तथा ८७ आपत्तियां उनके न्यायालय में विचाराधीन है।

पुराने पट्टों का कोई रिकार्ड गायब नहीं किया गया है।

जांच की आवश्यकता नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बांदा में कन्ट्रोल की सस्ती दुकानों पर गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की देहात एवं शहर में प्रति यूनिट दिये जाने का विवरण

'१२—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा की तहसील बांदा में कन्ट्रोल की सस्ती दुकानों पर चीनी, मिट्टी तेल, गेहूं आदि में देहात एवं शहरी वितरण प्रणाली की मात्रा क्या है ? क्या शहर की भांति देहात में भी चीनी, प्रति यूनिट प्रति किलो ग्राम दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री एजाज रिजवी—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की प्रति यूनिट प्रतिमास वितरण की निम्नलिखित दरें निर्धारित हैं :—

	गेहूं	चावल	चीनी	मिट्टी तेल
शहरी क्षेत्र	०८ किग्रा०	०६ किग्रा०	०१ किग्रा०	१० लीटर
ग्रामीण क्षेत्र	०८ किग्रा०	०६ किग्रा०	२५० ग्रा०	५ लीटर

उक्त वस्तुओं का आवंटन भारत सरकार से प्रदेश की आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होता है। अतः इसे समानुपातिक रूप से जिलों को आवंटित कर दिया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों व खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता के आधार पर जिला स्तर पर वितरण की व्यवस्था की गयी है।

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है परन्तु भारत सरकार से इस अन्तर को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त चीनी की मांग की गयी है। भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही शहर की भांति देहात में चीनी की मात्रा बढ़ाना सम्भव हो पायेगा।

*१३–श्री राम प्रसाद सिंह–

[दिनांक १३-२-९१ को ता० प्र० सं० ८ द्वारा उत्तरित]

*१४–श्री अब्दुल ए० सलाम–

[८वें शुक्रवार में ता० प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी में डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

*१५–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा दिनांक १८ फरवरी, १९९१ को जनपद मैनपुरी की डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार ने उक्त जनपद की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये धनराशि भेज दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां। डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी की सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी में एस० ओ० सी० (चकबन्दी) के दफ्तर में कतिपय अराजकतत्वों द्वारा ताला तोड़कर आग लगा देने से अनेक पत्रावलियों का जलकर नष्ट होने की शिकायत

*१६–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में एस० ओ० सी० (चकबन्दी) के दफ्तर में नवम्बर, १९९१ में सैकड़ों फाइलें जला दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक ११-११-९१ की कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित बंदोबस्त अधिकारीचकबन्दी, वाराणसी के न्यायालय का ताला कतिपय अराजक तत्वों द्वारा तोड़कर आग लगा दी गयी जिससे अनेकों पत्रावलियां जलकर नष्ट हो गयी।

जांच के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ११-११-९१ को थाना कैण्ट, वाराणसी में दर्ज कर दी गयी है, जो विवेचनाधीन है।

उत्तर प्रदेश के भूकम्प/बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुए दैवी आपदा निधि कोष की स्थापना करने की मांग

*१७–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भूकम्प /बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुए शासन दैवी आपदा निधि कोष स्थापित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

नवम् वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु एक ''आपदा राहत निधि'' की स्थापना की गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिये ९० करोड़ रु० की धनराशि निर्धारित की गयी है। इस निधि में भारत सरकार का अंशदान ७५ प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान २५ प्रतिशत होगा।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला प्लान के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु ५३ करोड़ रुपये का व्यावर्तन

*१८–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में, जिला प्लान के अन्तर्गत मार्ग निर्माण का ५३ करोड़ रुपये की कोई कटौती की गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? प्रदेश के जिला प्लान के धन के बारे में सरकार द्वारा उक्त निर्णय करने का क्या औचित्य है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी, नहीं । केवल व्यावर्तन किया गया है ।

राज्य योजना सेक्टर में अवशेष कार्यों का परिणाम अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण वर्ष ९१-९२ में जिला योजना से ५३ करोड़ रु० के व्यावर्तन का सुविचारित निर्णय लिया गया था । प्रदेश में राज्य योजना एवं जिला योजना में किये जा रहे सभी कार्य जनहित के हैं ।

३९वां वृत्त, लखनऊ में वर्ष ९०-९१ व ९१-९२ में कतिपय अनियमितताओं के संदर्भ मे सचिव, भ्रष्टाचार निवारक समिति, मोतीनगर, लखनऊ का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के नाम, पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*१९–श्री बच्चा पाठक–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३९वां वृत्त, लखनऊ में वर्ष ९०-९१ व ९१-९२ में कतिपय अनियमितताओं के मामले में सचिव, भ्रष्टाचार निवारण समिति, मोतीनगर, लखनऊ का शिकायती-पत्र माह नवम्बर/दिसम्बर, ९१ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और जांच किसके द्वारा करायी गयी ? क्या दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री राम चन्द्र जायसवाल, सचिव, भ्रष्टाचार निवारक समिति, मोतीनगर, लखनऊ का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दिनांक २०-११-९१ को प्राप्त हुआ है ।

कथित पत्र में ३९वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण मुख्य रूप से निम्नवत् है :–

(१) वर्ष १९९०-९१ के अन्तिम आवंटन के समय प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में जाकर अपने ही द्वारा भेजी गयी धन की मांग में फेरबदल करना ।

(२) वर्ष १९९१-९२ का आवंटन मुख्य अभियन्ता भवन से दिनांक २३-५-९१ को प्राप्त हो जाने के बाद भी दो माह तक अपने पास रोके रखना तथा खण्डों को दिनांक २७-७-९१ को उपलब्ध कराना ।

(३) अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को दबाना तथा उनसे अनियमित कार्य कराना आदि ।

शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता, परिवाद, लो० नि० वि० द्वारा की जा रही है ।

जांच प्रगति पर है अतः अभी किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रा० मा० खण्ड नं० २, लखनऊ में ३२ लाख रुपये के घोटाले के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, २८वां वृत्त (रा० मा०), बरेली, लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच

*२०–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रा० मा० खण्ड नं०-२, लखनऊ में ३२ लाख रुपये के घोटाले के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र सं० ८८/ना० नि०/८९, दिनांक ५-१०-८९ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पत्र में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच के परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? जांच कब तक पूर्ण करा ली जायगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जांच अधीक्षण अभियन्ता, २८वां वृत्त (रा० मा०), बरेली, लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी है । मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग के परीक्षणोपरान्त जांच के निष्कर्ष उपलब्ध हो सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जांच अधिकारी के स्तर से जांच पूर्ण हो चुकी है । उसके निष्कर्षों के आलोक में ही विलम्ब के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

अतारांकित प्रश्न

पूर्व सरकार द्वारा राज्य सेक्टर के अधीन स्वीकृत पुलों, सड़कों आदि के निर्माण विषयक जारी शासनादेशों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से संशोधन/निरस्तीकरण पर वर्तमान सरकार द्वारा विचार

१–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई सरकार, पूर्व सरकार द्वारा राज्य सेक्टर के अधीन स्वीकृत पुलों, सड़कों आदि के निर्माण के शासनादेशों के संशोधन/निरस्तीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? शासनादेश जारी होने के एक साल बाद भी अनेक योजनाओं पर काम शुरू न होने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि सरकार ने प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव में वर्ष ८९ में पूर्व सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिये जारी शासनादेशों पर अधूरे निर्माण के बावजूद चालू वर्ष में धन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या अन्तर्जनपदीय महत्व की सड़क बनी मिर्रीकलां पुरवा पर भी शासनादेश के अनुसार धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधूरे मार्ग कब तक बन जायेंगे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

संसाधनों की सीमित उपलब्धता एवं स्वीकृत कार्यों के अत्यधिक अवशेषों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सीमितिकरण/निरस्तीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

संसाधनों की अपर्याप्तता उपलब्ध सीमित संसाधनों के आधार पर धनराशि आवंटित की गयी है ।

धनराशि का आवंटन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बाराबंकी में स्थित स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री को पाम आयल, मैदा, कोयला, ग्लूकोज, शक्कर आदि का शासन द्वारा आवंटन और उत्पादन क्षमता का विवरण

२–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री में बिस्कुट निर्माण हेतु पाम आयल, मैदा, कोयाला, ग्लूकोज, शक्कर, किस मात्रा में प्रतिवर्ष शासन द्वारा आवंटित की गयी है ? क्या उपरोक्त सामग्री का सम्पूर्ण प्रयोग बिस्कुट उत्पादन में हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता क्या है तथा शासन द्वारा उपरोक्त वस्तुओं का आवंटन उत्पादन क्षमता से कितना कम है अथवा अधिक है ?

श्री एजाज रिजवी–

विगत मई, १९८७ से मै० स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री को पाम आयल, मैदा, कोयला, ग्लूकोज, शक्कर का कोई आवंटन नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में जिला योजना को छोड़कर अन्य योजना में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि और निर्माण कार्य का विवरण

३–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील फतेहाबाद में जिला योजना के अतिरिक्त योजनाओं में वर्ष १९८९-९० व १९९०-९१ में कुल कितनी सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया है ? इन सड़कों के नाम क्या हैं तथा इनके निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और सड़क निर्माण का कार्य किस स्तर पर है ? इन्हे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वर्ष १९८९-९० में जिला योजना को छोड़कर किसी अन्य योजना में कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ । वर्ष १९९०-९१ में राज्य योजना व जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रमशः एक व चार कार्य स्वीकृत किये गये ।

विवरण निम्नवत् है :–

मार्ग का नाम व स्वीकृत कार्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	वर्तमान निर्माण स्तर/प्रगति
१	२	३
राज्य योजना		
१–फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग (चौड़ीकरण के कार्य) ।	२५.७५	मार्ग के तटबन्धों के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण है । मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य ३ कि० मी० में ऊपरी सतह तक कटाई का कार्य पूर्ण है ।
जवाहर रोजगार योजना		
२–आगरा-बाह कचौराघाट मार्ग से भोगली वाया रसूलपुर मार्ग (मिट्टी व पुलिया स्तर के कार्य) ।	२.४०	मिट्टी का कार्य पूर्ण है तथा पुलिया का निर्माण शेष है ।

१	२	३
३–सिकरारा से गढ़पुरा मार्ग (मिट्टी व पुलिया स्तर के कार्य)	२.४५	उपरोक्तानुसार
४–पैंतीखेड़ा से नगला मद्दे मार्ग (मिट्टी व पुलिया स्तर तक के कार्य)	०.५६९	उपरोक्तानुसार
५–शमसाबाद फतेहाबाद मार्ग से काहनापुरा मार्ग (मिट्टी व पुलिया स्तर के कार्य)	०.५७	उपरोक्तानुसार

कार्यों का पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अम्बेडकर विश्व विद्यालय, आगरा के निर्माण कार्य हेतु धन का आवंटन एवं व्यय का विवरण

४–श्री विजय पाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में स्थापित अम्बेडकर विश्व विद्यालय को अब तक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ? उसके निर्माण तथा अन्य कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? चालू वित्तीय वर्ष में इस पर कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है ? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा और शिक्षा सत्र कब से प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

अम्बेडकर विश्व विद्यालय, आगरा को अब तक कोई धनराशि, इस विभाग द्वारा आवंटित नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पुलिया बनाने हेतु राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण

५–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९९०-९१ व १९९१-९२ में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क और पुल-पुलिया बनाने हेतु जिलेवार कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गयी और सर्वाधिक धनराशि शासन से किस जिले को मिली ? क्या क्षेत्रीय सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से इस वर्ष की योजना में उपेक्षित जिलों को अधिक धनराशि का आवंटन किया जायेगा ? यदि हां, तो जिलों को धनराशि का वितरण किस आधार पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग-

वर्ष १९९०-९१ व १९९१-९२ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों को राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" के रूप में संलग्न + है।

राज्य सेक्टर में सर्वाधिक धनराशि दोनों ही वर्ष जनपद बाराबंकी को स्वीकृत की गयी।

वर्ष १९९१-९२ के अवशेष संसाधनों से क्षेत्रीय असंतुलन का निराकरण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों की शासनादेश के तहत नियुक्ति का विवरण

६-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तदर्थ नियुक्ति नियमावली सं० १९-८-७५ (१)-का-१, दिनांक १४-५-७९ के नियम ६ के अधीन बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश सं०-३३२१/२६-२-८२-५६० (२३)/८२, दिनांक २३-६-१९८२ के अनुसार दिनांक १२-१-८४ को १३ बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सीधी नियुक्ति हेतु महिला अभ्यर्थियो को प्राथमिकता के प्राविधान तथा शासनादेशों के प्रतिकूल की गयी ? यदि हां, तो क्या इन १३ बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सेवायें समाप्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें शासनादेश संख्या-१५/१८/८६-कार्मिक-१ (१) दिनांक ७-८-१९८९ के अन्तर्गत विनियमित करेंगे ? यदि हां, तो क्या रिटपेटीशन संख्या-५१७९/८४ में माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं, कथित तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

कथित रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। अतः याची को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

+ छापी नहीं गयी।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी, म्योरपुर और बभनी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत बनी दुकानों का आवंटन

७–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी, म्योरपुर और बभनी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना से कितनी-कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर निर्मित हुई थीं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि केवल दुद्धी कस्बे की दुकानों को आदिवासियों के नाम पूर्व निरस्त करके अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया ? क्या पूर्व आवंटियों को कारोबार शुरू करने हेतु जो ऋण दिये गये थे वह माफ कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड दुद्धी में क्रमशः दुद्धी कस्बा ३१, महुली ८, विड्ढमगंज १३, विकास खण्ड म्योरपुर में क्रमशः ब्लाक २, क्वारी १०, म्योरपुर ५, विकास खण्ड बभनी में क्रमशः चपकी ५, बभनी १०, आसनडीह ५ दुकानें निर्मित हुई थी ।

दुद्धी कस्बे में निर्मित कुल ३१ दुकानों में से २१ दुकानें गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अवैध कब्जें में अथवा उक्त दुकानें आवंटित हो जाने के पश्चात् लाभार्थियों द्वारा काफी समय से संचालित नहीं की जानी पायी गयी । अतः उक्त दुकानों को नियमानुसार खाली कराकर पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र, दुद्धी तहसील, अनपरा गांव में हरिजनों को आवास स्थल आवंटित करने की मांग

८–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के अनपरा गांव में १९७५-७६ में हरिजनों को आवास स्थल आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और अब तक उन्हें कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के अनपरा गांव में १९७५-७६ में हरिजनों को कोई आवास स्थल आवंटित नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का पत्र तथा उसके साथ संलग्न श्रीपाल व पाचू, ग्राम गजरौरा, जनपद खीरी का प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी, निघासन को प्राप्त कराना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

९–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–८०४/९१ श्रीपाल पाचू, ग्राम गजरौरा ४ परगना पलिया, जनपद खीरी के प्रार्थनापत्र सहित दिनांक २९-९-९१ को परगना अधिकारी, निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–८०४/९१ तथा उसके साथ श्रीपाल व पाचू ग्राम गजरौरा का प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी, निघासन को दिनांक २९-७-९१ को प्राप्त कराया गया है।

मामले की जांच की गयी। प्रार्थीगणों के परिवार में ३.१२ एकड़ का पट्टा हो चुका है जिस पर वे काबिज हैं। प्रार्थीगण पट्टे वाली भूमि पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अतएव उन्हें पट्टे पर भूमि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र तथा उसके साथ करीमा बेवा, ग्राम बंगलहा, परगना निघासन, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र को जिला अधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

१०–श्री निर्बेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–८१४/९१ को करीमा बेवा, ग्रा० बंगलहा, परगना निघासन, जनपद खीरी के प्रार्थना- पत्र सहित दिनांक २९-७-९१ को जिला अधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग के ३९वां वृत्त, लखनऊ में निरन्तर सेवा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हटाये जाने की संख्या की जानकारी

११–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३९वां वृत्त दो वर्षों के अधीन खण्ड वर्ष (१९९०-९१) में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हटाये गये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के थे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

३९वां वृत्त, लखनऊ में लम्बी निरन्तर सेवा वाले (दि० १-१-९० से पूर्व से कार्यरत) किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नहीं हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

१२-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० ८१ द्वारा उत्तरित]

१३–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० ८९ द्वारा उत्तरित]

१४–श्री कृष्ण चन्द्र–

[३सरे सोम० में अता० प्र० सं० १७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल भूकम्प पीड़ितों को राहत सामग्री की वितरण व्यवस्था एवं पुनर्वासन के संबंध में अध्यक्ष, गढ़वाल नशाबन्दी परिषद् द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

१५–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २५-११-९१ ई को मुख्य मंत्री आवास पर गढ़वाल भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास एवं राहत सामग्री की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में एक शिष्ट मंडल श्री जगमोहन प्रसाद भारँद्वाज, अध्यक्ष, गढ़वाल नशाबन्दी परिषद् के नेतृत्व में मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस मामले पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री जगमोहन प्रसाद, अध्यक्ष, गढ़वाल नशाबन्दी परिषद् के नेतृत्व में मिले शिष्ट मंडल द्वारा दिये गये ज्ञापन की प्रति काफी खोज के बावजूद उपलब्ध न हो सकी । भूकम्प पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया गया है । पुनर्वास हेतु प्रत्येक पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त आवास के स्वामी को रु० २०,००० की सहायता जिसमें रु० १०,००० नकद तथा रु० १०,००० भवन सामग्री सीमेन्ट/सरिया, टीनशीट्स आदि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । हुडको द्वारा रुपया १५,००० का ऋण प्रभावित सामान्य श्रेणी के लिये एवं प्रभावित अनुसूचित जाति/जन जाति के गृह स्वामियों को रु० २०,००० की सहायता के अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रु० १४,५०० व आपदा राहत निधि से रु० ५०० का अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवास के गृह स्वामियों को रु० ५,००० की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठण्डक के कारण राहत हेतु अविलम्ब आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु २,००० सामुदायिक आश्रयों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी ।

१६–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दिनांक १३-२-९२ को अता० प्र० सं० ३७ द्वारा उत्तरित]

मुरादाबाद मुख्यालय पर सरकिट हाउस बनाये जाने की मांग

१७–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार मुरादाबाद मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार तुरन्त सरकिट हाउस बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज में सेवानिवृत्त संग्रह अमीन एवं संग्रह चपरासियों की पेंशन आदि का भुगतान करने की मांग

१८–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २८-४-८७ से दिनांक ३०-६-९१ तक तहसील गौरीगंज, जिला-सुल्तानपुर में कार्यरत कितने संग्रह अमीन व चपरासी सेवा मुक्त किये गये ? क्या सेवा

निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पेंशन देने में विलम्ब करने वाले अधिकरियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

तहसील गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में दिनांक २८-४-८७ से ३०-६-९१ तक २ संग्रह अमीन एवं ३ संग्रह चपरासी सेवा निवृत्त हुए। उक्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश व्यापी फर्जी राशन कार्डों/यूनिट की जांच हेतु चलाये गये विशेष अभियान में जनपद फैजाबाद में निरस्त किये गये फर्जी राशन कार्डों की संख्या की जानकारी

१९–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों की जांच हेतु चलाये गये अभियान में जनपद फैजाबाद के नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक नगर क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से कितने-कितने राशन कार्ड फर्जी पाये गये तथा जिलापूर्ति कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों आदि द्वारा जारी किये जाने वाले इन फर्जी राशन कार्डों के बारे में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को अब तक दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

प्रदेश व्यापी फर्जी राशन कार्डों/यूनिट की जांच हेतु चलाये गये विशेष अभियान के दौरान जनपद फैजाबाद के नगरीय क्षेत्रों में १४,६३९ राशन कार्ड एवं ८८,९६४ यूनिटें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में २४,७९३ राशन कार्ड एवं १,५५,६०१ यूनिटें निरस्त किये गये हैं।

निरस्त किये गये यूनिट बनने के अनेक सम्भावित कारण हैं अतः केवल जांच के दौरान निरस्तीकरण के आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ईंट भट्ठा व्यवसायियों को सड़क एवं रेल द्वारा कोयला आवंटन की विधि की विस्तृत जानकारी

२०–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ईंट भट्ठा व्यवसायियों को सड़क एवं रेल द्वारा कोयला आवंटन की विधि क्या है ? प्रदेश में रायेल्टी एवं कम्पाउण्ड टैक्स नियमित देने वाले कितने भट्ठे हैं ? क्या जनपदों को आवंटित होने वाले कोयले की रैकों में, क्या ईंट भट्ठा व्यवसायी की संख्या में तालमेल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

प्रदेश में ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ रेल तथा सड़क द्वारा स्लैक कोल के आयात हेतु स्पासरिंग निम्नांकित के पक्ष में की जाती है :–

(१) ईंट भट्ठा मालिकों

(२) ईंट भट्ठा मालिकों की सहकारी समितियों/पंजीकृत समितियों

(३) उ० प्र० ईंट निर्माता समिति

(४) पी० सी० एफ०

(५) उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

मास दिसम्बर, १९९१ तक प्रदेश में स्लैक कोल के लिये कुल निर्धारित कोटा का आधा भाग जनपदों के ईट भट्ठा मालिकों तथा उनकी समितियों एवं शेष भाग क्रमांक (३), (४) व (५) पर अंकित शीर्षस्थ संस्थाओं के पक्ष में स्पांसर किये जाने की व्यवस्था रही है । स्पासंरिंग हेतु ईट भट्ठा मालिकों तथा उनकी समितियां मांग प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनके परीक्षणोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट अपनी संस्तुति संचरण निदेशक, उ० प्र० को भेजते हैं । तद्नुसार संचरण निदेशक स्पांसरिग प्रोग्राम बनाकर स्लैक कोल की आपूर्ति हेतु कोल इण्डिया, उसकी सहयोगी कम्पनियां तथा रेलवे विभाग को भेजते हैं ।

उपर्युक्त व्यवस्था में विभिन्न जिलों के बीच कोयले की आपूर्ति में असमानता उत्पन्न हो गयी थी अतः जनवरी-मार्च, १९९२ के त्रैमास हेतु स्पांसरिंग में इस व्यवस्था में यह संशोधन किया गया कि प्रदेश के लिये निर्धारित पूरा कोटा विभिन्न जनपदों को आवंटित कर दिया गया और जनपदों के लिये निर्धारित कोटा के अन्तर्गत जो मांग जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुत होकर प्राप्त हुई उसे स्पांसर कर दिया गया । जिन जनपदों से मांग शून्य अथवा निर्धारित कोटे से कम प्राप्त हुई तो उनके अवशेष कोटा को उपरवर्णित तीनों शीर्षस्थ संस्थाओं के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों में आयात हेतु उनके पक्ष में स्पांसर कर दिया गया ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति "फ्री सेल" योजना के अन्तर्गत कोल कम्पनियों से सीधे स्लैक कोल मंगा सकता है ।

समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में रायल्टी एवं कम्पाउण्ड टैक्स नियमित देने वाले भट्ठों की कुल संख्या ८,३५२ है ।

स्पांसरिंग हेतु विभिन्न जनपदों का कोटा वर्ष १९८३ में ईट भट्ठों की संख्या को देखते हुए निर्धारित किया गया था । कुल रैकों को विभिन्न जनपदों के बीच इसी अनुपात में बांटा जाता है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में चीनी, मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र एवं उनकी जांच की मांग

२१-श्री बाला प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक जनवरी, १९९० से नवम्बर, ९१ तक तहसील धौरहरा, जबपद लखीमपुर खीरी में किन-किन चीनी फुटकर विक्रेता/मिट्टी का तेल विक्रेता के विरुद्ध जनता का तथा प्रधान, गांव सभा का परगनाधिकारी, धौरहरा को, जिला पूर्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को, तथा जिलाधिकारी को शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी है ? जांच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

जनवरी, १९९० से नवम्बर, १९९१ तक तहसील धौरहरा, लखीमपुर खीरी में चीनी, मिट्टी का तेल के फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकयती पत्रों, उन पर की गयी जांच एवं जांच के परिणाम से संबंधित विवरण संलग्न+ है ।

+ छापी नहीं गयी ।

२२-२३—श्री चन्द्रभान मौर्य—

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

जनपद आगरा की एत्मादपुर तहसील में बरहन से खाण्डा वाया नगला बेल मार्ग राज्य सेक्टर से निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को तत्काल अवमुक्त करने की मांग

२४—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की एत्मादपुर तहसील में बरहन से खाण्डा वाया नगला बेल मार्ग राज्य सेक्टर से निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो दो वर्षों के बाद भी अब तक लो० नि० वि०, आगरा को उक्त मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या वृहद् जनहित में उपरोक्त मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि को मार्ग के निर्माण हेतु तत्काल अवमुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण ।

सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

२५—श्री चन्द्रभान मौर्य—

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेपुर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ परगना शिवपुर स्थित ग्राम पाण्डेपुर तथा ग्राम खजुरी की भूमि अर्जन के पश्चात् मुआवजे का निर्धारण एवं दाखिल खारिज

२६—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पाण्डेपुर खजुरी प० शिवपुर, त० व जिला वाराणसी की ३१ एकड़ २६ डि० किसानों का बाग कृषि जमीन तथा पुश्तैनी मकान जिसको पाण्डेपुर हाउसिंग स्कीम व सेनेटरी इम्प्रूवमेन्ट के लिये विकास प्राधिकरण वाराणसी ने एक्वायर करवाया था ? उसका मुआवजा कितने रुपये का कहां का है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २५ किसानों का मामला अदालत में चल रहा था और विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के आदेश से तहसीलदार वाराणसी, जिला वाराणसी ने नामान्तर वहीं के किसानों का नाम काट कर एक तरफा सरकार का नाम चढ़ा दिया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने राजस्व मंत्री को ता० १२-११-९१ को नामान्तर की पक्की नकल अपने पत्र के साथ दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उस वक्त के भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी के खिलाफ जांच करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेपुर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ परगना शिवपुर स्थित ग्राम पाण्डेपुर की ३१-२६ एकड़ तथा ग्राम खजुरी की ४.९५२५ एकड़ भूमि अर्जन के लिये प्रख्यापित की गयी थी । कब्जे में ली गयी ग्राम पाण्डेपुर की १६.७३३/१० एकड़ भूमि तथा ग्राम खजुरी की २.७९ एकड़ भूमि का प्रतिकर क्रमशः रुपया ४७,१७,७०४.८१ पैसे तथा ५,७३,३२५.०० निर्धारित किया गया है । दोनों ग्रामों की अवशेष भूमि पर न तो अभी तक कब्जा लिया गया है और न ही प्रतिकर अवधारित किया गया है । ग्राम पाण्डेपुर की १०-०६ एकड़ तथा ग्राम खजुरी की १-९१ एकड़ भूमि के संबंध में कोई विवाद न होने के कारण वाराणसी विकास प्राधिकरण को कब्जा दिनांक १०-११-८३ को दिया गया और दि० १२-१२-८४ को किसानों का नाम काटकर सरकार के पक्ष में दाखिल खारिज भी कर दिया गया । ग्राम पाण्डेपुर की शेष २१-२० एकड़ तथा ग्राम खजुरी की ३-०४२५ एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक १०-११-८३ को हस्तान्तरित नहीं किया गया और न ही दि० १२-१२-८४ को राज्य सरकार के पक्ष में उसका नामान्तर ही किया गया, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में प्रभावित कृषकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं संस्थित की गयी थी । मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २४-२-८७ को रिट याचिकाओं को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप ग्राम पाण्डेपुर को ६६७ ३/१० एकड़ तथा खजुरी की ०-८८ एकड़ भूमि का अलग से कब्जा लिया गया ।

सन्दर्भित पत्र दि० १२-११-९१ के संबंध में जांच की कार्यवाही की गयी और संबंधित २५ खातेदारों को नोटिस भी दी गयी, किन्तु साक्ष्य के लिये निर्धारित दि० ३०-१-९२ तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा लेने तथा नामान्तरण के दिनांक को किसी वाद के लम्बित होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि २५ खातेदारों का वाद कब्जा हस्तान्तरण के समय तक लम्बित नहीं था । सम्प्रति पाण्डेपुर आवासीय योजना के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध कोई अनियमितता शासन के संज्ञान में नहीं आयी है । अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांगों की मांग पर तिपहिया साइकिल देने की मांग

२७–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगों को कृत्रिम अंगों हेतु मात्र एक हजार रुपये देय है ? क्या तिपहिया साइकिल भी इस श्रेणी में आती है ? यदि नहीं, तो क्या विकलांगों की मांग पर उन्हें तिपहिया साइकिल प्रदान करने का शासन विचार कर रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के ३९वां वृत्त, लखनऊ में नियमित, अनियमित, स्थाई मस्टर रोल, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या आदि का विवरण

२८–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३९वां वृत्त लखनऊ में कार्य प्रभारित अधिष्ठान स्थाई दैनिक वेतन भोगी व दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें

से कितने कर्मचारी पिछड़ी व अनुसूचित जाति के हैं ? इनमें से कितने स्थायी कर्मचारी हैं ? क्या आरक्षण के नियमों के अन्तर्गत पिछड़ी व अनुसूचित जाति के वर्गों का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोटे को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत ३९वां वृत्त, लखनऊ में कुल २,०८४ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :—

(१) नियमित कार्य प्रभारित	..	४७४
(२) अनियमित कार्य प्रभारित	..	१७०
(३) स्थायी मस्टर रोल	..	४९३
(४) दैनिक वेतन भोगी	..	९४७
	कुल सं० ..	२,०८४

इनमें से पिछड़ी जाति के ७९० एवं अनुसूचित जाति के २८२ (सफाई कर्मचारी छोड़कर) कर्मचारी हैं ।

सफाई कर्मचारियों की संख्या ७२ है ।

पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है, किन्तु अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है ।

प्रश्नगत वृत्त में उपलब्ध कार्य के सापेक्ष पर्याप्त जन शक्ति उपलब्ध है और कोई स्थान रिक्त नहीं है । तथापि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये विभागाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है ।

२९–श्री रमाकान्त यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

३०-३१–श्री अशोक कुमार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के खसरा नं० ७२०, ७२१, ७२२ की आबादी पर निर्मित मकानों के गिराये जाने का औचित्य

३२–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सालारपुर, जनपद गाजियाबाद के खसरा नं० ७२०, ७२१, ७२२ में आबादी दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर निर्मित अल्पसंख्यकों के एक माह में दो बार मकान गिराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि इसी खाते में स्थित थाना सेक्टर-३९ को दी गयी भूमि महर्षि महेश योगी से उपहार स्वरूप प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो इस भवन को एवं महर्षि महेश योगी के भतीजे हरीश द्वारा निर्मित भवन को न गिराये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

संबंधित मकान स्वामियों ने निर्माण हेतु नियमानुसार इस भूमि पर मकान बनाने के लिये कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया था ।

जी नहीं ।

वर्तमान में थाना सेक्टर-३९ अस्थायी रूप से खसरा नं० ७८४ खाता सं० १२४ जो महिला विद्यापीठ, ई०-९, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली द्वारा महापात्र के नाम कागजात दर्ज है, के एक हिस्से में कार्यरत है । इस भवन को न गिराये जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय; इलाहाबाद का स्थगन आदेश है तथा महेश योगी के भतीजे श्री हरीश के नाम माल कागजात में कोई भूमि नहीं है ।

जनपद बांदा के प्रान्तीय खण्ड को एस० आर० एम० डी० में आवंटित धन एवं अधीक्षण अभियन्ता; १९वां वृत्त, झांसी द्वारा उक्त धनराशि से कृत कार्यों का विवरण मांगा जाना

३३—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या लो० नि० मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के प्रान्तीय खण्ड को एस० आर० एम० डी० में कितना धन १९८९-९० से ३०-११-९१ तक आवंटित किया गया है ? क्या शासन एवं अधीक्षण अभियन्ता, १९वां वृत्त, झांसी द्वारा उक्त धनराशि से किये गये कार्यों का विवरण क्रमशः अ० शा० पत्र सं० ४/४४/ सी०/२३-लो० नि० अनु०, दिनांक १८-१२-९० एवं ११७४४०/४३६ सी० दिनांक २९-१२-९० द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बांदा से मांगा गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डग—

रुपये ६६.५० लाख मात्र

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९६–१९७ पर)

जनपद हरदोई के ग्राम सभा बावन में श्री सन्तकुमार पुत्र निर्मल प्रसाद को परगनाधिकारी, हरदोई द्वारा आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण न करके खेती का कार्य करने की शिकायत की जांच

३४—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ग्राम सभा बावन निवासी श्री सन्त कुमार पुत्र श्री निर्मल को नायब तहसीलदार बावन द्वारा वर्ष १९८९-९० में कच्चे २७ बीघा भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कृषक द्वारा उक्त भूमि पर वृक्षारोपण न करके खेती का कार्य नायब तहसीलदार की जानकारी (होने के बावजूद) में किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच करा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं । श्री सन्त कुमार पुत्र निर्मल प्रसाद, ग्राम बावन को परगनाधिकारी, हरदोई द्वारा एक हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति दिनांक ३०-५-९० को दी गयी थी ।

जी नहीं । ऊसर भूमि के सुधार हेतु वृक्षों के साथ ही जई, जौ आदि का चारा उपरोक्त द्वारा बो दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव के एम० एम० यू० मार्ग से जाने वाली कतिपय लिंक मार्गों के निर्माण में की गयी अनियमितता की टी० ए० सी० से जांच कराने की मांग

३५-श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के एम० एम० यू० मार्ग से ग्रामपारा तक जाने वाले लिंक मार्ग में प्रथम द्वितीय स्तर की कुटाई में पत्थर मानक से कम डाला गया है और कुटाई कम की गयी है ? क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि इस सेक्शन का मौरावां-अहेसा-इन्दौरा मार्ग रिपेयरिंग के अभाव में बन्द हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि एम० एम० यू० से बनिगांव व इसी रोड से देवमई जाने वाले लिंक मार्ग चलने लायक नहीं रह गये हैं ? क्या सरकार उक्त सभी मार्गों पर हो रही अनियमितता की जांच टी० ए० सी० से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

जी नहीं । यह मार्ग यातायात योग्य है ।

जी नहीं । मार्ग यातायात हेतु सुलभ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद में पटुमपुर चौराहा से कम्हरिया घाट मार्ग में पिकिया नाले पर राज्य सेक्टर से स्वीकृत सेतु का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

३६–श्री त्रिवेनी –

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश दिनांक १-४-९१ द्वारा फैजाबाद जिले में पटुमपुर चौराहा से कम्हरिया घाट मार्ग के किलोमीटर ३ में पिकिया नाले पर सेतु का निर्माण कार्य राज्य सेक्टर से स्वीकृत हो चुका है और उक्त कार्य हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था भी कर दी गयी है किन्तु निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा और किस तिथि तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक १-४-१९९१ द्वारा स्वीकृत हुआ है परन्तु उक्त कार्य हेतु संसाधनों के अभाव में धन की व्यवस्था नहीं हो पायी, इसलिये निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन, ब्लाक रमिया बेहड़ के ग्राम दलराजपुर इत्यादि ग्रामों में सीलिंग तथा ग्राम समाज के खाते की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित करने की मांग

३७—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन, ब्लाक रमिया के बेहड़ के ग्राम दलराजपुर ब्लाक निघासन के दौलतापुर इत्यादि ग्रामों की सीलिंग एवं ग्राम समाज की खतौनी की खातों की भूमि पर बिना किसी अधिकारी के आदेश के बड़े काश्तकरों के नाम उक्त भूमि अंकित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अंकित भूमि को खारिज करते हुए भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जिलाधिकारी द्वारा जांच की गयी । ग्राम दलराजपुर, परगना खैरीगढ़, ब्लाक रमिया बेहड़, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम में खतौनी में सीलिंग तथा ग्राम समाज के खातों की भूमि पर बिना किसी अधिकारी के आदेश किये बिना कोई खाते दर्ज अभी प्रकाश में नहीं आये हैं । ब्लाक निघासन के ग्राम दौलतापुर में १३६ खाते संदिग्धता के प्रकाश में आये हैं । इसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में अग्निकांड में पीड़ित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता देने की मांग

३८—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में गत वर्ष हुए अग्नि पीड़ित पात्र व्यक्तियों के नाम कर्मचारियों द्वारा छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्र व्यक्तियों को अग्नि कांड अनुदान दिलाते हुए दोषी कर्मचारियों को दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं ।

समस्त पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता का विवरण हो जाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के कतिपय ग्रामों में आयी भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान एवं मरे पशुओं के लिये अनुदान धनराशि का वितरण

३९—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्रामों में गत वर्ष १९९०-९१ में आयी भयंकर बाढ़ से गिरे घर तथा मरे हुए पशुओं के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का वितरण क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार पुनः अनुदान दिलाते हुए दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ? स्वीकृत अनुदान का वितरण कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम में चांदपुर हथौड़ा मार्ग का जीर्णोद्धार न किये जाने का कारण

४०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम में चांदपुर हथौड़ा मार्ग का जीर्णोद्धार न किये जाने का क्या कारण है ? जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत मार्ग के कि०मी०-३ से ८ तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसका रख-रखाव सीमित संसाधनों के अन्तर्गत स्थायी गैंग द्वारा किया जाता है ।

जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव सम्प्रति नहीं है ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में माधोगंज से नयागांव तक डामर युक्त मार्ग का जीर्णोद्धार करने की मांग

४१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में ११ किलोमीटर लम्बे माधोगंज-नयागांव डामर युक्त मार्ग की मरम्मत एवं रख रखरखाव संबंधी कार्य विगत कितने वर्षों से नहीं कराया गया है तथा उसका जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जावेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

वार्षिक रखरखाव के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग की साधारण मरम्मत प्रति वर्ष करायी जाती है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फिरोजाबाद में मिट्टी पुलिया स्तर तक बनाये गये मार्गों की संख्या एवं उनके निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

४२—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित फिरोजाबाद जनपद में मिट्टी पुलिया स्तर तक के कितने मार्ग वर्ष १९९०-९१ तथा १९९१-९२ में अब तक लो० नि० वि० द्वारा बनाये गये हैं तथा इन मार्गों के निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन मार्गों के निर्माण में निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराने की कृपा करेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

वर्ष १९९०-९१ तथा १९९१-९२ में जनपद फिरोजाबाद में मिट्टी पुलिया स्तर तक बनाये गये मार्गों एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	मार्गों की संख्या	कुल व्यय (लाख रुपये में)
१९९०-९१	२८	१४.०३
१९९१-९२	३	७.९७
योग	३१	रु० २२ लाख

निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, टूंडला रेलवे क्रासिंग से रूधरू मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि और मानकों के विपरीत कार्य की टी० ए० सी० द्वारा जांच की मांग

४३—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टूंडला रेलवे क्रासिंग से रूधरू मार्ग लोक निर्माण विभाग फिरोजाबाद ने लेपन स्तर तक निर्माण किया है ? यदि हां, तो इस मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण करने में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस मार्ग के लेपन करने से निर्धारित मानकों के विपरीत कार्य करके भारी घोटाला किया गया है तथा सड़क निर्माण के साथ ही टूटती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर किये गये कार्य की टी० ए० सी० से जांच कराने की कृपा करेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां । प्रथम लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

माह जनवरी, १९९२ तक रुपये ग्यारह लाख तीस हजार व्यय हुआ है ।

कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है और निर्मित मार्ग सुरक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, टाण्डा और बीकापुर में हरिजनों की भूमि का बैनामा करके शासनादेशों के उल्लंघन की जांच की मांग

४४—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजनों को अपनी भूमि विक्रय करने के लिये प्रशासनिक विक्रय अनुमति लिये जाने की कोई राजाज्ञा प्रभावी है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद में सदर तहसील, अकबरपुर तहसील, टाण्डा तहसील और बीकापुर में मार्च, १९९१ से लेकर ६ अगस्त, १९९१ के बीच भूमि विक्रय के लिये प्रशासन द्वारा बगैर अनुमति लिये कितने हरिजनों की भूमि का बैनामा किया गया है ? क्या इन मामलों में शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १५७ (क) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के भूमि धारकों और असामी के लिये भूमि के विक्रय हेतु अनुमति की विधिक व्यवस्था है ।

उक्त अवधि में फैजाबाद की तहसील सदर एवं अकबरपुर में ऐसे कोई मामले नहीं पाये गये । तहसील टाण्डा में हुए तीन बैनामों में से दो बैनामों में दाखिल किये गये अनुमति पत्र सही नहीं पाये गये ।

उक्त प्रकरणों की जांच करायी जा रही है । जांच के उपरान्त यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करायी जायेगी ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बंशी, निवासी ग्राम गोपीपुर, पो० भेउसा बनकटा, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर को प्रान्तीय राजनीतिक पेंशन देने के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही

४५–श्री दलवीर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बंशी, निवासी ग्राम गोपीपुर, पोस्ट भेउसा बनकटा, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर स्वतंत्रता आन्दोलन में दिनांक २७ फरवरी, १९४१ से २२ दिसम्बर, १९४१ तक जिला कारागार में बन्दी थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें प्रान्तीय राजनैतिक पेंशन अभी तक स्वीकार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उमानाथ सिंह––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बंशी की सजायाबी की प्रमाणिकता जिला कारागार के अभिलेखों से नहीं हो पायी है ।

जनपद अलीगढ़ में निर्माणाधीन कतिपय मार्गों को चालू वित्तीय वर्ष में बनाने की मांग

४६–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में निर्माणाधीन चन्डौस से रेलवे स्टेशन डाबर, चन्डौस से कसेरू, गभना से बरौली तथा भटका से रामपुर शाहपुर मार्गों को इसी वित्तीय वर्ष में बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उल्लिखित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में चीनी, चावल एवं गेहूं की आपूर्ति तथा प्रति यूनिट दिये जाने की मात्रा की जानकारी

४७–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में चीनी, चावल एवं गेहूं की आपूर्ति माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, १९९१ में कितनी की गयी है और कब कब ? क्या यह भी बतायेंगे कि जनपद में उक्त तीनों जिन्सों की मांग कितनी है ? कितने उपभोक्ता यूनिट हैं तथा कितनी आपूर्ति की गयी है ? क्या सूखा से प्रभावित जनपद होने के नाते गेहूं एवं चावल की मांग वहां पर बढ़ी है ? यदि हां, तो इसकी आपूर्ति की व्यवस्था क्या है ? क्या जनपद में सूखे के दौरान गेहूं, चावल का आवंटन कम किया गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? क्या वहां प्रति यूनिट प्रतिमाह मात्र ३ कि० गेहूं , १ किलो चावल दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? प्रति यूनिट प्रति माह गेहूं, चीनी, चावल कितना दिये जाने की क्या व्यवस्था है ? क्या इसकी पूर्णतः आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, १९९१ में चीनी, चावल एवं गेहूं की आपूर्ति के संबंध में विस्तृत विवरण (तालिका-१, २ तथा ३) में संलग्न है।

वर्तमान यूनिट के अनुसार :—

१–चीनी	५७१ मी० टन
२–चावल	१०७ मी० टन
३–गेहूं	१०,८१० मी० टन

जनपद बांदा में १३,५१,२४० यूनिट हैं। आपूर्ति की स्थिति उपर्युक्त संलग्न तालिका १, २ व ३ में प्रदर्शित है।

खाद्यान्नों का आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है अतः अन्य किसी कारण से मांग बढ़ने से स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है।

भारत सरकार से गेहूं एवं चावल का मासिक आवंटन जनसंख्या के आधार पर किये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया गया है किन्तु अभी तक प्रदेश के आवंटन में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गयी है, इसके फलस्वरूप प्राप्त आवंटन में से मैदानी क्षेत्र के सभी जनपदों को आवंटन, अनुपाततः किया जा रहा है।

सूखे की स्थिति के कारण आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन में से बांदा जनपद को भी अनुपाततः गेहूं एवं चावल का आवंटन किया गया है।

प्रति माह गेहूं ८ किलो, चावल ६ किलो तथा चीनी–मैदानी शहरी तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक किलो और मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में २५० ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह दिये जाने के आदेश हैं।

भारत सरकार से प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर आवंटन प्राप्त होने पर ही जनपद बांदा को भी तदनुसार आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९८ पर)

मुबारकपुर आजमगढ़ वाया इब्राहिमपुर मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ मार्ग का निर्माण कार्य

४८–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुबारकपुर आजमगढ़ वाया इब्राहिमपुर मुहम्मदाबाद गोहना (जनपद मऊ) मार्ग का निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी मार्ग पर ग्राम सभा पिपरी के पास बना नया पुल चालू करने के लायक है ? यदि हां, तो कब तक यह चालू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पहुंच मार्ग के निर्माण के पश्चात् ही चालू करना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

४९—श्री अकबर—

[दिनांक १३-२-९२ को अता० प्र० सं० १८९ द्वारा उत्तरित]

लोक निर्माण विभाग लखीमपुर खीरी के निर्माण खण्ड में कार्यरत अवर/सहायक अभियन्ताओं का विवरण

५०—श्री बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९८५ से लगातार कौन-कौन अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि०, लखीमपुर खीरी में कार्यरत हैं ? क्या सरकार तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्तओं, सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तर्ण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत खण्ड में १ जनवरी, १९८५ से कोई अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्यरत नहीं है।

वर्ष १९९२-९३ की स्थानान्तरण नीति अभी निर्धारित नहीं हुई है।

इस हेतु कोई तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्री भूखन सिंह, प्रधानाचार्य, लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, शाहजहांपुर का तहसीलदार, तिलहर के आवास पर अनधिकृत कब्जा की शिकायत के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

५१—श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा श्री कोविद कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री भूखन सिंह, प्रधानाचार्य, लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, शाहजहांपुर विगत एक वर्ष से तहसीलदार, तिलहर के आवास पर अनधिकृत कब्जा किये हैं ? क्या यह सत्य है कि वे अनधिकृत रूप से ही अपना मुख्यालय शाहजहांपुर के स्थान पर तिलहर बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो अभी तक उनके इस मनमाने आचरण के विरुद्ध जिला प्रशासन/राजस्व परिषद्/शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बारे में उनके विरुद्ध कब तक और क्या कार्यवाही किस स्तर से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां।

जी नहीं। श्री भूखन सिंह, प्रधानाचार्य, लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण इस जनपद से हो गया है।

श्री भूखन सिंह, भ० पू० तहसीलदार, तिलहर वर्तमान डिप्टी कलेक्टर, सीतापुर से अनधिकृत रूप से कब्जा रखने के फलस्वरूप जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सीतापुर से निर्धारित किराये के अनुसार वेतन से कटौती करने के लिये लिखा जा चुका है। राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सरकारी आवास अब तक खाली न करने तथा आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में आरोपित करने हेतु आरोप-पत्र भेजा जा चुका है। परिषद् स्तर के अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच की कार्यवाही

५२–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वर्ष १९९०-९१, ९१-९२ में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप थे ? क्या उन आरोपों की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो जांच लम्बित रखने के क्या कारण हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में निलम्बित और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित कर्मचारियों का विवरण

५३–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में कार्यरत कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ? वर्ष १९९० से अब तक कितने निलम्बित कर्मचारियों को आरोप पत्र दे दिये गये हैं और कितने कर्मचारियों ने निलम्बन आरोप पत्र का उत्तर जांच अधिकारी को दे दिया है ? आरोप पत्र के उत्तर प्राप्त हो जाने पर भी किन-किन कर्मचारियों के मामले में निर्णय नहीं लिया गया है ? निलम्बित कर्मचारियों के बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) में ४ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वर्तमान में कोई कर्मचारी निलम्बित नहीं है ।

६ कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये ।

५ कर्मचारियों ने आरोप पत्र का उत्तर दे दिया है ।

आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद केवल एक कर्मचारी के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि उन्होंने जांच अधिकारी बदलने का अनुरोध किया था । जांच अधिकारी बदल दिये गये हैं । वर्तमान में कोई कर्मचारी निलम्बित नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा बावन में भूमिहीन हरिजनों को सीलिंग की भूमि के पट्टे के आवंटन की जानकारी

५४–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की ग्राम सभा बावन के किन-किन भूमिहीन हरिजनों को नायब तहसीलदार बावन द्वारा वर्ष १९९० में सीलिंग भूमि पट्टे पर आवंटित कर

कब्जा दिलाया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ग्राम में कुछ भूमिधर हरिजनों को भूमि के पट्टे किये हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मृतक श्री रामजीत यादव पुत्र श्री रामबली यादव, ग्राम यूसुफपुर नेवादा, जिला आजमगढ़ के आश्रित को नौकरी देने की मांग

श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम जीत यादव पुत्र श्री रामबली यादव, ग्राम यूसुफपुर, पो० नेवादा (तेरही) जि० आजमगढ़ बेलदार के पद पर जहांगीरगंज से राजे सुल्तानपुर मार्ग पर जनपद फैजाबाद में २५-४-८२ से ५-१०-९१ तक कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित के रूप में उनके परिवार के किसी सदस्य को सेवा में नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां । स्व० रामजीत यादव मस्टररोल में दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ।

जी नहीं,

उत्तर प्रदेश में सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमवली, १९७४ के अन्तर्गत मृतक मस्टररोल कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित करने का प्राविधान नहीं है ।

मुबारकपुर कस्बे से नुरुद्दीनपुर घाट होते हुए अंजान शहीद बाजार के पास तक सड़क निर्मित करके आजमगढ़-गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये जारी निर्देश की जानकारी

५६–श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में उनके पत्र सं० १५३३/वी० आई० पी०/९१, दिनांक २०-९-९१ द्वारा सूचित किया गया था कि मुबारकपुर कस्बे से नुरुद्दीनपुर घाट होते हुए अंजान शहीद बाजार के पास तक सड़क निर्माण करके आजमगढ़-गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये उचित निर्देश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस मार्ग पर निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं, पत्र संख्या–१५३३/वी० आई० पी०/९१, दिनांक २०-९-९१ द्वारा पत्र में प्रश्नगत मार्ग आंकलन सहित सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये गये थे ।

मार्ग की स्वीकृति के बाद संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

५७–श्री लाल जी वर्मा–

[तीसरे मंगल के अता० प्र० सं० १५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रामचन्द्र, ग्राम वोटन पुरवा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की वरासत संबंधी पत्रावली खोने के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

५८—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ११३७/९१ श्री रामचन्द्र, ग्रा० वोटन पुरवा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की वरासत संबंधी फाइल खोने के संबंध में दिनांक ९-९-९१ को परगनाधिकारी, निघासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त फाइल खोने के संबंध में कौन दोषी है ? क्या दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

श्री रामचन्द्र, ग्राम वोटन पुरवा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की वरासत संबंधी पत्रावली का निर्णय दिनांक २१-९-१९९१ को कर दिया गया ।

फाइल खोने के संबंध में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

अतः दण्ड का प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक तेजू पुत्र सुन्दर, ग्राम फुलवरिया, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर के संबंध में परगनाधिकारी, निघासन को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

५९—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ११५३/९१ मृतक तेजू पुत्र सुन्दर, ग्रा० फुलवरिया, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के पुत्र श्री रामानन्द पुत्र स्व० तेजू के नाम वरायत एवं कब्जा कराने के संबंध में दिनांक १९-९-९१ को परगनाधिकारी, निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

जांचोपरान्त प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञात हुआ कि श्री तेजू पुत्र सुन्दर अभी जीवित है और ग्राम मुजहा, परगना पलिया में स्थित अपनी भूमि पर काबिज है । श्री रामानन्द व श्यामानन्द का प्रार्थना-पत्र असत्य पाया गया। श्री रामानन्द व श्यामानन्द स्व० मोहन, निवासी ग्राम फुलवरिया, परगना पलिया के पुत्र हैं और ग्राम फुलवरिया स्थित प्रार्थीगण के पिता स्व० श्री मोहन की भूमि पर पिता के नाम के स्थान पर पुत्रों का नाम राजस्व अभिलेखों में वरासतन दर्ज कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव के हिलौली लउवा रोड पर राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शासनादेश द्वारा स्वीकृत और व्यय की गयी धनराशि का विवरण

६०—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली लउवा रोड की स्वीकृतियां राज्य सेक्टर से किस वर्ष किस शासनादेश के द्वारा कितने रुपये की धनराशि से जारी हुई थी ? इस मार्ग पर

अब तक सरकार कितना रुपया खर्च कर चुकी है और मार्ग पूरा करने हेतु कितना धन और आवश्यक है ? क्या सरकार अवगत है कि मार्ग निर्माण का काम बन्द है ? कार्य पूरा कराने में बाधा क्या ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद उन्नाव में हिलौली लउवा रोड की स्वीकृति वर्ष १९८९-९० में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–१४१४ई/२३-लो०नि०अनु०-११-१६२ई/८८, दिनांक २०-३-९० द्वारा २१.०० लाख रुपये की जारी की गयी थी ।

प्रश्नगत मार्ग पर दिसम्बर, १९९१ तक ३.५४ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और मार्ग पूरा करने हेतु १३.९६ लाख रु० की और धनराशि की आवश्यकता है ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण सम्प्रति कार्य अवरुद्ध है ।

१३ सितम्बर, १९८७ से जनवरी, १९९१ के बीच जिला फैजाबाद में जिलाधिकारी स्तर से की गयी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियों का विवरण

६१–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रतिबन्धित अवधि १३ सितम्बर, १९८७ से जनवरी, १९९१ के बीच जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी स्तर से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं तथा किस आधार पर ? क्या मंत्री जी नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम, उनके पिता का नाम व पता सहित सूची सदन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

राजस्व परिषद्, उ० प्र० के आदेश संख्या–११०-१८४/१२-१०एफ/८७, दिनांक ५ जुलाई, १९८९ के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को भरने हेतु श्रेणी-३ में ७ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नियमानुसार चयनोपरान्त की गयी हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यकता, योग्यता तथा औचित्य के आधार पर तकनीकी/प्राविधिक पदों को भरने हेतु श्रेणी-३ में २ तथा श्रेणी-४ में ३ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नियमानुसार चयनोपरान्त की गयी हैं ।

नियुक्त कर्मचारियों के प्रश्नोक्त विवरण संलग्नक में दिये जा रहे हैं ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ २०१ पर)

जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट के कतिपय कृषकों /व्यक्तियों के जेड० ए० आर० जी० बाण्ड उन्हें वापस किये जाने की मांग

६२–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९१ के तृतीय मंगलवार (१२ मार्च, १९९१) को निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-१३३ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनर्वास अनुदान के ५२,००० रुपये के बाण्ड इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट के अन्तर्गत अटैच होकर बैलबुल में रखे हैं वे किन-किन कृषकों के हैं ? संदर्भित पुनर्वास अनुदान की धनराशि को वितरण करने में क्या अवरोध है ? सरकार उन अवरोधों को कब तक दूर करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में विगत दो वर्षों से नियुक्त लेखपालों में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित कोटे का न पूर्ण किया जाना

६३–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में विगत दो वर्षों में नियुक्त लेखपालों में अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे को पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त कोटे को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरक्षण कोटा पूरा न करने वाले अधिकारियों को दंण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ में विगत दो वर्षों में नियुक्त लेखपालों में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका है । वर्ष १९८९-९० तथा १९९०-९१ में लेखपाल चयन परीक्षा आयोजित कर अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूर्ण करने के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन कर लेखपाल प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है । लेखपाल प्रशिक्षण की वार्षिक परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है । परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति कर अनुसूचित जाति का कोटा यथासमय पूर्ण कर दिया जायेगा। सम्प्रति आरक्षण कोटा पूरा न करने के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतः कोई दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग को जिला बनाने के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

६४–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत सम्भाग कर्वी को जिला बनाने संबंधी मामला राजस्व परिषद् द्वारा जांच एवं परीक्षण हेतु विचाराधीन चल रहा है ? यदि हां, तो कर्वी को कब तक जिला का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

कर्वी को जिला बनाने विषयक प्राप्त प्रत्यावेदन अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित करने हेतु राजस्व परिषद् को भेजे गये हैं । चूंकि अभी समिति की आख्य शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अतः कर्वी को जिला का दर्जा देने का प्रश्न वर्तमान में नहीं उठता।

जनपद बांदा में मानिकपुर एवं राजापुर को तहसील बनाये जाने की मांग

६५–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा का कर्वी/मऊ का क्षेत्र काफी लम्बा है एवं प्रशासनिक दृष्टि से समस्याग्रस्त है ? इस संबंध में कर्वी एवं मऊ में क्रमशः मानिकपुर एवं राजापुर को तहसील मुख्यालय घोषित करने की मांग सन् १९८२ से जन आन्दोलन के द्वारा चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मानिकपुर एवं राजापुर को तहसील घोषित कर अलग दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० में तहसीलों के सृजन तथा पुनर्गठन हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन (१९८२-८३) में मानिकपुर में तहसील सृजन का औचित्य नहीं पाया गया । राजापुर में तहसील बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है । अतः मानिकपुर एवं राजापुर को तहसील घोषित करने का प्रश्न वर्तमान में नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सन्डीला-गोरागंज-मेंहदीघाट मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

६६–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सन्डीला-गौरागंज-मेंहदीघाट मार्ग को गंगा नदी के पुल तक न मिलाकर अधूरा छोड़े रखने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस अवशेष ६ कि०मी० मार्ग का स्वीकृति के बाद भी नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग को अविलम्ब पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में सड़कों के निर्माण का कार्य निर्धारित विभागीय विशिष्टियों के अनुसार कराया जाना

६७–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की किशनी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष १९८९-९० और १९९०-९१ में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, उसमें निर्धारित मात्रा से कम गिट्टी डाली गयी और उस पर पटमार की गिट्टी डालकर डामर का लेपन किया गया है ? क्या पटमार गिट्टी ऊपर दिखायी देती है और आने जाने में कठिनाई हो रही है ? क्या इस कार्य में आवंटित धनराशि की बहुत कम लागत लगायी गयी है जिससे धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वर्ष १९८९-९० में एवं १९९०-९१ में जिला योजना एवं राज्य योजना तथा मरम्मत कार्यों को निर्धारित विभागीय विशिष्टियों के अनुसार कराया गया है ।

जी नहीं ।

निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी , जिला योजना में स्वीकृत कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

६८–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में मैनपुरी-किशनी मार्ग से नेगया खिरिया व मैनपुरी–कुसमरा मार्ग तारापुर आधार, व्योती कटरा आदि १५०० आबादी वाले गांवों को वर्ष १९९०-९१ में जिला योजना में लिये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी थी ? क्या इन मार्गों पर पत्थर पड़ने के बाद अन्य कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस अधूरे कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के किशनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लेपन स्तर तक स्वीकृत कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

६९–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के किशनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भावत कुर्रा, मैनपुरी कुसमरा मार्ग, कुपलिक-भिन्ड मार्ग, कुसमरा-मधुकरपुर, एटमलपुर–नगकरी मार्ग पर सड़कों का अधूरा निर्माण कार्य किया गया है और कार्य रोक दिया गया है ? क्या विगत वर्ष में खड़ंजा डालने से लेपन स्तर तक कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत है ? यदि हां, तो इन मार्गों के निर्माण को रोके जाने का क्या कारण है और इस कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

कुछ मार्ग खड़ंजा स्तर तक एवं कुछ मार्ग खड़ंजा स्तर से लेपन स्तर तक स्वीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

चकबन्दी विभाग के सारणीयक पद धारकों को आयतकर्ता/चकबन्दीकर्ता पद पर पदोन्नति करने तथा लिपिक संवर्ग में शामिल करने की मांग

७०–श्री राम सरन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग के अन्तर्गत सारणीयक पद धारकों को वर्ष १९७९ में शासन तथा चकबन्दी विभाग द्वारा टेक्निकल वर्ग कहकर आयतकर्ता/चकबन्दीकर्ता पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अमल न करते हुए किन

परिस्थितियों में चैनमैन/फलेगमैन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है को आयतकर्ता पद जिनका वेतनमान १२००–२०४० है पर पदोन्नति दी जा रही है ? क्या ये पदोन्नतियां पदोन्नति संबंधी नियमों के अन्तर्गत तथा चकबन्दीकर्ता सेवा नियमावली के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा इस पर तुरन्त रोक लगाने संबंधी प्रकरण की जांच कराने तथा अनियमित पाये जाने पर समस्त पदोन्नतियों को निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए पूर्व प्रस्ताव अनुसार सारणीयकों को आयतकर्ता पद पर पदोन्नति किये जाने का आदेश पारित किया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सारणीयक पद धारकों को आयतकर्ता/चकबन्दीकर्ता पद पर पदोन्नति किये जाने का कोई निर्णय नहीं है । चैनमैन/फलैगमैन को शासनादेशों के तहत निर्धारित अर्हता, अनुभव के आधार पर पात्रता और सम्बद्ध विषयों में परीक्षा के आधार पर योग्य पाये जाने पर आयतकर्ता के रूप में प्रोन्नति की व्यवस्था है। सेवा नियमावली में अभी संशोधन नहीं हुआ है । उक्त व्यवस्था विशेष परिस्थितियों में चकबन्दी योजना के सुचारु क्रियान्वयन और कार्यहित में की गयी है ।

७१–श्री राम सरन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सारणीयकों को शासन तथा चकबन्दी विभाग द्वारा टेक्निकल वर्ग मान लिया गया था तो किन परिस्थितियों में चकबन्दी विभाग ने लिपिक वर्ग सेवा नियमावली में उन्हें समायोजित कर दिया ? क्या समायोजन के पश्चात् सारणीयकों को सेवा शर्तों का लाभ देते हुए इस दृष्टिकोण से कि भविष्य में उच्च लिपिकीय पदों पर पदोन्नति के समय लिपिकीय कार्य का भलीभांति ज्ञान रहे, समान लिपिकीय पदों पर कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्या ऐसी व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सारणीयकों को लिपिकीय संवर्ग में ही रखा गया है और उक्त पद "उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग लिपिक और रेखांकन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, १९८० में सम्मिलित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, कुटुम्ब रजिस्टर में नान्हू पुत्र मंगरू जाति हरिजन, निवासी कौड़हा के लेख में सहायक विकास अधिकारी, पंचायत द्वारा हरिजन जाति काट कर मुसलमान दर्ज किया जाने की शिकायत

७२–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार, अकबरपुर, जिला–फैजाबाद श्री गुलाब चन्द्र मौर्या द्वारा शासन को प्राप्त श्री अलगू हरिजन निवासी ग्राम–हरखपुर कौड़हा पर कोई जांच की गयी थी जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा २७-६-८५ को दी गयी जिसको यू० एल० आर० सी० को एल० डो० ओ० १५-०७-८५ को भेजी गयी है ? यदि हां, तो संबंधित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य शिकायत क्या थी ? क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या यह सही है कि श्री गुलाब चन्द्र मौर्या, नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में श्री करामत हुसैन, पूर्व जमींदार द्वारा अपने खाते से ५ बीघा १८ बिस्वा भूमि नान्हू निवासी कौड़हा के नाम दर्ज करायी है ? यदि हां, तो क्या

संबंधित तबादला-जमीन नियमानुसार है ? ज़मीन का तबादला क्या जरिये बैनामा होना चाहिए था ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट के अनुरूप श्री मंगरू के नाम गलत दर्ज वरासत को क्या कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण किया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

कुटुम्ब रजिस्टर में नान्हू पुत्र मंगरू जाति हरिजन के लेख में सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा जाति हरिजन काटकर मुसलमान दर्ज कराया जाना, जाति मुसलमान के आधार पर मत्स्य पालन का पट्टा प्राप्त किया जाना तथा श्रीमती हुबिया के स्थान पर नान्हू व मुन्नू पुत्रगण मंगरू का नाम पर्यवेक्षक कानूनगो ग्रेड २ के जरिये वरासत दर्ज किया जाना आदि है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में मामला विचाराधीन है ।

जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्र में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की जानकारी

७३–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में उनके अधीनस्थ विभाग द्वारा द्वाबा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने रोड स्वीकृत हैं ? क्या इन रोडों पर कार्य प्रारम्भ हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण किया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ४३ मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हैं।

१३ मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं १० मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष २० मार्गों पर भूमि की अनुपलब्धता एवं धनाभाव के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बलिया के मांझी में जया प्रभा पुल का निर्माण कार्य

७४–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के मांझी में जया प्रभा पुल का निर्माण कार्य कब पूर्ण होना था ? इस पुल का निर्माण कार्य क्यों बन्द पड़ा है ? निर्माण कार्य समय से पूरा न होने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा यह कार्य दुबारा कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद बलिया में घाघरा नदी के मांझी घाट पर पुल का निर्माण माह दिसम्बर, १९९० में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ।

संसाधनों के अभाव में कार्य अवरुद्ध है ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ही निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो सका है । इसका पुनरारम्भ एवं पूर्ण होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बलिया के स्व० श्री केशव प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के भविष्य निधि, सामूहिक जीवन बीमा इत्यादि के भुगतान की मांग

७५–श्री भरत सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस कारण से स्व० केशव प्रसाद सिंह, पुत्र स्व० गंगाधारी सिंह, स० बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बलिया का ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश निधि आदि अभी तक नहीं दिया गया जबकि स्व० के० प्र० सिंह का निधन ४-८-१९७७ को हो गया ? यदि हां, तो किस कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा है ? कब तक उक्त मृतक के परिवार को शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

स्व० श्री केशव प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के भविष्य निधि में जमा धनराशि व सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान उनके परिवार को किया जा चुका है । श्री सिंह की मृत्यु के दिनांक को, सरकारी सेवक की मृत्यु पर अवशेष उपार्जित अवकाश के बदले नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी जिसके कारण इस मद में भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । उन्हें अनुमन्य ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु प्रकरण महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद को संदर्भित किया गया है ।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ सम्भाग में कार्यरत अस्थायी/स्थायी चौकीदारों की सूची एवं उन्हें विनियमित करने की प्रक्रिया की जानकारी

७६–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ सम्भाग में कितने अस्थायी चौकीदार कहां-कहां कब से कार्यरत हैं ? क्या इनकी कोई वरिष्ठता सूची अब तक बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह सूची क्या है ? क्या उपरोक्त विभाग में कार्यरत सन् १९८८, ८९ ९०, ९१ में कार्य करने वाले चौकीदारों की सेवाओं को अब तक नियमित करने की कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ सम्भाग में १० अस्थायी चौकीदार व दो अस्थायी बैरियर चौकीदार कार्यरत हैं । तैनाती का विवरण संलग्न है ।

जी हां,

नियमित रूप से नियुक्त स्थाई व अस्थायी चौकीदारों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है। सूची संलग्न है।

जी हां,

वर्ष १९८८, ८९, ९०, ९१ में तदर्थ रूप से कार्यरत चौकीदारों में से १३ गोदाम चौकीदारों व ६ बैरियर चौकीदारों तथा एक कार्यालय चौकीदार को विनियमित कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २०२-२०५ पर)

सुल्तानपुर, सदर तहसील में दर्शाये गये स्थायी संग्रह चपरासियों के नाम व पते की सूची

७७—श्री तेजभान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर परिषदादेश सं०—१२०६/२ संग्रह-२१बी/७८, दिनांक २५-२-८६ द्वारा सुल्तानपुर, सदर तहसील में ६२ दर्शाये गये स्थायी संग्रह चपरासी की सूची, नाम पते सहित क्या है ? क्या इसके अतिरिक्त भी दिनांक ११ अप्रैल, १९८६ तक ए० वाई० आर० डेलीवेज में कुछ चपरासी उक्त तहसील में कार्य करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यरत चपरासियों की सूची को श्रेणीबद्ध रूप में सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

सूची संलग्न है।

जी नहीं। दि० ११ अप्रैल, १९८६ तक ए० वाई० आर०/डेलीवेजेज में कोई चपरासी उक्त तहसील (तहसील सदर) में कार्यरत नहीं रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २०६-२०८ पर)

७८—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १७१ द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के ग्राम महुला में घाघरा नदी के कटाव से कटे मकानों की जानकारी तथा प्रभावित परिवारों के मकान हेतु भूमि का आवंटन किये जाने की मांग

७९—श्री बी० आर० वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में ग्राम महुला में सन् १९८५ से अब तक कितने घर घाघरा नदी के कटाव में कटे हैं ? उनमें से किसी भी परिवार को बसने हेतु बांध के करीब जमीन क्यों नहीं दी गयी ? क्या इस कृत्य के लिये दोषी अधिकारी को दण्डित करके इन्हें बसाने हेतु बांध के करीब सरकार जमीन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के ग्राम महुला में वर्ष १९८५ से अब तक एक घर कट कर घाघरा नदी में विलीन हुआ है।

कटान से प्रभावित उक्त परिवार को बांध के दक्षिण तरफ गांव सभा की भूमि आवास हेतु आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में नेशनल गैस एजेन्सी के मालिक श्री सन्त लाल हरिजन के नाम के कोटे का श्री जलाल कय्यूम नामक व्यापारी द्वारा दुरुपयोग की जांच की मांग

८०—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में नेशनल गैस एजेन्सी मालिक श्री सन्त लाल हरिजन के नाम पर श्री जलाल कय्यूम नामक व्यापारी द्वारा हरिजन कोटे का दुरुपयोग किये जाने आदि के संबंध में, श्री त्रियुग नारायण तिवारी पत्रकार निवासी मो० साहबगंज, फैजाबाद द्वारा पूर्व खाद्य मंत्री जी को भेजा गया शिकायती पत्र सम्यक् आदेशों के साथ कार्यवाही किये जाने हेतु "अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति, फैजाबाद" को माह जनवरी, ९१ में भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में अपर जिलाधिकारी, आपूर्ति, फैजाबाद द्वारा जांच व कार्यवाही करके शासन को आख्या भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी—

श्री त्रियुग नारायण तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक ८-२-९१ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मार्च, १९९१ में जांच हेतु भेजा गया । जिलाधिकारी, फैजाबाद से की गयी जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में नियमित रिक्त पदों की संख्या तथा उन पर चयन समिति द्वारा नियमानुसार नियुक्ति का विवरण

८१—श्री अकबर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, गोरखपुर में दिनांक १-१-९१ से १-७-९१ के बीच कुल कितने नियमित पद रिक्त थे और उसमें से कितनी जगहों पर पुराने सहायक वासिल वाकी नवीस नियुक्त हुए ? कितने जगहों पर बाहरी व्यक्ति नियुक्त किये गये व कितनी जगहें अब भी रिक्त पड़ी हैं ? क्या यह सच है कि विभागीय सहायक वासिल वाकी नवीसों के उपलब्ध होते हुए भी बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, गोरखपुर में दि० १-१-९१ से १-७-९१ के बीच कुल ३१ नियमित कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त थे ।

उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये नियमानुसार चयन समिति का गठन करके सेवायोजन कार्यालय से चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करके लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् ३० अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी । पुराने सहायक वासिल वाकी नवीस जैसे किसी पद से नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का न तो अलग से पद है और न ही उससे कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का प्राविधान है ।

उक्त प्रस्तर-२ में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

एक पद रिक्त है जो उर्दू के जानकार अभ्यर्थी के लिये सुरक्षित है तथा पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण रिक्त है ।

इस संबंध में उक्त प्रस्तर—२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

८२–श्री अकबर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कों का निर्माण कार्य

८३–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार के शासनादेश के द्वारा स्वीकृत जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कों, जिन पर कार्य कराया जा रहा था, शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक ३१-८-९१ को मुख्य मंत्री को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सा आदेश पारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

स्वीकृत कार्यों के अत्यधिक अवशेषों के सापेक्ष, संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण पूर्व स्वीकृत योजनाओं पर संसाधनों की अवमुक्ति प्रभावित हुई है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २९-८-९१ पर स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के दिनांक ३१-८-९१ के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जानकारी की मांग

८४–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक ३१-८-९१ उन्हें प्राप्त पर शासन स्तर से कौन सा आदेश, किसके लिये पारित हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

८५–श्री तेजभान सिंह–

[तीसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० १८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुख्य अभियन्ता मुख्यालय–२ लोक निर्माण विभाग के अ० शा० पत्र सं० १२१४६ ब्यग/१११ ब्यग/८५, दि० ९-१२-८८ द्वारा पूर्ण तुलनात्मक विवरण शासन को भेजने के बाद प्रकरण में कृत कार्यवाही की जानकारी

८६–श्री बलराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मुख्यालय २, के अ० शा० पत्र सं० १२१४६ ब्यग/१११ब्यग/८५, दिनांक ९-१२-८८ द्वारा पूर्ण तुलनात्मक विवरण भेजने के बाद शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-२ लोक निर्माण विभाग के पत्र सं० १०५६६ ब्यग/१० ब्यग०स्टोर/८२, दिनांक १५-९-८४ द्वारा अन्तिम निस्तारण हेतु शासन से की गयी अपेक्षा

८७–श्री बलराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-२ के अ० शा० पत्र संख्या ७५३८ ब्यग/४० ब्यग स्टोर/८२, दिनांक २४-६-८३ में स्पष्ट निर्णय लेने के बाद मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-२ के पत्र सं० १०५६६ ब्यग/१० ब्यग-स्टोर/८२, दिनांक १५-९-८४ द्वारा शासन से अन्तिम निस्तारण हेतु अपेक्षा की गयी थी ? क्या उसका निस्तारण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सरजीत सिंह डंग–

यह प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी में अतिवृष्टि से गृहगिरी अनुदान राशि के वितरण की सूची

८८–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी में वर्ष १९९०-९१ में अतिवृष्टि से गृहगिरी अनुदान राशि का वितरण किया गया था ? यदि हां, तो कितना ? किस गांव में कितने लोगों को कितनी धनराशि दी गयी ? क्या अनुदान राशि के वितरण में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसका सत्यापन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । वर्ष १९९०-९१ में अतिवृष्टि से गृह अनुदान के रूप में रु० १५,४०० की धनराशि का वितरण किया गया है ।

तहसील कर्वी के निम्न ग्रामों के सम्मुख अंकित पात्र व्यक्तियों को धनराशि का वितरण किया गया––

ग्राम	लाभान्वित व्यक्ति	धनराशि (रुपये में)
१. कर्वी	३	४००.००
२. बनकट	६	८००.००
३. कपसेठी	८	१४००.००
४. खोही	१२	३०००.००
५. शिवरामपुर	२३	३५००.००
६. पहाड़ी बुजुर्ग	३५	२३५०.००
७. कर्बी माफी	८	११५०.००
८. कर्वी अन्दर नगरपालिका	१६	२८००.००
योग :	१११	१५४००.००

जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील के ब्लाक चित्रकूट में दशहरा एवं दीपावली में चीनी की आपूर्ति

८९–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील के ब्लाक चित्रकूट के ग्रामवासियों को इस वर्ष दशहरा एवं दीपावली में चीनी का वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? पूरे चित्रकूट ब्लाक में कितनी यूनिट हैं ? दशहरा एवं दीपावली के त्योहारों में कितनी आपूर्ति ब्लाक चित्रकूट को की गयी है ? क्या ब्लाक चित्रकूट में चीनी, त्योहारों में न वितरण के लिये कोई दोषी है ? यदि हां, तो कौन और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री एजाज रिजवी–

जनपद बांदा के चित्रकूट ब्लाक के ग्रामवासियों को वर्ष १९९१ में दशहरा तथा दीपावली दोनों त्योहारों हेतु कुल ११.८ मी० टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया किन्तु चीनी मिलों से समय से चीनी की आपूर्ति न हो पाने के कारण दशहरा से पूर्व चीनी का वितरण नहीं हो सका परन्तु दीपावली के पूर्व ८ मी० टन और अवशेष मात्रा में उसी माह अर्थात माह नवम्बर, १९९१ में वितरित करा दी गयी।

चित्रकूट ब्लाक में ९२,७२५ यूनिट हैं।

दोनों त्योहारों हेतु ११.८ मी० टन लेवी चीनी की आपूर्ति की गयी।

ब्लाक चित्रकूट में उक्त त्योहारों के लिये चीनी वितरण के लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया।

जनपद फतेहपुर में ग्राम बिन्दौर व इछावर के बीच यमुना नदी पर पीपे के पुल के निर्माण की जानकारी

–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में ग्राम बिन्दौर व इछावर के बीच यमुना नदी पर पीपे का पुल का निर्माण शासन के पत्र संख्या ८७३ ई/२३ लो० नि०-११/१३५ ई/९०, लखनऊ १ ८-९१ पेज नं० २३ फतेहपुर क्रम संख्या ३ लागत १५ लाख रुपये का स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा कब तक बिन्दौर से इछावर के बीच यमुना नदी पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम पडोहरा में चन्द्रावली नदी पर रपटा का निर्माण कार्य

९१–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम पडोहरा को चन्द्रावली नदी में रपटा बनाकर ग्रामवासियों को हेड क्वार्टर जसपुरा से आने जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

रपटा निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण।

उत्तर प्रदेश में गोंड जाति की जनपदवार आबादी संख्या एवं अन्य विवरण

९२–श्री रमाकान्त यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोंड जाति की आबादी वर्तमान उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जनपदवार कितनी-कितनी है तथा उनके गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा और व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

गोंड जाति की जनपदवार जनसंख्या १८९१, १९११, १९३१, १९६१, १९७१ तथा १९८१ की जनगणना के अनुसार संलग्न है।

प्रदेश में गोंड जाति अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत है। अतः प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिये चलायी जा रही समस्त योजनाओं के अन्तर्गत गोंड जाति को लाभान्वित किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २०९-२१० पर)

उत्तर प्रदेश में भूदान समिति के पास उपलब्ध आवंटित की गई भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी

९३—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भूदान समिति की कितने हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है ? कितने हेक्टेयर जमीन अब तक भूदान समिति द्वारा आवंटित की जा चुकी है ? क्या अद्यतन आवंटित भूमि अनुसूचित जातियों, कमजोर वर्गों, भूमिहीनों में न वितरित किये जाने की गहन जांच आयुक्त स्तर के किसी उच्चाधिकारी से सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो सरकार नमूना सर्वेक्षण हेतु उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में अब तक आवंटित भूमि बड़े काश्तकारों को ही आवंटित किये जाने की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

उ० प्र० में भूदान की ४,३६,४२१.७७ एकड़ भूमि है जिसमें से ४,२१,१७९.२७ एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है ।

विशिष्ट एवं तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त होने पर उपयुक्त स्तर से जांच करायी जायेगी ।

जनपद गोरखपुर के ग्रा० मेउसा तप्पा खजुरी निवासी श्री सुदामा प्रसाद दुबे द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक ११ फरवरी, १९९१ के प्रेषित पत्र पर कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

९४—श्री अकबर —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदामा प्रसाद दुबे निवासी ग्राम-मेउसा तप्पा खजुरी, परगना हसनपुर मगहर, तहसील खजुरी, जनपद गोरखपुर ने एक पत्र दिनांक ११-२-९१ को जिलाधिकारी को भेजा था, जो कि चकरोड सं०—५०६ को अनाधिकृत कब्जा से मुक्त किये जाने संबंधी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

श्री सुदामा प्रसाद दुबे पुत्र स्व० राजाराम दुबे के प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-२-९१ के तहत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२२-बी के तहत वाद दायर किया गया, जिसमें उभय पक्षों का साक्ष्य लेते हुए दिनांक ६-२-९२ को भूमि से बेदखल करते हुए रुपये १,००० हर्जाना लगाया गया है ।

जनपद मिर्जापुर के प्रा० स्वा० केन्द्र कछवा को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किया जाना

९५—श्री भागवत पाल तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र कछवा, जनपद मिर्जापुर का भवन कब तक पूर्ण करके स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित करा देंगे ? क्या यह सत्य है कि भवन की चहारदीवारी अधूरी है ? यदि चहारदीवारी नहीं बनी है तो शासन ने इस बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष १९८८ में पूर्ण हो चुका है । केन्द्र का अध्यासन विद्युत कनेक्शन न होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है । सम्प्रति विद्युत कनेक्शन का कार्य राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कराया जा रहा है । कार्य पूर्ण होते ही स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करा दिया जायगा ।

जी हां ।

चहारदीवारी का कुछ भाग अनधिकृत अतिक्रमण होने के कारण अपूर्ण है । अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० ८७१ ई०/२३-लो० नि०-११-१३५ई/९०, दिनांक १-४-९१ को वर्तमान सरकार द्वारा रोकने का औचित्य

९६–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक ९ अप्रैल, १९९१ को श्री हरिश्चन्द्र संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या ८७१ ई/२३-लो० नि०-११-तद्दिनांक को वर्तमान सरकार द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो रोक लगाने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार इसे पुनः लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

कदाचित प्रश्नकर्ता का आशय शासनादेश सं० ८७१ ई/२३-लो० नि०-११-१३५ ई/९०, दिनांक १-४-९१ से है ? इस शासनादेश को रोका नहीं गया है । केवल कुछ स्वीकृत कार्यों का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ और जनपद बलिया को जोड़ने वाली सड़क पर ग्राम अहिरूपुर के सामने हाहा नाला पर पुल बनाने की मांग

९७–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक ११-७-९० को विधान सभा में नियम ३०१ के अन्तर्गत जनपद मऊ में जनपद बलिया को जोड़ने वाली सड़क पर ग्राम अहिरूपुर के सामने हाहा नाला पर पुल बनाने विषयक दी गयी सूचना के अन्तर्गत जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनता के आवागमन हेतु जनहित में आवश्यक पुल के निर्माण हेतु इसका परीक्षण कराकर इसके निर्माण की स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं । संसाधनों की कमी के कारण पुल की स्वीकृति दिया जाना सम्प्रति संभव नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

९८–श्री बलराम यादव–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १६१ द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई में तहसील बिलग्राम के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी करने हेतु अन्वेषण की कार्यवाही

९९–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में तहसील बिलग्राम के सढ़ियापुर, जसेनामऊ, घट्टी बिलुही, क्योरा, वाण करेहरा कटरी छिबरामऊ, कटरी विछुहिया सहित गंगा नदी के किनारे के समस्त ग्रामों जिनमें चकबन्दी नहीं हुई है, के अभिलेखों एवं मौके के चक नम्बरों एवं उनके रकबों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अभिलेख क्रियायें सम्पन्न करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद हरदोई में तहसील बिलग्राम के प्रश्नगत ग्रामों में अन्वेषण की कार्यवाही करायी जा रही है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर अभिलेख क्रियायें कराये जाने अथवा न कराये जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१००–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अपर आयुक्त, वक्फ कार्यालय, गाजीपुर में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री काजी मुहम्मद अरशद के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

१०१–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अपर आयुक्त, वक्फ कार्यालय, गाजीपुर में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक, श्री काजी मुहम्मद अरशद को उनके विरुद्ध शिकायतों, अनियममितताओं, भ्रष्टाचार आदि के फलस्वरूप गाजीपुर से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही पूर्ण हो गयी और इस मामले का निस्तारण हो गया ? क्या शिकायतों के संबंध में चल रही जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को तैनाती के स्थान से हटाये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी को किन परिस्थितियों में पुनः गाजीपुर में तैनात किया गया है?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

विभिन्न शिकायतों की प्राप्ति के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर श्री काजी मुहम्मद अरशद, वरिष्ठ वक्फ लिपिक को माह जून, १९८९ में जनपद गाजीपुर से मेरठ के लिये स्थानान्तरित कर

दिया गया था किन्तु स्थानान्तरण आदेश के पश्चात् फर्जी शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप में दिनांक १-९-१९८९ को निलम्बित कर दिया गया और विभागीय कार्यवाही आरम्भ किये जाने की स्थिति में उन्हें जनपद गाजीपुर से ही सम्बद्ध रखा गया । मामले में जांच करने के लिये अपराध अनुसंधान विभाग को यह प्रकरण सुपुर्द कर दिया गया है ।

जी नहीं, तथापि सक्षम अधिकारी कभी भी उपयुक्त आधार पर स्थानान्तरण कर सकते हैं ।

चूंकि श्री काजी मुहम्मद अरशद को दिनांक १-९-१९८९ को निलम्बित किया गया था और विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी थी अतः उन्हें जनपद गाजीपुर से ही सम्बद्ध रखा गया ।

१०२–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री काजी मुहम्मद अरशद जो कि वर्तमान समय में वरिष्ठ लिपिक, अपर वक्फ आयुक्त कार्यालय, गाजीपुर में तैनात हैं, जब ललितपुर में तैनात थे तो क्या उनके विरुद्ध जिलाधिकारी श्री नूर मोहम्मद के जाली दस्तखत बनाकर सरकारी कागजात जारी करने का आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो उस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

जनपद ललितपुर में तैनाती के दौरान श्री काजी मुहम्मद अरशद द्वारा श्री मोहम्मद कमर इदरीस पुत्र श्री मोहम्मद इदरीस, निवासी–सगड़ी, थाना–जियनपुर, जनपद–आजमगढ़ का फर्जी पता अंकित करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी, ललितपुर के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर एक रिवाल्वर का लाइसेंस जारी किया गया था । उक्त श्री मोहम्मद कमर इदरीस को इस बात की जानकारी होने पर उनके द्वारा थाना–कोतवाली, ललितपुर में दिनांक ३०-९-१९८८ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसके आधार पर मु० अ० सं०–२५/८८, धारा–४२०/४६७/४६८/४६९ भा० द० वि० श्री अरशद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के आधार पर श्री अरशद को दिनांक २३-१२-१९९० को आरोप-पत्र दे दिया गया है । आरोप-पत्र पर श्री काजी मुहम्मद अरशद के बयानात लेकर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१०३–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष १९८७ से १९८९ के मध्य गाजीपुर में जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों से भारी संख्या में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी करने संबंधी मामले में श्री काजी मुहम्मद अरशद, वरिष्ठ लिपिक, अपर वक्फ आयुक्त कार्यालय, गाजीपुर का नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज करके कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो उस मामले में उन्हें क्या दण्ड मिला ? क्या श्री काजी मुहम्मद अरशद के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही चलाकर विभागीय तौर पर दण्डित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, वाराणसी द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा–हमीरपुर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य

१०४–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा–हमीरपुर मार्ग की मवई से लामा तक चौड़ाई बढ़ाने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ? प्रयुक्त गिट्टी की किस्म/साइज क्या है ? क्या सरकार मिट्टी बिना नाप के तथा गिट्टी अन्डर व ओवर साइज की सड़कों पर डलवायी है ? यदि हां, तो सामग्री का विवरण क्या है तथा क्या टेक्निकल सेल से इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा–हमीरपुर मार्ग पर चौड़ीकरण का कोई कार्य सम्प्रति स्वीकृत नहीं है। अतः धनराशि प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के अवकाश प्राप्त जेल अधीक्षक का अपने पावनाओं से संबंधित मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

१०५–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अवकाश प्राप्त जेल अधीक्षक श्री जयसिंह के दिनांक ९-१-९१ को अपने पावनाओं संबंधी मामलों के निस्तारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सचिव, कारागार को कार्यवाही का निर्देश दिया है? यदि हां, तो अब तक पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

प्रश्नकर्ता का तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक ९-१-९१ का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है किन्तु प्रश्नकर्ता द्वारा मा० मंत्री जी कारागार एवं राजनैतिक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक ९-१-९१ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

श्री जय सिंह के पावनाओं सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है। केवल ग्रेच्युटी धनराशि में से रु० ३२४९.२५ रोक लिया गया है क्योंकि इनके विरुद्ध शासकीय देय बकाया है।

१०६–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[३सरे सोमवार में अता० प्र० सं० १८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में स्मारक बनाने हेतु नये स्थल के चयन हेतु कार्यवाही

१०७–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पिछली सरकार के कार्यकाल में दिनांक १९-६-९० को थाना मधुवन, जनपद मऊ के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में स्मारक बनाने की जो सूचना विधान सभा में नियम ३०१ के अन्तर्गत दी थी और जिसके संबंध में अनुसचिव, गृह सामान्य ने प्रश्नकर्ता को अपने पत्र दिनांक १९ अप्रैल, १९९१ के अर्ध- शा० पत्र सं०–१३ एम० एम० जेड० ६-९१ के द्वारा शासनादेश दिनांक १४-३-९१ द्वारा स्मारक बनाने हेतु विलीय स्वीकृति की सूचना दी थी, के अनुसार इतना विलम्ब स्मारक बनाने में क्यों किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, मऊ द्वारा जो प्राक्कलन आया था स्थल परीक्षण उपरान्त स्थल को अनुपयुक्त पाया गया ? यदि हां, तो क्या नये स्थल का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

स्मारक निर्माण स्थल संबंधी विवाद के परिणामस्वरूप पूर्व चयनित भूखण्ड पर स्मारक निर्माण की कार्यवाही अभी तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी है ।

मण्डलायुक्त, गोरखपुर को इस बारे में अपने स्तर से निर्णय लेने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

जिला सिद्धार्थनगर के विकास क्षेत्र बांसी तथा नगरपालिका क्षेत्र बांसी में चीनी, गेहूं के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर कृत कार्यवाही

१०८–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी को कोई आवेदन पत्र माह अक्टूबर, १९९१ के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह में भूतपूर्व विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डेय द्वारा भेजा हुआ प्राप्त हुआ है जिसमें जिला सिद्धार्थनगर के विकास क्षेत्र बांसी तथा नगर पालिका क्षेत्र बांसी में आवश्यक वस्तु चीनी, गेहूं के वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? उसका परिणाम क्या रहा ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच करायी गयी । जांच से शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, फिर भी नियमित चेकिंग के दौरान अन्य अनियमितताओं में लिप्त दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के कतिपय गांवों में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायत

१०९–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के बढ़या एहनमाली बढ़या मुस्तकिल, बनकेसिय [illegible] में चकबन्दी के दौरान उक्त ग्रामों की कुछ भूमि पर

ग्रामीणों के आकार पत्र-५ के आधार पर कब्जे को न मानते हुए फर्जी नामों पर फैसले आदि किये गये हैं जिनसे व्यापक अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है? क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच को सतर्कता विभाग से करायेंगे? क्या पूरी चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कराकर पुनः उक्त ग्रामों में चकबन्दी के आदेश दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सीलिंग की जमीनों पर दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये हैं? क्या ऐसी जमीन अतिरिक्त घोषित होने पर नियमों के अन्तर्गत आवंटन की कार्यवाही से बांटे जाते हैं? यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज में ग्राम बैठवलिया में चकबन्दी कराने की मांग

११०–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बैठवलिया, भेड़िहारी, गोसाईपुर, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज में चकबन्दी करायी गयी? यदि हां, तो अब प्रक्रिया किस स्तर पर है? यदि नहीं, तो चकबन्दी क्यों नहीं करायी गयी? क्या उक्त ग्रामों की भौगोलिक परिस्थितियां बदल गयी हैं? यदि हां, तो तदनुसार चकबन्दी पुनः कराने के आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम भेड़िहारी एवं गोसाईपुर को चकबन्दी योजना में सम्मिलित किया गया था और वहां चकबन्दी समाप्त हो चुकी है। ग्राम बैठवलिया को चकबन्दी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि चकबन्दी प्रसार हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य नहीं पाया गया।

ग्राम बैठवलिया की भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम ठूठीवारी में स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर की जमीन का आवंटन निरस्त करके शिलान्यास कार्यक्रम को रोकने का वैधानिक औचित्य

१११–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५-११-९१ को ग्राम ठूठीवारी, जनपद महराजगंज में स्वामी विवेकानन्द शिशु मान्दिर के शिलान्यास कार्यक्रम को परगनाधिकारी निचलौल श्री कमला लाल ने जमीन के आवंटन को निरस्त करते हुये रोक दिया तथा वहां हुए निर्माण को उजड़वा दिया? क्या आवंटन, आवंटन का निरस्तीकरण एवं निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही परगनाधिकारी के द्वारा विधिसम्मति थी? यदि नहीं, तो क्या अधिकारों के दुरुपयोग के मामले में सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक २५-११-९१ को ग्राम ठूठीवारी में स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर का सम्बन्धित भूखण्ड संख्या-९३३ पर प्रस्तावित शिलान्यास अवैधानिक था क्योंकि भूमि स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर को

आवंटित नहीं की गयी थी न ही भूमि का पट्टा स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर के नाम था। दिनांक १७-४-९१ को परगनाधिकारी द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति ठूठीवारी के प्रस्ताव दिनांक २१-३-८९ के अनुसार स्वामी विवेकानन्द शिशु मन्दिर हेतु भूमि आरक्षित की गयी थी। दिनांक २५-११-९१ को मौके पर शिलान्यास को लेकर खून खराबे की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, अतः शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक १७-४-९१ के आदेश को रिकाल करते हुए जनहित में शिलान्यास पत्थर को सुरक्षित रूप से ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया।

आवंटन न होने के कारण आवंटन के निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता, परगनाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय परिस्थितियों के समीचीन था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बांसडीह तहसील के मुड़ियारी दहताल पर पीपे के पुल बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की जानकारी

११२—श्री मारकण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बांसडीह तहसील अन्तर्गत मुड़ियारी दहताल पर पीपे का पुल बनाने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? क्या इस दहताल से लगभग ८० गांव की आबादी घिरी हुई है, जिससे आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो यह पुल कब तक बनने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में बघुड़ी—सरियांव मार्ग का प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत और व्यय धनराशि का विवरण

११३—श्री मारकण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बघुड़ी सरियांव मार्ग का प्रोजेक्ट किस स्तर तक स्वीकृत है तथा इस मार्ग पर अब तक कितने धन का आवंटन हुआ तथा कितना कार्य हुआ है? अब तक कार्य पूरा न होने का क्या कारण है? क्या इस वर्ष इसका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत मार्ग ७ किमी० लम्बाई में मिट्टी, पुलिया एवं खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत है।

मार्ग पर अब तक ८.३६ लाख रु० आवंटित हुआ है।

माह जनवरी, १९९२ तक मार्ग पर ६ किमी० लम्बाई में मिट्टी, २ किमी० में पुलिया एवं ३.७०० किमी० लम्बाई में खड़ंजा का कार्य हुआ है।

सीमित संसाधनों एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अवशेष कार्य पूरा किया जाना वित्तीय संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

११४–श्री विजय सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

११५–श्री विजय सिंह–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १७८ द्वारा उत्तरित]

श्री मो० इस्माईल पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी केला भट्टा, जिला गाजियाबाद जेल से रिहा न करने के कारणों की जानकारी

११६–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि दिनांक ६-२-८९ को ७० वर्ष से ऊपर की आयु के जेल बन्दियों की आम रिहाई के आदेश शासन ने किये थे? यदि हां, तो क्या श्री मोहम्मद इस्माईल पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी–४५६४, सक्कोंवाली गली, केला भट्टा कोतवाली गाजियाबाद की उम्र का सत्यापन जिलाधिकारी, गाजियाबाद से दि० १-६-८९ को, शासन को प्राप्त हो गया था? यदि हां, तो श्री मोहम्मद इस्माईल को अब तक रिहा न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उन्हें शीघ्र रिहा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उमानाथ सिंह–

(१) जी हां।

(२) जी हां, इनफरर्मिटी रोल के आधार पर बन्दी की रिहाई के संबंध में जिला अधिकारी, गाजियाबाद का, बन्दी की आयु के सत्यापन के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था।

(३) बन्दी ने निर्धारित तिथि (दिनांक ६-२-८९) तक केवल १ वर्ष ८ माह ३ दिन की सपरिहार सजा काटी थी, जो शासनादेश संख्या–५७६/प्रस-कारा-१९८९, दिनांक २९-५-८९ के साथ सहपठित शासनादेश संख्या–५७३पी/२२-४-४९२३/८९, दिनांक १२-९-९१ की शर्तों के अनुसार निर्धारित चार वर्ष की सजा से कम थी। इस प्रकार निर्धारित सजा न भोगने के कारण वह मुक्ति का पात्र नहीं था। इसलिये ७० वर्ष की आयु के आधार पर उसे मुक्त नहीं किया गया।

(४) जी नहीं।

(५) कारण ऊपर (३) में बताया गया है?

जनपद बांदा, समाज कल्याण विभाग में निराश्रित ३९७० विधवाओं एवं विकलांगों के पेंशन सम्बन्धी कार्य के पेंडिंग होने की शिकायत

११७–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि समाज कल्याण विभाग, बांदा में लगभग ढाई वर्षों से ३९७० निराश्रित विधवाओं व ३८० विकलांगों के पेंशन सम्बन्धी कार्य पेंडिंग पड़े हैं? यदि हां, तो उन्हें अब तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या इन्हें शीघ्र पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण।

११८–श्री तेज भान सिंह–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० ११२ द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा में चौडगरा रामपुर मवईघाट सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने की योजना

११९–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में चौडगरा रामपुर मवईघाट सम्पर्क मार्ग को पक्का तथा अधूरे कार्य को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उल्लिखित मार्ग लो० नि० वि० के अधीन नहीं है और न ही किसी योजना में स्वीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी योजना में स्वीकृत न होने के कारण ।

जनपद मऊ के तहसील घोसी में लेखपालों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं रिक्त पदों का विवरण

१२०–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के तहसील घोसी में कुल कितने लेखपालों के पद स्वीकृत हैं? क्या मानक के विरुद्ध लेखपालों की जगहें रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि एक लेखपाल के पास ५-६ ग्रामों के कागजात हैं, जिससे जनता के कामों को निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पड़े पदों पर लेखपालों की नियुक्तियां कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद मऊ की तहसील घोसी में लेखपालों के कुल १२९ पद सृजित हैं ।

जी हां, जनपद मऊ की तहसील घोसी में १० लेखपालों के सेवानिवृत्त हो जाने तथा अन्य तहसीलों एवं जनपदों में स्थानान्तरण हो जाने के कारण मानक के विरुद्ध लेखपालों के पद रिक्त हैं । जी नहीं। एक लेखपाल क्षेत्र में ५-६ ग्राम होते हैं । इसलिये लेखपालों के पास ५-६ ग्राम के कागजात हैं, जिससे जनता के कामों को निपटाने में कोई कठिनाई नहीं होती । लेखपाल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस आने पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्त कर दिया जायेगा ।

कुम्हार जाति के लोगों की पुस्तैनी कला के विकास एवं आर्थिक सुधार हेतु ग्राम स्तर पर मिट्टी के लिये भूमि का आवंटन

१२१–श्री दल सिंगार तथा श्री प्यारे लाल शंखवार–

क्या सरकार आर्थिक रूप से विपन्न कुम्हार (प्रजापति) जाति के लोगों को उनके पुस्तैनी कला के विकास एवं उनकी आर्थिक दशा के सुधार हेतु ग्राम स्तर पर उन्हें मिट्टी उपलब्ध कराने हेतु भूमि का आवंटन करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उत्तर प्रदेश भूमि प्रबन्धक समिति नियम-संग्रह के नियम ६०(२) के अन्तर्गत गांव सभा में निहित ताल/पोखरों से कुम्हार जाति के लोगों को मिट्टी निकालने आदि हेतु पर्याप्त सुविधा विद्यमान है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर में शेमरी–विरमलपुर मार्ग पर मिट्टी डलवाने एवं सुल्तानपुर–नकराही मार्ग पर ईटा बिछवाने के कार्य में दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच की मांग

१२२–श्री बच्चा पाठक–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सुल्तानपुर में शेमरी–विरमलपुर मार्ग पर मिट्टी डलवाने एवं सुल्तानपुर नकराही मार्ग पर पीला ईटा बिछवाने का कार्य विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या संबंधित दोषी अवर अभियन्ता को निलम्बित कर उसके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद सुल्तानपुर में सेमरी–विरमलपुर मार्ग पर मिट्टी डलवाने का कार्य विभाग द्वारा किया गया था तथा सुल्तानपुर नकराही मार्ग पर पीला ईटा बिछाने का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया बल्कि विभागीय विशिष्टियों के अनुसार श्रेणी-१५० की ईटों से खड़ंजा लगाने का कार्य कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की गयी थी जिसमें वह दोषी नहीं पाये गये ।

हमीरपुर प्रान्तीय खण्ड की अनियमितता से सम्बन्धित श्री शिवचरण प्रजापति , सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

१२३–श्री शिवचरण प्रजापति–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक ९-१०-९१ जो हमीरपुर प्रान्तीय खण्ड की अनियमितताओं से सम्बन्धित था की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि०, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा करायी जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

फैजाबाद में राजस्व विभाग में श्रेणीवार पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटा का विवरण

१२४–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग में श्रेणी वार कितने-कितने पद हैं ? उन पदों पर वेतन क्रमवार कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या १८ प्रतिशत एवं दो प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो कब तक आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

संलग्न तालिका के अनुसार।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फैजाबाद में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है । परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित कोटा क्रमशः १८ प्रतिशत व २ प्रतिशत कुल २० प्रतिशत, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी को मिलाकर, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से पूरा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २११ पर)

१२५–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[दिनांक १३-२-९२ को ता० प्र० सं० ८ द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ में नोरेड पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की जानकारी

१२६–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद को नोरेड पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले २ वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित हुई ? क्या इस राशि से नानपेरिसफाइड आइटम जैसे बिस्कुट भी अनियमित तरीके से खरीदे गये जिसकी जांच करायी गयी थी ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

लखनऊ जनपद को वर्ष ८९-९० में रु० ५५.०० लाख तथा वर्ष ९०-९१ में रु० ६०.०० लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, लोक निर्माण विभाग के सेतु परिकल्पना खण्ड नं० ३ के श्री पी० एन० सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार गबन के संदर्भ में शासन को स्पष्टीकरण दिया जाना एवं उनके विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग

१२७–श्री श्याम नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग सेतु परिकल्पना खण्ड नं०-३, लखनऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री पी० एन० सिंह को आर्थिक अनियमिततायें बरतने के कारण शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक ८ जुलाई, १९८५ के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के

गबन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था ? यदि हां, तो यह पत्र श्री पी० एन० सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा किस तिथि को प्राप्त किया गया ? क्या पत्र प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर शासन को श्री पी० एन० सिंह का उत्तर प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो वर्ष १९८५ से वर्ष १९९० तक के अन्तराल के विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

श्री पी० एन० सिंह, सहा० अभियन्ता द्वारा यह पत्र दिनांक १८-७-८५ को प्राप्त किया गया ।

जी नहीं ।

श्री पी० एन० सिंह का उत्तर विभागाध्यक्ष को अगस्त, १९८६ में प्राप्त हुआ ।

जांच आख्या मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग से जनवरी, १९९१ में प्राप्त हुई । आख्या में कई बिन्दु स्पष्ट नहीं थे, जिनकी स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही उसके आलोक में विलम्ब हेतु दायित्व निर्धारित किया जा सकेगा ।

१२८–श्री श्याम नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि सहायक अभियन्ता श्री पी० एन० सिंह (श्री पशुपति नाथ सिंह) जो कि वर्तमान समय में सेतु परिकल्पना खण्ड नं०–३, लखनऊ में कार्यरत हैं वर्ष १९८५-८६ में स्थानिक अभियन्ता, वि० नि० ई० सा० नि० वि०, निरालानगर, लखनऊ में कार्यरत थे तब श्री सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए (१) स्टोन बेलास्ट की आपूर्ति लखनऊ कुर्सी मार्ग पर अनुबन्ध के अनुसार ली जानी थी परन्तु श्री सिंह द्वारा यह आपूर्ति इसी अनुबन्ध के विरुद्ध डन्डईया में कुर्सी मार्ग पर ली गयी ? क्या पुनः इसी स्टोन बेलास्ट की शिफिटिंग का एक और अनुबन्ध १६ आर० इ० २/८५-८६ बनाकर डन्डईया से कुर्सी मार्ग पर से पुनः लखनऊ कुर्सी मार्ग पर की गयी और स्थानिक अभियन्ता ने ठेकेदार को दोहरा लाभ दिया जिससे शासन को लगभग ४९,८३९.०० रुपये की क्षति पहुंचाई जिसे लेखा सम्प्रेक्षक ने ए० आई० आर० ९७/९७-९८ द्वारा अपनी आपत्ति भी विभाग में दर्शायी तथा कार्य अधीक्षक, वि० नि० ई०, लो० नि०, लखनऊ ने अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो० नि०, लखनऊ के आख्या मांगने पर अपने पत्र दिनांक ५-७-९० पत्रांक १५४९ द्वारा यह स्पष्ट किया कि उक्त कार्य स्थानिक अभियन्ता श्री पी० एन० सिंह द्वारा ही सम्पादित कराया गया और ४९,८३९ रुपये की शासकीय क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो श्री पी० एन० सिंह, स्थानिक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री सिंह से आर्थिक अनियमिततायें करने हेतु शासकीय क्षति ४९,८३९.०० रुपये वसूल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी नहीं । स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति डन्डईया से फैजाबाद रोड के लिये अनुबन्ध सं०–४१ एस० ओ० डब्लू०८५-८६ दिनांक ७-६-८५ द्वारा की जानी थी और वस्तुतः आपूर्ति उसी मार्ग पर ली गयी ।

इसी स्टोन बैलास्ट की शिफटिंग हेतु पुनः अनुबन्ध संख्या–१६ आर० ई०-२/८५-८६ दिनांक १२-२-८६ बनाकर इसकी शिफटिंग डन्डईया–फैजाबाद रोड से डन्डईया बाजार रिंग रोड पर की गयी ।

उक्त डन्डईया–फैजाबाद मार्ग के निर्माण कार्य को विभाग द्वारा रोक दिये जाने के कारण एवं सामग्री के सदुपयोग के उद्देश्य से स्टोन बैलास्ट की शिफटिंग की गयी। लेखा सम्परीक्षा में इस संबंध में आपत्ति उठाई गई तथा कार्य अधीक्षक के पत्र सं०–१५४९/ए आई आर-९७/८७-८८, दिनांक ५-७-९० द्वारा श्री पी० एन० सिंह का उत्तर मांगा गया जिसके आधार पर महालेखाकार द्वारा आडिट आपत्ति समाप्त कर दी गयी। अतः संबंधित सहा० अभि० द्वारा ठेकेदार को दोहरा लाभ पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी में स्वीकृत सड़कों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट

१२९–श्री बाबू राम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में वर्ष १९९०-९१ व वर्ष १९९१-९२ में कितनी सड़कें स्वीकृत की थी और कितनी स्वीकृत सड़कें पूर्ण निर्मित हुईं और कितनी आंशिक निर्मित हुई? क्या सरकार इन स्वीकृतों सड़क को पूरा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष ९०-९१ में ३९ मार्गों एवं वर्ष ९१-९२ में ५ मार्गों तथा राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष ९०-९१ में ८ मार्गों एवं वर्ष ९१-९२ में ७ मार्गों के कार्य स्वीकृत किये गये।

जिला योजना के अन्तर्गत ७ मार्ग प्रथम सतह लेपन स्तर तक पूर्ण हुए तथा राज्य योजना के अन्तर्गत एक मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण हुआ।

जिला योजना के अन्तर्गत १४ मार्गों एवं राज्य योजना के अन्तर्गत ११ मार्गों पर आंशिक निर्माण हुए। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

निवर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की स्वीकृत धनराशि का विवरण

१३०–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निवर्तमान सरकार ने हरिजनों और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की जो धनराशि स्वीकृत की थी वह कितनी थी? क्या उसे आवंटित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

निवर्तमान सरकार द्वारा वर्ष ९०-९१ एवं ९१-९२ में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि एवं आवंटित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है। पिछड़े

वर्ग के नाम से कोई छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	मद का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	शेष धनराशि
		वर्ष १९९०-९१		
१	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	५१५८.८७	५१३९.०४	१९.८३
२	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	१३४०.५४	१३१७.२४	२३.३०
		वर्ष १९९१-९२		
१	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	५७१३.३५	५७०४.३५	९.००
२	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	१४५०.९७	१३२५.९७	१२५.००

वर्ष ९०-९१ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है और ९१-९२ की शेष धनराशि आवश्यकतानुसार आवंटित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के कतिपय गांवों की आबादी, चकरोड़ चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

१३१—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम-लोरिका की ग्राम सभा की आबादी चकरोड, चारागाह पर कुछ अवांछनीय तत्वों के अवैध कब्जा किये जाने विषयक अनेक ग्रामवासियों सर्वश्री राम आसरे, मुरली, नन्द लाल आदि के दिनांक ३०-११-९१ पत्रांक—२५५/९१ का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित उन्हें मिला है? क्या सरकार अवगत है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री को दिनांक २१-३-९० को दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्र पर जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देश भी जारी किये गये थे? यदि हां, तो शिकायत पत्र की जांच किस अधिकारी ने की और जांच निष्कर्ष के प्रमुख बिन्दु क्या थे?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में थिरूआ नाले पर सेतु निर्माण पर व्यय धनराशि

१३२—श्री लालजी वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा—बसखारी मार्ग, जनपद फैजाबाद में थिरूआ नाले का सेतु निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त सेतु के निर्माण पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा उक्त सेतु कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु पर माह जनवरी, १९९२ तक रु० २०.४३ लाख व्यय हो चुके हैं । सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फैजाबाद में लुम्बनी–वाराणसी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु के निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि का विवरण

१३३–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा, जनपद फैजाबाद में लुम्बनी–वाराणसी मार्ग पर घाघरा नदी पर सेतु का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री ने नवम्बर, १९८७ में किया था ? यदि हां, तो उक्त सेतु के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ? उक्त सेतु का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

सेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

ग्राम्य विकास अधिकारी एवं सहायक ग्राम्य विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर शासन द्वारा नियुक्ति पर रोक तथा अभ्यर्थियों द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट की वापसी के आदेश

१३४– श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग में ग्राम्य विकास अधिकारी एवं सहायक ग्राम्य विकास अधिकारी के रिक्त पदों के लिये साक्षात्कार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त साक्षात्कार कराके नियुक्ति क्यों नहीं करायी गयी ? क्या यह सही है कि अभ्यर्थियों ने ग्राम्य विकास अधिकारी के लिये ४० रुपये का बैंक ड्राफ्ट और ५० रुपये का बैंक ड्राफ्ट सहायक ग्राम्य विकास अधिकारी के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया था ? यदि हां, तो क्या इनके धन की वापसी करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पदों की कोई सेवा नियमावली नहीं थी और न ही शासन के कोई कार्यकारी आदेश थे । अतः प्रश्नगत पदों पर नियुक्ति किये जाने की अनियमित कार्यवाही पर शासन ने रोक लगा दी ।

जी नहीं । उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से रु० ४० तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से रु० १० का बैंक ड्राफ्ट लिया गया था ।

शासन द्वारा शासनादेश संख्या–३८८५/स्पे० कम्पो०/२६-३-८९, दिनांक २३-१०-८९ द्वारा अभ्यर्थियों की फीस वापस किये जाने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१३५–श्री ऊदल–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १०५ द्वारा उत्तरित]

भागलपुर, जिला देवरिया में सरयू नदी पर निर्माणाधीन सेतु का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

१३६–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भागलपुर, जिला देवरिया में सरयू नदी पर कोई एक पुल (सेतु) निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो यह कब से बन रहा है? इस पर कितना धन व्यय हो गया है? यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पुल घाघरा नदी पर निर्माणाधीन है।

जनवरी, १९८७ से ।

दिसम्बर, १९९१ तक मुख्य सेतु के निर्माण पर कुल ६१०.३६ लाख रु० व्यय हो चुका है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मैनपुरी में संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवक पद पर गत तीन वर्ष से किसी नियमित नियुक्ति का न किया जाना

१३७–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद में संग्रह अमीन और संग्रह सेवकों की नियमित नियुक्ति बिना किसी आधार के हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि गत ३ वर्ष में कितने पद रिक्त हुए और उन पर नियुक्त व्यक्तियों का चयन का आधार क्या था? क्या यह सही है कि आज तक उक्त नियुक्तियों हेतु कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनी? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सूची बनवायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । जनपद मैनपुरी में संग्रह अमीन एवं संग्रह सेवक पद पर कोई भी नियमित नियुक्ति गत तीन वर्ष में नहीं की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा-बिसन्डा मार्ग पर गड़रा नाला पर पुल बनाने की मांग

१३८–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि बांदा-बिसन्डा मार्ग पर जो गड़रा नाला पड़ता है प्रत्येक वर्ष बरसात में इस रास्ते से आवागमन नाले से रास्ता कट जाने से बन्द हो जाता है? यदि हां, तो इस नाले में अभी तक पुल न बनने का क्या कारण है? क्या निकट भविष्य में इस नाले पर पुल या रपटा आवागमन हेतु बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

प्रश्नगत सेतु अभी स्वीकृत नहीं है। पुल निर्माण की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

उपरोक्तानुसार।

जिला सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के कतिपय ग्रामों में सीलिंग की अतिरिक्त आवंटित भूमि पर काबिज लोगों को सीरदार दर्ज करने की कार्यवाही

१३९–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मवई, परगना गौराजामों, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को सन् १९८५ में पट्टे पर दी गयी थी जिसमें से कुछ व्यक्ति चकबन्दी के दौरान खातेदार हो गये थे तथा क्या कुछ लोग आज तक खातेदार नहीं हैं, जबकि सभी लोग जमीन पर बराबर काबिज हैं? क्या इस तरह का कोई शिकायती पत्र सर्वश्री राम आधार, लालता प्रसाद, दुलारे, निमरू, अलगू, छोटी, निरंजन आदि व्यक्तियों द्वारा लगातार तीन वर्षों से परगनाधिकारी को दिये जा रहे हैं ? क्या ऐसे लोगों को सीरदार दर्ज करने के लिये उत्तर प्रदेश ज० वि० एवं भू० व्य० अ० की धारा १२२-बी प्रपत्र के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत ग्राम में सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि अनुसूचित जाति के सर्वश्री १–उदई पुत्र द्वारिका, २–बसन्त पुत्र ननकू, ३–छोटी पुत्र लोलई, ४–शोमई पुत्र बदल, ५–छबीला विधवा लखई, ६–रामआधार पुत्र भगौती, ७–निरंजन पुत्र बुद्धू , ८–निमरू पुत्र दुखछोर, ९–अलगू पुत्र घुरई, १०–रामदुलारे पुत्र ढोड़े , ११–जियावन पुत्र बदल, १२–रामहरख पुत्र मुड़ई को दिनांक ३०-१-८५ को पट्टे पर दी गयी थी। उपरोक्त पट्टेदारों का भू-अभिलेखों में चकबन्दी प्रक्रियाओं के दौरान अमलदरामद नहीं किया गया था। कोई भी पट्टेदार खातेदार दर्ज नहीं है। उक्त सभी पट्टेदार अपनी पट्टे वाली भूमि पर पट्टे के दिनांक से बराबर काबिज हैं। सीलिंग पट्टेदारान सर्वश्री राम आधार, लालता प्रसाद, दुलारे, नीमरू, अलगू, छोटी, निरंजन आदि द्वारा अमलदरामद के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, जिसमें परगनाधिकारी द्वारा पट्टेदारों का अमलदरामद खतौनी में दिनांक ६-२-९२ को सीलिंग पट्टेदार के रूप में करा दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम सोसवा को खड़न्जा मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव एवं मिट्टी कार्य पर व्यय धनराशि का विवरण

१४०–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ग्राम सोसवा को खड़न्जा मार्ग से जोड़ने का शासन का कोई प्रस्ताव हैं ? इस सड़क पर मिट्टी के कार्य पर कब और कितना धन खर्च किया गया था? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ग्राम को कब तक खड़न्जा मार्ग से जोड़ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग अत्यन्त व्यय साध्य होने के कारण सम्प्रति जोड़ना सम्भव नहीं है।

इस मार्ग पर अब तक स्वीकृत योजनाओं में व्यय निम्नवत् है :—

जिला योजना में

वर्ष	(व्यय रुपयों में)
१९८७-८८	२४,६८६.००
१९८८-८९	३४,३८५.००
१९८९-९०	१,०५,००९.००
१९९०-९१	३६,३५८.००

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में :

वर्ष	
१९८७-८८	८५,६५७.००
१९८८-८९	१,४८,९३४.००
१९८९-९०	६९,३५८.००

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ में अमिला दरगाह मार्ग के निर्माण कार्य में व्यवधान के कारणों का विवरण

१४१—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में अमिला दरगाह मार्ग के जिस भाग का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है, वहां सड़क निर्माण का कार्य क्यों नहीं आरम्भ किया गया? शेष मुआवजा जो किसानों को नहीं दिया गया उसका क्या कारण है? क्या यह सही है कि एक्वायर की गयी भूमि के बगल से ही चकबन्दी से जमीन छूटी हुई है? यदि हां, तो उक्त छूटी जमीन पर सड़क निर्माण कराने में क्या व्यवधान है? कब तक सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत मार्ग के संबंध में भूमि का मुआवजा लगातार लम्बाई में न देकर अलग-अलग स्थानों का दिये जाने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी, जिसके समक्ष अब धन उपलब्ध न होने के कारण शेष मुआवजा नहीं दिया जा सका।

जी हां।

चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी जमीन मार्ग के संरेखण में नहीं पड़ती है।

प्रश्नगत मार्ग पर अवशेष निर्माण कार्य कराया जाना भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बस्ती के शिवाघाट के पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारणों की जानकारी

१४२—श्री राम ललित चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में निर्माणाधीन शिवाघाट के पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा? इसका निर्माण अब तक पूरा न होने का क्या कारण है?

डा० सरजीत सिंह डंग--

प्रश्नगत निर्माण कार्य के पूर्ण करने की अवधि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

जनपद बस्ती में तहसील सोनहा–मानपुर की सड़क महनुआ–दसिया के निर्माण विषयक प्राक्कलन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

१४३–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती में तहसील सोनहा–मानपुर की अति महत्वपूर्ण सड़क महनुआ–दसिया के निर्माण का प्राक्कलन शासन द्वारा मांगा गया था और वह प्राक्कलन जिले से शासन को प्राप्त भी हो गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण स्वीकृति पर विचार करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

१४४–श्री ऊदल–

[दिनांक २०-२-९२ को अता० प्र० सं० १६३ द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी, ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को प्रधान एवं प्रबन्ध समिति द्वारा आवास स्थल का आवंटन त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत पर परगनाधिकारी, भदोही द्वारा आवंटन प्रस्ताव स्वीकृत न किया जाना

१४५–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, तहसील चौथार, प० भदोही, जिला वाराणसी में प्रधान, गांव सभा व लेखपाल तथा भू० लेख निरीक्षक ने जून, ९१ में जमीन आवंटन के लिये ४६ व्यक्तियों की सूची बनाकर परगनाधिकारी, भदोही, वाराणसी से स्वीकृत करा ली थी? यदि हां, तो क्या इस संबंध में गांव के पंचायत सदस्य तथा अन्य नागरिकों ने ए० डी० एम० (ई), ज्ञानपुर को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर ए० डी० एम० (ई) ने ता० १ जुलाई, ९१ को तहसीलदार, भदोही को नायब तहसीलदार भेजकर गांव सभा की नियमानुसार बैठक बुलाकर पात्रता सूची बनाने हेतु लिखा है? यदि हां, तो क्या संबंधित पत्रावली परगना हाकिम भदोही के माध्यम से भेजी गयी? यदि हां, तो क्या पत्रावली में ए० डी० एम० (ई०) को परगना अधिकारी ने सही पात्रता की सूची

नियमानुसार बैठक बुला कर भेजी? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पंचों द्वारा हलफनामा देने पर नायब तहसीलदार, भदोही ने जांच करके भू० नि०, भदोही व लेखपाल के विरुद्ध टिप्पणी की और ता० ३-८-९१ को आवंटन पत्रावली को निरस्त करके एस० टी० नं० २११४/३-८-९१-३३ वर्क ए० आर० के० भदोही के यहां दाखिल दफ्तर कर दी गयी? यदि हां, तो लेखपाल व भू० ले० निरीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम भिखारीपुर तालुका, चौधार परगना–भदोही, तहसील–भदोही के प्रधान एवं भूमि प्रबन्धक समिति ने दि० २४-४-१९९१ को कुल ४७ व्यक्तियों के आवास स्थल आवंटन का प्रस्ताव बनाया था परन्तु उसे त्रुटिपूर्ण एवं विवादाग्रस्त होने के कारण परगनाधिकारी, भदोही ने स्वीकृत नहीं किया।

जी हां।

जी नहीं। नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक ३०-७-१९९१ परगनाधिकारी, भदोही को भेजी गयी थी, जो दिनांक ३-८-९१ को इस निर्देश के साथ वापस आ गयी थी कि नये सिरे से नायब तहसीलदार की देखरेख में पुनः प्रस्ताव बनाया जाय।

जी नही।

पूरे मामले की जांच करायी गयी। जांच में अनियमितता पाये जाने के कारण आवंटन प्रस्ताव दिनांक २५-८-९१ को निरस्त करने हेतु अपर जिलाधिकारी, ज्ञानपुर के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। इस प्रकार प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में है।

नायब तहसीलदार, भदोही ने पंचो द्वारा दिये गये हलफनामा तथा शिकायती पत्रों की जांच की जिसमें प्रस्ताव दिनांक २४-४-९१ को निरस्त करने तथा पुनः कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट दी गयी। नायब तहसीलदार द्वारा जांच में भू० लेख निरीक्षक एवं लेखपाल को दोषी नहीं माना गया। नायब तहसीलदार की उक्त आख्या तहसीलदार के माध्यम से परगनाधिकारी, भदोही के यहां भेजी गयी थी जिसे आदेश दिनांक ३-८-९१ द्वारा आख्या को स्वीकृत करते हुए पुनः कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था और पत्रावली एस० टी० नं० २११४/३-८-९१-३३ वर्क द्वारा तहसील में भेजी गयी थी जिसे ए० आर० के० भदोही ने प्राप्त किया। पत्रावली दाखिल दफ्तर नहीं की गयी।

शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच में नायब तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया था कि भू० ले० निरीक्षक एवं लेखपाल दोषी नहीं हैं। अतः लेखपाल एवं भू० लेख निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी फिर भी लेखपाल को प्रशासनिक दृष्टि से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राजकीय निर्माण निगम, उ० प्र० में उप अभियन्ता पद से सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर श्री सी० एल० राठौर को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त न पाया जाना

१४६—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० निर्माण निगम, उ० प्र० में सब इंजीनियर के पद पर की गयी अनियमित प्रोन्नति के संबंध में श्री रमेश कुमार तूफानी, नगर उपाध्यक्ष, भा० ज० पा०, लखनऊ का पत्र दिनांक २२-८-९१ तथा २७-८-९१ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री सी० एल० राठौर की प्रोन्नति वरिष्ठ होते हुए भी अभी तक नहीं की गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या श्री राठौर को प्रोन्नति प्रदान की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां।

उप अभियन्ता पद से सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का मापदण्ड वरिष्ठता न होकर "श्रेष्ठता" है। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर किये गये चयन में श्री सी० एल० राठौर को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में ही उनकी प्रोन्नति सम्भव है। इस संबंध में कोई तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम से भारत सरकार के निर्देश पर प्राप्त निःशुल्क गेहूं पर आधारित पोषाहार योजना के संचालन में निष्क्रियता का आरोप

१४७—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं पर आधारित पोषाहार योजना का संचालन इस प्रदेश में विगत २ वर्षों से न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम से भारत सरकार के निर्देश पर निःशुल्क प्राप्त होने वाले गेहूं का प्रोसेसिंग करके कई लाख कुपोषित बच्चों एवं धात्री महिलाओं को पोषाहार से वंचित होना पड़ा? उक्त कार्य के प्रभारी अधिकारी जिन्हें इस संबंध में निर्णय लेना था, को दोषी मानकर क्या कार्यवाही की गयी तथा शासन निष्क्रिय योजना के संचालन हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में आगजनी में क्षतिग्रस्त मकानों का विवरण एवं दी गयी अहेतुक सहायता

१४८—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी में वर्ष १९९० व १९९१ में आगजनी की दुर्घटनायें हुई हैं? यदि हां, तो उसमें कितने घर जले हैं? इनमें कितने लोगो को, कितना

अनुदान कब दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें विलम्ब के लिये कोई दोषी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

वर्ष १९९० व १९९१ में क्रमशः १५० व १३५ मकान क्षतिग्रस्त हुए।

वर्ष १९९० व १९९१ में क्रमशः ४२ पात्र परिवारों को रु० ८, ६५० तथा ३२ पात्र परिवारों को रु० १०,१५० का गृह अनुदान विभिन्न दिनांकों में वितरित किया गया।

इसके अतिरिक्त १९९० व १९९१ में क्रमशः ४२ पात्र परिवारों में रु० ९,३०० तथा ३८ पात्र परिवारों में रु० ६,५०० की अहेतुक सहायता का वितरण भी किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद में मोहन सराय से मुगलसराय के बीच बनी बाई पास सड़क के लिये अध्याप्ति की गयी जमीन के मुआवजे का भुगतान

१४९–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में मोहन सराय से मुगल सराय के बीच बनी बाई पास सड़क के लिये अध्याप्ति की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो विद्यापीठ ब्लाक के खुशीपुर ग्राम के आराजी नं० १२२, १५५, ४७७ की भूमि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

विद्यापीठ ब्लाक के खुशीपुर ग्राम के आराजी नं०-१२२, १५५ एवं ४७७ के मुआवजे का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को वर्ष १९८६ में ही कर दिया गया है।

१५०–श्री बच्चा पाठक–

[२रे सेमवार में अता० प्र० सं० १९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बारा विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्य का विवरण

१५१–श्री राम सेवक सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारा विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९८९-९०, ९०-९१ मे सम्पर्क मार्गो का निर्माण कराया गया ? उसमें कितनी धनराशि व्यय हुई और कितनी अवशेष है ?

डा० सरजीत सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी विकास परियोजना, शंकरगढ़ की जांच का विवरण

१५२–श्री राम सेवक सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा ३-१०-८६ तथा अपर निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ७-५-८७ को जांच के उपरान्त बाल विकास परियोजना, शंकरगढ़ में कार्यरत १४ तदर्थ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्तियों को अनियमित मानते हुए सम्बन्धित कार्यकत्रियों की सेवा मुक्त करने के आदेश देते हुए नियमित ढंग से नये सिरे से पुनः नियुक्त करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनियमित नियुक्त कार्यकत्रियों की सेवायें समाप्त कर नयी नियुक्ति की गयी अथवा अनियमित ढंग से पूर्व से नियुक्त कार्यकत्रियों को मानदेय भुगतान किया जा रहा है? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं। कथित १४ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्तियां अनियमित मानते हुए निरस्तीकरण के आदेश किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

१४ में से ९ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को माह अगस्त, ८९ से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

१५३–श्री बलराम यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कपिलवस्तु "श्रा वस्ती" मार्ग को चौड़ा किये जाने की योजना

१५४–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कपिलवस्तु "श्रावस्ती" मार्ग को चौड़ा करने की कोई योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उसे चौड़ा करने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ को तहसील बनाने की मांग

१५५–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़ नामक नयी तहसील बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना को कार्य रूप देने का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा? क्या यह सच है कि जिले की नौगढ़ तहसील में ६ विकास खण्ड आते हैं? क्या यह भी सच है कि नौगढ़ तहसील की लम्बाई पूरब से पश्चिम ५० कि० मी० से भी ऊपर है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़-पल्टादेवी मार्ग पर लकड़ी का पुल बनाने की स्वीकृत योजना की जानकारी

१५६–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़-पल्टादेवी मार्ग पर पायल ब्रिज (लकड़ी का पुल) निर्माण कराने की योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो पुल निर्माण न होने का क्या कारण है? पुल के निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं।

प्रश्नगत पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में निलम्बित/निरस्त/कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का विवरण

१५७–श्री अंगद यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा में कितनी-कितनी सरकारी सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल की दुकानें ऐसी हैं जो दोषी साबित होने के बाद निरस्त या मुअत्तल हो चुकी थी लेकिन अदालत से स्थगन आदेश लेकर उन्हें चलया जा रहा है? क्या सरकार बतायेगी कि दुकानदार विकास खण्डवार स्थगन आदेश का प्रथम दिन और प्रथम अदालत कौन-कौन थी और तब से अब तक स्थगन आदेश पर दुकानों के चलते रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्व का पालन नहीं किये हैं?

श्री एजाज रिजवी–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में कुल २१ दुकानें निलम्बित/निरस्त थीं जिनमें से इस समय ४ दुकानें निरस्त हैं और २ निलम्बित हैं। शेष १५ दुकानें कार्यरत हैं।

विकास खण्ड नगरा म कुल ९ दुकानें निलम्बित/निरस्त की गयी थीं जिनमें से एक दुकान निरस्त है और ५ निलम्बित हैं। शेष ३ दुकानें कार्यरत हैं। यह दुकानें कार्यरत हैं। यह दुकानें किन परिस्थितियों में अब भी कार्यरत हैं इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली सुविधा के परिपालन में श्री विद्याधर दिनेश, लिपिक, कलेक्ट्रेट गोरखपुर को पेंशन आदि की सुविधा दिये जाने का औचित्य

१५८–श्री अकबर–

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने वाली सुविधायें अपात्र व्यक्तियों को दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो विद्याधर दिनेश विद्या तिवारी, लिपिक, कलेक्ट्रेट गोरखपुर को पेंशन आदि की सुविधा देने का क्या औचित्य है? क्या यह सही है कि विद्याधर दिनेश विद्या तिवारी के विरुद्ध की गयी जांच से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में उन्हें अपात्र घोषित किया गया? यदि हां, तो उन्हें पेंशन आदि की सुविधा आज तक दिये जाने का क्या कारण है?

श्री उमानाथ सिंह–

श्री विद्याधर दिनेश को राजनैतिक पेंशन परीक्षणोपरान्त स्वीकृत की गयी है।

जनपद वाराणसी के उप संचालक, चकबन्दी (प्रशा०), श्री रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा न्यायालय के निर्णीत वादों की प्रति मंगाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग

१५९–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेन्द्र नाथ मिश्र, उप संचालक, चकबन्दी (प्रशा०), वाराणसी ने श्री सी० पी० सिंह, स० च० अ०, वाराणसी को अर्ध० शा० पत्र संख्या ७८, दिनांक १ नवम्बर, ९१ को लिखा है जिसमें कि जिलाधिकारी के आदेश से, पत्रावली संख्या १७४७/२२३ धारा ११/९१ जोकि चकबन्दी अधिनियम अन्तर्गत ग्राम गड़खड़ा, परगना कोल असला व चकबन्दी अधिकारी, नेवादा की पत्रावली मु० नं० ९११७ धारा ९ अ० राम निहोर बनाम गांव सभा ता० फैसला ९-७-७५ भेजी है? यदि हां, तो क्या वाद का निस्तारण नियमानुसार गुणदोष के आधार पर शीघ्र करके फैसले की एक प्रति श्री रमेन्द्र नाथ मिश्र, उप संचालक, चकबन्दी को भेजी गयी? यदि हां, तो क्या फाइल जिला अधिकारी व श्री रमेन्द्र नाथ मिश्र, उप संचालक, चकबन्दी, वाराणसी से मंगायी? यदि हां, तो क्यों? उक्त उप संचालक किस कानून व नियमावली से फैसले की प्रति मांगने के हकदार है? क्या यह सही है कि इस वाद में २८ सितम्बर, ९१ को बहस हो चुकी थी और ३० सितम्बर, ९१ को फैसले की तारीख थी? यदि हां, तो न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने के सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता ने आयुक्त, वाराणसी को ता० २९-११-९१ को उक्त पत्र व इन्तखाब तथा दीवानी न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला व सी० ओ० का सन् १९७५ के फैसले के साथ एक पत्र लिखा है? यदि हां, तो इस संबंध में आयुक्त, वाराणसी ने क्या कार्यवाही की और किसके द्वारा जांच करायी गयी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

उप संचालक, चकबन्दी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों के फैसले की प्रति उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम में व्यवस्था के अन्तर्गत मंगा सकते हैं।

जी हां।

जी हां। आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिये गये।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित युवा समाजवादी जनता पार्टी द्वारा असोहा ब्लाक, जिला उन्नाव में दिये गये धरने एवं जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

१६०—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर १०, १९९१ में युवा समाजवादी जनता पार्टी द्वारा ब्लाक असोहा मुख्यालय (जनपद उन्नाव) पर दिये गये धरने के अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कितनी मांगें थीं? वे मांगें क्या-क्या थीं? इन मांगों के माने जाने में सरकार के समक्ष कठिनाइयां क्या हैं?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत ज्ञापन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित निम्नलिखित ४ मांगें थीं:—

(१) कानपुर—लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर बनी से मिर्रीकला तक मार्ग को पेन्ट कराने की मांग।

(२) ग्राम दरेहटा अचली से गोमापुर चौपाई जाने वाले मार्ग को पक्का कराने की मांग।

(३) बनी-सहरावां मार्ग के ग्राम सिद्दी खेड़ा स्थित चिरैया नाले के पुल के तत्काल निर्माण कराये जाने की मांग।

(४) लखनऊ—कानपुर मार्ग से मुसन्ना-कालूखेड़ा मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग।

उपरोक्त मार्गों में से मांग संख्या—१, २ व ३ पर सीमित संसाधनों के कारण कार्य कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है। मांग संख्या-४ लखनऊ-कानपुर मार्ग से मुसन्ना-कालूखेड़ा रोड ३.०५ मीटर चौड़ा लेपित मार्ग, जिसकी लम्बाई २४ किमी० है, का रख-रखाव सीमित वार्षिक अनुरक्षण मद से किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर, ब्लाक जलालपुर की कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही

१६१—श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धराव से पट्टी-पसिपाही मार्ग, ब्लाक जलालपुर व काकोरी से परसहनी होते जलालपुर मार्ग ब्लाक जलालपुर, जौनपुर जो पच्चीसों गांवों को जोड़ती हैं उसको बनाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या काकोरी वाले मार्ग पर दो किलोमीटर तक गिट्टी भी बहुत पहले से पड़ी है?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

विभाग द्वारा इस मार्ग पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

वाराणसी जिले में कतिपय मार्गों को निर्माण हेतु राज्य सेक्टर में लेने की स्वीकृति

१६२–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में राज्य सेक्टर में लेने हेतु कठिराव से नेवादा अनेई मार्ग ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा ओदार से गरथमा मार्ग ब्लाक पिंडरा व दोबराई बरवां मार्ग ब्लाक पिंडरा, वाराणसी को स्वीकृति दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मार्गों का इस्टीमेट सन् ९०/९१ में बनाया गया था? उस पर क्या कार्यवाही हुई?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं।

प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ।

शासन को कोई इस्टीमेट प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में शहर की भांति देहात में भी प्रति यूनिट प्रति किलो चीनी देने की मांग

१६३–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती में शहर की भांति देहात में भी चीनी प्रति यूनिट, प्रति किलो दिये जाने पर शासन में कोई मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा?

श्री एजाज रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कोटे में वृद्धि न किये जाने के कारण वर्तमान कोटा प्रदेश की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है।

जिला सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी तथा नौगढ़ में कार्यरत लेखपालों को अपने गृह जनपद में शासनादेश के विरुद्ध तैनाती की शिकायत

१६४–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसी तथा नौगढ़, जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कितने लेखपाल अपने गृह विकास खण्ड में ही तैनात हैं? क्या यह सच है कि लेखपालों को अपने गृह विकास खण्ड में कार्यरत रखना शासनादेश के विरुद्ध है? यदि हां, तो उनको स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इस समय कोई नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, ग्राम भवानीपुर की श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री हनोमान द्वारा अलग-अलग खेती खरीदने व जोत सम्बन्धी बैनामा का अमल दरामद की कार्यवाही करने की मांग

१६५–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख उन्नाव ने, अनुसूचित जाति की एक महिला श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री हनोमान, राजाबाजार, उन्नाव के द्वारा श्री सहामत निवासी ग्राम-भवानीपुर, पुरवा की खेती खरीदने संबंधी बैनामा के आधार पर अमलदरामद के आदेश दिनांक ४-२-८७ को दिये थे ? यदि हां, तो क्या इसी तरह एक अन्य जोत के लिये भी उक्त महिला श्रीमती रामप्यारी के पक्ष में, श्री राम औतार की भवानीपुर पुरवा की खेती खरीदने व बैनामा कराने के आधार पर, उक्त अधिकारी ने दिनांक ४-२-८७ को अलग से अमलदरामद के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या अमलदरामद अब तक हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि संबंधित पत्रावलियां ही गायब हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आदेश/निर्णयों के लिये तैयार सरकारी रजिस्टर/अभिलेखों की जांच में उक्त प्रकरण दर्ज होना पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त अमलदरामद कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां। श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री हनोमान ने अलग-अलग कथित दो बैनामें कराये थे, जिसकी अमलदरामद करने संबंधी आदेश चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख ने दिनांक ४-२-८७ को अलग-अलग पत्रावली पर दिये थे ।

अमलदरामद दिनांक १९-२-८७ को किया जा चुका है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१६६–श्री पूरन प्रकाश–

[३सरे बुध में अता० प्र० सं० १८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम भूमर में मूगूर माइनर के कुल्लावा नं० ३ को ग्राम प्रधान द्वारा पाट लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गयी कार्यवाही

१६७–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-१६, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री इन्दर मणि मिश्र पुत्र श्री शीतला दीन ग्राम भूमर, तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर का दिनांक ३०-९-९० का प्रार्थना पत्र जिसमें मूगूर माइनर के कुल्लावा नं० ३, ग्राम प्रधान द्वारा पाट लेने की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच आख्या सहायक अभियन्ता

द्वारा जांच करके, परगनाधिकारी, सदर को दि० २९-१-९१ तथा दि० २३-८-९१ के पत्रांक ३८८ द्वारा कार्यवाही हेतु भेजा गया स्मृति पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो नाली पाटने के संबंध में प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील पचोखरा पर नयी तहसील की स्थापना की मांग

१६८–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के सृजन से जन समस्याओं के सुलभ निराकरण को मद्दे नजर रखते हुए पचोखरा कस्बा पर नयी तहसील की स्थापना का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस की स्थापना का कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं। जनपद फिरोजाबाद के तहसील पचोखरा पर नई तहसील की स्थापना का मामला वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, हमीरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष में जनवरी, १९९२ तक जीप/रोलरों की मरम्मत में किये गये व्यय का विवरण

१६९–श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, हमीरपुर ने इस वित्तीय वर्ष में रोलरों/जीपों की मरम्मत पर कितने रुपये व्यय किये है? क्या प्रति जीप रोलरवार पूर्ण विवरण सदन पर रखेंगे? यह व्यय किस अधिशासी अभियन्ता की आज्ञा के अन्तर्गत किया गया है? यदि व्यय नियम से नहीं है, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर ने इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, १९९२ तक केवल एक जीप की मरम्मत पर रु० १९,७५१.०० व्यय किये है। उक्त खण्ड द्वारा रोलरों की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

उक्त व्यय जीप संख्या यू० पी० जी० २००७ पर किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर की आज्ञा के अन्तर्गत।

व्यय नियम के अन्तर्गत किया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव (लो० नि० वि०) में लगातार तीन वर्ष से कार्यरत मजदूरों को वर्कचार्ज/स्थायी करने की मांग

१७०—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव (लो० नि० वि०) में लगातार तीन वर्ष तक कार्यरत मजदूरों को निकाल दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि लोक निर्माण विभाग में लगातार कम से कम कितने दिन तक काम करने वाले मजदूर को वर्कचार्ज मजदूर और कितने दिन काम करने वाले को स्थायी कर्मचारी किया जाता है? क्या सरकारी मानक के प्रान्तीय खण्ड में काम कर चुके सभी मजदूरों की सूची मुख्य अभियन्ता स्तर के किसी भी अधिकारी से बारीक जांच करवा कर उन्हें वर्कचार्ज पर या स्थायी करवायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत खण्ड में लगातार तीन वर्ष तक कार्यरत किसी श्रमिक को नहीं हटाया गया है।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने आदेश दिनांक १३-४-८९ द्वारा दिनांक १-३-८७ को अस्थायी मस्टर रोल पर तीनवर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने वालों को स्थायी मस्टर रोल अथवा अनियमित वर्कचार्ज में रखने के आदेश दिये थे।

शासनादेश संख्या—६७३२/२३-४-८९-१४५ एन जी/८८, दिनांक १२-२-९० द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है। इस कारण इन्हें वर्कचार्ज पर या स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोंड जाति को उ० प्र० में जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने का प्रकरण

१७१—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि गृह मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक २३ मार्च, १९८४ के पत्र द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ० प्र० से अनुरोध किया था कि गोंड जाति को उ० प्र० में जनजातियों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाये? यदि हां, तो क्या उ० प्र० में उक्त जाति जनजातियों में सम्मिलित कर ली गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

जनपद सोनभद्र में रेनूपावर कम्पनी, रेनूसागर द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किये जाने का विवरण एवं कम्पनी के बाउन्ड्री वाल से कतिपय गांवों का निकास/रास्ता अवरुद्ध होने की शिकायत

१७२—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र में रेनूपावर कम्पनी, रेनूसागर के नाम से कितने एकड़ भूमि किन-किन गांवों की है? क्या यह सही है कि रेनूपावर कम्पनी ने ग्राम परासी, ग्राम अनपरा,

ग्राम परतलिया की ग्राम समाज की और बंजर खाते की भूमि की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो रेनूपावर कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद सोनभद्र में रेनूपावर कम्पनी, रेनूसागर के नाम भूमि का विवरण निम्नवत् है:––

ग्राम का नाम	भूमि का विवरण
अनपरा	संक्रमणीय भूमिधर ३७ बीघा, ५ विस्वा, ५ धुर, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट से प्राप्त भूमि-२२९ बीघा ५विस्वा
परासी	संक्रमणीय भूमिधर–८४ बीघा, १४ विस्वा, १५ धुर, गवर्नमेन्ट ग्रांट ऐक्ट से प्राप्त भूमि-१०७ बीघा १९ विस्वा, आबादी-१ बीघा
परतलिया	संक्रमणीय भूमिधर १९१ बीघा, ७ विस्वा वर्ग-९-२४ बीघा १९ विस्वा
गरबन्धा	संक्रमणीय भूमिधर–३३ बीघा, १८ विस्वा, गवर्नमेन्ट ग्रांट ऐक्ट से प्राप्त भूमि-२१ बीघा १३ विस्वा
योग	७३२ बीघा, १ विस्वा

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

१७३–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी ने अपने बाउन्ड्री वाल से ग्राम गरबन्धा तहसील दुद्दी को घेर रखा है जिससे गांव वालों का आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार गरबन्धा गांव को मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद सोनभद्र के रेनूसागर पावर कम्पनी के बाउन्ड्री वाल से ग्राम गरबन्धा, तहसील-दुद्धी घिरा है परन्तु उससे गांव वालों के आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ है क्योंकि बाउन्ड्री वाल में भिन्न-भिन्न स्थानों पर तीन गेट क्रमशः ७ फिट, ३ फिट व ३ फिट चौड़े निकास के लिये बनाये गये हैं इसके अतिरिक्त बाउन्ड्री वाल से सटे उत्तर-पूरब ग्राम गरबन्धा से निकास के लिये एक कच्चा रास्ता बना है जो रेनूसागर अनपरा मार्ग मुख्य सड़क से मिलता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ग्राम परासी में रेनूपावर कम्पनी द्वारा श्री राधे बैसवार की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा शिकायत

१७४–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी ने श्री राधे वैसवार ग्राम परासी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि को मुक्त कराकर श्री राधे वैसवार को देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

१७५–श्री बलराम यादव–

[४थे मंगलवार में अता० प्र० सं० १३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला हरिद्वार के ग्राम खड़खड़ी के कतिपय खसरा नम्बरों पर नगरपालिका हरिद्वार द्वारा न्यायालय के स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत किया जा रहा निर्माण कार्य

१७६–श्री श्रीराम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील हरिद्वार व परगना ज्वालापुर, जिला हरिद्वार के ग्राम खड़खड़ी के खसरा ८४ ग रकबा १.२४ कासरा नं० ८६ रकबा ०.५६ खेवट नं०-१, गंगाधर महादेव की जमींदारी की निजी आराजी थीं? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उक्त आराजी का पट्टा जमींदार से दि० २९-११-८९ को धर्मपाल पुत्र बलराम निवासी खड़खड़ी, जिला हरिद्वार करा लिया गया था? यदि हां, तो क्या राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी पर धर्मपाल का नाम राजस्व कागजात में अंकित हो गया है? यदि हां, तो क्या नगरपालिका, हरिद्वार जबरन उक्त भूमि पर अवैध तरीके से न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश होते हुए भी निर्माण कार्य कर रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

ग्राम-खड़खड़ी, परगना-ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार की खेवट नं० १ वल्फ बनाम गंगाधर महादेव की जमींदारी की निजी आराजी थी जिसका खसरा नं० ८६ रकबा ०.२२७ हे० है।

खसरा नं० ८४ रकबा ०.६५२ हेक्टेयर में ०.१५० हेक्टेयर भूमि पर रास्ता, ०.१२३ हैक्टेयर पर बागरो नदी है एव ०.३७९ हे० पर ३७ व्यक्तियों के कब्जे है किन्तु उनका नाम अभिलेखों में अंकित नहीं है।

जी हां।

जी हां।

नगरपालिका ने ख० नं० ८६ के रकबा ०.०८७ हेक्टेयर पर दीवार व कमरा (शमशान) बनवाया हुआ है। शेष ०.१४० हेक्टेयर पर श्री धर्मपाल पुत्र बलराम का कब्जा है। नगरपालिका ने स्थायी निषेधाज्ञा वाली किसी भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है।

इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना में शासनादेश के बावजूद आरक्षित पदों पर कार्यकत्रियों को नियुक्त न किया जाना

१७७–श्री राम सेवक सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजनाओं शंकरगढ़, जसरा, चाका में शासनादेश के बावजूद भी हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कार्यकत्रियों का नियमानुसार आरक्षण द्वारा चयन नहीं हुआ और न ही आरक्षण कोटे को पूर्ण किया गया है? क्या इन परियोजनाओं में परियोजना क्षेत्र के बाहर की कार्यकत्रियां फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्ति की गयी हैं? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्तियां निरस्त कर स्थानीय परियोजना क्षेत्र की कार्यकत्रियां रखी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

बाल विकास परियोजना शंकरगढ़ तथा जसरा में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है एवं चाका में आरक्षण कोटा पूर्ण है।

बाल विकास परियोजना शंकरगढ़ में ४१, जसरा में ४९ तथा चाका में २५ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के स्थानीय न होने के कारण इनकी नियुक्तियां निरस्त करने तथा स्थानीय कार्यकत्रियां रखने के आदेश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र में हायर सेकेन्डरी तथा इण्टर कालेजों में स्वीकृत अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान विवरण

१७८–श्री राम लखन वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन हायर सेकेन्डरी तथा इण्टर कालेजों में वर्ष ८८-८९, ८९-९०, ९०-९१ तथा ९१-९२ में कितने अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली? क्या इसकी जांच कर ली गयी है कि जिनको छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें मिल गयी है कि नहीं? कितने छात्रो को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है? कब तक उसका भुगतान सुनिश्चित करा दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद फैजाबाद की जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित हायर सेकेन्डरी तथा इण्टर कालेजों में वर्ष १९८८-८९, ८९-९० तथा ९१-९२ में २,६१० अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को संलग्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति मिली। वर्ष ९०-९१ की सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष १९९१-९२ में छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण की संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत हाईस्कूल के १० विद्यालयों में क्रमशः ३५४ व २७० अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की विद्यालयों द्वारा खोले गये छात्रवृत्ति के संयुक्त खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जा चुकी है जिसकी स्वीकृति/वितरण विद्यालय स्तर पर किया जा रहा है।

जी हां। जिनको वर्ष ८८-८९ व ८९-९० में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें मिल गयी है। वर्ष १९९०-९१ की सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष १९९१-९२ में ६२४ छात्र/छात्राओं को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है। इसका शीघ्र भुगतान विद्यालय सतर पर सुनिश्चित कराया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २१२ पर)

वर्ष १९९०-९१ में निराश्रित विधवाओं/विकलांगों की सहायतार्थ दी गयी सुविधा की जानकारी

१७९—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निराश्रित, विधवा/विकलांग को लाभान्वित करने का लक्ष्य वर्ष ९०-९१ में कितना था और कितने विधवा/विकलांगों को लाभान्वित किया गया? क्या लक्ष्य की पूर्ति शत प्रतिशत संबंधित अधिकारी द्वारा की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

वर्ष ९०-९१ में निराश्रित विधवाओं एवं निराश्रित विकालांगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य क्रमशः २,४६,४७२ और ५७,६८९ था।

४६ जनपदों में लाभान्वित हुए निराश्रित विधवाओं एवं निराश्रित विकलांगों की संख्या क्रमशः १,६६,८८७ तथा ३९,०७४ रही शेष जनपदों की सूचना एकत्र की जा रही है।

लक्ष्य पूर्ति उपर्युक्तानुसार की गयी।

आवेदन-पत्रों का अपूर्ण होना, लाभान्वितों की मृत्यु, अपात्रता तथा धनादेशों का वापस आना आदि है।

जनपद लखनऊ के ग्राम जहानाबाद, पोस्ट बन्थरा के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृति के संबंध में

१८०—श्री गिरधारी लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन उप मंत्री श्री शैलेन्द्र कुमार के पत्रांक ७८ वी आई पी/डी एम एच एस वी/८९, दिनांक १६-३-१९८९ जो जनपद लखनऊ के ग्राम जहानाबाद, पोस्ट बन्थरा के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में था, प्रबन्ध निदेशक, हरिजन निर्बल आवास निगम को भेजा गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? क्या कार्यवाही शेष है तथा इसे कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र निगम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र की अनुपलब्धता के कारणों की जांच के आदेश निगम को दिये गये है।

जनपद गोण्डा के ग्राम गुरसड़ा में गाटा संख्या-४१७ ग्राम सभा की जमीन व आम रास्ते का अमलदरामद व पैमाइश

१८१—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ऊदल, श्री विश्वनाथ व श्री चन्द्रभान मौर्य, सदस्यगण, विधान सभा का पत्र दिनांक २८-८-९०, ३१-३-९० व २१-८-९१ के साथ संलग्न विधान

सभा के द्वितीय सत्र १९८५ के दूसरे शुक्रवार के लिये श्री हर्षवर्धन, विधायक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–७६ के उत्तर की छाया प्रति एवं श्री बाबूराम, राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, परगना–पहाड़ापुर, तहसील-करनैलगंज, जनपद-गोण्डा का पत्र जिसमें गाटा संख्या–४१७ ग्राम सभा की जमीन व आम रास्ते के अमलदरामद व पैमाइश के संबंध में शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा उल्लिखित शिकायतों के निराकरण व नक्शा तथा रिकार्ड में अमलदरामद हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी? आम रास्ते की पैमाइश के समय स्थानीय पुलिस के समक्ष विवादित भूमि से सरहद अलग कर गांव वालों को कब्जा दिलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

आम रास्ते सहित गांव सभा तथा विवादित भूमि की पैमाइश की जा चुकी है। सम्प्रति मौके पर कोई विवाद नहीं है। आम रास्ते से गांव वालो का आवागमन निर्वाध जारी है। चूंकि आम रास्ता अभिलेखों में अंकित नहीं है इसलिये अमलदरामद का प्रश्न नहीं उठता। पैमाइश के समय मौके पर शांति भंग की कोई सम्भावना नहीं पायी गयी।

चकबन्दी विभाग में जुलाई, १९८४ में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य लाभों को दिलाने के संबंध में विस्तृत जानकारी

१८२– कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं जो जुलाई, १९८४ में सेवा निवृत्त हो गये हैं किन्तु उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली? क्या सेवा निवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले अन्य लोगों से भी उनको वंचित रखा गया है? यदि हां, तो सरकार ने उनको पेंशन तथा अन्य लाभों को दिलाने के संबंध में क्या प्रयास किये हैं?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

३१ जनपदों में बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा ६ जनपदों में संयुक्त/उप/सहायक संचालक चकबन्दी इकाइयों से प्राप्त सूचना के अनुसार ५ अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और उन सभी को पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। शेष जनपदों की इकाइयों की सूचना अभी प्रतीक्षित है।

जी नहीं.

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज के पत्र पर कार्यवाही

१८३–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड कोटद्वार गढ़वाल को श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज ने पत्रांक १२४/पी० सी०/दि० जून २९, १९९१ को एक पत्र देवी मंदिर से कौड़िया मोटर मार्ग के सतह लेपन एवं देवी रोड पर एक पुलिया के टूट जाने के संबंध में दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां। मा० विधायक का आशय कदाचित् अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कोटद्वार को प्रेषित श्री जगमोहन भारद्वाज के पत्रांक १२४/पी० सी०, दिनांक २८ जून, १९९१ से है।

कृत कार्यवाही निम्नवत् है :—

(१) कथित देवी रोड मार्ग के प्रथम किमी० में पद्म सिंह भवन के पास टूटी पुलिया की मरम्मत सितम्बर, १९९१ में करा दी गयी है।

(२) देवी मन्दिर से कौड़िया मार्ग की लम्बाई १.४ किमी० है। इसका पुनः लेपन वर्ष १९९० में कराया गया था। मार्ग की स्थिति सन्तोषजनक है।

(३) बालासौड़ रतनपुर मोटर मार्ग, जिसकी लम्बाई १.३३ किमी० है, के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक २-१-८४ द्वारा प्रदान की गयी थी। मार्ग को एक किमी० की लम्बाई तक सतह लेपन स्तर तक मार्च, ९० में पूर्ण कर दिया गया है। शेष ०.३३ किमी० में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं हो सका है।

जनपद फतेहपुर में स्थित गंगा नदी के डेल्टाई मैदान का राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद रायबरेली में न करके फतेहपुर में ही किये जाने की मांग

१८४—श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में स्थित ग्राम लंहगी से ग्राम कोटिया से ग्राम गलाथा तक तटवर्ती गंगा नदी के डेल्टाई मैदान जो फतेहपुर जनपद में स्थित है, उसका राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद रायबरेली में है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या निकट भविष्य में उक्त डेल्टाई राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद फतेहपुर से ही किया जायेगा? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में समस्त ग्रामों की सीलिंग पट्टेदारों की सूची में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी लापरवाही की जांच हेतु जिलाधिकारी को आदेश

१८५—श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि निघासन तहसील, जनपद लखीमपुर खीरी के अधिकारियो एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समस्त ग्रामों की सीलिंग पट्टेदारों की सूची अपर जिला अधिकारी (खीरी) के कार्यालय में गत वर्ष न भेजे जाने के कारण सीलिंग पट्टेदारों को सीलिंग सेक्टर का अनुदान नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी शीघ्र ही उक्त तहसील के समस्त सीलिंग पट्टेदारों को अनुदान दिलाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बांदा, जिला कारागार के कृषि फार्म से उत्पादन एवं आय व्यय का ब्योरा

१८६–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कारागार, बांदा के कृषि फार्म में उत्पादन किया जाता है? यदि हां, तो १९८५ से जून, १९९१ तक आय एवं व्यय का ब्योरा क्या है? क्या कारागार बांदा के बंदियों के वर्षवार गल्ला, सब्जी एवं तेल के खर्चों की पूर्ति कृषि फार्म की पैदावार से हो जाती है? यदि नहीं, तो क्या इसकी पूर्ति टेन्डर से होती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सब्जी की पैदावार जेल के उपभोग से अधिक होती है? यदि हां, तो कितने मूल्य की?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां।

अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये आय-व्यय के ब्योरा की पुष्टि की जा रही है।

जी नहीं। बन्दियों के भोजन के लिये गेहूं तथा चावल भारतीय खाद्य निगम से तथा दालें व तेल आदि खाद्य सामग्री उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से क्रय की जाती हैं।

उपभोक्ता भण्डार से दाल व तेल आदि खाद्यान्न उपलब्ध न होने पर स्थानीय बाजार से सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर दर पर अच्छी किस्म की सामग्री का क्रय किया जाता है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम-३०१ की सूचनायें पढ़ दूं।

एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, पहले आप उसे सुन लें।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्रश्नों के संबंध में मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले प्रमोद जी उसके बाद चौधरी जी बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३३ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।

मान्यवर, संविधान के अनुसार जब से विधान सभा का गठन प्रारम्भ हुआ है, तब से इस विधान सभा में हमेशा आंग्ल-भारतीय समुदाय का एक प्रतिनिधि नामित होता रहा है और तभी यह सम्पूर्ण विधान सभा का गठन होता रहा है। यह तथाकथित काम करने वाली सरकार, जो इन्साफ की बात करती है, जिसका नाइन्साफी ही पहला और आखिरी कदम होता है। इस सरकार ने ८ महीने बीत जाने के बाद भी आज तक एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्य को नामित नहीं किया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार तत्काल एक आंग्ल इंडियन कम्युनिटी का प्रतिनिधि निर्देशित करें। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि जो एसोसियेशन ने नाम दिया है, उसे करने में इन्हें क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष–

यह बात महामहिम राज्यपाल से संबंधित है, इसलिये शासन आपकी बात को संज्ञान में ले लेता है, इसके अतिरिक्त मेरे लिये कुछ करना सम्भव नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि मनोनयन राज्यपाल जी करते है और राज्यपाल को निर्देश देना सम्भव नहीं है।

पालनीय नियमों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम २८६ की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम–जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, का इसमें विवेचन है। आज सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ टीका-टिप्पणी कर रहे थे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पीछे माननीय शुक्ला जी बैठे हैं। नियमों में यह प्राविधान है कि किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालें। इसका उन्होंने उल्लंघन किया है। इसकी उपधारा (६) में लिखा है "सदैव अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित करेंगे।" इसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है। उपधारा (९) में लिखा है "कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे।" श्री शुक्ला जी ने इसका भी उल्लंघन किया है। आप कार्यवाही देख लें। जिस समय अध्यक्ष पीठ पर अधिष्ठाता जी बैठे थे तो हमारी तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि राम की राह में ये बाधा डाल रहे हैं। रोटी में श्री प्रमोद तिवारी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बाधा डाल रहे हैं। मन्दिर के नाम पर आप जीत कर आये हैं। पूरा मंत्रिपरिषद् अयोध्या गया। यह कहा राम लला हम आये हैं मंदिर यहां बनायेंगे। पूरी शक्ति इनके पास है, इनकी सरकार है, फिर भी ये मन्दिर खुद नहीं बनवा पा रहे हैं। इस तरह के गलत आरोप हम पर और इन पर (प्रमोद तिवारी की तरफ इशारा करते हुए) आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार श्री शुक्ला जी ने ४-४- व ५-५ बार टोका-टोकी करके कार्यवाही में व्यवधान डाला है, जिससे नियम २८६ का उल्लंघन हुआ है कल आपने हमें बाहर निकाल दिया। खुद मन्दिर तो बनवा नहीं पा रहे हैं और दोषारोपण कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। इसका मैं खण्डन करता हूं। इस पर आप व्यवस्था दें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री दीक्षित जी की बात पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने अभी ३० हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं प्रदेश सरकार को दिया है। अब इनको अपने संसाधन सुधारने चाहिए । इनकी तो आदत पड़ गयी है कटोरा लेकर मांगने की । केन्द्र सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, श्री दीक्षित जी ने नियम २८६ की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। उनका ध्यान इधर बैठे श्री राम कुमार शुक्ला जी की तरफ ही गया, अच्छा होता अगर इनका ध्यान कुछ और माननीय सदस्यों की तरफ भी चला जाता। मुझे आश्चर्य होता है कि राम के नाम से इन्हें चिढ़ क्यों हो गयी है। बैठे-बैठे तो कई कमेन्ट्स होते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

राम मन्दिर के निर्माण की बात उन्होंने कही, चिढ़ की कोई बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य का नाम ही राम कुमार है तो मैं क्या करूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, राम के नाम का व्यापार हो रहा है। राम का आदर ये भी करते हैं और हम भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदन के अन्दर कोई व्यापार नहीं होता। आदर करने की बात होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि श्री दीक्षित जी ने नियम २८६ की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, बहुत अच्छा काम किया। मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इतना अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की, यह जो आवंटन हुआ है वह एडहाक आवंटन हुआ है। आवश्यकता है तीन लाख मीट्रिक टन की, दिया है ३० हजार टन। इस गेहूं को भी हम वितरित करेंगे। दूसरा, यह कि जो लेवी का गेहूं है, उसके दो दाने को खर्च करने का हमें अधिकार है। यदि आप यह अधिकार हमें दिला दें तो हम आपके आभारी रहेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चूंकि नाम ले लिया इसलिये आवश्यक हो गया कि मैं एक स्पष्टीकरण ले लूं। केन्द्र सरकार कहीं गेहूं तो उगाती नहीं ।

(श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

सिद्दीकी जी आपको सुनूंगा बाद में, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

केन्द्र के पास एक पूल होता है जो राज्य सरप्लस होते हैं उसे लेकर जहां कमी है वहां आपूर्ति की जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मुनाफाखोरी को बढ़ाने के लिये गेहूं की लेवी का लक्ष्य पूरा नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ केन्द्र सरकार बिना लक्ष्य पूरा किये इनको ३० हजार एम० टी० गेहूं दे रही है। तो मेरा मात्र इतना निवेदन है कि पहले अपना कर्तव्य पूरा करें तब अधिकार की बात करें। चोर बाजारी गेहूं की बढ़ाने के लिये यह लेवी समुचित रूप से नहीं कर रहे हैं इसलिये इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नियम २८६ का उल्लेख करते हुए माननीय हृदय नारायण जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संबंध में व्यवस्था दे दूं। यह सदन नियमानुसार चलता है इसको बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, यह सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले इसको भी बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मरघट की शांति की किसी से अपेक्षा नहीं है। लेकिन शांतिपूर्ण, अनुशासित और जीवंत रूप में यह सदन चले इसलिये थोड़ी बहुत फुसफुसाहट में कोई अपनी बात कहना चाहता है तो कहनी चाहिये। आपस में संयत भाषा का प्रयोग करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे यही अपेक्षा है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी का नाम पुकारने पर)

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आपने कहा था मेरी बात सुनेंगे उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आपकी बात सुनूंगा, मुझे स्मरण है मैं आपको समय दूंगा।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग नये सदस्य हैं हम लोग बहुत कम प्रश्न करते हैं। तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न होते हैं उनमें हम लोगों के बहुत कम प्रश्न होते हैं और बड़ी मुश्किल से आते हैं। आज मेरा नवें नम्बर पर प्रश्न था और आपने आठवें नम्बर पर प्रश्न काल समाप्त कर दिया। हम अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ पाते। तो जो नये सदस्य हैं उनके निरन्तर जो प्रश्न लगे हों उन्हें भी सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिद्दीकी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन सभी प्रश्नों की ओर जो आपने समय-समय पर किये। मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत ही सुसंगत प्रश्न आपने पूछे। मैं यथासम्भव प्रयास करता हूं कि आपको समय दूं। मैं आपके दल की भी प्रशंसा करता हूं कि जो बात करते हैं वह तर्कपूर्ण होती हैं। मैं भविष्य में भी यथासम्भव प्रयास करूंगा आपको समय दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है लेकिन प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नकाल समाप्त होते ही उठाया जाता है। मैंने भी प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा लेकिन आपने दूसरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया तो कम से कम आप तो नियमावली की जो बात करते हैं उसके अनुसार चलें मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज नत्थी "ग" पर माननीय राम आसरे वर्मा जी का प्रश्न था वह उपस्थित नहीं थे मैंने कहा कि इसमें सदन की दिलचस्पी है। आप शायद बीच में आसन से उठ कर चले गये। माननीय अधिष्ठाता से अपनी बात कहने से छूट गयी। आपने कहा था हम इसको लेंगे आप कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था, मुझे याद है। प्रश्न काल समाप्त हो गया वह रह गया। (व्यवधान) वह प्रश्न अगले दिन आ जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अगले किसी दिन आ जाय इसकी व्यवस्था कर दें मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न माननीय चौधरी जी २० तारांकित हो जाते तो उसके बाद ले लेते (व्यवधान) अगले दिन ले लेंगे।

सदन में भाषा विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रश्नकाल के दौरान, बहस के दौरान, इस सदन की भाषा क्या होगी, इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूं? भाषा हिन्दी हो तो क्या अंग्रेजी, या उर्दू या और कोई भाषा है जिसे यहां बोला जा सकता है? जैसा कि प्रश्नकाल में माननीय लोक निर्माण मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अपने पूरे उत्तर में "फ्रीज" शब्द का प्रयोग किया जिसको हमारे बहुत से माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि उसका क्या मतलब होता है? (व्यवधान) इस सरकार के लोगों ने पहले हिन्दू, हिन्दुस्तान और फिर हिन्दी का नारा दिया था और अब यह सरकार राम, रोटी और इंसाफ का नारा देती है। (व्यवधान) यह सरकार अंग्रेजी बोलकर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है क्योंकि हमारी भाषा हिन्दी है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह जो भ्रष्ट सरकार राम के नाम पर जीतकर आयी है (व्यवधान) और राम औतार यहां खड़े हैं उन्हें बोलने नहीं दे रही है, इसलिये समुचित व्यवस्था करें और आप निर्देश दें कि वह हिन्दी भाषा में यहां बोलें और जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आक्षेप न करें। शांत रहें।

श्री राम औतार शाक्य–

(व्यवधान) मान्यवर, आप अंग्रेजी शब्द को कार्यवाही से निकलवा दें। नियमावली में दिया गया है कि सदन की बोलने की भाषा हिन्दी होगी और मंत्री जी को हिन्दी में ही बोलना चाहिए। इसलिये मंत्री जी को आप निर्देश दें कि वह हिन्दी में ही बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसी भाषा में आ सकते हैं जो सभी समझ लें चूंकि कुछ शब्द बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं। यदि किसी शब्द को नहीं समझ सकें तो स्पष्टीकरण द्वारा जानकारी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य (भाजपा)–

यह सरकार भ्रष्ट है, कहना उचित नहीं है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और हमारे दल के मा० सदस्य श्री राम औतार जी ने अपनी व्यथा सुनाई लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। राम के नाम पर वैतरणी पार करने वाले लोग अब राम का नाम लेने पर अपना धैर्य खो देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री जगदीश मुनि आचार्य–

मान्यवर, हम जनप्रतिनिधि जब प्रश्न पूछते हैं तो शोर होने के कारण उत्तर शोर में डूब जाता है, इसलिये आप व्यवस्था दें कि प्रश्न के समय शोर न किया करें और एक या दो से ज्यादा अनुपूरक प्रश्न न पूछे जायं और जो मा० सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं वह आपको लिखकर दें और वही प्रश्न पूछें, इससे कम समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नियम ३०१ की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक २७ फरवरी, १९९२ को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम ३०१ के अन्तर्गत कुल २५ सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित ७ सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं।

पहली सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह (माननीय सदस्य के न होने पर), दूसरी सूचना श्री कप्तान सिंह यादव (माननीय सदस्य के न होने पर) अन्य माननीय सदस्य उपस्थित हैं, इसलिये जो दो माननीय सदस्य नहीं हैं, इसलिये इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में दी गयी दो सूचनाओं में से उपस्थित सदस्य श्री पूरन प्रकाश की सूचना को स्वीकार किया जाता है।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद जिले के अपर जिलाधिकारी, समाज कल्याण द्वारा मा० उच्च न्यायालय एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना पर उन्हें दण्डित किये जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम सेवक सिंह–

[मान्यवर, श्री वी० के० दीक्षित इलाहाबाद जिले में तीन-चार वर्ष से अपर जिलाधिकारी, समाज कल्याण के पद पर कार्यरत थे। इस बीच इनके द्वारा काफी अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किये गये, जिनके आधार पर इनका स्थानान्तरण दिनांक ३० जुलाई, १९९१ को बलिया करा दिया गया था किन्तु इन्होंने पैसे के बल पर अपना स्थानान्तरण फिर रुकवा लिया। इस रुके हुए स्थानान्तरण जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २९-११-९१ को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया किन्तु यह अधिकारी इसके बावजूद भी बलिया योगदान करने नहीं गया और अभी तक माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन दोनों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करता चला आ रहा है।

शासनादेश दिनांक ९-७-९१ में ऐसी व्यवस्था है कि स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाय किन्तु अभी तक इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शासनादेशों की अवहेलना करने वाले इस अधिकारी को निलम्बित करके इसके क्रियाकलापों की उच्च स्तरीय जांच करवायी जाय।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत मनियर में ३३ के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के कार्य न करने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री मारकण्डेय–

[मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उक्त विद्युत उपकेन्द्र के पांच ब्रेकर्स खराब हो जाने से विद्युत आपूर्ति लगभग ठप्प होने के कगार पर पहुंच गयी है। उप केन्द्र मनियर के कमाण्ड क्षेत्र में एक नोटीफाइड एरिया तथा एक छविगृह तथा दो कोल्ड स्टोरेज हैं इसके अलावा नोटीफाइड एरिया मनियर में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं अतएव अगर तत्काल प्रभाव से विद्युत उपकेन्द्र मनियर के ब्रेकर्स नहीं बदले गये तो सभी उद्यमियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा साथ ही इस केन्द्र से जुड़े सभी गांवों के किसान प्रभावित होंगे, अगले कुछ दिनों में किसानों को मड़ाई कार्य भी करना पड़ेगा जिसके लिये अगर ब्रेकर्स नहीं बदले गये तो किसान भी इससे प्रभावित होंगे जिससे कि किसानों का दोहरा नुकसान होगा उक्त समस्या को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है।

अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि उक्त विद्युत उपकेन्द्र के ब्रेकर्स को जनहित में तत्काल प्रभाव से बदलवाने का कष्ट करें।]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रदेश के पर्वतीय एवं जनजातीय विकास खण्डों में अभी तक लागू न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना चौहान–

[मान्यवर, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना की घोषणा माह जनवरी में कर दी गयी थी। उत्तर प्रदेश के जनपद देहरादून के जन जातीय विकास खण्ड कालसी व चकराता इस योजना में सम्मिलित हैं। इन विकास खण्डों में उक्त योजना को १ फरवरी, १९९२ से लागू किया जाना था परन्तु अभी तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षं नहीं किया

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश सरकार द्वारा उक्त योजना को इन विकास खण्डों में लागू नहीं किया गया है। इन विकास खण्डों की जन जातीय आबादी को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है जिस कारण लोगों में रोष व्याप्त है क्योंकि उन्हें खाद्य पदार्थों को खरीदने में गम्भीर कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। चूंकि प्रदेश सरकार द्वारा आज तारीख तक योजना को लागू नहीं किया और बीच में काफी समय बीत गया है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं।]

जनपद बांदा में परिवहन निगम में परिचालक के पद पर कार्यरत ग्राम प्रधान, इछावर द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की जा रही धांधली के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विशेष गम्भीर विषय की तरफ करना चाहता हूं। जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम सभा इछावर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि को फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान किया गया है तथा शासन के मानक के विरुद्ध कार्य कराया गया है, कार्य की जांच टी० ए० सी० द्वारा कराना अति आवश्यक है।

विशेष गम्भीर बात तो यह है कि रमाकान्त तिवारी, प्रधान ग्राम सभा इछावर, ब्लाक जसपुरा, जनपद बांदा में कार्यरत हैं तथा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम शाखा बांदा में रमाकान्त शुक्ला के नाम से कार्यरत थे ये बहुत ही गम्भीर मामला है इसमें सरकार को धोखे में रखा गया है तथा दण्डनीय अपराध दर्ज कराकर जेल भेजा जाय एवं सरकारी धन की वसूली की जाय।]

जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र गोपालपुर में पक्की सड़कें एवं पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री दल सिंगार–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर में सड़कों का अभाव है और पिछले सालों में जो भी राज्य सेक्टर से सड़कें तथा पुल स्वीकृत थे या तो उन पर कार्य ही नहीं चालू कराया गया या फिर अधूरे पड़े हैं कुछ के नाम का उल्लेख कर रहा हूं।

मुंडीलपुर से देवाराजदीद, जोड़वाबर सड़क को पक्का नहीं कराया गया है, पक्का कराया जाय। नरोत्तमपुर चौरासी कौड़िया मार्ग अधूरा पड़ा है, अविलम्ब बनवाया जाय। सेहदा खरूद्दीनपुर आजमपुर बहुत दिनों से मार्ग अधूरा पड़ा है, पेंटिंग स्तर तक पूरा कराया जाय। बनकटछीही खालिसपुर जैगहा मार्ग को तुरन्त पूरा कराया जाय। सिंघवारा छोट सरजू नदी पर पुल और ग्राम सिंघवारा टेढ़वा गोल्हिया से अमानी मार्ग को लेपन स्तर तक पूरा कराया जाय। इन मार्गों तथा पुलों के निर्माण न होने से क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त मार्गों को बनवाने एवं अधूरे कार्यों को पूरा कराने एवं विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ३९वां तथा ५७वां वृत्त खण्ड में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में हो रहे गतिरोध के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

* श्री पूरन प्रकाश–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ३९वां तथा ५७वां वृत्त में कार्यरत/कार्य कर चुके हजारों तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की क्रमशः १९८६-८७ तथा १९९०-९१ की वार्षिक प्रविष्टियां तत्कालीन अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अभी तक नहीं की गयी है जिसके कारण फरवरी/मार्च, १९९२ में की जानेवाली पदोन्नतियों हेतु उक्त वृत्तों से कर्मचारियों के नाम प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को नहीं भेजे जा रहे हैं इसलिये तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां यथाशीघ्र करायी जायं ताकि कर्मचारियों में व्याप्त रोष समाप्त हो जाय।]

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२ एवं उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त–

(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा

(२) उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९२, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९२, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २१ फरवरी, १९९२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को वापस प्राप्त हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २१ फरवरी, १९९२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या ६, ७, ८, ९ में कोई सूचना नहीं है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियो के अनुपस्थित रहने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, हम देख रहे हैं कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है माननीय मुख्य मंत्री जी गायब हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मान्यवर, व्यवस्था यह रही है कि जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो, या आम बजट पर चर्चा हो रही हो, मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अधिकारी लाबी में बैठेंगे लेकिन इस सरकार के आते ही जितनी भी पुरानी परम्परायें रही हैं, उनको एकदम से समाप्त किया जा रहा है। चर्चा का क्या मतलब है? राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा होती थी तो जो भी माननीय सदस्य कहते थे उसको नोट करके उसे अन्डर लाइन किया जाता था। लेकिन मान्यवर, इस सरकार के आने के बाद यह एक नया परिवर्तन आया है।

श्री अध्यक्ष–

इससे पहले कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात आगे हो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। इससे चर्चा के मध्य वह माननीय मंत्रीगण की सहायता कर सकते हैं। जो आलोचना होती है उसकी वह टिप्पणी लिख सकते हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो आपने निर्देश दिये हैं वह शिरोधार्य हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं संसदीय परिपाटी यह भी है कि गैलरीज की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। गैलरी में क्या हो रहा है यह ध्यान नहीं देते हैं। एक बात मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक विभाग से एक-एक प्रतिनिधि यहां हैं इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गयी है फिर भी जो पहली बात कही गयी है उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह आंखें मूंदकर बैठ सकते हैं, लेकिन विपक्ष आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकता है उसकी आंखें चारों तरफ रहती है। इस सरकार ने रामराज्य का नारा देकर सत्ता सम्भाली। राज्यपाल का अभिभाषण आप देख रहे हैं इसमें रोना रोने के अलावा कोई बात नहीं कही गयी है। यह रद्दी के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। इस विधान सभा में किसी राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा नहीं देखा गया है इस अभिभाषण में न कोई दिशा है, न कोई संसाधन है न कोई नीति है। जैसा कि श्री प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा था कि इसमें पूरी तरह से केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। जब सब कुछ केन्द्र सरकार से ही संबंधित है तो फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा किसको सुनाई जाये। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का इंतजाम भी फिर लोक सभा में ही कर देते। मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है, सत्ता में जबसे यह लोग आये हैं किसान परेशान हैं केन्द्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिये, इसमें इनकी भी तो स्वीकृति थी। इसका सही वितरण हो यह तो यह सुनिश्चित कर सकते थे। अलग से अनुदान दे सकते थे। पिछली सरकार ने दाम न बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव डाला था, तो यह ऐसा तो कर सकते थे। इस सदन में श्री मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार को खाद के दाम नहीं बढ़ाने दिये जायेंगे। २८ करोड़ रुपये सब्सिडी के अलग से केन्द्र सरकार को दिये। प्रदेश के खाद के दाम नहीं बढ़ाये गये थे। मान्यवर, धान का उत्पादन पिछले दस सालों में सबसे कम हो गया। बिजली के दाम बढ़ा दिये। हमारे यहां के जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका कुटीर उद्योग करघा है उनको इससे परेशानी हुई। जो बुनकर हैं वह भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। राम राज्य का दावा करते इनको शर्म नहीं आती है। अगर इस तरह का राम राज्य होता तो महात्मा तुलसीदास रामायण न लिखते।

(मेजें थपथपाई गईं)

इनकी सरकार ने राम राज्य को कलंकित किया है। वर्तमान सरकार ने इस प्रदेश की सरकार ने, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग धर्म के नाम पर रोजी रोटी चाहते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग कभी भले नहीं हो सकते हैं। वह देश की अखंडता, एकता के साथ मजाक करते हैं। सभी धर्मों में सभी पंथों में समानता की बात कही गयी है। इस प्रदेश में इस सरकार ने नफरत फैलाकर, आपसी तनाव फैलाकर, राम के नाम को खुदा से अलग कर, राम और खुदा के दो रूप कर दिये हैं। राम, खुदा, गाड, गुरु नानक सब एक हैं। हर धर्म के महापुरुषों ने सही रास्ता दिखाने को प्रेरित किया है। लेकिन इस सरकार ने राम हिन्दू का और मुसलमान का है ऐसा कर दिया। जबकि राम, खुदा, गाड, गुरुनानक सब एक ही शक्ति हैं बस नाम अलग-अलग रख दिये गये हैं। जो पार्टी जो व्यक्ति और जो सरकार ऊपर वाले का

---

† दिनांक १३-२-९२ की कार्यवाही के क्रम मे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलग-अलग नाम देकर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करेगी वह पार्टी वह सरकार इस देश की दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है। ऐसी इंसानियत की दुश्मन सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं और उसी प्रकार का अभिभाषण हमें मिला है। मान्यवर, ७-८ महीने इनको सरकार में आये हो गये हैं लेकिन एक भी काम नहीं बता सकते हैं जो आम जनता की भलाई का काम ही रहा हो एक भी काम जनता की भलाई का नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार को गाली देते आये हैं लेकिन हमारी सरकार ने आम जनता की भलाई के काम किये हैं। इस प्रदेश की तरक्की के लिये काम किये थे। इतने काम किये थे कि एक आदमी उनको गिना नहीं सकता है। जब आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप काहे के लिये आये? आप क्या रामधुन करने के लिये आये हैं? आपके पास न कोई नीति है न कोई दिशा है। आपके पास सिर्फ आपस में लड़ाने का कार्यक्रम है। यह गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर ला रहे हैं। सन् १९४९ का जो मामला, अयोध्या का मामला दफन हो चुका था जिसको हिन्दू-मुसलमान भूल चुके थे उसको आपने उखाड़ा। जिस मामले का वार्ता द्वारा शांतिपूर्वक रास्ता निकल सकता था उस गड़े हुए मुर्दे को लाकर लोगों के सामने आपने खड़ा कर दिया और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी। आपका न कोई आर्थिक कार्यक्रम है और न कोई सामाजिक कार्यक्रम है और न प्रदेश को आगे ले जाने का कार्यक्रम है। सिर्फ गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर जनता के सामने रखकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सरकार बना ली। मान्यवर, दूसरा आपने गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ा है, १९५० में जब संविधान लागू हुआ तो धारा ३७० को सब लोगों ने अंगीकृत किया। आपने जो वादे किये उनको तो पूरा नहीं कर पाये इसलिये कश्मीर में धारा ३७० को खत्म करने की बात कही और उसको लेकर रैली निकाली। उसमें उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन और सरकारी तंत्र और सरकारी धन खर्च किया गया। आप यह दूसरा गड़ा हुआ मुर्दा लेकर आ गये, आप बड़े देशभक्त हैं। कश्मीर आज आतंकवादियों की पूरी तरह से चपेट में है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी होशियारी से अनेकता में एकता का रास्ता निकाला था ताकि सभी प्रान्त दिल्ली में विश्वास रखें। आप धारा ३७० को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आप धारा ३७० को खत्म कर देंगे तो कश्मीर अगर कल अलग हो रहा होगा तो आज इस देश से अलग हो जायगा। आज जो वातावरण है उसमें आप किसी पर बन्दूक और संगीनों के बल पर राज नहीं कर सकते हैं केवल एक दूसरे के दिलों को जोड़कर ही राज कर सकते हैं। कश्मीर को देश से जोड़ना है तो वहां के लोगो के दिल जोड़ने के लिये प्यार और मुहब्बत का रास्ता निकालना होगा। जब पाकिस्तान बना तो मि० जिन्ना जब १९५० में पाकिस्तान की बात करने कश्मीर गये, जहां मुसलमानों की ९० फीसदी आबादी है, तो हवाई अड्डे पर [xxx] गयी। उन्हीं मुसलमानों को आज साबित किया जा रहा है कि वह गद्दार हैं।

हिन्दू मुसलमानों को लड़ाकर क्या यह देश एक रह सकेगा? मुसलमानों की तादाद १५ करोड़ है। इन १५ करोड़ मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से अलग करके आप चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे, यह नामुमकिन है। जब हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई की तरह रिश्ता बनाकर रहेंगे तो देश में एकता रहेगी। यदि कोई पार्टी, कोई सरकार इनको अलग करने की कोशिश करेगी तो वह सरकार देश और कौम की गद्दार पार्टी और गद्दार सरकार होगी जो हिन्दू-मुसलमान को अलग करके इस देश की एकता का सपना देखेगी। हिन्दू-मुसलमान जिस दिन लड़ने पर आमादा हो जायेंगे उसी दिन इस देश का नक्शा जो आज है वह नहीं रहेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी धर्मों को समान आदर देने की

नोट:-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बात सबसे पहले संविधान में कही है। संविधान की परवाह किये बिना वोटों के लालच में हम आज किस रास्ते पर जा रहे हैं। आज जो नीति और दिशा सरकार की है उसको देखकर आश्चर्य होता है। श्रीमन्, भयमुक्त समाज बनाने का नारा हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिया है। आज इतना भय मुक्त समाज है, समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपराधी और माफिया घोषित करके और लोगों को फर्जी मुकदमों में फांस कर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन कितना भयमुक्त समाज हुआ, कितनी निष्पक्ष कार्यवाही की। जो बनारस में घटना हुई, नजीर बनारसी के भतीजे के साथ हुआ, इतिहास में उसकी कोई मिसाल है ? हापुड़ में दंगा हुआ, कोई कारण था ? जलालपुर में जो हुआ, साम्प्रदायिक ताकतों ने लूट-पाट की, क्या इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी ? श्रीमन्, इस तरह से प्रदेश की जनता के साथ, बल्कि देश की जनता के साथ साम्प्रदायिक सद्भाव को खत्म करके जो राष्ट्र के विखंडन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। अपनी कोई तारीफ नहीं है। कौन सा काम किया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। आगे क्या करने जा रहे हैं, इसका जिक्र नहीं है। केन्द्र सरकार ने योजना व्यय में कटौती कर दी, फलां सहायता नहीं दी, यह रोना है। राज्यपाल का अभिभाषण साल भर के लिये प्रदेश की तरक्की के लिये एक तरह से दिशा निर्देश होता है। उसमें प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें दिखायी जाती हैं। उसका कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र का रोना है। इसलिये राज्यपाल के अभिभाषण पर अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं ऐसा कर दें कि यह सरकार अपनी तरफ से खेद प्रकाश करे। सबसे रद्दी राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करके राज्यपाल के श्रीमुख से हम लोगों को सुनाने के लिये खेद प्रकट करे। श्रीमन्, संविधान का अनुच्छेद ४३ देखें, उसमें सब तरह से दिया है कि राज्य सरकार विशेष तौर से अपने प्रदेश के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। हमारे यहां कुटीर उद्योग सबसे ज्यादा हथकरघा के हैं। मऊ, टांडा सब जगह आप देखें कि असंतोष फैला है। स्पिनिंग मिलें बन्द हो रही हैं। सूत का दाम बढ़ा है। माल की खपत नहीं हो रही है और सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मुख्य मंत्री जी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, न सरकार के किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया होगा। क्यों ध्यान दें वहां भी तो ज्यादातर मुसलमान हैं।

सरकार से बाहर रह कर विपक्ष में वोट के लिये इतनी बात करते तो हमको इतना पछतावा, तकलीफ न होती लेकिन सरकार में आने पर संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार के काम करने के कुछ मान्य तरीके हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आपने उनकी अवहेलना की है। सिर्फ एक प्रचार किया राम मंदिर जरूर बनायेंगे, ८ मास हो गये, तब सबर नहीं हुआ था कि एक दो महीने की मोहलत दे देते, अब आठ माह हो गये, कौन सा तीर मार लिया। कोई नींव खोदी जा रही है, साम्प्रदायिक दंगे फैलें और इनकी राजनीतिक रोटी सिके, इसलिये कहा जा रहा है कि राम दीवार बनायी जा रही है। राम मंदिर दूर रहा, अब राम दीवार बनाई जा रही है। पूरे देश की एकता बनी रहे तो पूरा देश एक मंदिर बन जाय तो अच्छा होगा, सिर्फ अयोध्या में एक मस्जिद तोड़ कर मंदिर बना लें और राष्ट्रीय एकता न रहे, यह अच्छा नहीं होगा। ऊपर से कोई खतरा आ जाता है कि कहीं हमारी सरकार बर्खास्त न कर दी जाय तो कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में चुप रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में जायेंगे तो कहेंगे कि राम मंदिर बनाकर रहेंगे और जितना बदनाम किया है वर्तमान सत्तापक्ष ने राम को, शायद इतिहास में इतना राम के नाम को किसी ने बदनाम नहीं किया होगा। श्री मुलायम सिंह जब शपथ लेकर आये तो हम लोगों ने श्री मुलायम सिंह का नाम लिया तो उनके मुकाबले में जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिये।

एक किस्सा मैंने सुना था, वह आपको बता देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कृष्ण भगवान जी आये यहां पर चुनाव के समय में, वे जनता दल पार्टी में गये वहां पर पूछा कि यहां पर क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद प्रधान मंत्री बनते हैं, मुख्य मंत्री बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है,तो उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गये, उनसे कहा कि क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब उन्होंने कहा कि चलिये आप कमरे के अन्दर, फिर उनके सिर की नाप लेने लगे, उन्होंने कहा कि नाप क्यों ले रहे हैं ? उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में जो सोचने-समझने की शक्ति है, उसका जायजा ले रहे हैं, तो मान्यवर, ये जो सोचेंगे, वही ये बोलेंगे, उससे चाहे प्रदेश का भला हो रहा हो या नहीं। मान्यवर, ८ महीने के इनके कार्यकाल में प्रदेश ८ वर्ष पीछे चला गया और माननीय मुख्य मंत्री जी रोना रोते हैं। सरकार में आप इसलिये नहीं आये हैं कि आप पैसे के लिये रोना रोयें। जनता ने आपको इसलिये भेजा है कि आप पैसे का इन्तजाम करें और काम भी करें। काम कुछ भी नहीं करें, इसलिये आपको जनता ने नहीं भेजा है। जो विकास की गति थी, उसके मुकाबले गति कम हुई है। कांग्रेस सरकार में भी एक दिन में १० किलोमीटर सड़क बनने की रफ्तार थी और एक दिन में एक पुल बनने की रफ्तार थी और वही रफ्तार हमारी सरकार में कायम रही। आपके कार्यकाल में सभी प्रदेश के पुल और सड़कें बन्द हो गयीं। श्रीमन्, इस तरह से ८ महीने में ८ वर्ष पीछे प्रदेश को ये ले गये हैं। मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण से प्रदेश में निराशा है । मैं आपके माध्यम से फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार में जो भी आये हैं वह एक दिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री जरूर हुए हैं, इसलिये कुछ करके जाओ, अन्यथा २२१ यहां पर बैठे हुए हो, अगली बार फिर चुनाव होंगे, तो उसमें सिर्फ २१ आने में आपको कठिनाई हो जायेगी। श्रीमन्, इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को हराने के लिये प्रतिष्ठा बना रखी थी, उनके क्षेत्र जसवन्तनगर में जो कुछ भी हुआ है, उसमें उन्होंने प्रतिष्ठा बना ली थी, जसवन्तनगर और तिलहर में पूरी ताकत लगाने के बाद भी सरकार अपनी जमानत भी नहीं बचा पायी, मान्यवर, इससे ज्यादा और लज्जा की बात क्या हो सकती है? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ! मान्यवर, फिर भी इनको होश नहीं आया है। मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण निराशाजनक है।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना दे रहा हूं।

आज सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से, माननीय नेता जनता दल (ब), माननीय नेता जनता (अ) और सचेतक समाजवादी जनता पार्टी तथा अन्य माननीय नेताओं ने वक्ताओं की सूची भेजी है। पहले मैं सत्ता पक्ष से और फिर विपक्ष से बोलवाऊंगा। पहले तो मैं जो सूची आयी है उस सूची में जिन माननीय सदस्यों का नाम दिया है, इसी क्रम में उनको आमंत्रित करूंगा और फिर समय रहेगा, तो अन्य माननीय सदस्य को भी समय दूंगा।

(व्यवधान)

मैं प्रयास करूंगा कि और भी माननीय सदस्य बोल लें।

*श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो सूची मिली है, उसमें जो नाम हैं, वह नाम पढ़कर मान्यवर सुना दें कि उसमें किसका-किसका नाम है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह आप नई परम्परा डाल रहे है।

(व्यवधान)

वह सब आ जायगा, मैंने कहा है कि समय रहेगा, तो अन्य माननीय सदस्यों को भी मौका दूंगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)--

मान्यवर, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय बसन्त लाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत और श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, विपक्ष से जो भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं, राम और रोटी का नाम जरूर लेते हैं। यह इस सदन में यह अच्छी बात है कि भगवान राम पर चर्चा करने का अवसर मिल जाता है और रोटी पर भी चर्चा करने का भी अवसर मिल जाता है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन की बागडोर सौंपी है जिसके मुख्य मंत्री किसान के बेटे ही नहीं स्वयं किसान भी हैं, जिन्होंने खेती में काम किया है और उसका अनुभव प्राप्त किया है, ऐसे मा० कल्याण सिंह जी हमारे मुख्य मंत्री हैं। उनके मंत्रिमण्डल में हर वर्ग के हर क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जिन्होंने शासन के कार्य को सम्भाला है। मान्यवर, जिस समय शासन हमें मिला है, उस समय इस प्रदेश की हालत उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध के बाद भारत की थी। महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष का राज्य महाराज युधिष्ठर को मिल गया जिसमें तमाम लोग हताहत हुए। अब मान्यवर, लोकतंत्रीय युद्ध का काल है। जिसमें लोग जीतते हैं और हारते हैं गत चुनाव में उधर बैठने वाले लोग बुरी तरह से हार गये और महाराज युधिष्ठर की तरह मुख्य मंत्री की कुर्सी माननीय कल्याण सिंह जी को मिल गयी। ४४ वर्ष के शासन काल में उल्टे सीधे कार्य पूर्ववर्ती शासकों ने किये, अपनी पार्टी के हित में शासन और प्रशासन का भरपूर उपयोग किया जिससे उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गयी। मैं धर्म निरपेक्षता का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

६ घण्टे का समय है, आप उत्तर दे दीजियेगा। आप सुनें तो।

श्री अध्यक्ष--

कृपया जो भी कहें, इस पीठ को सम्बोधित होकर कहें।

श्री धनराज यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ही माध्यम से आदरणीय सदन को बता रहा हूं। मान्यवर, थोड़ा बहुत तो विपक्ष की ओर देखना ही पड़ता है, क्योंकि माननीय कैलाश नाथ यादव जी बैठे हैं, बड़े पुराने सदस्य हैं और विद्वान विधायक हैं। मान्यवर, अध्यक्ष जी आपके निर्वाचन के बाद जब श्री कैलाश नाथ जी बधाई में बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि आप सत्य और असत्य में निर्णय करेंगे, धर्म और अधर्म के बीच में निर्णय करेंगे, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही थीं, लेकिन अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये इन महान शब्दों को इधर उधर करते रहते हैं। मा० कैलाश नाथ जी बतायें कि आपने कौन सी धर्म की बात कही थी? मैं गोरखपुर जा रहा था, तो देखा कि एक टैंकर जो वन विभाग का था, उस पर लिखा हुआ था कि वृक्ष लगाना राष्ट्र के नागरिकों का धर्म है। वह भाजपा की सरकार ने नहीं लिखवाया था वह पिछली सरकारों ने लिखवाया था वह इस शासन में भी बना रहेगा क्योंकि हम

तो मानते हैं कि वृक्ष लगाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। धर्म रिलीजन नहीं है, विपक्षी नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता की बड़ी चर्चा की है । कहा गया है कि मंत्रियों ने धार्मिक उन्माद फैलाया है, धर्मनिरपेक्षता की कोई गारन्टी हमने नहीं दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मसम्मत शासन होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति नीतिपरक हो कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए । जो कानून बन जाता है उसके परिपालन में भी निदेश होना चाहिए कि नियमों का पालन करना धर्म है।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संविधान के अनुसार इस भारत सरकार की जो कल्पना की गयी है, वह धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की कल्पना की गयी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी कुछ कहते हैं, वह इस सरकार के प्रति जिम्मेदार है । मान्यवर, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का क्या अन्तर है इन्होंने कहा कि धर्मसम्मत सरकार चलनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हटा दिया जायेगा तो मान्यवर, भारत के संविधान से मूल अंश को हटाया जायेगा तो यह एक तरह से भारत के संविधान के विपरीत कहा गया है। मान्यवर, ये एक मंत्री हैं और शासन में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो मान्यवर, क्या यह सरकार भारत के संविधान के विपरीत काम करेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अभी इसको स्पष्ट कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश बनाने के लिये सरकार का संकल्प है और इसका ऐलान हमारी सरकार के मुखिया ने किया था। मान्यवर, यह खुशी की बात है (जो कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगती।) २३-२४ जून को जब कल्याण सिंह जी ने सत्ता सम्भाली, उसी समय बकरीद थी तब से आज तक सारे हिन्दुओं के त्योहार, मुसलमानों के त्योहार, सिक्खों के त्योहार और इसाईयों के त्योहार शांति से सम्पन्न हुए हैं शायद इतनी शांति से स्वतंत्र भारत के इतिहास में त्योहार कभी सम्पन्न नहीं हुए हैं। बनारस के जिस दंगे की चर्चा विपक्ष के लोग करते हैं, यह दंगा कराने वाले वह लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ, उज्जवल एवं बेहतर छवि अच्छी नहीं लग रही थी इसलिये एक कीचड़ किसी ने उछाल दिया ताकि कहने को हो जाय कि इनमें भी दाग है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विपक्षी सदस्य कहते हैं कि भाजपाई राम के नाम पर आये हैं मंदिर नहीं बनायेंगे, मुझे खुशी होती है कि कम से कम उलाहना में ही सही राम मंदिर के निर्माण के बावत चाहे विरोध में ही कहें, हमको उलाहना देने के लिये या जनता को उकसाने के लिये कहें कम से कम राम मंदिर निर्माण की चर्चा तो करते हैं । वैसे जब हम राम मंदिर बनाने के लिये कोई कदम उठाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में विपक्षी दल हायतोबा मचा देते हैं। मान्यवर, यह कश्मीर की यात्रा भले न करें लेकिन अयोध्या की यात्रा जरूर करते हैं और कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की रक्षा करने जा रहे हैं और जब १०-५ दिन में कोई बात मन्दिर निर्माण विषयक नहीं होती तो यह लोग हल्ला मचाते हैं कि मन्दिर नहीं बनायेंगे।

मान्यवर, कम से कम इस सदन के अन्दर, जिसके द्वारा बने कानून से १४ करोड़ जनता का संचालन होता है, इसमें यह घोषणा कर दें कि हम लोग चाहते हैं कि राम का मंदिर बनाया जाय। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने बराबर यह कहा है कि राम मंदिर निर्माण में जितनी भी बाधाएं आयेंगी उनको हम हटायेंगे। भगवान राम का मंदिर बनना कोई साम्प्रदायिक कार्य नहीं है हमारे यहां नेताओं पर भी फूल बरसाये जाते हैं, नेताओं को माला पहनायी जाती है। पुराने नेताओं की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से लाखों वर्ष पहले के भगवान राम, जिनकी हम पूजा करते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, कुछ समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष––

आप दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री धनराज यादव–

राम मंदिर तो हम बनायेंगे, राम मंदिर निर्माण में जो-जो बाधा है, चाहे वह वैधानिक बाधा हो, चाहे स्थानीय बाधा हो उसे हम दूर करेंगे और जब बाधा दूर करते हैं तो विपक्ष के लोग हो-हल्ला मचाया करते हैं। इस सरकार ने समाज को भयमुक्त किया है और गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का अध्यादेश बनाकर स्वीकृति के लिये महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह लोकप्रिय सरकार इसे अच्छा नहीं मानती है कि राम कृष्ण की इस धरती पर गो माता का एक भी बूंद खून किसी प्रकार से गिरे यह भारतीय जनता पार्टी को बर्दास्त नहीं है। इसलिये गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध के कानून में जो भी छिद्र थे और जो भी कारण थे उन सभी कारणों को दूर करने का अध्यादेश पारित किया है उसे हर कीमत पर लागू कराने की हम कोशिश करेंगे।

अम्बेदकर साहब के जन्म शती की बात विपक्षी लोगों ने की है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है कि निर्बलों, गरीबों के लिये अलग से अम्बेदकर साहब के नाम से एक कोष की स्थापना हो गयी है, जिसके द्वारा अनुसूचित दलित छात्रों को सहायता देकर आगे पढ़ाने की बात है। हमारी सरकार ने पूरे बजट में ६० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में व्यय करने का संकल्प किया है। हमारी सरकार ने बुन्देलखण्ड, जिसका हाल चाल आज विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने कभी नहीं लिया, उसके सघन औद्यानीकरण के लिये काफी पैसा स्वीकृत किया है। वहां नीबू की प्रजाति के वृक्ष लगायेंगे। वहां के गरीबों की गरीबी दूर की जायेगी। इसी तरह से पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में फल, सब्जी वहां की जलवायु आदि को देखते हुए वहां के किसानों के काम करने के रुझान को नजर में रखते हुए, ऐसे फल, साग सब्जी के उत्पादन के लिये विशेष जोर दिया जायेगा। इसी तरह से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जो ग्रामीण क्षेत्र का स्वाभाविक रोजगार है, उसके द्वारा आम तौर से लोगों को रोजगार मिले आम आदमी सम्पन्न हो इसके लिये हमारी सरकार ने तमाम कार्यक्रम बनाये हैं। अभी हमारे माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी बोल रहे थे कि भाजपा शासन ने राम और खुदा में अन्तर कर दिया है। मान्यवर, भारतीय जनता

पार्टी ने राम और खुदा में अन्तर नहीं किया है अपितु राम और बाबर में अन्तर किया है, (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) राम हमारे पूज्य हैं और हमारे देश के राष्ट्र नायक हैं, हमारे अराध्य हैं वे हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई सभी के पूर्वज हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। अब आप कृपया समाप्त करिये।

श्री धनराज यादव–

अभी खाद की छूट की बात आपने की, वह छूट केन्द्र सरकार ने कटौती की है, लेकिन हमारी सरकार ने वित्तीय संकट के होते हुए भी छूट पर खाद मुहैय्या कराने की व्यवस्था की। भाजपा की यह सरकार किसानों की है, गांव की है, आम जनता की है, मजदूरों की है। हमारा संकल्प है कि सबकी सम्पन्नता, सुख और आपसी भाई चारे का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

* श्री श्रीराम–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय राम लखन जी को हमारे दल से बोलना था लेकिन वे अभी नहीं हैं, मैं उनके स्थान पर अपनी बात रख रहा हूं। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण सदन में हुआ, उस अभिभाषण से इस प्रदेश के गरीब मजदूर और सर्वहारा समाज की जो उपेक्षा की गयी है, उनकी परेशानियां, उनकी सुख-सुविधा के बारे में अभिभाषण में कोई स्थान नहीं दिया गया। मान्यवर, जैसा कि अभी दो-तीन महीने से इस विधान भवन के सामने दलित शिक्षा के नाम से जो आन्दोलन चल रहा है, अभी विगत दिनों शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने वाले गरीब छात्रों पर लाठियां बरसायी गयीं, उन्हें जेलों में बन्द कर दिया गया, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये गये और यही नहीं उन भोले-भाले छात्रों को डकैती जैसे जघन्य अपराधों में जेल में बन्द कर दिया। एक ओर तो यह सरकार भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना है की बात करती है, तमाम जो धार्मिक पुराण हैं, जो धार्मिक ग्रन्थ हैं, उनमें जो सार छिपा है, उनकी बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वह छात्रों पर डन्डे बरसाती है, उन्हें डकैती जैसे जघन्य अपराधों में बन्द कर रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, चाहे प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स का मामला हो या अन्य किसी निगम का उन्हें इन्होंने निजी क्षेत्रों में बेच दिया। उनके कर्मचारियों पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। करीब १२, १३ सौ कर्मचारी आटो ट्रैक्टर्स के हैं जो आज भी चार-चार महीनों से अपने बाल बच्चों के साथ हड़ताल पर हैं, मगर इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जिससे गरीबों का जीना दूभर हो गया है। मान्यवर, जैसा कि सरकार ने उत्तरांचल के लिये जो कानून यहां पर पास किया, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल से कहीं ज्यादा आज बुन्देलखण्ड की समस्या है। यहां पर झांसी, जालौन, ललितपुर और बांदा में पानी की भीषण समस्या है। आज यहां नहरों के अभाव में हजारों हेक्टेयर भूमि की फसल बिना पानी के सूख रही है, किसान तबाह हो गये हैं तथा वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, २६ जनवरी से २६ फरवरी तक केवल एक सप्ताह के लिये पानी दिया गया, उनके लिये नहरों से पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। जो किसान साल भर मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। जो किसान साल भर मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसके लिये यह सरकार पानी उपलब्ध नहीं करा पायी है। बुन्देलखण्ड में अघोषित आतंकवाद फैला हुआ है, सब जगह डकैतों का आतंक छाया हुआ है, रोज सैकड़ों, हजारों हत्याएं होती हैं। मान्यवर, अभी एक घटना हुई उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा । दिनांक १७-११-९१ को जनपद जालौन के थाना रामपुरा में कुछ डकैतों ने हमला बोल दिया। उसका मुकाबला वहां की पुलिस और ग्रामवासियों ने मिलकर किया। डकैतों की फायरिंग से कुछ पुलिसकर्मी व ग्रामवासी घायल हो गये । वहां पर अभी तक कोई चौकी की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी महीने की १२ तारीख को फिर हमला हुआ, जिसमें एक इन्सपेक्टर और दो सिपाही मारे गये । वहां डकैतों का इतना आतंक हो गया है कि वहां के ग्रामवासी पलायन कर रहे हैं। वहां लोगों को लाइसेंस देने के बारे में जिलाधिकारी ने लिखा किन्तु सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। तो प्रदेश में इस तरह से तबाही हो रही है और उसे रोकने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है ।

मान्यवर, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का हाल देख लें। माननीय खाद्य राज्य मंत्री उरई विधान सभा से निर्वाचित होकर आये हैं, लेकिन इनके गृह जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था इतनी चौपट हो गयी है, बरबाद हो गयी है कि इनका नाम लेने पर ही वहां के लोग कानों में हाथ लगा लेते हैं। मंत्री जी ने कहा था कि प्रति यूनिट ८ किलो गेहूं दिया जा रहा है, लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर एक यूनिट पर केवल एक किलो गेहूं ही दिया जा रहा है, यही स्थिति कालपी की है। इस तरह से अक्तूबर महीने से पूरे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो में गेहूं व चावल नहीं दिया जा रहा है। यह तो केवल एक जिले की स्थिति है, लेकिन पूरे प्रदेश की यही हालत है।

मान्यवर, हर जगह शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश देने में अन्याय किया जा रहा है। गरीब छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में अलग और पश्चिम में अलग व्यवस्था है। इस सरकार की ओर से जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, वह हर प्रकार से निराशाजनक है और मैं ऐसे अभिभाषण के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

दूसरी बात मान्यवर, मैं खनिज सम्पदा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज सम्पदा बहुत ज्यादा है और प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड को एक नया पैसा भी न दे तो बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों का काम वहां से प्राप्त राजस्व और अन्य वसूलियों से ही चल सकता है, जिसमें वहां का भरपूर विकास हो सकता है। मान्यवर, वहां की बालू पूरे प्रदेश में सप्लाई की जाती है, वहां ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, इन चीजों के ठेके ऐसे लोगों को दे दिये गये हैं, जो फर्जी एम० एम० II नैयार करके सरकार को चूना लगा रहे हैं और सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से इसकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, पुलिस इतना जरूर करती है कि अपने गुन्डे भेजकर ट्रकों के टायर फटवाती है, गोली चलवाती है, ताकि भयभीत होकर वहां के ठेकेदार गरीब ठेकेदारो से साझेदारी कर लें, इस तरह वहां अघोषित आतंक फैला हुआ है, यही स्थिति आज पूरे प्रदेश की बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सुधार किया जाय और राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह पूरा न्याय के विपरीत है।

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, माननीय राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है, वह मेरी समझ में इस सरकार की प्रगति का मापदण्ड बनेगा। महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात को साबित करने का प्रयत्न किया है कि

प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने सीमित संसाधनों और सीमित माध्यमों से इस प्रदेश की खुशहाली का पूरा प्रयास कर रही है। मान्यवर, मुझे यह बात करते हुए दुख होता है कि पहले की सरकारें केन्द्र के सामने बंधी बिल्ली की तरह रहा करती थीं। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने मुख्य मंत्री जी को कि पहली बार उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से अपनी बातों को केन्द्र के सामने रखा है और यह साबित करने का प्रयास किया है कि केन्द्र के सामने यहां की जनता बंधुवा मजदूर बनकर नहीं रहेगी और अपने अधिकारों को लेकर रहेगी। आज अभी कांग्रेस दल के माननीय प्रमोद तिवारी ने कहा हमारे माननीय रसद मंत्री को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने पहले से रसद सामग्री थोड़ा बहुत बढ़ाया है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों को उनकी आबादी के आधार पर केन्द्र द्वारा २ किलो या २.८०० किलोग्राम रसद देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जोकि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको ७००–८०० ग्राम ही रसद दिया जाता है, क्या यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं है। इस अन्याय को उजागर करने के लिये, माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ने पहली बार प्रयास किया है और केन्द्र से कहा है कि हमें ज्यादा दिया जाय, जितना उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। इसके अलावा मैं अपनी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ जो आर्थिक विषमता बरती जा रही थीं, उसे दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया। यह कहते हुए बड़ा कष्ट होता है, जिसे माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी कहा है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने उत्तर प्रदेश को ४५४२ करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया था किन्तु योजना आयोग ने उस प्रस्ताव में कटौती करके मात्र २५५९ करोड़ रुपये दिया। इससे प्रदेश की विकास की जो गति होनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिये मैं अपने विपक्षी पार्टी के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर वह उत्तर प्रदेश की जनता की रहनुमाई कर रहे हैं तो केन्द्र सरकार के ऊपर यह दबाव डालें कि हमारे प्रदेश की जो मांग है, उसे वह पूरा दिया जाना चाहिए। तभी इस प्रदेश का विकास सम्भव है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि केन्द्र सरकार इस पर पुनः विचार करने के लिये तैयार है । यह सब माननीय मुख्य मंत्री जी के कारण ही सम्भव हो सका है।

मूल्य वृद्धि का सवाल है। विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य मूल्य वृद्धि का आरोप हम पर लगा रहे हैं। मूल्य वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाये गये दामों के कारण हुई है। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दिया गया, चावल का दाम बढ़ा दिया गया, गेहूं का दाम बढ़ा दिया गया, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता पर भी पड़ रहा है। परन्तु हमारी प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है, जिससे प्रदेश की जनता महंगाई की मार से और परेशान हो सके। इसलिये मेरा विपक्षी भाइयों से अनुरोध है कि वह केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि इस तरह से महंगाई न बढ़ाई जाय। हमारी सरकार विभिन्न सस्ते गल्ले की दुकानों से सामान उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो नकल रोकने का प्राविधान किया गया है, यह शायद एक क्रान्तिकारी प्राविधान होगा। मैं प्लेटो के उस वाक्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं, "यदि किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो उसकी पीढ़ी को बर्बाद कर दो।" पूर्ववर्ती सरकारों ने नकल को बढ़वा देकर आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट कालेज लालगंज, प्रतापगढ़ में मैं भी एक अध्यापक रहा हूं, वहां पर बहुत से लड़के अपना रो० नं० तक लिखना नहीं जानते थे। ऐसी स्थिति में लाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने पीढ़ियों को छोड़ दिया। इसलिये मैं आशा करता हूं कि विपक्षी दल हमारा सहयोग करेंगे और [illegible] देश को बनाने में

अपना योगदान देंगे। हायर सेकेण्डरी एजुकेशन एवं उच्च शिक्षा में नियमितीकरण करने की बात है, यह एक अच्छी बात हुई है। इससे अध्यापकों व राष्ट्र दोनों का सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

माननीय अध्यक्ष जी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय बसन्त लाल गुप्ता जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जब से यह मौजूदा सरकार सत्ता में आयी है और भय मुक्त समाज का जो नारा इस सरकार ने दिया है, वह खोखला साबित हो गया है। सत्तारूढ़ दल के लोग स्वयं मुख्य मंत्री जी पुलिस के साये में चलते हैं। पूरे प्रदेश में आतंकवाद फैला हुआ है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक आतंकवाद फैल गया है । रास्ते में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गयी है। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में दंगे करवाये जा रहे हैं। हापुड़ के अन्दर कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं था। वहां पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में निर्दोष लोगों की हत्यायें की गयीं। किशनपुर बराल की मस्जिद में आग लगाई गयी और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, जो साम्प्रदायिक दंगा रहित सरकार की बात करते थे और जो भयमुक्त समाज की बात करते थे उनके ८ महीने के शासनकाल में पूरे प्रदेश में डकैतियां, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है और पूरे प्रदेश में आतंकवाद का भय व्याप्त है। वे स्वयं उससे भयभीत हैं तो यह क्या भयमुक्त समाज दे सकते हैं । प्रदेश के विकास के संबंध में पूरे राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं विकास की बात नहीं कही गयी है जिससे लगे कि उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है । आज गन्ने की स्थिति ऐसी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में २०, २५ रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से गन्ना बिक रहा है किसानों की लूट हो रही है। ६० फीसदी गन्ना क्रेसरों में २०, २५ रु० क्विन्टल में बिक रहा है । सरकार ने गन्ना खरीदने के लिये सेंटर खोलने की बात कही थी लेकिन अभी तक कुछ सेंटर्स हमारे यहां नहीं खुले हैं। मेरे सरधना क्षेत्र में शेखूपुरा में सेंटर खुलना था वह सेंटर नहीं खुला इस तरह से सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है । गन्ने का बकाये का भुगतान किसानों को नहीं हो रहा है गन्ने का इस वर्ष में ६० से ७० फीसदी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है । किसानों से वसूली के नाम पर उनको जेलों में भेजा जा रहा है। किसान के बकाये सरकारी ऋण पर भारी ब्याज वसूला जाता है लेकिन गन्ने का पैसा कई-कई वर्षों से पड़ा हुआ है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इसलिये मांग करता हूं कि उसी दर से जिस दर से उससे सरकारी ऋण पर ब्याज लिया जाता है उसके बकाये धन पर भी ब्याज दिया जाय।

हमारे यहां सड़कों की बहुत खराब हालत है। कहीं पर भी सड़कों का कार्य नहीं हो रहा है। पिछले वर्षों में जो कार्य हुआ था वह भी बन्द है। मेरे यहां कंकर खेड़ा–पाबली खुर्द मार्ग सड़क के लिये १६ लाख रुपया लगा हुआ है लेकिन लेपन कार्य नहीं हुआ है और पैसे के अभाव में वह बरबाद हो रहा है, सड़क टूट रही है । सरधना से लेकर लापड तक सड़क चौड़ी होनी थी उसके लिये कोई कार्य नहीं हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है।

इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आन्दोलन बहुत पुराने समय से चल रहा है आज भी वहां प्रत्येक शनिवार को कोर्ट में ताला बन्द रहता है। वहां हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग बहुत समय से चली आ रही है। तो माननीय राज्यपाल के भाषण में मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का

कोई जिक्र नहीं है। जिला मुख्यालय से मुंसिफ कोर्ट प्रत्येक तहसील में ले जाने की बात थी लेकिन वह भी नहीं हुआ है। मेरे सरधना तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरठ में हाई कोर्ट बेंच एवं सरधना में मुंसिफ कोर्ट स्थापित की जाये।

हमारे यहां सरधना क्षेत्र में अक्टूबर के आखिर में पिछले साल डेढ़ दर्जन लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गयी लेकिन किसी को कोई अनुदान नहीं दिया गया है और इसके लिये किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

यही नहीं बुनकरों की हमारे यहां बड़ी दुर्दशा हो रही है यह लघु उद्योग टूट रहा है इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । सूत महंगा होता जा रहा है जिससे इन छोटे-छोटे उद्योगों के लिये कठिनाई हो गयी है और यह घाटे में चल रहे हैं इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

हमारे यहां सकौती टांडा शुगर फैक्ट्री के विस्तारीकरण का प्रस्ताव था लेकिन उसके संबंध में कोई चर्चा इसमें नहीं है ।

मेरठ से दौराला तक जाने वाली बसों के बारे में कहना चाहता हूं वहां जैसे पहले बसें सकौती तक चलती थीं उसी प्रकार फिर से चलायी जायं जो इस समय बन्द कर दी गयी हैं ।

मेरठ जिले में मऊ खास में एक शुगर मिल स्थापित करने का प्रस्ताव था उसकी स्थापना की जाय। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ऊर्जा सिंचाई सलाहकार संमितियां बनी हैं उनके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे यहां सलावा में गंगा नहर पर पुल बनाने का प्रस्ताव तीन माह पूर्व ऊर्जा सिंचाई सलाहकार समिति ने पास कर रखा है उसमें ३ दिन में कार्य शुरू करने का वायदा सम्बन्धित अधिकारी ने किया लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो रहा है। आये दिन उसमें दुर्घटनायें हुआ करती हैं हाल ही में एक ट्रक गिर गया है। इस संबंध में शीघ्र कार्य कराकर पुल पर रेलिंग लगायी जाय । ऊर्जा सिंचाई सलाहकार समिति में हुए प्रस्ताव पर अमल न करने से उसके औचित्य एवं महत्व पर प्रश्न चिह्न लग गया है। तो यह अभिभाषण कागज का टुकड़ा मात्र रह गया है। में इस धन्यवाद प्रस्ताव का जो माननीय बसंत लाल गुप्ता ने रखा है इसका विरोध करता हूं

श्री राम कुमार शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री बसन्त लाल गुप्ता जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह पहली सरकार है जो पूर्ण विपक्ष की सरकार है इसीलिये जो अभिभाषण है राज्यपाल महोदय का यह विपक्ष को अखर रहा है। मान्यवर, शायद यह पहला अभिभाषण है जिसमें आधार है–

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।"

मान्यवर, यह जो श्लोक है इसके आधार पर हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आधारित है। यह जो श्लोक है उसके अनुसार सभी लोग सुखी हों और सभी लोग अच्छे हों लेकिन यह विपक्ष को अच्छा नहीं लगता है। मान्यवर, पिछली सरकार के समय में हिन्दू और मुस्लिम कोई भी सुरक्षित नहीं था और इन दोनों को लड़ाने की पिछली सरकारों ने कोशिश किया था जिससे कोई सुखी और अच्छी तरह से न रह सके। इसलिये जब हम सभी के सुखी और अच्छे होने की बात करते हैं तो विरोध पक्ष को अच्छा नहीं लगता है। राम राज्य की स्थापना का इस सरकार ने संकल्प लिया है और उसी पर आधारित

इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन पिछली सरकारों की कथनी और करनी में फर्क था। हमारा पूरा इरादा कथनी और करनी में कोई अन्तर करने का नहीं है। इसीलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भयमुक्त समाज और दंगा रहित समाज की घोषणा किया है और उसी का परिणाम है कि आज साम्प्रदायिक दंगे कहीं नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, जितनी पिछली सरकारें रही हैं उनके समय में देखते-देखते साम्प्रदायिक दंगे होते थे लेकिन इस सरकार के ८ महीनों में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ जो विरोध पक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जिससे अब वह पूरी ताकत से लग गये हैं कि प्रदेश में दंगे हों।

मान्यवर, यदि किसी एक विशेष सम्प्रदाय का कोई एक व्यक्ति मरता है तो पूरे विपक्ष के लोग दौड़ते हैं और यहां सदन में भी कहते हैं लेकिन बहुमत सम्प्रदाय के कई लोग मरते हैं तो उसकी विपक्ष कोई परवाह नहीं करता है और न यहीं ही चर्चा करते हैं। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार के समय में उस दल के लोग इस लखनऊ में लगातार वातावरण बनाते रहे कि दंगा हो और इसलिये अफवाह फैलाते थे कि साधु बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उसको मार डालते हैं। चौक, लखनऊ में इसी सिलसिले में एक साधु को मार डाला गया और हमारी पार्टी का एक आदमी उस महात्मा को बचाने गया तो उसे भी मार डाला गया। इसमें जांच हुई तो ऐसा नहीं पाया गया कि वह बच्चे उठाने वाला महात्मा था। इसलिये हमने कोशिश किया और बहुमत सम्प्रदाय को समझाया जिससे लखनऊ में साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन दुख है कि इस प्रकार की चौक लखनऊ में घटना हुई किन्तु विपक्ष का वहां कोई नेता नहीं गया और न उसकी चर्चा यहां ही की गयी क्योंकि उनकी बहुमत सम्प्रदाय के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है।

मान्यवर, हमारी पार्टी के लोग सम्मेलन करते हैं या मीटिंग करते हैं और उसमें कहते हैं कि कश्मीर से धारा ३७० हटायी जाये। तो हम लोगों को कहा जाता है कि इनकी पार्टी साम्प्रदायिक बात करती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पहले जब भी धारा ३७० को कश्मीर से हटाने की बात की गयी तो विरोध पक्ष के लोग मुसलमानों को उत्तेजित करने की कोशिश करते थे और आपस में लड़ाने की बातें करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर में लोगों को जो सुविधायें मिलती हैं जैसे सस्ता अनाज लोगों को मिलता है तो वही सुविधा हमारे प्रदेश की जनता को भी मिलनी चाहिए। मान्यवर, यहां के लोग कश्मीर में वोट नहीं दे सकते हैं और न वहां कोई सम्पत्ति खरीद सकते हैं जबकि कश्मीर के लोग यहां सम्पत्ति खरीद सकते हैं तो जब हमारी पार्टी के लोग समानता की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह साम्प्रदायिक बात है। यह लोग साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। इसलिये देश और प्रदेश में समानता होनी चाहिए यह हमारी मांग है। यह मांग हम करते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साम्प्रदायिक हैं। इसलिये मान्यवर, हमें लगता है कि विरोध पक्ष की नजर में हिन्दुस्तान का मुसलमान सोने का है और हिन्दुस्तान का हिन्दू मिट्टी का है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के मुख्य मंत्रियों ने प्रदेश में जितना जातिवाद बढ़ाया है उतना आजादी से पहले नहीं था। आजादी से पहले हिन्दू-मुसलमान की बात उतनी नहीं थी लेकिन पिछले मुख्य मंत्रियों ने मुसलमानों को एक जाति विशेष की नजर से देखा है। इसके अलावा पिछले मुख्य मंत्रियों ने हिन्दुओं को भी एक जाति विशेष की नजर से देखा है और जिस जाति का मुख्य मंत्री हुआ उसने उसी जाति विशेष के लोगों की सरकारी नौकरियों में भर्ती की। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य मंत्री जी को, यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने किसी जाति विशेष के नाम पर काम नहीं किया। चाहे नौकरी का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, कोई भेद-भाव नहीं किया है। रामराज्य के अनुकूल काम करने वाले मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने क्रमवार निर्धारण किया है। अच्छा हो आप उसी के आधार पर बोलें। एक-एक सदस्य को अपनी बात कहने का मौका होगा।

* श्री हरी चरन यादव–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो समर्थन पेश हुआ है उसके विरोध में, और जो संशोधन पेश किये गये हैं उनके समर्थन में अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की एक मात्र सरकार है जो देश के अन्दर घृणा और हिंसा का वातावरण पैदा कर रही है। यह पक्षपातपूर्ण तरीके से हर जिले में काम कर रही है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी। एक व्यवस्था परिवर्तन यह समाने आया है। हमारे जनपद सुल्तानपुर में ८ महीने के अन्दर इस सरकार द्वारा तीन-तीन डी० एम० बदले गये हैं। दो-दो महीने के अन्दर जिलाधिकारी बदले गये हैं। जिलाधिकारी जो इस समय थे उनके पहले जो थे, उनकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने बी० जे० पी० के लोगों का कहना नहीं माना। मान्यवर, वहां पर जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक लोगों को सीधे मार्ग से जाने दिया जिससे वह अपना जुलूस लेकर जाते थे। बी० जे० पी० के लोगों ने जिलाधिकारी से कहा कि कर्बले के रास्ते से न जाने दिया जाय। लेकिन चूंकि वह लोग उसी रास्ते से जाते थे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परम्परागत उनको अधिकार है इसको नहीं रोका जा सकता। मान्यवर, बस इतनी सी बात पर उनको वहां से हटा दिया गया। मान्यवर, जो ईमानदारी से, कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये उसका तबादला कर दिया गया। आर० एस० एस० के लोगों ने वहां दंगे किये। बी० जे० पी० के लोग दंगा करवाते हैं। मान्यवर, इसी तरह से रोजगार की बात कही गयी थी। रोजगार किसे दिया जा रहा है? जहां पर बुनकर हैं, हस्त शिल्प कारीगर हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है? जो कुशल कारीगर हैं उनके हाथ काटे जा रहे हैं, कौशल को नष्ट किया जा रहा है। रोजगार मिलना तो दूर उनके साधनों को ही खत्म किया जा रहा है। अभी नवम्बर में अमेठी में हमारे क्षेत्र में चुनाव हुए थे। मुख्य मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपने घोषणा की थी कि अमेठी को जिला बना दिया जायेगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी घोषणा के संबंध में आज यहां कोई घोषणा करें। हमारी एक माननीया मंत्री जी अमेठी गयीं और उन्होंने कहा कि अमेठी तो हमारा मायका है यहां पर हाई स्कूल खोला जायेगा। मान्यवर, चुनाव जीतने के लिये इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये लेकिन किसी को पूरा नहीं किया। ऐसे ही हमारे सिंचाई मंत्री गये थे उनके साथ में कई इंजीनियर्स भी थे। घोषणा की थी कि घनजई में तत्काल पुल बना दिया जायेगा। मैं सिंचाई मंत्री जी से बाद में मिला। आप याद कीजिये। उन पुलों का क्या हुआ जो सड़कें बन रही थीं उनका क्या हुआ? भादर से जामो की सड़क है, तो जामो की सड़क को रोक दिया गया उस सड़क का काम बिल्कुल नहीं हुआ है मेरे क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और तो और जो ट्यूबवेल लगे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरी चरन यादव–

पानी की टंकी बनी हुई है। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं आप वहां इंजीनियर को भेज दें चार ट्यूबवेल खराब पड़े हैं मैं बता देता हूं सीधरपूरवा, सिमरा, हुसैरी, घुड़वा इन चार जगहों के ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। पाइप में पानी नहीं जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरी चरन यादव–

अमेठी की जनता धर्मनिरपेक्षता को मजबूती के साथ देखना चाहती है। आपकी सरकार साम्प्रदायिक भावना से जुड़ी है लेकिन हमारी अमेठी की जनता ने साम्प्रदायिकता को कुचल दिया है। केन्द्र सरकार पर झूठे लांछन लगाये जाते हैं। यह कहते हैं कि कोई मदद नहीं मिलती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपने कर्तव्यों को समझें। अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य अचेत हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ठीक से बैठ जायें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, १९५२ में हमारे उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी का शासन रहा हो अन्याय होता रहा। योजनागत व्यय के निर्धारण में, इस समय तिवारी जी नहीं हैं अगर होते तो उनकी समझ में आता। जो देश के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश के प्रति जो अन्याय हुए थे उसको दूर करने का सिद्धान्त इस सरकार ने बनाया है। आपने कहा कि योजनागत व्यय निर्धारण किया गया था। केन्द्रीय योजना समिति के समाने १४ सौ करोड़ रुपया योजना के बारे में था जबकि हमारी सरकार ने तर्क के साथ जो योजना व्यय रखा उसमें ४ हजार ५४ करोड़ रखा है। ४५ सौ करोड़ का व्यय स्वीकार किया है। हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करने का कार्य किया है। ऐसी सारी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं आज नहीं तो कल केन्द्र सरकार अन्याय को छोड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर विकास कार्यों को तय किया जायेगा। मान्यवर, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था आदि पर कहा गया। चीनी के बारे में कहना चाहूंगा १५ फरवरी को चीनी उत्पादन प्रदेश सरकार को १७७.४३ लाख टन गन्ना उपलब्ध हो गया है जबकि १५ फरवरी की तिथि तक पिछली सरकार में १६० लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी। आज १५-२-९२ तक १६ लाख टन शकर बनायी जा चुकी है जबकि पिछले साल केवल १४ लाख टन शकर बन पायी थी। आप लोग कानून और व्यवस्था की बात करते हैं. विकास की किरण आज चतुर्दिक फैल रही है। वर्ग, जाति, नेता और धर्म के आधार पर

विकास नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रान्त के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। बाराबंकी या पूर्व मुख्य मंत्री के गांव सैफई में डाक बंगले का विकास नहीं चल रहा है बल्कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को समान मानकर विकास के काम चला रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी चल रही है देश के अन्दर कहीं का व्यापारी आज आता है तो उसको यह सुनने को नहीं मिलता कि फलां शहर में कर्फ्यू लगा हुआ वापसी का टिकट ले लें । पिछली सरकार में ४४ शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ था।

आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के नेता नहीं हैं वरना मैं उनको बताता उन्होंने बनारस के दंगे की बात उठायी थी। बनारस का दंगा सुनियोजित था। केवल माननीय कैलाश नाथ सिंह ने तथ्यों को स्वीकार किया था। वहां पर ११ आदमी मारे गये। क्या वहां पर जो अकलियत के लोग मारे गये उनकी लाशें ही लाशें हैं, बहुसंख्यक समाज के जो लोग मारे गये क्या उनकी लाशें, लाशें नहीं हैं? मैं बताना चाहता हूं कि बनारस के दंगे अनेकों बार हुए हैं लेकिन पहली बार किसी सरकार ने पूरी ईमानदारी से काम किया है. वहां पर हथियारों के जखीरे और अन्डरग्राउंड मकान मिले हैं। जिस अनीस अंसारी की बात उठायी गयी उस डाक्टर अनीस अंसारी के घर में १४ हिन्दू महिलायें जिना करने के लिये बंद करके रखी गयी थीं। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये भागने के चक्कर में वह मारा गया। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो दैवी आपदा आयी, भूकम्प आया मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी तरह से काम किया और भूकम्प पीड़ितों को हर तरह की राहत पहुंचायी। प्रदेश में इस प्रकार की पहली दैवी आपदा थी। आपने देखा होगा कि घर-घर के लिये भूकम्प राहत कार्ड बनवाये गये और एक-एक भूकम्प पीड़ित को मदद पहुंचायी गयी। इन लोगों ने केवल अखबारों में बयान देने का काम किया है भूकम्प पीड़ितों के पास जाने का काम नहीं किया। यह लोग आर० एस० एस० की बात करते हैं चाहे गुजरात में मौरवी की बाढ़ का दैवी आपदा हो या लोक नायक जय प्रकाश नारायण के समय बिहार के बड़े क्षेत्र में अकाल की समस्या हो या युद्ध के समय सेना को सहयोग करने की बात हो आर० एस० एस० के लोगों ने वहां जाकर पूरी तरह से सेवा करने का काम किया है। भूकम्प पीड़ितों के लिये सरकार ने अनुकरणीय सेवा की है। यह शंका की जा रही थी कि वहां लोग ठंड से मर जायेंगे, लाशें बिछ जायंगी लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस भूकम्प का सामना किया उससे विश्व की आयी टीम ने तारीफ की है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है इससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । मैं सैदपुर से विधायक हूं यहां लखनऊ में प्रवाहित होने वाली गोमती जिस जगह गंगा से मिलती है वहां मेरा क्षेत्र है। पिछली सरकारों में मेरे विधान सभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। एक विकास का कण भी वहां नहीं पहुंचा है. मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। कुछ योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक पीपे का पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। चीनी मिल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अन्य विकास के कार्यों को शुरू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

* श्री अकबर–

मान्यवर, आपके माध्यम से, माननीय नेता विरोधी दल ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता डा० सोमनाथ शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैंने इस भाषण की प्रति को शुरू से आखिर तक पढ़ा है। किसी जगह भी मान्यवर, इसको पढ़ने पर यह अंदाजा नहीं हुआ कि यह किसी सरकार की कार्यशैली का प्रतीक है। मान्यवर, कम से कम आधी पुस्तिका में केन्द्र का रोना रोया गया है और आधी पुस्तिका में संसाधनों की कमी बतायी गयी है। मान्यवर, बार-बार पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था, चूंकि अल्पसंख्यक इस प्रदेश के पिछड़े हैं, उनके लिये आवश्यकता है, किसी भी पेज या लाइन में एक शब्द अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन के संबंध में या उनकी सुरक्षा के संबंध में पुस्तिका में पढ़ने को नहीं मिला, यह देखकर दुख हुआ। मान्यवर, साम्प्रदायिक दंगे पिछली सरकारों में भी हुए हैं, इसमें भी हो रहे हैं। जब दो सम्प्रदाय या अनेकों संस्कृति के लोग रहेंगे तो झगड़े स्वाभाविक हैं। लेकिन चिन्ता तब उत्पन्न होती है, जब दो सम्प्रदायों के बीच झगड़े हों और प्रदेश सरकार का मुखिया बजाय दोनों को बराबर इन्साफ प्रदान करे, एक पक्ष का पक्षधर बन जाय और खुद एक पक्ष बन कर सामने आये और इस मुद्दे को सिर्फ वाद-विवाद के रूप में लिया जाय, इधर से एक बात कही जाय तो उधर से प्रतिवाद किया जाय, इस मुद्दे को इस तरह से लिया जाय, तो वहां चिन्ता उत्पन्न होती है। मान्यवर, कितना अच्छा होता यदि मुख्य मंत्री जी, चूंकि बाहर की जनता को आश्वासन देकर, झूठे वायदे करके आये हैं, वास्तव में भयमुक्त समाज बनाने का काम करते तो बधाई के पात्र होते। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सरकार से कहूंगा कि यदि वह समस्या के प्रति गम्भीर है तो स्वयं माननीय विरोधी दलों के नेताओं से सलाह मशवरा करके कोई नीति ऐसी तैयार करें जिससे कि मान्यवर, पूर्ण रूप से यदि समस्या को समाप्त न किया जा सके तो कम से कम आपके शासन में कुछ कमी आये और आपका जो साम्प्रदायिक इतिहास इधर के हों, उधर के हों या जो आम जनता मानती है, उसे कम से कम सैकड़ों चेहरों में तब्दील करने का काम करें। मान्यवर, इसमें संसाधनों की कमी का रोना रोया गया है. पिछली सरकारों में भी संसाधनों की कमी थी, लेकिन मान्यवर, मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश के सीमित संसाधन हैं, जितना भी हमारे पास धन उपलब्ध है, ये उसे सुचारु रूप से, उन योजनाओं पर, जिन पर हम स्वीकृति देते हैं, ९० परसेंट भी सुचारु रूप से खर्च कर दें तो पांच साल का काम एक साल में हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद इनसे बहुत कम है, चूंकि कुछ दिनों पहले आई० ए० एस० अधिकारियों की यूनियन में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने भी सम्बोधित किया था। उससे यह अंदाजा हो गया था कि कितनी पकड़ और कितनी बातें यह शासन अधिकारियों से मनवा सकता है ? अखबारों में कहा गया था, मैंने पढ़ा कि आई० ए० एस० अधिकारियों ने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप आई० ए० एस० अधिकारियों की जांच करने और उनको सजा देने के अपने अधिकार सीमित करें। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई जवाब, जैसा मैंने अखबारों में देखा, उसमें नहीं दिया, इससे लगता है कि शायद हां में हां मिलाते हैं या उनकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि उनकी बात से वह सहमत थे। मैं अपने जिले का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले वर्ष २.२९ करोड़ रु० में से १० लाख की योजना में हमारे जनपद मुरादाबाद को मिला था, जिसका स्वरूप बदल कर दूसरे कामों में वहां के अधिकारियों ने खर्च दिखाया है। बार-बार उसकी लिस्ट मांगने के बावजूद भी कुछ समय तक लिस्ट नहीं दी गयी और जब लिस्ट दी गयी, तो उसमें ८० लाख रु० वन विभाग द्वारा खर्च दिखाया गया, ७० लाख रुपया भूमि संरक्षण विभाग द्वारा दिखाया गया था। मान्यवर, २ करोड़ २९ लाख में से केवल १ लाख ५० हजार की खर्चे की लिस्ट दी गयी. मेरे क्षेत्र में २० लाख रु० का खर्च दिखाया गया था, और जिन गांवों के नाम दिये गये थे, जब मैंने भ्रमण करके उनका निरीक्षण किया, तो केवल एक ही गांव आशानगला में काम हुआ है, जिसमें काम कराने वाले अधिकारी ने बताया कि केवल ३ लाख रु० का

काम हुआ था और बाकी १७ लाख रु० फर्जी खर्च दिखाये गये थे। आप चाहे जितना संसाधन जुटा लें, लेकिन जब तक आपका प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं होगा, आपके संसाधन जुटाने बेकार हो जायेंगे। मान्यवर, यदि आपने इन प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य-कलापों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो विकास कार्य इससे भी बदतर स्थिति में हो जायेगा। मैं अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक विकास खण्ड के लिये, शासन की नीति है कि एक कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिये, चाहे वह शासकीय हो या निजी हो। मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में १९ विकास खण्ड हैं, जिसमें १७ में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल या उच्च शिक्षा के स्कूल हैं, लेकिन विकास खण्ड कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, उसमें कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की व्यवस्था करा

इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० अरविन्द कुमार–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के भाषण का मैं समर्थन करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ८ महीने की सरकार के कार्यकलापों का एवं आगे के लिये समुचित रूपरेखा प्रस्तुत की है। माननीय कल्याण सिंह जो शासन में दृढ़ता और ईमानदारी लाये हैं, उससे भयमुक्त समाज हो गया है। यह हमारी उपलब्धि है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे सदन में माननीय कल्याण सिंह जी की जाति के ४ मेम्बर हैं और दूसरी बिरादरी के कई मेम्बर हैं, फिर भी माननीय कल्याण सिंह जी को मुख्य मंत्री बनाया गया, क्योंकि ये ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप अपने गलेवान में निगाह डालकर देखें, आप अपना कीचड़ दूसरों पर उछालना चाहते हैं। जिस दिन राज्यपाल महोदय आये थे, आपने कितनी पुस्तकें फाड़कर फेंकीं। ऐसा आदमी जो राज्यपाल के ऊपर पुस्तक फाड़कर फेंक सकता है, क्या वह एम० एल० ए० बनने के काबिल है? राज्यपाल का भाषण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर कागज फेंकना, कूड़ा फेंकना यह पूरे सदन की आपने गरिमा खराब की है। आपने हमारी एकता का विरोध किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने शासन में अपने घर बनाते रहे और जब आपका शासन खत्म हो गया, तो देश बनाने की बात सामने आ गयी। आज जब आपका शासन खत्म हो गया है, तो देश बनाने की याद आ गयी। क्या आपने इसी तरह देश बनाने का काम किया है ? आपने देश को बनाया नहीं है, बेवकूफ बनाया है। हमने जो एकता यात्रा निकाली, उससे कश्मीर के लोगों में एक प्रकार से चेतना जागृत हुई है, मैंने देखा है कि वहां के लोग रोते थे। अगर कोई यह कह दे कि मेरी यह एकता यात्रा गलत है, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं कश्मीर गया था और वहां पर लोगों की हालत को देखा था, वहां के लिये किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह लोग केवल विरोध के लिये ही आलोचना करते हैं, तो दुख होता है और जो चीज सही है, उसको भी सही नहीं कहना चाहते हैं।

मान्यवर, एक बात तो जरूर कल्याण सिंह जी ने नहीं की है, वह है, जैसा आपने पढ़ा होगा कि एक-एक दिन में १०-१० हजार लोगों को मरवा दिया गया था, यह बात कल्याण सिंह जी ने नहीं की है। मैं कहना चाहता हूं कि इनको भी यही तरीका अपनाना चाहिए था, जल्दी परिवार नियोजन हो जाता। मैंने वह समय देखा है। मुझको पकड़ने के लिये १०० पुलिस वाले आ गये, जैसे मैं कोई बड़ा भारी चोर हूं, मेरे ऊपर मीसा की धारा लगा दी गयी और कहा गया कि बसों में पत्थर मारे हैं और उनके कांच तोड़ डाले हैं, तो इस प्रकार के निराधार चार्ज लगाये गये। जेलों में जो खाना मिला वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया.

वास्तव में समाजवादी था। जेल में बिल्कुल समानता रही। जो खाना भैंस खाती थी, वही खाना हमको भी दिया गया। आज लोग राम के नाम का विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अंत में आपको और सबको राम का ही नाम लेना पड़ेगा। आज हम राम के आदर्श पर चलना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग राम के आदर्श की उपेक्षा करते हैं और मंदिर बनाने की बात करते हैं, हम एक नहीं हजार मंदिर बनायेंगे। हमारी सरकार ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं। हमारी सरकार में जो मंत्री हैं, वह बहुत ही ईमानदार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री के समय हर जिले में हर तहसील में मिनी मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने देश और प्रदेश को तोड़ा है। आप मेरे साथ चलें मैं आपको बताऊंगा कि आपके मुख्य मंत्रित्व काल में कितने मिनी मुख्य मंत्री थे और उन्होंने कितने घर बनाये हैं? अगर आपके पास नैतिकता है, तो आप हमारे साथ चलें। एक नारा है, उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं,–जय जवान, जय किसान, वान्दे मातरम्, जय श्री राम।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप मेरा नाम देख लें कहां पर है।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूची माननीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया है, उसी क्रम में बुलवाया जायेगा। आपका नाम आयेगा।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, समय की कमी को देखते हुए ३-४ बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार न्याय दिलाने की बात और भयमुक्त समाज दोनों बातों को यह सरकार करती रही है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। और नारा भी आपका था राम, रोटी और इंसाफ का तो रोटी की हालत तो यह हो गयी कि आज महंगाई चरम सीमा पर है और राशन नहीं है, आज ही बयान दे रहे थे हमारे खाद्य मंत्री जी कि वाराणसी में कटौती करके २ किलो गेहूं प्रति यूनिट मिल रहा है, श्याम देव राय चौधरी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया तो पूरे प्रदेश की हालत बहुत खराब है। महंगाई चरम सीमा पर है और सिर्फ राशन की ही नहीं अन्य वस्तुओं की भी महंगाई चरम सीमा पर है और इसको रोकने में सरकार कामयाब नहीं हो पायी नम्बर एक और नम्बर दो–आपने बहुत से वायदे किये न्याय दिलाने के। आज भी अगर आप इस बात को कहते हैं कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो तो मैं इस बात को मानता नहीं इसलिये और कोई फर्क सत्ता के बदल जाने से दिखायी नहीं पड़ रहा है। आज भी भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम सीमा पर है और उसी के साथ पुलिस का जुल्म, मान्यवर, आप तो फेहरिस्त गिनाते थे जब इधर बैठते थे और उसे जितनी सरकारें आती थीं सबके सामने रखते थे लेकिन आज पुलिस का जुल्म चरम सीमा पर है, बढ़ा है, घटा नहीं है तो शांति और व्यवस्था खतरे में है। आप कहते हैं कि हमने साम्प्रदायिक दंगों को रोक दिया है, मैं इस बात को नहीं मानता इसलिये कि वाराणसी में दो बार दंगा हुआ और इसके पहले चुनाव के मौके पर हुआ था, कर्फ्यू लगा था, पहले भी दंगा हुआ

लेकिन सरकार आपकी है और २ महीने कर्फ्यू लगा रहा, कितनी तकलीफ लोगों को हुई इसका एहसास सरकार को नहीं है और मैं आपसे कहता हूं कि अभी हाल में ही हापुड़ में दंगा हो गया और जलालपुर में फैजाबाद में हुआ तो दंगारहित प्रदेश की बात जो आज करते हैं इस पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है क्योंकि हाल में हापुड़ में दंगा हुआ और जलालपुर में हाल में हुआ और इसी बीच में छात्रों के ऊपर बलिया में, जौनपुर में, गोण्डा में और कई जगहों पर पुलिस ने गोलियां चलायीं और निर्मम हत्यायें हुईं। छात्रों का आज कोई पुरसा हाल नहीं है, छात्र भी आज आन्दोलन की तरफ हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने किये गये वायदों के प्रति सचेत नहीं है और सफलता तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहां एक पूर्वांचल विकास निधि था और मेरा ख्याल है कि बुन्देलखण्ड का विकास निधि है, उसमें ३० करोड़ रुपया रखा जाता था और यह आज से नहीं जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने ही पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की थी। मान्यवर, आपने उससे ज्यादा कटौती कर दी, ऐसे आदेश दे दिये, जहां बनारस को ३५ लाख रुपये मिलता था इस निधि से, इस साल सवा ५ लाख रुपये मिला है। मान्यवर, उस सवा पांच लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क भी तो नहीं बन सकती है।

मान्यवर, आज स्कूलों की हालत बहुत खराब है, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन ब्लाकों में लड़कियों के लिये हाई स्कूल और इण्टर कालेज नहीं हैं, उन ब्लाकों में एक-एक हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोले जायेंगे। स्कूलों की इमारतें भी बनेंगी। पिछली सरकार ने स्कूलों की हजारों-हजार इमारतें बनवा दीं। लेकिन, आज आपके इस आठ महीने के शासनकाल मे एक भी स्कूल की इमारत की नींव नहीं पड़ रही है तो आखिर कैसे विकास की बात आगे बढ़ेगी? आप लोग चाहे मानें या न मानें, आप से व्यापारी वर्ग भी नाराज है। आपने उनसे सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बहुत से वायदे किये थे लेकिन आपने उस दिशा में कुछ नहीं किया। आज आपसे व्यापारी खुश नहीं है। राशन के दुकानदारों को जिनको आप कोटा देते हैं लाइसेंस मिलता है राशन बेचने के लिये, वे भी आज आपके शासनकाल में आन्दोलनरत हैं क्योंकि उनके ऊपर निगरानी हो रही है। आपने तीन महीने का लाइसेंस बढ़ाया है रिन्युवल का, बाकी आप क्या करना चाहते हैं, यह कुछ पता नहीं चल पा रहा है? मान्यवर, आज यहां विधान भवन के समक्ष अंशकालिक महिला डाक्टर अनशन पर बैठी हैं और भी तमाम कर्मचारी, शिक्षक, छात्र धरने व अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं का कोई पुरसाहाल नहीं है। प्रतापगढ़ के आटो ट्रैक्टर कम्पनी के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। आपने भी कहा था कि सौदा गलत हुआ, कहा तो सौदा गलत हुआ लेकिन उसे रद्द करने का आपने इरादा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के आटो ट्रैक्टर का जो सौदा गलत तरीके से किया गया, उसे सिपानी समूह के हाथों में बेचा गया है, उस सौदे को रद्द किया जाय। वहां के हजारों-हजार मजदूर आन्दोलनरत हैं, वे भूखों मर रहे हैं, उनकी आप हिफाजत कीजिये।

मान्यवर, आज प्रदेश में विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। किसी भी दफ्तर वाले से पूछिये विकास कार्य के सम्बन्ध में जवाब मिलता है पैसा नहीं है। परसों मेरी जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता से बात हुई मैंने पूछा कहिए क्या हाल है, कहने लगे कि कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिये पैसे नहीं हैं। सिंचाई विभाग से कहा जाय कि फलां जगह पुलिया बननी है, माइनर खुदनी है तो जवाब मिलता है कि पैसा नहीं है। आखिर कहां से यह छूत की बीमारी सभी विभागों को लग गयी है कि पैसा नहीं है? अभी आठ महीने पहले पैसा ही पैसा था। आपके शासन में आने के बाद यह पैसा कहां चला गया, यह प्रदेश की १३ करोड़ जनता को जानने का अधिकार है ? इसका जवाब आप देंगे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से योजना में रुपया भारत सरकार को प्रदेश को देना चाहिए, यह आज की मांग नहीं है, यह मांग जब यहां बाबू सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे, तब से चली आ रही है। मैं समझता हूं कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ, जब पं० जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, तो इस संबंध में प्रतिनिधित्व भी किया था। उस हिसाब से योजना खर्च मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश का हक मिलना चाहिए लेकिन सिर्फ भारत सरकार के ऊपर दोषारोपण करके, अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेना, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है। प्रदेश सरकार का कुछ कर्तव्य है, उसकी कुछ जिम्मेदारी है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है, उसको भी देखने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि प्रदेश की हालत बहुत खराब है। ऐसा मत समझिये कि आपसे सब प्रसन्न हैं। अपनी कार्य पद्धति में सचमुच बदलाव ले आयें और बदले की भावना से किसी काम को न करें। विरोध पक्ष का होने की वजह से उनकी सुनवायी न करें यह मैं समझता हूं कि सही नहीं है। इतिहास कभी-कभी बनता है और इतिहास में जो लोग चूक गये उनका नाम इतिहास में किन अक्षरों में लिखा जायेगा आप इसे जानते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, आप कहने लगे कि राम मन्दिर बनाने का वायदा किया था, मैंने आपके अध्यक्ष जी का बयान पढ़ा, श्री मुरली मनोहर जोशी, जो आपके अध्यक्ष हैं, का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई वायदा नहीं किया था। यह तो बजरंग दल, शिव सेना या विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों का वायदा था। आप अदालत की बात करने को तैयार नहीं हैं। अदालत के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। अदालत का न्याय सबसे ऊंचा होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था और सब बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था और जिन लोगों ने दस-दस साल तक कार्य किया और आज उनको निकाला जा रहा है तो उनकी नियुक्ति करने की बात आपको तय करनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो घोषणा आप यहां पर करते हैं भय-मुक्त समाज की, न्याय की, इन्साफ की वह आज नहीं है. आज हर तबका नाराज है। आप चाहे कहिये या न कहिये। मैं समय रहते हुए आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप कार्यपद्धति में सुधार लायें वरना यह प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम चीजें दर्शायी गयीं वहीं कुछ चीजें राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ने से छूट गयीं। इस संबंध में मात्र आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो कि राम के नाम का सहारा लेकर सत्ता में आयी तो है परन्तु इस सरकार को चाहिए था कि आप राम का नाम का सहारा लेकर तो सत्ता में आ गये मगर अब राम का सहारा छोड़कर गीता में दिये गये उपदेशों की तरह कर्म का सहारा अपनायें, जिससे आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। मान्यवर, राम का सहारा लेकर इस पूरे प्रदेश को समन्वय की स्थिति में नहीं चलाया जा सकता। यह देखा गया कि इस समय कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं, दलितों पर लाठियां चलायी जा रही हैं। धीरे-धीरे यह स्थिति वर्तमान सरकार की आ गयी है कि इतना ज्यादा पार्टी में पार्टीवाद हो गया है, जातिवाद हो गया है कि ऐसा लगता है कि कहीं पार्टी में ही शादी-ब्याह न करने लग जायें. मान्यवर, इन्होंने इस ढंग से जहर बोना प्रारम्भ किया है। श्रीमन्, गीता में लिखा गया कर्मवाद एक ऐसी चीज है (इस समय २ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष

पुनः पीठासीन हुए) जिससे कि सबको समानता से चलाया जा सकता है। मान्यवर, मैं राम की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या राम महान थे, जिन्होंने व्यक्तिगत जिन्दगी के लिये लोगों का इस्तेमाल किया या महात्मा गांधी महान थे, जिन्होंने पूरे समाज के लिये अपना सब कुछ छोड़कर काम किया। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी महान थे, जिन्होंने अपने लिये कुछ न करके पूरे समाज के लिये, दलितों के लिये, हिन्दू, मुसलमानों, सवर्णों, पिछड़ों सभी के लिये काम किया और सभी को एक दूसरे के गले से गले मिलाने का काम किया। मान्यवर, राम महान नहीं थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिये लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन राम का नाम लेने वालों ने ऐसे महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना अपने किसी साथी से बनवा दिया।

अब आप स्वदेशी आन्दोलन चला रहे हैं। मान्यवर, स्वदेशी आन्दोलन चलाने वाले व्यापारियों की पार्टी की दुकानों पर सबसे ज्यादा स्वदेशी माल भरा पड़ा है.....

(इस पर सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों की हंसी)

मान्यवर, स्वदेशी नहीं विदेशी माल भरा पड़ा है। मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में इतना अवश्य जोड़ लें कि ये राम का सहारा छोड़कर गीता का पन्ना पलटकर कर्मवाद का सहारा लें और हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और किसान सभी को साथ लेकर चलें, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

इधर से पहले बुलाया है, उसका कारण है, आप लोग बैठें।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर मुझे विचार रखने की अनुमति दी। श्रीमन्, वर्तमान सरकार ने अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को महामहिम राज्यपाल के मुख से मुखरित कराया है, उसको बड़ी गौर से पढ़ा है, लेकिन हमें लगा कि इस अभिभाषण में कोई भी ऐसा ठोस कार्यक्रम सरकार की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो सके। मान्यवर, माननीय नेता सदन जब विपक्ष में बैठते थे तो एक गम्भीर व्यक्तित्व की छाप छोड़ते थे, ऐसा महसूस होता था कि जब यह नेता सदन हुए हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष में रहने पर इनके मन में जो कसक, जो दुख प्रदेश के चतुर्मुखी विकास न होने से होता था। माननीय मुख्य मंत्री जी कुर्सी को सम्भालते ही विकास की धाराओं को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे और प्रदेश का विकास होगा। लेकिन श्रीमन्, अभिभाषण को पढ़ने से निराशा ही हाथ लगी। अभी नेता, कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे थे। कुछ बातों की ओर उन्होंने इशारा भी किया। जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, विकास के नाम पर कोई भी काम बिल्कुल नहीं हो रहा है. विकास के सारे कार्य ठप्प हो गये हैं। इसके कारण क्या हैं, मैं नहीं जानता, बाहर जो चर्चायें हो रही हैं, उनमें ये सुनने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आ रहा है कि सरकार की यह सोच है कि अभी हम विकास के कार्य नहीं करेंगे। कहीं लोगों के मन में यह भावना न आ जाय कि पिछली सरकार के जो कार्य थे, उन्हें यह सरकार आगे बढ़ा रही है। जब यह नया बजट पेश कर लेंगे, तब उसके बाद यह विकास का कार्य शुरू करेंगे। जिससे जनता को यह लगे कि यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। श्रीमन्, आप भी पुराने सदस्य हैं। इस प्रकार की सोच किसी भी राजनैतिक पार्टी या शासन की ठीक नहीं है। यह परम्परा भी रही है कि जो भी नई सरकार आती है, पुरानी सरकारों ने जितने भी कार्यक्रम लागू किये हैं, या वे अधूरे पड़े हैं या शुरू ही नहीं हुए हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को पूरा कराने की दिशा में काम करती है। परन्तु इस सरकार ने एक नया काम किया है। पिछली सरकार ने जो कार्यक्रम लागू किये थे, जिनमें से कुछ पूरे हो गये थे, कुछ अधूरे थे या जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ था, उनकी स्वीकृतियां हो गयी थीं, वर्तमान सरकार ने उन सारे कार्यों को रोक कर विकास कार्यक्रमों को ठप्प कर दिया है। आज प्रदेश की जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। माननीय श्री ऊदल जी ने कहा कि बलिया जिले में विकास संबंधी बैठक हुई । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे जनपद में ८ विधान सभा क्षेत्र हैं, केवल आठ गांवों के विद्युतीकरण को रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक विधान सभा क्षेत्र में केवल एक गांव का विद्युतीकरण होगा। सड़कों के लिये जो पैसा मिला, वह एक विधान सभा में केवल एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिये पैसा दिया गया है। १९८६-८७, ८८ तथा १९८९ में जूनियर हाई स्कूलों व प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु पिछली सरकारों ने अरबों रुपये दिया था क्योंकि विपक्ष में बैठकर तमाम लोग इस बात का रोना रोते थे कि भवनों के न होने के कारण देहाती क्षेत्रों में बच्चो को पेड़ों के नीचे पढ़ना पड़ता है । बरसात हो, जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, उन्हें पेड़ों के नीचे पढ़ना पड़ता है। उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिये पिछली सरकारों ने, विशेषकर माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी सरकार के समय यह घोषणा की थी कि हम प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करेंगे और जिन प्राइमरी स्कूलों के भवन नहीं हैं, उनका निर्माण करायेंगे ? श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि जब से उन्होंने शपथ ली है, उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश में अभी तक किसी भी गांव में प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं राम-रोटी के इंसाफ के विवाद में नहीं फंसना चाहता हूं। कोई भी ऐसा हिन्दू नहीं होगा, जो सबेरे उठकर राम का नाम न लेता हो। क्या आप ही लोग राम का नाम लेते हो, क्या आप ही राम के भक्त हो ? राम के नाम पर इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर, विकास के कार्यों को ठप्प कर देना न्यायोचित नही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय नेता सदन से विपक्ष में रहकर प्रदेश के विकास कार्यों में जो आपके दिल में कसक थी उसके तहत अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो उत्तर भाषण जब दें उसमें बतायें कि कौन-कौन से विकास कार्यक्रम आपने चलाये हैं, कितने प्राथमिक स्कूलों के भवन बनाये हैं, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है, कितने गांवों में जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प लगवाये हैं ? आपने जो घोषणायें की हैं उनमें कितना कार्य हुआ है अगर यह कोई कार्य नहीं हुए हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए यह कह कर कि हम सरकार चलाने में अक्षम हैं। नहीं तो आपने जो बाहर नारा दिया था उसको बन्द करके विकास कार्य करें, प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिये कार्य करें और जो कार्यक्रम आप चलायें उस पर अडिग रहें। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दें।

कानून व्यवस्था के नाम पर माननीय नेता सदन और सत्ता पक्ष के लोग, संसदीय कार्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने बड़ी-बड़ी घोषणायें इस सदन में की हैं और बाहर भी की हैं लेकिन मैं केवल एक मामला छात्रों का लेता हूं। इस प्रदेश में वर्तमान शासन के आने के बाद जितना उत्पीड़न, जितनी पिटाई, लाठी

गोली इस सरकार ने छात्रों पर चलायी उतनी विगत १० वर्षों में चाहे कोई सरकार रही हो उससे आधी भी नहीं चलायी। (व्यवधान) झूठ नहीं.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। आप अपनी बात कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं बलिया जिले की घटना बताता हूं वहां गोली से एक छात्र मर गया और तीन घायल हो गये। गोली चलाने का क्या कारण था इसकी जांच सरकार ने आज तक नहीं की ? हमको जानकारी है कि एक लड़का एक्सीडेंट में मर गया था। छात्रों ने वहां के एस० पी० और कोतवाल से मांग की कि उस लड़के को जो बीच चौराहे में मरा पड़ा है उसकी लाश को हटा दें। लेकिन वह लाश तीन घंटे तक पड़ी रही किसी पुलिस वाले ने नहीं उठाया। तो यकीनन आप भी होते तो उत्तेजना आती। तो जब छात्रों में उत्तेजना फैली तो उन्होंने प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला तो उस प्रदर्शन में ३, ४ दरोगा जो आततायी थे उन्होंने जिलाधिकारी से जो कहीं से आ रहे थे उनसे गोली चलाने के आदेश ले लिये और इस प्रकार निर्दोष छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। मऊ की घटना आपको याद होगी वह लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंक है ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ चाहे वह किसी दल का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल का हो, चाहे समाजवादी जनता दल का हो, चाहे बी० एस० पी० का हो या बी० जे० पी० का हो इस तरह से किसी के लिये अपशब्द नहीं कहे जाते हैं। जिला प्रशासन ने जो कार्य किया वह अत्यन्त निन्दनीय है। जनता दल और बसपा के लड़कों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। वहां जिलाधिकारी मऊ घटना स्थल पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लोकतंत्र को मैं दिखाता हूं। दो लड़कों को नंगा करके उनको गंदी-गंदी गालियां दी गयीं और एक लड़के के गले से जनेऊ उतार कर सरे आम पीटा गया वहां के सी० ओ० और कलेक्टर ने लड़कों को मार-मार कर बुरी-बुरी गालियां दीं और उनसे थुकवाकर चटवाया और कहा कि यह हमारा लोकतंत्र है अब तुम्हारा लोकतंत्र कहां है बताओ ? लोकतंत्र के नाम पर यह सरकार भयमुक्त समाज की बात यह करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी क्या इसी को भयमुक्त समाज कहते हैं ? मऊ में क्या हुआ, बलिया में क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हुआ क्या इन सब की आपने जांच करायी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? अगर नैतिकता हो तो इसकी जांच कराते। आप राम के नाम पर सरकार चलाने की बात करते हैं तो इससे शासन नहीं चलता है। इस प्रकार आप शासन नहीं चला सकते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सरकार से छात्रों, किसानों और मजदूरों को राहत न मिले उस सरकार का मुख्य मंत्री सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और अक्षम सरकार चले इसकी हमारी इजाजत नहीं है।

श्री नवल किशोर–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक १० फरवरी, १९९२ को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण और जिसके लिये श्री बसंत लाल गुप्ता ने प्रस्ताव किया है और श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव ने अनुमोदन किया है, अपने को सम्बद्ध करते हुए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।

मान्यवर, इस भाजपा सरकार को इस प्रदेश में आये हुए ८ महीने हो गये हैं और इसके कार्यों का सिंहावलोकन किया जाये तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह सरकार जनता के लिये समर्पित सरकार है। मान्यवर, जैसा कि इस सदन में चर्चा हुई कि योजना आयोग ने जो धन इस वर्ष योजना के लिये

दिया वह २५५९ करोड़ का था जब कि कार्यकारी दल योजना आयोग ने ४५४२.१ करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत किया था। इस प्रकार १९८३.१ करोड़ रुपये कम दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि गत वर्ष ३९१० करोड़ रुपये की योजना थी और उसके अनुसार १३५१ करोड़ रुपये इस साल सरकार को कम मिले हैं। इस प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी हैं जिन्होंने १९५१ से आज तक इस प्रदेश के लिये केन्द्र सरकार से संघर्ष किया है। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि १८०० करोड़ रुपये का व्यय गत वर्ष की योजना में रह गया था और फिर गढ़वाल में आया भीषण भूकम्प, अनावृष्टि और अतिवृष्टि, १२ करोड़ का उर्वरक पर अनुदान दिया क्योंकि केन्द्र सरकार ने दाम बढ़ा दिये थे इसलिये हमारी सरकार ने उस पर किसानों को सब्सिडी दिया, इसी प्रकार १८ करोड़ रुपये कापी किताबों में सब्सिडी के रूप में दिया क्योंकि उनके मूल्य बढ़ने जा रहे थे इसलिये सब्सिडी दिया। इस प्रकार सरकार ने जनता को बहुत राहत पहुंचायी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम योजना आयोग का ६० प्रतिशत ग्रामीण विकास में खर्च करेंगे, तो मैं महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं कि अभिभाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा की है।

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीतापुर के ग्राम परसदा में जयनरायन द्विवेदी इण्टर कालेज के सभागार में स्पष्ट घोषणा किया कि गांव के विकास पर बजट का ६६ प्रतिशत भाग खर्च करेंगे।

मान्यवर, इस प्रदेश की जनसंख्या ७५ प्रतिशत गांवों में निवास करती है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि गांव उठेगा तो प्रान्त उठेगा और प्रान्त उठेगा तो देश उठेगा। इसलिये नई सरकार ने किसान सेवा केन्द्र खोले हैं। मेरे ही जनपद बुलन्दशहर में हर गुरुवार को सेवा केन्द्र की बैठक होती है। कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। इकाई निर्धारित मानक के आधार पर हुई है। दिसम्बर तक एक लाख निःशुल्क बोरिंग हुई हैं। ६ माह में निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ है। (व्यवधान) जबकि वर्ष १९८८ में २१,९१७, १९८९ में २३,३०१, १९९० में कुल १८,६४९ का उर्जीकरण हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री नवल किशोर–

इस तरह मान्यवर, हमारी सरकार ने काफी विकास के कार्य किये हैं। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास सूची में नाम हैं, मैं उसी क्रम में बुलाऊंगा। सबको समय मिल जायेगा।

* श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन पर मैं अपना बल देते हुए कहूंगा कि मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा। उसमें कहीं पर भी अल्पसंख्यकों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में कोई बात उसके अन्दर नहीं पढ़ी। मान्यवर, जिस तरह से इस सरकार ने यह कहा है कि यह भय मुक्त समाज रहेगा। मान्यवर, इस भय मुक्त समाज को देने वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि एक अल्पसंख्यक मुसलमान इस प्रदेश के अन्दर है, जो बिल्कुल असुरक्षित है। मान्यवर, ध्यान देकर देखें, बनारस, हापुड़, मेरठ ऐसी जगहें हैं, जहां पर मुसलमानों को सताया गया है। मारा गया है। इतनी ही नहीं मान्यवर, रामपुर जिले के अन्दर खास तौर से एक समुदाय के मुसलमानों को गला काट कर मार दिया गया। इसमें १४-१५ आदमियों को मारा गया है। उर्दू ज़बान को खत्म किया जा रहा है। मान्यवर, उर्दू ज़बान किसी एक सम्प्रदाय की ज़बान नहीं है। यह पूरे हिन्दुस्तान की ज़बान है। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई की ज़बान है। इसके बारे में मैं चाहता था कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में कहते कि उर्दू ज़बान को उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। वह ऐसी घोषणा करते। इतना ही नहीं मान्यवर, मुसलमानों के बारे में किसी मंत्री ने कुछ कह दिया तो उसे मंत्री पद से ही हटा दिया गया। एक मंत्री थे, मुसलमान से हमदर्दी रखते थे, उन्हें मंत्रि परिषद् से हटा दिया गया। मान्यवर, मुसलमान इस देश का एक नागरिक है। इसने बड़ी-बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिये की हैं, आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। इस बात का गवाह इतिहास है। इतिहास में मुसलमानों की कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता। जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये, वह चले गये लेकिन जो हिन्दुस्तान में रहे वो यह सोचकर रहे कि हिन्दुस्तान हमारा वतन है। हमको जान से प्यारा है। हमें इसे प्यार करना चाहिए। हमें इसे बचाना है। मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भयमुक्त समाज देंगे वो भूल गये कि यहां पर मुसलमान भी रहते हैं जो कि जबरदस्त भय के मारे हुए हैं। मान्यवर, जिनके साथ बीतती है, उसे आवाज उठानी ही पड़ती है। मैं तो यह सोचता था कि यह सरकार बतायेगी कि हमारे बारे में जो लोग कहते थे वह सही कहते थे। हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जैसे बाहर थे वैसे ही अन्दर से भी हैं। मान्यवर, मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, जिला मुरादाबाद, वहां सम्भल मेरा क्षेत्र है। वहां पर कोई साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुए हैं। एकता का माहौल है। मुसलमान और हिन्दू मिलकर रहते हैं, तो कहीं राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि जो आदमी मिलकर रहेंगे, देश के लिये अपना सहयोग देंगे, उनके लिये कुछ किया जायेगा। मुरादाबाद के लिये कोई योजना नहीं है। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी थे तब यह कहा गया था कि सम्भल को जिला बनाया जायेगा, लेकिन सम्भल को जिला नहीं बनाया गया। बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। यह प्रगति के रास्ते को ढूंढ रहा है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर जी से अनुरोध करूंगा कि सम्भल को जिला बनाया जाए।

* श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, बसन्त लाल जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी विषम परिस्थितियों में प्रदेश सरकार को सेवा करने का अवसर मिला वह परिस्थितियां थीं कर्फ्यू ग्रस्त, दंगाग्रस्त प्रदेश, बलात्कार, चोरी, राहजनी, अब इस सरकार ने इस प्रदेश को दंगारहित प्रदेश, भयमुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूर्ण करने में पूर्ण सक्षम है। पिछली सरकारों में खुले आम सीना खोलकर अपराधी घूमते थे अब वर्तमान सरकार में अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गये हैं या कहीं छिप गये हैं। आज शरीफ लोग सीना तानकर घूम रहे हैं और उनके जान माल की पूरी सुरक्षा की जा रही है। हिन्दू मुसलमान के लड़ाई झगड़े नहीं हैं। कल्याण सिंह जी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्याणकारी और न्यायकारी सरकार एक ही दृष्टि से सबको देखती है। अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिये शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस सरकार को भी दैवी आपदा का सामना करना पड़ा। गढ़वाल में भूकम्प आ गया। इस सरकार ने केन्द्र सरकार से १५२ करोड़ रुपये की मांग की। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार की मांग को ठुकरा दिया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उत्तर प्रदेश भारत में नहीं आता है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को भारत नहीं मानती है। २,५० करोड़ रुपया प्रधान मंत्री कोष से मिला। प्रदेश सरकार ने १५२ करोड़ रुपये की मांग की थी। मान्यवर, मंदिर निर्माण के लिये इस सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिये कार्य कर रही है। यह कल्याणकारी सरकार, न्यायकारी सरकार बातों से समस्याओं को नहीं सुलझाती है। यह सरकार कार्य करती है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल–

अभी तो मान्यवर, मुझे बोलते हुए आधा मिनट हुआ है। थोड़ा समय और दे दें। हमारी सरकार ने वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने का कार्य किया है। १९९१ के मध्य राशन कार्ड के २ करोड़ ६० लाख फर्जी यूनिट निरस्त किये गये हैं। हमारी सरकार ने व्यापारी वर्ग से अपेक्षा की है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकें। हमारी सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये प्रयत्नशील है। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि राम राज्य और कल्याण राज्य में कोई अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल–

प्रदेश की जनता कहती है कि जो न्याय सुना था राम राज्य में, अब देखा कल्याण राज्य में। जिस प्रकार से राम अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा को हर प्रकार की सुविधा देते थे उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी प्रदेश के १४ करोड़ नर-नारियों का ध्यान रखते हैं और जनता की जानमाल की सुरक्षा के लिये पूरी तरह से तत्पर हैं। ऐसा मुख्य मंत्री अभी तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैंने विधान सभा में एक सवाल उठाया था जिसमें मैंने मांग की थी कि सभी विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोटा ३० अप्रैल, ९२ तक पूरा किया जाय। लेकिन इस सरकार ने ३१ मार्च तक इस कोटे को पूरा करने के लिये संकल्प उठाया है जिसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठिये।

श्री किशन गोपाल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा। आप बैठिये।

श्री किशन गोपाल–

मुझे २ मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप धन्यवाद देते हुए अपनी बात एक वाक्य में समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल–

आप कहते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं, आखिर में मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह भयमुक्त समाज की संरचना करने वाली और राम मंदिर के नाम पर बनी सरकार जब से आयी है तब से प्रदेश का विकास रुक गया है। जब विरोधी दल के नेता बोलने के लिये खड़े होते हैं और यदि काम का नाम लेते हैं तो यह भा० ज० पा० के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैं इन भा० ज० पा के लोगों से और मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार बनने के बाद क्या इस प्रदेश में महंगाई बढ़ी नहीं, क्या इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, क्या इस प्रदेश में दंगे बढ़े नहीं क्या इस प्रदेश में जातिवाद बढ़ा नहीं, क्या इस प्रदेश में सम्प्रदायवाद बढ़ा नहीं, क्या इस प्रदेश में क्षेत्रवाद बढ़ा नहीं, क्या इस प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा नहीं है ? आपको मालूम होगा कि अभी पिछली बार इस सदन में उत्तराखण्ड नाम का एक प्रदेश बनाने का एक प्रस्ताव आया था उसके बाद मेरा एक प्रस्ताव हुआ था कि पूर्वांचल बनाया जाय। उत्तर प्रदेश भारत का सिरमौर है उसको बांटने के नाम पर भा० ज० पा० प्रस्ताव लायी थी। श्रीमन्, पिछली बार कल्याण सिंह जी इस सदन में थे तो उनको वहां पर बैठने का अवसर मिला था। (इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता डा० सोमनाथ शुक्ल पीठासीन हुए) श्रीमन्, माननीय कल्याण सिंह जी वहां पर बैठा करते थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर माननीय कल्याण सिंह जी बैठे थे तो पिछली बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई थी तो बेरोजगारी के सवाल पर माननीय कल्याण सिंह जी ने बड़ा भारी प्रवचन दिया था और कहा था कि सरकार को बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए या बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। यह मान्यवर, वह भाषण है जो पिछली साल कल्याण सिंह जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया था। मैं आज उस पर बल देता हूं कि सरकार बेरोजगारों को भत्ता दे या बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ करावे। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश का कल्याण करने वाले हैं, जो सदन के नेता के रूप में बैठे हैं। अब बेरोजगारी भत्ता कहां गया ? मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने का मौका मिला, कहीं बेरोजगारी भत्ता या बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई अवसर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अंकित नहीं है।

नोट:–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दूसरी बात कहूंगा कि शिक्षा के प्रसार के बारे में एक उदाहरण दूंगा, हमारे क्षेत्र में एक बी० आर० के० इण्टर कालेज है, शिक्षा मंत्री मौजूद नहीं हैं। मैंने उनसे तीन-चार दिन पूर्व अनुरोध किया था कि वहां दो साल से भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। लड़कों के पास अध्यापक नहीं हैं। मैंने कहा सवाल इस बात का है कि आपने विधेयक पास कर दिया उत्तर प्रदेश के सदन में कि जो नकल करेगा व नकल में जो पकड़ा जायगा, उसे दण्ड देंगे, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि आपने पढ़ाया ही नहीं, शिक्षा का अवसर ही नहीं दिया और आप कहते हैं कि नकल करेगा तो दण्ड देंगे। आपको विशेषाधिकार है, बिल पास करा लिया, लेकिन शिक्षा के नाम पर अध्यापक की नियुक्ति नहीं की। दूसरी बात कहूंगा मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां पर श्रीमन्, न कोई टाउन एरिया है, न महाविद्यालय है, न कन्या महाविद्यालय है। मैं बताऊं कि कम से कम १० इण्टर कालेज हैं उस क्षेत्र में। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, गोरखपुर मण्डल के इंचार्ज हैं, मैंने इनसे अनुरोध किया था, माननीय अध्यक्ष जी चले गये, उनको अपने यहां इण्टर कालेज श्री राम सुन्दर पाण्डेय सर्वोदय इण्टर कालेज, गजियापुर, मऊ ११ जनवरी को ले गया था उनको दिखाया कि कैसे हो रहा है ? उन्होंने कहा अपने भाषण में, माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय देखने को नहीं मिला उसको महाविद्यालय बनाने में क्या दिक्कत है ? बिजली के बारे में कहा, मैं पूरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखता हूं , कोई भी ट्रांसफार्मर, यह सबके ऊपर होगा, उधर के लोगों पर भी होगा, सबके ऊपर होगा, दिल पर हाथ रखकर सोच लें, अगर ट्रान्सफार्मर गिर जाता है तो बिना काश्तकरों द्वारा पैसा दिये, एक भी नहीं लगाया जाता है। तीन-चार-पांच हजार रुपये देने पड़ते हैं तब ट्रान्सफार्मर लगता है। अगर गलत है तो भाजपा के चुनकर आये लोग बता दें और सोचें कि क्या गलत है और क्या सच है ? एक बात और कहूंगा पानी पीने की बात, हैण्ड पम्प पिछली सरकार में मैं था, जो विधायक निश्चित कर देते थे, वहां हैण्ड पम्प लगा दिया जाता था, जबसे भाजपा की सरकार बनी, एक भी हैण्ड पम्प जिला योजना में जिला केन्द्र पर नहीं गया। कोई गया हो तो बता दें ? श्रीमन्, एक और बात आपसे बताना चाहूंगा कि माननीय कल्याण सिंह जी भाजपा के नेता थे पिछली बार और माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे, उन्होंने पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने एक पत्र सभी विधायकों को लिखा था कि १० लाख रुपये की योजना बना कर दो और मैं पी० डब्लू० डी० से सड़क दूंगा। माननीय कल्याण सिंह जी भी दिये होंगे, माननीय गुप्त जी भी दिये होंगे और पी० डब्लू० डी० के मंत्री माननीय डंग साहब भी दिये होंगे। मैं माननीय मुलायम सिंह के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने सबको पत्र लिखा, उसी योजना के अन्तर्गत ३ सड़कों की स्वीकृति शासन ने हमें दी, शासनादेश संख्या लोक निर्माण विभाग ११/९१ दिनांक २ अप्रैल, १९९१, जो कि श्री हरिश्चन्द्र, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर से था, उक्त स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन मान्यवर, वे सब सड़कें बनाना इस सरकार ने स्थगित कर दिया। मैं कहता हूं कि भा० ज० पा० के लोग जहां पर चुनाव जीते हैं, वहां पर आपने स्थगित नहीं किया और जो अन्य दल के लोग चुनाव जीते हैं, वहां पर आपने स्थगित कर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से १० बार मिला। मान्यवर, विकास का काम तो आपको करना चाहिए। पिछली सरकार ने श्रीमन्, धन दिया, उस पर काम हुआ और काम होने के बाद ५० प्रतिशत काम हो गया और आपने काम को रोक दिया और इस सरकार ने कोई धन नहीं दिया। पिछली सरकार ने जितनी योजनायें दी थीं, सब काम ठप्प कर दिये गये हैं। श्रीमन्, १२ लाख रु० पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र मधुबन से सोनाडीह तक सड़क पर पुल बनाने के लिये स्वीकृति दी थी, उस पर काम रोक दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने ट्यूबवेल हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपकी सरकार अगर किसानों की सरकार है, तो कम से कम किसानों के लिये सरकारी ट्यूबवेल ठीक करा दें। इन शब्दों के साथ जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है, उस पर मैं बल देता हूं।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बसन्त लाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत तथा श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिये गये वक्तव्य से मैं अपने को सम्बद्ध करती हूं। मान्यवर, जब यह सरकार आयी, तो विरासत में पूर्व सरकारें, खासकर पूर्व सरकार द्वारा जर्जर आर्थिक स्थिति, कानून व्यवस्था के नाम पर, जंगल का राज्य राजनीति का अपराधीकरण घोर साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद मिलने के बाद भी इस सरकार ने अपने अल्प समय में जो कल्याणकारी कार्य किये हैं, मैं समझती हूं कि पिछली सरकारें ४४ वर्षों में नहीं कर पायीं। मान्यवर, यह सरकार द्रुत गति से कार्य ही कर रही थी कि १९-२० अक्टूबर की रात में आये गढ़वाल में भूकम्प में भारी जन हानि हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी की इस सरकार ने युद्ध स्तर पर दवायें, गर्म कपड़े, कम्बल, खाद्यान्न और विशेषकर आवास की जो व्यवस्था की, उसके लिये बधाई के पात्र हैं। यही नहीं, प्रदेश के तमाम स्वैच्छिक संस्थाये, बालक-बालियकायें एवं नागरिक भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पीड़ित मानवता के प्रति उनका दर्द समझ कर आर्थिक सहयोग किया। मान्यवर, चाहिए तो यह था कि सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर पीड़ित मानवता के प्रति हमदर्दी का भाव लेकर केन्द्र सरकार से ४०० करोड़ रु० की क्षतिपूर्ति के लिये मांग करते। मान्यवर, एक दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने महाभारत में संजय को दी थी कि वह युद्ध का सही विवरण धृतराष्ट्र को सुनायें और एक दिव्य दृष्टि नेता विरोधी दल व नेता कांग्रेस को दी, फर्क इतना है कि संजय को सच दिखायी देता था इन्हें उल्टा ही उल्टा दिखायी देता है। लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता और माननीय कांग्रेस के नेता तिवारी जी को दिव्य दृष्टि नहीं मिली है, इसलिये उनको उल्टा ही उल्टा दिखाई दे रहा है।

मान्यवर, गढ़वाल में भूकम्प आया और हमारी सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से सहायता काम किया, उसको दलगत राजनीति को भुलाकर, जनता की भलाई की दृष्टि से देखना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चहती हूं कि यह सरकार वास्तव में किसान हितैषी सरकार है। पिछली सरकार के मुख्य मंत्री धरती पुत्री सीता के भाई जो अपने को धरती पुत्र कहा करते थे और बड़ी शान से कहा करते थे, लेकिन उन्होंने किसानों के नाम पर जो भी काम किये वह उल्टे ही किये। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार किसानों की कल्याणकारी सरकार है और उनके हित के कामों को कर रही है। मैं कहना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार आयी है, उसने गन्ना किसानों को जो उनका बकाया था, उसको दिलवाया जबकि पिछली सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा करती थी नहीं दिलवा पायी। बी० जे० पी० की सरकार ने गन्ना किसानों का ६६ करोड़ रुपया दिलवाया और गन्ना का मूल्य चार रुपया प्रति कुन्तल बढ़ाने की घोषणा की जिससे किसानों को लाभ हुआ है, यह किसानों की सरकार है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं और आप जानते भी होंगे कि केन्द्र की सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये और सब्सीडी को समाप्त करने की घोषणा की, तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से बात किया और कहा कि जिस किसान ने प्रदेश और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाया है, उसी प्रदेश के किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम केन्द्र सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी, उनको अहित नहीं होने दिया। जो अभी तक सरकारें आयी हैं, उनकी आर्थिक नीतियां ऐसी रहीं जिससे उनके समय में विकास की गति तो धीमी रही ही प्रदेश के सरकारी खजाने का धन भी खाली हो गया और बात यह करते हैं कि हमने अपनी सरकार में विकास कार्य किया है। यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनके समय में जो कानून व्यवस्था थी, वह किसी से छिपी नहीं है, पूरे प्रदेश में दंगे ही दंगे सुनाई पड़ते थे। इनकी सरकार ने लोगों को दंगों की आग में झोंक दिया। इनके समय में साजशी

तरह से दंगे कराये गये और जनता की गाढ़ी कमाई को गंवाया गया। जो माफिया गिरोह थे, उनका बोलबाला था, गुण्डागर्दी चरम सीमा पर थी और इनके समय में लोग घरों से निकल नहीं सकते थे। जब से हमारी सरकार आयी है, भयमुक्त और दंगा रहित समाज की स्थापना का नारा दिया है और उस ओर इसने बहुत कुछ किया है और कर रही है। ढाई तीन महीने का समय बहुत अधिक नहीं होता है।

(व्यवधान)

सुन लीजिये, सुनने की हिम्मत रखिये। प्रदेश की जनता ने चुनौती दी है कि १५ में से १० सीटें प्राप्त हुई थीं, इससे साबित होता है कि यह सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। इतनी सीटें देकर जनता ने यह सिद्ध किया है कि उसने हमें लोकप्रियता का प्रमाण दिया है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि इनके शासन काल में २९ अपराधी छोड़े गये और उनमें से २८ अपराधी ऐसे थे जिनके खिलाफ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी थी कि वह घोर अपराधी हैं और उनको किसी भी कीमत पर रिहा न किया जाये, लेकिन इनकी सरकार ने उनको रिहा कर दिया। मान्यवर, १८०० लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दी गयी, बड़े-बड़े अपराधियों को सुरक्षा प्रदान की गयी और जो सुरक्षा कर्मी थे वह लौटकर वापस नहीं आये। पैरोल पर बड़े-बड़े माफिया सरगना, बड़े-बड़े अपराधी रहे हैं क्या यही उनकी कानून व्यवस्था, लोग भूले नहीं होंगे ? मान्यवर, यह सरकार जब जनता के हित का काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है। मान्यवर, यह वाराणसी में दंगा कराने जैसी घिनौनी साजिश रचते हैं अराजक तत्वों के साथ मिलकर और विपक्ष के लोग दंगा कराकर इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कहती हूं कि यह लोग दिन में भी देखना सीखें. यह सरकार केवल घोषणाओं पर चलने वाली सरकार नहीं है। घोषणायें और शिलान्यास तो पिछली सरकार के मुख्य मंत्री किया करते थे, जाने कितनी घोषणायें कर दीं। इस सरकार को कल भी उन्होंने कहा कि ६ महीने में उखाड़ फेंकेंगे, ८ महीने पहले भी कहते थे कि ६ महीने में उखाड़ फेंकेंगे और आज आठ महीने बाद भी कह रहे हैं कि ६ महीने में उखाड़ फेंकेंगे, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं इनकी ६ महीने की संख्या पूरी ही नहीं होती है ? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह सरकार निश्चित रूप से अबाध गति से ५ वर्षों तक जनता की सेवा करेगी और ५ वर्ष के बाद इससे भी अधिक संख्या में जीतकर आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(श्री जागेश्वर द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार चुनाव में राम रोटी और इंसाफ का नारा देकर सत्ता में आयी है। राम राज्य की कल्पना इस सरकार से पहले राष्ट्रपिता बापू ने की थी और उन्होंने उस रामराज्य को तीन बन्दरों के माध्यम से प्रदर्शित किया था – बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। मान्यवर, यह जो गांधीवादी पार्टियां थीं उन्होंने उस रामराज्य को लाने का काम किया है और आज इन गांधीवादी पार्टियों

का राम राज्य तो आ गया है आज यहां कोई बुराई देखने वाला नहीं है, कोई बुराई सुनने वाला नहीं है और कोई बुराई कहने वाला नहीं है परन्तु अब भाजपा का रामराज्य शुरू हो गया और इस भाजपा के राम राज्य में राम राज्य की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक शम्बूको का बध न हो। मान्यवर, शम्बूक ऋषि आश्रम पद्धति का विद्यालय खोलकर शूद्रों में चेतना जगाने का काम करते थे परन्तु यह सरकार आज शूद्रों में चेतना पैदा करने वाले लोगों को आज चाहे शारदा प्रसाद रावत गोरखपुर के हों या श्यामकरण यादव आजमगढ़ के हों चाहे हरदोई के राम पाल वर्मा जी के भाई कुबेर जी हों, ऐसे तमाम लोगो को जो शूद्रों में चेतना पैदा करने का काम करते थे उनको रास्ते से हटाने का काम यह सरकार कर रही है, यह काम राम राज्य का दृढ़ संकल्प करने वाली सरकार का है। मान्यवर, यह सरकार दूसरा काम कर रही है जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था चार लोगो के लिये "विप्र, धेनु, सुर, सन्त हित लीन्ह मनुज अवतार" और इस सरकार ने दो लोगो के लिये जन्म लिया है। मान्यवर, आज इस देश और प्रदेश का व्यापारी जमाखोरी करके कालाबाजारी करके जनता के हितों को ठेस पहुंचा रहा है। आज लगभग सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकारियों की बैठक में कहते हैं कि इस प्रदेश का जो मझला और छोटे तबके का व्यापारी है, उनके ऊपर छापा नहीं पड़ना चाहिए। कीमतें कहां से कहां जा रही हैं, यह रोटी कैसे मिलेगी, यह सवाल आज प्रदेश के लाखो गरीबो के सामने भयानक रूप में खड़ा है ?

मान्यवर, इंसाफ की दुहाई दी जाती है, यह देश, प्रदेश अगर संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार, कायदे-कानून के अनुसार चलता है तो बड़ी खुशी होती लेकिन स्थिति क्या है। इस देश के संविधान के तीन आधार हैं, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। मान्यवर, अगर देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं कोई नहीं रहेगा। फिर यहां तानाशाह बैठेंगे। मान्यवर, लोकतंत्र का नंगा नाच जो बुलन्दशहर में चुनाव के समय किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पेटियों में पहले से ही वोट भर दिये गये, जब चुनाव के दिन बूथों पर जो एजेन्ट थे उन्होंने जब मांग की कि बैलेट बाक्स खोलकर दिखाये जायं तब वोटिंग शुरू की जाय तो उनको डंडों से मारा गया,उनका खून बहाया गया। मान्यवर, हमारे दल की प्रत्याशी बहन सुश्री मायावती जी और भूतपूर्व सांसद श्री हरभजन सिंह लाखा जी वहां जब पहुंचे और उन्होंने स्थिति को देखा तो एफ० आई आर० लांज कराने के लिये थाने गये, उन्हें थाने में बन्द किया गया, बुरी तरह से मारा गया और जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके ऊपर कोई भी अपराध नहीं बनता है। फिर जब सारे नियम कानून फिसलते हुए नजर आये तो फिर रासुका के अन्दर सुश्री मायावती जी को और श्री हरभजन सिंह लाखा को बन्द किया गया। यह लोकतंत्र में क्या है, वोट इस तरह से लूटे जायेंगे, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था इस बारे में नहीं। मान्यवर, भय तो उन्हें होता है जो वोट डालने जाते हैं, जो वोट लूटते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिखता। वोट पड़ने की व्यवस्था इनके यहां तय नहीं की जाती, जो लूटने का ठेका लेते हैं उनके यहां तय की जाती है, उनके यहां पोलिंग बूथ बनाये जाते हैं।

मान्यवर, इस देश में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है, कश्मीर की अभी दुहाई दी जा रही थी। मान्यवर, जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय अगर कश्मीर वाले चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे या अपना अलग देश बना सकते थे। लेकिन, वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उस संकट की घड़ी मे भारत के साथ रहने का फैसला किया। एक समय था जब उन्होंने भारत के साथ रहने का फैसला किया लेकिन आज वे भारत से अलग होने का फैसला लेने की बात सोचते हैं तो उसके पीछे क्या कारण हैं, इसको हम सबको सोचना पड़ेगा। जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, हम बड़े भाई थे जिम्मेदारी हमारी थी उनको विश्वास में रखने की।

मान्यवर, जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गयी, मैं कहना चाहता हूं कि देश में जितने स्कूल हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूल हैं उनमें जब देवी देवताओं की प्रार्थना की जायेगी, छात्र चाहे किसी मजहब का हो चाहे वह सिक्ख हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो उसे भी वह जब प्रार्थना करनी पड़ेगी तो फिर यह धर्मनिरपेक्षता की बात कहां रह पायेगी, क्या यह धर्मनिरपेक्षता है। इस देश, प्रदेश में जितनी भी जगहों पर देखें, कचहरियों में देखें या अन्य कहीं देखें, नारे लिखे होते हैं, "मुस्लिम के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान।" "हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान" कहां से आया मुसलमान या तो इनको मारो जान से नहीं तो भेजो पाकिस्तान"। ऐसे साम्प्रदायिक नारे लिखने वाले कौन हैं, संविधान में आस्था रखने वाली सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर पायी है? आज तक सरकार उन्हें नहीं पकड़ पायी है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रिगण जो उद्घाटन का कार्य करते हैं चाहे किसी सरकारी कालोनी का उद्घाटन हो या किसी अन्य संस्था का उद्घाटन हो, वहां पर भूमि पूजन, मंत्रोचार के साथ और नारियल फोड़कर उद्घाटन कार्य सम्पन्न किया जाता है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है ? आज सरकारी जमीनों पर मंदिर बनवाये जा रहे हैं तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता है ? इसी तरह से मान्यवर, दंगे वहीं होते हैं जहां दंगे कराने वाले होते हैं। जहां पर मुसलमान मालदार होते हैं दंगा वहीं कराया जाता है और दंगा कराने वालों का काम सिर्फ दंगा कराना ही नहीं होता बल्कि उनकी जो बहू-बेटियां हैं, उनकी इज्जत लूटना, उनका कत्लेआम करना, उनकी धन-दौलत लूटना होता है। एक बात और कहना चाहूंगा यह जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनकी अपने ही देश में स्थिति क्या है ? आज जो गांव के सामन्तों के जुर्म से परेशान होकर रोजी रोटी की तलाश में भागकर शहर आते हैं, शहर में गन्दे नालों के किनारे वह अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना चाहते हैं तो उनको रहने नहीं दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ पंजाब और कश्मीर से लोग भागकर आते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की जाती है तो यह भेदभाव क्यों है ? आज इस देश में मुर्दों को दफनाने के लिये तो कई हजार एकड़ भूमि है मगर जो लोग जिन्दा इन्सान हैं उनके रहने के लिये उसी शहर में दो गज जमीन भी नहीं है तो मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था है। मान्यवर, इस समाज में शूद्रों के बारे में क्या व्यवस्था है। यहां पर शूद्रों और स्त्री को अछूत माना जाता था। पहले शूद्रों की हालत यह थी कि वह अगर गलती से वेद पाठ सुन भी लें तो उसके कान में सीसा पिघला कर डाल दिया जाता था, अगर वह उसको पढ़ लें तो उसकी जीभ काट ली जाती थी और यदि वह उसे याद कर ले तो उसका गला काट दिया जाता था तो वही व्यवस्था आज भी लागू है और यह इसलिये ताकि वह ज्ञान का अर्जन न कर सकें। एक बात और कहना चाहता हूं मुक्त और अनिवार्य एवं समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी परन्तु इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है वह हजूर और मजूर बनाने वाली है। एक तरफ तो अच्छी शिक्षा दी जाती है, गांव के प्राइमरी स्कूलों में जहां मां बच्चे को इन्सान बनने के लिये भेजती है, वहीं दूसरी ओर जब वह स्कूल में पढ़ने जाता है तो वह हैवान बन कर घर वापस आता है। अगर यह सरकार कटिबद्ध है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें। समय हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, थोड़ी देर और सुन लें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सफाई मजदूरों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । यह जो सफाई मजदूर हैं यह सड़क को सजाने का काम करते हैं, शहरों को अच्छा बनाने का कार्य करते हैं लेकिन उनके हित की कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। जो किसान खेती करते हैं उनके पास अपनी जमीन नहीं है वह जिसमें अपनी खेती करता है, लेकिन जिनके पास अपने खेत नहीं हैं जो खेती करना चाहता है तो उसके लिये कोई व्यवस्था आप करायें, इसी तरह से दस्तकारों के विकास के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जो हमारे लोहार, कहार और बुनकर इत्यादि भाई हैं उन लोगों के विकास की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस भाजपा सरकार ने जो चुनाव में नारा दिया था उसको वह पूरा नहीं कर पायी है यह उसमें फेल हो गयी है। यह सरकार जो डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मनाने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ जो उन्होंने संविधान बनाया था उसको तोड़ने का काम कर रही है, मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि या तो यह सरकार कानून के अन्तर्गत काम करे या फिर इससे पहले कि इस प्रदेश की जनता उन्हें उखाड़ फेंके यह खुद ही इस्तीफा दे दें।

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद अदा करता हूं। मैं राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। यह अभिभाषण सारगर्भित है और मैंने देखा कि इस अभिभाषण में प्रदेश की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के बारे में बात कही गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने हर समस्या का समाधान करने के लिये प्रयास किया है और सफल भी रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी अक्तूबर माह में गढ़वाल में भयंकर भूकम्प आया, वहां हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ उन भूकम्प पीड़ितों को राहत दी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में तीन बार जाकर वहां के लोगों के दुखदर्द को सुना और दिल खोलकर राहत दी। अभी मान्यवर, मैं हरिद्वार गया था, वहां भी मैंने देखा कि कुम्भ मेला हो रहा है और इस कुम्भ मेले में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। चाहे वह पेयजल सुविधा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो, हर प्रकार का निर्माण कार्य कराया गया है और हर सुख सुविधा प्रदान करायी गयी है।

मान्यवर, हम भयमुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश की बात करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था, जब इस देश और प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया था कि हम कोई भी सुरक्षित नहीं थे और हमारे तमाम नौजवान छात्रों ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी, एक वह सरकार थी। आज हमारे प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है और किसानों की सुविधा के लिये सब काम कर दिये गये हैं, गन्ना किसानों के लिये पहली बार प्रति क्विंटल ४ रुपये की वृद्धि की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है, इतनी वृद्धि किसी सरकार ने पहले कभी नहीं की। इसी प्रकार छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तकों पर अनुदान दिया गया, श्रमिकों के हित के काम किये गये, महिलाओं के कल्याण के लिये व्यवस्था की गयी, बाल विकास परियोजना लागू कर दी गयी। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का पुनः स्वागत करता हूं और सहृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री राम प्रसाद सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा और उसके आधार पर मुख्य रूप से ३ बातें मेरे समझ में आयीं। एक तो राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात के लिये कहा गया है कि जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वह भूकम्प पीड़ितों का सवाल हो, चाहे तराई में आतंकवादियो का सवाल हो और चाहे इस प्रदेश में अन्य औद्योगिक इकाइयों को लगाने का सवाल हो, यह कहा गया है कि केन्द्र द्वारा हमको वांछित सहायता नहीं दी गयी। दूसरी तरफ मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं पर, उसे रोकने के संबंध में अभिभाषण में जो चर्चा की गयी है, उसमें यही कहा गया है कि यहां के व्यापारी, कालाबाजारी, जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, उन्हें स्व अनुशासन का उपदेश दिया गया है। मान्यवर, इस उपदेश से इनके आचरण में सुधार होगा, महंगाई में कमी आयेगी? तीसरी तरफ कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों के लोग राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की तमाम समस्याओं पर विचार करेंगे। मान्यवर, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में मैं इस विधान सभा के अन्दर और बाहर जो देख रहा हूं, कानून-व्यवस्था की बड़ी दुर्गति है। मैं अपने जिले की स्थानीय स्थितियों को बताना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में तीन महीने के अन्दर एक दर्जन व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनको महीनों बन्द रखा गया, परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। १२ लोगों का अपहरण किया गया और उनसे वसूली की गयी। ऐसे प्रकरणों में कुछ वर्ग विशेष के राजनैतिक लोग व पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हैं, जिसके कारण रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। हमारे यहां ४-४ पत्रकार हैं सर्वश्री राजेन्द्र पाण्डेय, राजेन्द्र शुक्ल बांदा, श्रवण गौरव एवं कृष्ण दत्त दीक्षित अतर्रा। इनके खिलाफ ४-४ व ५-५ मुकदमे कायम करके इन्हें अपराधिक घोषित करने का षड़यन्त्र पुलिस की साजिश से किया जा रहा है उनके ऊपर हो रहे अन्याय की सुनवाई नहीं हो रही है। यही नहीं मान्यवर, हमारे यहां एक हास्पिटल के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, उनके साथ हाथा-पाई की गई और राहजनी में उनकी पत्नी की जंजीर खींच ली गयी। जब रिपोर्ट करने गये तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टे अपराधियों से मिलकर उनको झूठे मुकदमें में फंसा दिया। पी०डब्लू०डी० के दो कर्मचारी अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उनको पकड़कर पुलिस ने बन्द कर दिया वह लोग धरना प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वर्तमान में हमारे दो युवा साथी विधायक जो चुनकर आये हैं श्री निषाद जी व श्री दिनकर जी। श्री निषाद जी मऊ में मीटिंग करने गये तो कुछ असमाजिक तत्वों ने उन्हें मीटिंग नहीं करने दी और पुलिस ने इसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी। श्री दिनकर जी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन को सूचना देकर मीटिंग करने बबेरू गये थे, परन्तु उनको भी मीटिंग नहीं करने दी गयी पुलिस के गुण्डों दलालों ने पथराव किया। इसलिये आज सभी लोग पुलिस द्वारा सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट लिखकर बनावटी अपराधी बनाने की जो इस संस्कृति को जन्म दिया जा रहा है, उससे किसी को न्याय नहीं मिल पायेगा। जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो उसका राजनैतिक विरोध होगा, समाज में विद्रोह होगा या तो आप उन्हें अराजक घोषित कर देंगे या फिर आने वाले समय में उन्हें क्रान्तिकारी की संज्ञा दी

जायेगी। यहां पर हमेशा जन प्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा की बात कही जाती है। आपके इस तोता रटन्त वाले भाषण से प्रदेश की जनता को बहुत तकलीफ है। आम जनता यह चाहती है कि उन्हें पुलिस प्रशासन से राहत मिले। अभिभाषण में उनको कर्तव्यपरायण की संज्ञा दी गयी है। इसे पढ़कर मुझे तकलीफ हुई है। शान्ति-व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा है। व्यावहारिक जीवन में व विकास में इसकी प्रमुख आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की बात मैं कहना चाहता हूं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का विधेयक आप यहां पर लाये। हाई कोर्ट की न्यायप्रियता पर भी आपने प्रश्नचिह्न लगा दिया। क्या यही लोकतंत्र के सिद्धान्तों की रक्षा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले साल हमारे चित्रकूट गये थे। उसका उनको फल भी मिल गया है। आज वह सत्ता में मुख्य मंत्री हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या राम की जन्म भूमि रही है और चित्रकूट राम की कर्मस्थली जो कि बांदा जिला मुख्यालय से १५० कि० मी० दूर है। चित्रकूट कर्वी क्षेत्र का विकास रुका है पिछड़ापन है, दस्यु समस्या है प्रशासनिक कठिनाई ढेरों समस्याऐं हैं वहां की जनता को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चित्रकूट (कर्वी) क्षेत्र में सन् १९८८ से लगातार आन्दोलन चल रहा है। लोगों की मांग है कि चित्रकूट को जिला बनाया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला बनाने की मांग का समर्थन पहले किया था लेकिन अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बांदा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये संसाधन देना दूर रहा वहां जे० आर० वाई ० एवं आई० आर० डी० के वर्तमान बजट में ९ करोड़ रूपया मिला था उसमें ४.४७ करोड़ रुपयें की कटौती कर दी गयी जिले का विकास अवरुद्ध हो गया है। बांदा को और पीछे ढकेलना है बांदा की जनता के साथ घोर अन्याय है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्रसाद सिंह–

आई० आर० डी० के प्रोजेक्ट की १० हजार की सीमा निर्धारित है जिले में सिंचाई संसाधनों के बढ़ाने की दृष्टि से इस श्रेणी में आने वाले लोग निःशुल्क बोर के लाभार्थियों को ५ हार्स पावर का पम्प सेट मिल जाता है बांदा में पानी गहराई में है वहां ८ हार्स पावर का पम्प सेट उपयोगी है इसके लिये तभी सम्भव है जब आई० आर० डी० में निःशुल्क बोर के लाभार्थी के प्रोजेक्ट की सीमा १५ हजार कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें मैंने श्री बच्ची सिंह रावत को बुलाया है।

श्री राम प्रसाद सिंह–

सरकार के इस अभिभाषण में रेखांकित नीतियों से जनता को राहत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तमाम योजनायें भी काट दी गयी हैं। मैं संशोधन पर बल देता हूं।

* श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया। मैं श्री बसन्त लाल गुप्ता जी के धन्यवाद प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश को समदृष्टि से देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में तमाम विकास की योजनायें प्रस्तुत की गयी हैं और विकास का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका विस्तृत वर्णन मेरे साथियों ने किया है उस पर मैं अधिक न जाते हुए आपका ध्यान उत्तरांचल की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे साथियों ने उधर से क्षेत्रवाद का आरोप लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां पर श्री नारायण दत्त तिवारी जी सोशलिस्ट पार्टी से जीत कर आये थे तो उन्होंने सर्वप्रथम पृथक पर्वतीय प्रदेश की बात उठाई थी। इन आठ जिलों का एक पृथक राज्य बनाने की बात थी जिसका निर्माण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता की प्रतिपूर्ति की है उसका उदाहरण १२ अगस्त को यहां का उत्तरांचल का प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेज दिया है और वह प्रस्ताव उसका उदाहरण है। उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पूरे उत्तरांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की आभारी है। उत्तरांचल का प्रस्ताव इस समय केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में चल रहा है उसके औचित्य के प्रश्न के रूप में दिल्ली की कांग्रेस सरकार में विचार उस पर हो रहा है। आशा है कि वह इससे सहमत होंगे और उत्तरांचल का निर्माण होगा। वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां की गरीबी, पिछड़ापन, विषमताओं को देखते हुए इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिये प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है मैं उसे आंकड़ों के साथ सिद्ध कर सकता हूं। माननीय प्रमोद तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि उनसे पहले यहां श्री नारायण दत्त तिवारी थे उन्होंने जिस तरीके का सौतेला व्यवहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार किया उसका मैं उदाहरण देता हूं जिस तरह से जापान के प्रधान मंत्री ने अपने ही क्षेत्र के लिये कार्य किया उसी तरह से उन्होंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र को निगाह में रखा केवल नैनीताल जनपद को ही उन्होंने जाना बाकी जिलों का कोई ख्याल नहीं किया। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि वहां से ४ मुख्य मंत्री हुए तीन तो वहां के रहने वाले थे और एक माननीय चन्द्र भानु गुप्त मेरे क्षेत्र रानीखेत से चुनाव लड़ कर इस पद पर आसीन हुए थे। इन तमाम लोगों के रहते हुए भी हमारा क्षेत्र अविकशित रहा। मैं केन्द्र के सौतेले व्यवहार के आंकड़े देना चाहता हूं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से लगातार यह कहा जाता रहा कि जितना पैसा हिमाचल प्रदेश को केन्द्र देगा, जिस तरह की विशेष सहायता उसे मिलेगी उसी तरह से इस क्षेत्र के लिये भी मिलेगी। बड़े दुख का विषय है हिमाचल की जनसंख्या ५१ लाख है और हमारे यहां की जनसंख्या ५८ लाख है फिर भी हिमाचल प्रदेश को जो विशेष सहायता दी गयी वह २५० करोड़ रुपया है और उत्तरांचल के लिये केवल १८२ करोड़ रुपया दी गयी। इससे भी इस वर्ष की, चालू वित्त वर्ष १९९१-९२ की आर्थिक सहायता बढ़ाकर २९० करोड़ रुपये हो गयी जबकि उत्तरांचल की १८२ करोड़ रुपये ही है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को जो केन्द्र से मिली वह ५६७ रुपये है और उत्तरांचल के लिये ३१० रुपये ही हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं और समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, आपने मुझे जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का जो अवसर दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन मैं करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, उधर के सरकारी पक्ष के मा० सदस्य सरकार की नीतियों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार और आज की सरकार में बहुत अन्तर है। आज की सरकार मंहगाई बढ़ाने वाली, काला-बाजारी और जमाखोरी बढ़ाने वाली सरकार है। पुलिस का दमन बढ़ाने वाली यह सरकार है। मान्यवर, प्रदेश में बेकारी बढ़ी है। अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं दलित वर्ग पर अत्याचार इस सरकार के समय में बढ़ रहे हैं जिसके संबंध में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मान्यवर, प्रदेश में विकास की गति धीमी हुई है और पूरी तरह से विकास के कार्य ठप्प हैं। जहां माननीय सदस्य जाते हैं वहां यह उत्तर मिलता है कि प्रदेश का खजाना खाली है। मान्यवर, खजाना नहीं खाली है बल्कि यह सरकार अपने लोगों द्वारा काम कराना चाहती है। पिछली सरकार ने बहुत अच्छे-अच्छे काम करने का निर्णय लिया था। राज्य सेक्टर में सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया था लेकिन आज तक उन सड़कों पर कहीं काम नहीं शुरू हुआ है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश में आयी बाढ़ और सूखे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, सारे प्रदेश में और जहां से मैं चुनकर आता हूं वह इलाका कई नदियों के बीच पड़ता है।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैंने श्रीमन्, कई बार राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि बाढ़ आयी हुई है। मेरा इलाका डूबा हुआ है, वहां के लिये सहायता दीजिये लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने एक पैसे की आजमगढ़ जनपद की बाढ़ और सूखे में कोई सहायता नहीं की। मैं चाहता हूं श्रीमन्, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां तबाही हुई है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह चाहता हूं कि यह सरकार आदेश दे कि जहां बाढ़ आयी थी, सूखा पड़ा था उन इलाकों के लिये उचित सुविधा के प्रबन्ध किये जायं। केन्द्र ने, जहां बाढ़ आयी हुई थी, वहां के लिये केन्द्र पैसा देना चाहता था लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पैसे को नहीं लिया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, मैं जहां से चुनकर आया हूं, वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं मेरे इलाके में जनपद आजमगढ़ में मुडील देवाराजहीद, जावा गांव हैं जिसकी आबादी १० हजार के करीब होगी। आजादी की लड़ाई के समय सन् १९४२ में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज तक इस गांव को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि उस गांव को सड़क से जोड़ दिया जाय क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में आजमगढ़ को स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह ने मण्डल की घोषणा की थी, मण्डल बनाने की। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि जो मण्डल स्थापना की घोषणा पिछली सरकार ने और स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह ने की थी, सहारनपुर और आजमगढ़ को मण्डल घोषित करने की, उसे पूरा किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री दल सिंगार–

मान्यवर, मैं पुनः नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करूंगा कि समय को देखते हुए प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। इसमें सत्ता पक्ष से सहयोग की आवश्यकता होगी। विपक्ष से दो-दो विधायकों को बुलाया जायेगा और सत्ता पक्ष से एक विधयक को बुलाया जायेगा क्योंकि आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी बोल लेंगे। सभी माननीय विधायकों से निवेदन है कि वह दो-दो मिनट में अपनी बात पिन-प्वाइन्टेड तरीके से कहें तो सब लोग अपनी बात कह सकेंगे। मैं चाहता हूं कि साढ़े चार बजे माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य शुरू कर दें।

* श्री सुधीर–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सम्मिलित होने का मौका प्रदान किया। हमारे विपक्ष के नेताओं ने जो अपने संशोधन राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में इस सरकार ने अपने कार्य करने के कौशल के बारे में जो अपना रूप दिया है, मैंने उसको विधिवत् पढ़ा परन्तु मान्यवर, मुझे खेद है कि पूर्वांचल विकास के लिये जो धन दिया गया था मुख्य मंत्री जी द्वारा उसमें कटौती की गयी है। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया है, उनके जो क्षेत्र रहे हैं उनके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बलिया से लेकर इलाहाबाद तक का क्षेत्र स्वतंत्रता की लड़ाई में रहा है। एक बड़ी भूमिका निभाई है। मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बलिया जनपद में सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी ध्यान दिया जाय। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करने के बावजूद भी सिंचित क्षेत्रों में पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

* श्री सुधीर–

किसानों से जो मालगुजारी ली जाती है इसमें किसानों के हित की कोई बात नहीं की गयी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रभाकर पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं किसी विचारक ने कहा है कि किसी देश का भविष्य उस देश के नौजवानों के चरित्र को देखकर होगा। मान्यवर, दुर्भाग्यदृष्टि रही है कि पिछले वर्षों में शिक्षा की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पद्धति का परीक्षा प्रणाली का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है, जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण परीक्षाफल तो अच्छा आता गया, लेकिन मेहनत की कमी होती गयी। लोग आलसी होते गये। चाहे कोई प्रतियोगिता रही हो, चाहे वह आई० ए० एस० की प्रतियोगिता रही हो लोग पीछे होते गये। जानकारी न होने के कारण लोग असफल होते गये। इस पर इस सरकार ने सोचा कि इस संबंध में कड़े से कड़े कदम उठाये जायें और अगर आवश्यकता पड़ी तो लोगों को सख्ती से जेलों में भेजा जायेगा। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत किये बिना, जानकारी के बिना परीक्षा में पास हो जाते हैं इसमें विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने गांवों के लिये, किसानों के लिये, गरीबों के लिये हितकर योजनायें बनायी हैं। पहली बार सरकार ने इस संबंध में कदम उठाया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ६० प्रतिशत से ज्यादा गांवों में धन खर्च करने के लिये कहा गया है इससे गांवों का विकास होगा। हर न्याय पंचायत पर एक केन्द्र बनाया जायेगा और वहां पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा उसे ज्यादा दौड़-भाग नहीं करनी पड़ेगी इसमें लोग अपनी समस्याओं का हल कर सकेंगे। राजस्व अभिलेख जो होते * वह विवादित नहीं हैं तो अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि शीघ्र निस्तारण हो जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, इस सम्मानित सदन में, जिसका समय महत्वपूर्ण है उसमें सत्तापक्ष की ओर से पूर्ण सत्यता पर आधारित वक्तव्य नहीं हैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहम्मद हसन–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को बार बार पढ़ा। मुझे बहुत निराशा हुई। जो सरकार की दिशा दी गयी है वह बहुत ही जनविरोधी है, निराशाजनक है। यह बहुत ही जनविरोधी, छात्र विरोधी, माइनोरिटी विरोधी है। यहां पर अपोजीशन बेन्चेज से यह ठीक आवाज आयी कि किसानों के साथ इस सरकार ने मजाक किया है। ३ रुपये आपने गन्ने की कीमत बढ़ायी लेकिन दूसरी तरफ बहुत सफाई से मिल मालिकों के साथ गुप्त समझौता करके २ रुपये के बजाय ३ रुपये भाड़े के नाम पर किसानों से ले लिया जिससे साढ़े ४ अरब रुपये का नुकसान काश्तकारों का हुआ है। यह सारा पैसा सरमायेदारों, मिल मालिकों की जेबों में जायेगा। इसी तरह से गन्ना समितियों का जो कमीशन ५ रुपये था उसको छियत्तर पैसे कर दिया, इस तरह से पौने ४ अरब रुपया का फायदा मिल मालिकों को पहुंचाया है। परचेज टैक्स २ रुपये १० पैसे से ५६ पैसे कर दिया जिससे ४ अरब ४६ करोड़ रुपये का किसानों का नुकसान हुआ। शकर निधि में पैसा नहीं बचा है जिससे पुरानी मिलों का नवीनीकरण किया जा सके। जो आपकी गन्ने की पालिसी है उसके तहत आपने ९ अरब रुपये का फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाया है। यह आपने एक खूबसूरत मजाक किया है। मुख्य मंत्री जी से इस बात की जमानत चाहूंगा कि जो पूंजीपतियों से यह गुप्त समझौता हुआ है उसके संबंध में हाउस को कांफिडेंस में लाया जाय।

दूसरा सवाल उर्दू के बारे में है। ऐसा मालूम होता है कि उर्दू इस देश की भाषा न होकर गैरमुल्की जुबान हो। उर्दू इस देश की बेटी है, खासतौर से इस प्रदेश की बेटी है जो यहां जन्मी है और यहां फूली-फली है। यह खूबसूरत जुबानों में एक जुबान है। हमारे कांस्टीट्यूशन में इसको मान्यता दी है। मुझे बड़ा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अफसोस हुआ, जब मैं राज्यपाल महोदय के एड्रेस को पढ़ रहा था, उसमें एक लफ्ज भी उर्दू के विकास और उर्दू की तरक्की के बारे में नहीं कहा गया है। आखिर यह सौतेला सुलूक क्यों? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पिछली सरकार ने उर्दू के बारे में जो घोषणायें की थीं उन सबको लागू किया जाय। मुझे यहां के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाने का इत्तफाक हुआ वहां पर उर्दू की बहुत पुरानी किताबें हैं। वहां पर कैटेलाग पढ़ने के लिये कोई ऐसा मुलाजिम नहीं है जो उर्दू जानने वाला हो। विधान सभा के पुस्तकालय में उर्दू के साथ यह सुलूक है। इसलिये वहां कैटेलाग पढ़ने के लिये उर्दू जानने वाला एक मुलाजिम रखा जाय। मैं २-३ बातें अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र खुशालपुर में एक गन्ना फैक्टरी का ऐलान किया गया था लेकिन आज तक उसको शुरू नहीं किया गया है। मेरे यहां बिडवी में एक फैक्टरी के लिये साढ़े ३ करोड़ रुपये की जरूरत है। वहां काम नहीं चल रहा है। इस तरह से काम चला तो ३-४ साल लग जायेंगे। मेरे यहां सरसावां में धाड़ का इलाका है जो बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां पर लोग झोपड़ी में रहते हैं जिससे आग लगने पर उनके घर जल जाते हैं। उनके लिये टिन शेड्स का इंतजाम किया जाय। वहां पीने के पानी की समस्या है। सर पर घड़े रखकर दूर से पानी लाना पड़ता है। वहां पर पानी का इंतजाम किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद हसन–

मेरे इलाके में जमुना नदी बहती है। हर साल उसकी बाढ़ से किनारे की हजारों एकड़ जमीन कट जाती है। हमने सरकार से मांग की थी कि वहां पर ठोकर बनायी जाय लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आया है कि ठोकर बनाने के लिये फंड का इंतजाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद हसन–

मैं सिर्फ एक मिनट कहूंगा। इस सरकार में ला-ऐन्ड-आर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जो हमारे विधायक हैं मौर्या जी, अतीक साहब उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि जनता ने एक मौका आपको दिया है। आप जनता की सेवा करें, प्रदेश का विकास करें और प्रदेश को फायदा पहुंचायें वरना जनता आपको उन बेंचों पर बैठने नहीं देगी जहां पर आप बैठे हैं। आप इधर आ जायेंगे जहां पर हम बैठे हैं। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के एड्रेस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसकी मुखालिफत करता हूं।

* श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और चन्द बिन्दुओं को आपके समक्ष आदरपूर्वक रखना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया गया जो प्रदेश की जनता के हित में हो। मान्यवर, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछली बार जुलाई-अगस्त में भीषण सूखा था। काश्तकार तो बेचारा फसल उगा नहीं सका, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। लेकिन अभिभाषण में कहीं भी काम के बदले अनाज योजना चलाने का जिक्र नहीं है, न चलाई गयी। चलाई गयी हो तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग अपने भाषण में बता दें कि इस तरह की कोई योजना चलाई गयी। अगर आलू न होता तो इस बार उसका जीना दूभर हो जाता। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि शिक्षा की नीति के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने की बात कही गयी है, लेकिन आप देखेंगे कि अमीर लोगों के बच्चे, जो सत्तापक्ष के लोगों ने स्कूल खोल रखे हैं, उसमें पढ़ाया करते हैं और उनको तोड़ने के लिये इस सरकार में स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। यही नहीं, हाईस्कूल क्लास में जनरल साइंस लागू कर दी है, लेकिन साइंस टीचर पिछले कई वर्षों से नहीं दिये गये हैं। मैं आशा करता था कि यह सरकार, जो अपने को जनप्रिय कहती है, पोस्ट सैंक्शन करके अध्यापकों की नियुक्ति करवाती। यही नहीं, पिछली सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी घोषणायें की थीं और उसके तहत जो भी पैसा देने को कहा था, कोई पैसा नहीं दिया गया और सब रोक दिया गया। यही नहीं, पिछली सरकार ने जो योजनायें चलायी थीं, ७० परसेंट, ६० परसेंट काम हो गया था, योजना आरम्भ हो चुकी थी, लेकिन अब वहीं की वहीं पड़ी है और उन पर अब कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता को उससे कोई फायदा नहीं है। इतना ही नहीं मान्यवर, आप दुहाई देते हैं कि खाद पर सब्सिडी दी है। केन्द्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये। हम आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र होता कि खाद में सब्सिडी देकर जो ११५ में यूरिया और १९० में डी० ए० पी० बिकती थी, बिकवायें। प्रदेश के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती तो प्रदेश खुशहाल होता। इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया है। इतना ही सच है कि सरकारी सस्ते दर की दुकानों पर अपनी पार्टी के लोगों को नियुक्त करने की घोषणा की गयी है, ऐसी नीति अखबारों में दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इस प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उसमें नीतियां स्पष्ट की गयी हैं उसके आधार पर विपक्ष के माननीय सदस्यों को ज्यादा तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमने नारा दिया कि सबको देखा बार-बार, हमको देखो एक बार। माननीय विपक्ष के सदस्य कम से कम एक बार देखने का प्रयास करें। मित्रों, ५ वर्ष धैर्य के साथ हमारे कामों को देखिये। इस बार राम का नाम लेकर आये, अगली बार काम का नाम लेकर जीत कर आयेंगे। पांच साल बाद आप जिस चौखट पर जायेंगे, हम काम का नाम लेकर उस चौखट से वोट लेंगे। आप भी वोट लेने का प्रयास कीजिये। कांग्रेस के इतने बड़े उच्च इतिहास को देखते हुए कांग्रेस के नेता श्री तिवारी जी कभी-कभी यह बात कह देते है कि यह सरकार दो वर्ष में चली जायेगी या ४ वर्ष में चली जायगी। मान्यवर, इसमे इनको क्या चिन्ता है? यह तो हमारी पार्टी का प्रश्न है कि हम चाहे जब चले जायें, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सबसे पहले माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अभिभाषण पर कुछ नहीं कहा, केवल राम, रोटी, इन्साफ पर बोलते रहे और केवल राम की ही बात कही, शायद उनको राम का भूत सवार है। इसलिये वह राम की बात नहीं भूलते हम राम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के नाम से जीत कर आये हैं। हमारा राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा था। पिछली बार हमने देखा, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सरकार पक्ष के लोग वहां पर गये और राम का नाम लिये। वहां पर माथा टेका। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या राम का नाम लेना कोई असंवैधानिक है ? क्या विधान के विपरीत है ? हमारी मां राम का नाम लेकर हमें जन्म देती है और जब हमारी अर्थी निकलती हैं, तो राम नाम सत्य का नाम लेकर अर्थी निकलती है। इसलिये राम के नाम पर मंदिर बनवाने का मुद्दा लेकर हम सत्ता में आये हैं। इस बार हमने नारा दिया था कि "हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनायेंगे और फिर हम यह कहते हैं कि सौगंध बाप की खाते हैं, मंदिर वहीं बनायेंगे।" मान्यवर, सदन के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा जो भी बातें कही गयी हैं, उनमें यदि अभिभाषण को देखा जाय तो उत्तरांचल से लेकर पूर्वांचल तक, पहाड़ से लेकर बुन्देलखण्ड तक हर जाति, उप जाति, वर्ग, उपवर्ग सभी के उत्थान के लिये इसमें नीतियां स्पष्ट की गयी हैं। मान्यवर, जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार के विकास के बारे में इस अभिभाषण में स्पष्ट किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोग बोल लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में, मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय नेताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, प्रदेश में जब से यह सरकार आयी है तब से इतना दंगा बढ़ गया है कि आदमी के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। पुलिस का आतंक फैला हुआ है। यह सरकार पुलिस के बल पर चल रही है, यह अपने बल पर नहीं चल रही है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन लागू हुए ४४ साल हो गये, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के पट्टों पर आज तक कब्जा नहीं मिला। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर इस सरकार द्वारा इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि गुण्डों के द्वारा उनकी जमीनें जोत ली जाती हैं। सारी ग्राम समाज की जमीनें जो हैं, उसे गुण्डों ने कब्जा कर लिया है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मछुवा समुदाय के एक करोड़ लोग हैं, इस समुदाय में मछुवा, मांझी, केवट, निषाद, धीमर, रैकवार और लोधी आते हैं, उनके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है। माननीय कल्याण सिंह जी भी लोधी बिरादरी के हैं, उन्होंने इस जाति के लिये कुछ नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लाखों नाविक बेकार हैं, उनकी नावें खड़ी हैं और वह बेरोजगार हैं। उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है और फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चहता हूं कि फूलन देवी ने अपनी इज्जत बचाने के लिये संघर्ष किया, लेकिन उसको डाकू करार कर दिया गया। इसी तरह से सरकार कर रही है। मान्यवर, हमारे जनपद बांदा में पी० डब्लू० डी० के श्री उमेश दीक्षित, भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री पी० सी० पुरवार द्वारा कोई भी सही काम नहीं किया जा रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मान्यवर, इस सरकार ने तमाम ट्रान्सफर किये हैं, जिससे लोग परेशानी में पड़कर इनके मंत्रियों को रुपये की अटैचियां दे रहे हैं। इनके मंत्री ट्रांस्फर करके पैसा वसूलने में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये। मैंने दूसरे वक्ता को बुला लिया है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह सरकार न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करती है। मान्यवर, जब बाबरी मस्जिद का विवाद न्यायालय में लम्बित है, तो इन्हें यह कहने की क्या जरूरत है कि हम मंदिर बनवा कर रहेंगे। न्यायपालिका जो निर्णय देगी, उसे इन्हें मानना चाहिए, लेकिन इनके आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह न्यायपालिका के निर्णयों को ठुकरा देना चाहते हैं।

मान्यवर, कबीर, रहीम, रसखान, गौतम, राम, कृष्ण और गांधी की यह धरती है और यहां पर इस सरकार ने साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया है। मान्यवर, बहादुर शाह जफर को जब रंगून में बन्द किया गया, तो मरते समय उसने एक शेर लिखा था–

गाजियों में बू रहेगी जब तलक इमान की।
तख्त लन्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की॥

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इस सरकार ने खुले रूप से दंगों को बढ़ावा दिया है। यहां के नवजवान की उपेक्षा की जा रही है, वह बेरोजगार है, वह इधर-उधर मारा-मारा घूम रहा है। आज हिन्दुस्तान का नवजवान संघर्ष पर उतारू है क्योंकि हर जगह छात्रों पर गोली चलायी जा रही है। हमेशा नवजवानों ने इतिहास को बदला है।

तलवारों की धारों पर जंग की आजादी पलती है।
इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है।

मान्यवर, मैं दो शब्द अपने जनपद के बारे में कह देना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र स्वर्गीय उग्रसेन और बाबा राघवदास की कर्मभूमि रही है और महात्मा गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सलेमपुर तहसील में मुंसिफी न्यायालय स्थान्तरित किये जाने की घोषणा कर दी गयी है, लेकिन अभी तक उसको वहां पर ले नहीं जाया गया है। सलेमपुर तहसील में नहरें नहीं हैं, सिंचाई के लिये नलकूप नहीं हैं। अगर आप हर हाथ को काम नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हर खेत को पानी देने की तो व्यवस्था कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह रामलला की सरकार है, यह झूठ का पुलिन्दा है और इस सरकार को जो काम करना है उसे केन्द्र सरकार पर मढ़ देती है। अगर खाद्य में कमी होती है तो सरकार कहती है कि केन्द्र ने खाद्यान्न नहीं दिया, अगर भुकम्पराहत नहीं मिलती है तो कहती है कि केन्द्र सरकार ने धन नहीं दिया विकास नहीं होता है तो कहती है कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, अगर आतंकवाद की बात है तो यह सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने पुलिस की व्यवस्था नहीं की। यह सरकार सारी की सारी बातें केन्द्र पर मढ़ रही है अब ऐसा लगता है कि इस सरकार को यहां पर रहने का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, इस सरकार ने उत्तरांचल का प्रस्ताव बनाया है जो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है, कोई इसका प्रारूप नहीं बनाया गया है और न ही कोई प्रस्ताव अभी तक केन्द्र सरकार के पास पहुंचा है। उत्तराखंड की मांग वहां के लोग बहुत पहले से करते रहे हैं किन्तु इन्होंने उसको उत्तरांचल का नाम देकर अपना ठप्पा लगा दिया है, अपना ब्रांड बना दिया है। मान्यवर, सारा विकास कार्य ठप्प पड़ा हुआ है, विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, अस्पतालों में दवायें नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं और हजारों की संख्या में बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं और लोग हड़ताल कर रहे हैं। मान्यवर, मैं विकास का एक उदाहरण देना चाहता हूं सन् १९७२ में टिहरी बांध परियोजना बनाने का काम प्रारम्भ हुआ था जिसका आगणन उस समय ३२० करोड़ था जो अब बढ़कर ३००० करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है और इस समय श्री सुन्दर लाल बहुगुणा वहां पर धरना दे रहे हैं, काम रुका हुआ है और इससे सरकार को एक करोड़ से दो करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, लोगों में विश्वास नहीं बन पा रहा है कि यह बांध बनेगा या नहीं क्योंकि धरना देने वालों का कहना है कि इस देश के भूवैज्ञानिकों ने और अमरीका के भूवैज्ञानिक जेम्सबेकर ने कहा है कि यह क्षेत्र भूकम्प के अन्दर है। जो भूकम्प इस समय आया उसकी शक्ति ६.१ रिएक्टर स्केल थी। मान्यवर, इसी तरह से पूर्व में १९०५ में कश्मीर में और १९०४ में बिहार और नेपाल में भयंकर भूकम्प आया था जिसकी शक्ति ८.६ रिएक्टर स्केल थी, भविष्य में इस इलाके में अगर भूकम्प आयेगा तो इससे कई गुना और अधिक क्षति होगी जिससे इस बांध सहित बहुत अधिक जनधन की क्षति होगी। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिये एक स्वेतपत्र जारी करे कि यह बांध बनेगा या नहीं ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके।

मान्यवर, भूकम्प पीड़ितों को कोई अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है, केन्द्र सरकार ने अभी दैवी आपदा के रूप में ६७.७० करोड़ रुपये दिये हैं और जवाहर रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना के रूप में १० करोड़ रुपये दिये हैं इसके अलावा २५ करोड़ रुपये अलग से दिये हैं फिर भी यह सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा और कहूंगा कि भूकम्प पीड़ितों की भरपूर सहायता शीघ्र की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर उत्पीड़न हो रहा है, मैं साफ तौर पर यह बतलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे उपेक्षित वर्ग है, वह सफाई मजदूर वर्ग है। आज उनके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हुई है उनको १०-१०, २०-२० महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है यह सामने बैठी सरकार, जो रामराज्य, रोजी-रोटी-और इंसाफ का नारा देकर सत्ता में आयी है और जो बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, उसके शासन में आज यह सफाई मजदूर वर्ग भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज समूचे प्रदेश में सफाई मजदूरों को, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। मान्यवर, पिछले १० अक्तूबर, १९९१ को समूचे प्रदेश में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। यह सरकार जो रोजी रोटी और रामराज्य का नारा लगा रही है, उनके शासन में वे कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। यह सरकार जो अनुसूचित जाति के लोगों की उत्थान की बात कहती है, उनका यह ढिंढोरा खोखला है, उनका यह ढिंढोरा झूठा है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि १० अक्टूबर, १९९१ को समूचे प्रदेश में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की हड़ताल हुई, सबसे खेद का विषय है कि इनके जनपद अलीगढ़ और निर्वाचन क्षेत्र अतरौली में भी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों ने हड़ताल की, मैनपुरी में विकराल हड़ताल हुई, लेकिन उनकी मांगों का कोई पुरसाहाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, इसी तरह से अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा मार्च, १९९२ के अन्त तक पूरा करने की बात कही गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी विभागों में, निगमों में, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति वर्ग का कोटा पूरा हो चुका है. यहां विधान सभा के अन्दर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की बात कही जाती है, लेकिन बाहर विभागों में कुछ नहीं होता है। आरक्षण का कोटा तत्काल पूरा होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठ जायं। अब आप जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा। अब आप बैठ जायं।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण कोटा तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को बकाये वेतन का भुगतान कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब इसका पारण होना है, समय कम है, अन्य मदें हैं, समय को ध्यान में रखते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह जी, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी बोलेंगे उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। मैंने बीच में श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को बुलाया था लेकिन वह अनुपस्थित थे।

अब आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं।

* श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सरकार की कथनी करनी, नीयत-नीति में अन्तर है। यह क्या करना चाहते हैं यह क्या कहना चाहते हैं यह साफ नहीं है। आज सूबे की हालत खराब है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था हर हाथ को काम और हर खेत को पानी तो वह विफल हो गया है। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में सूखा पड़ा था, जिसके कारण खरीफ की फसल किसानों की काफी क्षतिग्रस्त हो गयी और आज भी रबी की फसल के दरमियान करीब पचास प्रतिशत से अधिक राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं। चाहे वह मैकेनिकल दृष्टि से हों या वित्तीय दृष्टि से या विद्युत की कमी के कारण। आज नहरें भी ५० प्रतिशत अपना पानी नहीं दे पा रही हैं जिसके कारण रबी की फसल पर विपरीत असर पड़ रहा है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां १९८५-८६ में ग्राम्य विकास की अनुदान मांग पर बोल रहे थे तो उन्होंने ग्राम्य विकास की बात कही थी लेकिन आज आप देखें ८ महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन क्या ग्राम्य विकास हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन्दिरा आवास गांव में नहीं बन रही है, जो भ्रष्टाचार है उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, माइनर इरिगेशन में कमी हो रही है और न ही मितव्ययिता बरती जा रही है। आज पूरे प्रदेश में चोरबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि आज पुलों की हालत बहुत खराब हो गयी है। एक उदाहरण देना चहता हूं। टोंस नदी पर पुरानीगंज घाट पर कासमबाड, बहादुरगंज इटौरा भाषा मार्ग पर पुलों का काम आधा हो चुका है आधे पुल खराब पड़े हैं उसको पूरा करायें। इसी तरह से भैसही नदी के नखदपुर घाट पर भोजापुर पनसरवा-नकदपुर-पिपरडी मार्ग पर पुलों का शिलान्यास किया जा चुका है इसकी स्वीकृति १९८४-८५ में की जा चुकी है इसमें सेतु निगम का ४, ५ लाख रुपया लग चुका है लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ट्रांसफार्मर की स्थिति बहुत खराब है आज ६३ के० वी०, २५ के० वी० तथा १०० के० वी० के ट्रांसफार्मर जल गये हैं जिससे बड़ी ही

दयनीय स्थिति हो गयी है। गाजीपुर जनपद में २०० ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। मान्यवर, इसी तरह से स्पिनिंग मिलें बन्द पड़ी हैं, सूत का दाम बढ़ा हुआ है, बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गयी है जो मजदूरी निर्धारित की जाती है वह नहीं दी जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है.....

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गाजीपुर जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं। वहां पर ९ जनवरी, १९९२ को एक छात्र प्रमोद कुमार की हत्या कर दी गयी है, पुलिस की गोली से ४ छात्र घायल हो गये, चार घन्टे तक लाश पड़ी रही उसका कोई उपचार नहीं किया गया। जो कान्स्टेबिल इस हत्या में शामिल था वह उसके सीने पर बैठकर तांडव करता रहा लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और उस पुलिस कान्स्टेबिल की जमानत उच्च न्यायालय से करा ली गयी। मेरी मांग है कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और पूरे मामले की न्यायिक जांच करायी जाये। हम लोगों ने यह भी कहा था कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और जो लोग घायल हैं उनको पचास हजार रुपये दिये जायें और उनके परिवार के आश्रित को स्थायी रुप से नौकरी दी जाये। अन्त में, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, समय बहुत कम है। मैं सुझाव के रूप में कुछ बात करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें थोड़ा समय आप बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें। माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो जाने दें। चूकि माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण लम्बा होगा इसलिये समय बढ़ाना असम्भव है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है इसमें थोड़ा समय और बढ़ा दें। आपने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण लम्बा होगा तो आप उनके बोलने के बाद हम लोगों को बोलवा दीजिये क्योंकि कुछ नये सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, दो मिनट में अपनी बात कहें।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर – व्यवधान)

* श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने को रह गये हैं। मैं भी यह प्रस्ताव करता हूं, वैसे तो ५ बजने में २० मिनट का समय बाकी है, लेकिन आप कम से कम आधे घण्टे का समय और बढ़ा दें। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन कर रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी राजी हों, तो कम से कम एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाय, यह सभी सदस्यों की राय है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यादव जी, बोलने वाले लोग काफी मात्रा में हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को सभी सदस्यों की बातों का विस्तारपूर्वक जवाब देने में डेढ़-दो घन्टे का समय लगेगा, इस प्रकार कुल मिलाकर ३ घन्टे कम से कम सदन और चले, इसीलिये मैं ऐसा कह रहा हूं कि आगे जब बजट आयेगा और हर अनुदान पर अलग-अलग चर्चा होगी, तो उस समय चर्चा करते समय माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख कर लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज की कार्यसूची में आधे-आधे घन्टे की तीन चर्चायें लगी हुई हैं, इन तीनों को स्थगित कर दें, जिससे डेढ़ घन्टे का समय बच जायेगा, इसकी जगह सम्मानित सदस्यों को बोलने का समय दे दें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, आगे सामान्य बजट होगा, उस पर माननीय सदस्य बोल लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनको समझा दीजिये कि सामान्य बजट और राज्यपाल के अभिभाषण में फर्क होता है, यह इसको सीख लें।

श्री अध्यक्ष–

दीक्षित जी, अपनी बात कहें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, समय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बहुसंख्यक समाज की बात बड़े जोरशोर से उठाई। मान्यवर, सरकारी पक्ष के लोग संस्कृति की बात करते हैं, समय कम होने के कारण मैं सूत्र रूप में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, यह जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इनको यह सोचना पड़ेगा कि अगर हिन्दुस्तान में सर्वाधिक आबादी हिन्दुओं की है तो दुनिया भर में इंडोनेशिया केवल ऐसा देश है, जहां मुसलमानों की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन मान्यवर, और भी देश है, जैसे लीबिया, ईरान, तुर्की, ईराक, अरब राष्ट्र आदि, जहां मुसलमान निवास करते हैं। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से पूरी दुनियां में हिन्दुस्तान दूसरे नम्बर पर है। मान्यवर, जब भी हम हिन्दुस्तान में कोई बढ़िया समाज बनाने की कल्पना करेंगे, तो यह विचार करना होगा कि हिन्दू भले ही बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी भी दूसरे नम्बर की है और उनकी भी अच्छी खासी आबादी है, देश के कल्याण और निर्माण में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बिना हिन्दू के, बिना मुसलमान के, बिना दलितो के, बिना पिछड़ों के किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें समता-ममता हो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आरोप लगाना चाहता हूं कि यह लोग हिन्दू, मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं अब केवल माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय की कुछ बात रखना चाहूंगा। मैं तीसरी बार इस आदरणीय सदन की सेवा में हूं। पहले के मा० मुख्य मंत्रियों के समय यह होता था कि विधायकगण जब चिट्ठियां लिखते थे, तो उन पर कोई न कोई आदेश मुख्य मंत्री जी का आया करता था जैसे पुलिस का हुआ तो गृह सचिव के लिये आदेश, या इस प्रकार से आदेश हुआ करते थे, इसको देख लें, इस पर यह कार्यवाही करें आदि। लेकिन मान्यवर, जब से आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी इस आसन पर विराजमान हुए हैं, विधायकों की चिट्ठियों पर माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई निर्देश नहीं होते हैं, न हीं इनके सचिवालय में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, श्री नृपेन्द्र मिश्रा जी, उनके और न अन्य किसी अधिकारी के आदेश उस पर होते हैं न यही लिखा होता है कि इसको फाड़ दें, इसको फेंक दें या इसको वापस कर दें। यह सलूक केवल विधायकों के पत्रों पर ही नहीं होता, बल्कि मा० कैलाश नाथ सिंह यादव जो पहले नेता विरोधी दल थे और कुंवर रेवती रमण सिंह, जो अब नेता विरोधी दल हैं, उनके पत्रों पर भी कोई नोटिंग नहीं होती। श्रीमन्, इस प्रकार की यह सरकार है। डेढ़-पौने दो लाख जनता की ओर से बोलने वाले हम जन प्रतिनिधियों की जो चिट्ठियां होती हैं, उनका यह शासन संज्ञान ही नहीं लेता। दूसरी बात, मान्यवर, पूरे मंत्रि-परिषद् को चाहिए था कि स्तम्भ में आते ही वह अपनी-अपनी सम्पत्ति की घोषणा करते। परन्तु अभी तक किसी ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं की। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली जो है, उसके अनुसार मुख्य मंत्री कार्यालय में जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं, पी० सी० एस० अधिकारी हैं या फिर सचिवालय कैडर के अधिकारी हैं, उनको भी इस प्रकार की अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए थी, परन्तु उन्होंने भी नहीं की।

श्रीमन्, भय मुक्त समाज की बात यह सरकार करती है। दैनिक जागरण के फोटोग्राफर पर कातिलाना हमला किया गया। वहां पर सभी पत्रकार आन्दोलित हैं। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बावजूद भी यह कहते हैं कि हम एक बहुत नया समाज बनायेंगे। मान्यवर, मैं उन्नाव से आता हूं। उन्नाव जिले में अपराधियों की जो सूची है, उसमें सबसे बड़े अपराधी का नाम मैं बताना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। श्री सूर्य प्रताप शाही जी उसे बाद में स्पष्ट कर दें। उस अपराधी का नाम है कमलेश उर्फ श्यामू। इसने कम से कम ५० हत्यायें की हैं। ४-५ बसों को लूटा है और कइयों के साथ इसने बलात्कार किया है। यह पुरवा थाना के बसनोही गांव का रहने वाला है। जब श्यामू को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो माननीय सांसद मोहनलालगंज ने वहां पहुंचकर कहा कि थाने को तालाब बना दूंगा। उसी रात को सब इन्सपेक्टर का तबादला हो गया। इसी प्रकार गंगा घाट थाने की पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा और माननीय सांसद उन्नाव ने धरना दिया। वहां पर डिप्टी एस० पी० पहुंचे। उन्हें उस अपराधी को छोड़ना पड़ा। मान्यवर, आप तो शस्त्र अधिनियम से परिचित हैं। क्या पुलिस को जमानत लेने का अधिकार है? मान्यवर, एक बात सरकार की तरफ से और कही गयी है कि हमें खजाना खाली मिला। यदि आपके पास रुपया नहीं है तो आप भारत का संविधान के अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, अलग से धन के प्राविधान हेतु उसे लाते। जहां तक मुझे पूरी जानकारी है कि इस सरकार ने कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है न ही कोई खजाना खाली है। उधर से जो भाषण दिये गये, उसमें केवल श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को गालियां दी गयी। मैं पूछ रहा हूं कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार अगर गांवों में प्राइमरी स्कूल बनवा रही थी तो क्या वह गलत था, १० हजार रुपये का किसानों का ऋण माफ किया गया तो क्या यह गलत था, बुनकरों का कर्जा माफ किया गया, तो क्या वह कार्य गलत था। गांव-गांव खड़ंजा बिछवाया जा रहा था, तो क्या वह कार्य गलत था। भूमि सेना के माध्यम से गरीबों को भूमि देना क्या गलत था? क्या महिलाओं के लिये शौचालय बनाना गलता था? क्या इन सारी स्वीकृत योजनाओं का

पैसा अपने निजी कोष में लाकर राज्य सेक्टर के जरिये अपने लोगों को बांटना उचित है। यह दोगला आचरण सरकार कर रही है, राष्ट्रीय एकता परिषद् की मीटिंग में जहां मा० प्रधान मंत्री जी बैठते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद-प्रकरण पर हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, परन्तु यहां आकर बाद में कहते हैं कि हम मंदिर बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

* श्री छब्बू–

मान्यवर, इन्होंने दोगला शब्द कहा है। इसे कार्यवाही से निकाला जाय। तभी सदन की कार्यवाही चलाई जाय। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायं। मैं इसे देख लूंगा। अगर शब्द इस्तेमाल हुआ है तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो उसे आप कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

श्री दीक्षित जी अब आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, ऊर्जा मंत्री बैठे हैं बतायें कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य था, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, कितना लक्ष्य पूरा हुआ है। यह सरकार में बैठे लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं केवल मंदिर मस्जिद के विवाद में जीना चाहते हैं।

(व्यवधान)

(माननीय मुख्य मंत्री का नाम पुकारने पर)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। (व्यवधान) इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अतीक अहमद–

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय श्री बसन्त लाल गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत और माननीया श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं सभी माननीय नेताओं के प्रति, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़े विद्वतापूर्ण अपने सारगर्भित विचार यहां पर रखे। मैंने सभी माननीय नेताओं को और माननीय सदस्यों को बड़ी गम्भीरता से सुना है। श्रीमन्, में सबसे पहले उन बिन्दुओं की चर्चा करना चाहता हूं जो मोटे तौर पर उभर कर सामने आये। माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कही हैं–उनका कहना है कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है, उनका कहना है कि सरकार ने वायदे पूरे नहीं किये, उनका कहना है कि मंदिर नहीं बनाया, उनका कहना है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही लागू किया था, उनका कहना है कि दंगा रहित और भयमुक्त समाज नहीं रहा, उनका यह भी कहना है कि इस शासन में दंगे बहुत हुए, उनका कहना है कि वी० पी० सिंह जी के राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, उनका यह भी कहना है कि इस शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है अपराध बढ़ रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं है। माननीय जोशी जी की रथयात्रा के संदर्भ में कह गये कि काश्मीर में झण्डा तो लहराया लेकिन पुलिस के पहरे में लहराया। थोड़े में यह भी कह गये कि यह सरकार जनविरोधी है. आगे जल्दी-जल्दी में कह दिया कि गढ़वाल में जो कुछ हुआ उसमें सहायता में आर० एस० एस० वालों ने घपला किया या उनके हस्ताक्षेप में हुआ। आगे उन्होंने बिजली, सिंचाई, गन्ना, खाद्य सामग्री और महंगाई के बारे में भी विचार व्यक्त किये।

आपने ऊंचाहार ताप बिजली घर के बारे में कहा है, एन० टी० पी० सी० के साथ करार हुआ है उसकी चर्चा की और आलोचना की है। आपका कहना है कि जनसंख्या के बारे में सरकार उदासीन है। आपका कहना था कि जौनपुर विश्वविद्यालय की सी० पी० एम० टी० परीक्षा करायी गयी उसको क्यों निरस्त कर दिया गया? आपने नकल रोकने का जो अध्यादेश लाया गया है यह उचित नहीं है, कहा है।

मा० नेता विरोधी दल और श्री प्रमोद तिवारी जी ने कुछ बिन्दु उठाये हैं। श्री तिवारी का कहना है कि अबकी बार राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ, १९८० से लेकर १९९२ के बीच ऐसा निरर्थक अभिभाषण कभी उन्होंने नहीं सुना। ऐसा दिशाविहीन, अविवेकपूर्ण और निराशाजनक अभिभाषण नहीं सुना और चलते-चलते बड़े स्नेहपूर्ण कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से वह हमारे मुरीद हैं और हम असफल मुख्य मंत्री हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि जो बिन्दु हमने गिनाये हैं उनके अलावा २-४ और मोटे-मोटे बिन्दु होंगे।

मान्यवर, श्री कैलाश नाथ सिंह और श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं मैं जब बोलूंगा कदाचित उनकी बातों का समावेश हो जायेगा लेकिन मोटे तौर पर यह बिन्दु सामने आये हैं।

श्रीमन्, समय अधिक हो गया है, इसलिये कोशिश करूंगा कि मैं संक्षेप में अपनी बातें कहूं। मैं चार बिन्दुओं पर यहां विचार व्यक्त करना चाहता हूं। पहला पहलू होगा वर्तमान सरकार से पहले की पृष्ठभूमि का थोड़ा सा चित्रण कर दूं। दूसरा पहलू होगा इस परिस्थिति में वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश की जनता की सेवा के लिये क्या-क्या उपाय किये गये और क्या उपलब्धियां रहीं? तीसरा पहलू सरकार की नीतियां, नियोजन की सोच और दिशा के बारे में कहना चाहूंगा। अन्त में कहना चाहूंगा कि सरकार के संकल्प क्या हैं?

मान्यवर, मैंने मा० नेता विरोधी दल का भाषण बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने विस्तार से अपनी बातें कहीं और २ घंटे २७ मिनट कहने में लिया, बाकी नेताओं के भाषण भी सुने। मेरी कल्पना यह थी कि केवल विरोध के लिये विरोध करने के बजाय कुछ उन बुनियादी सवालों पर भी जिनकी चर्चा यहां रखने वाला हूं और आप निश्चिन्त रहें कि मैं इस नीयत से नहीं खड़ा हुआ हूं कि हर आलोचना का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस सदन में कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और ऐसा बुनियादी सवाल जिस पर सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हों जिन पर मैं आगे आऊंगा। मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि मा० नेता विरोधी दल जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। वह सुयोग्य, अनुभवी और संसदीय परम्पराओं के मर्मज्ञ हैं। मेरी अपेक्षा यह थी कि आलोचना के लिये केवल आलोचना से हटकर कुछ उन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, सुझाव देंगे जो प्रदेश के सामने उपस्थित हैं। प्रदेश आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए, विकास की गति के लिये जो चुनौतियां खड़ी हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले और प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी तथा बेरोजगारी आदि का समाधान कैसे किया जाए ? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर आपके बहुमूल्य सुझाव आये होते तो शासन निश्चित तौर से आपके सुझावों पर गम्भीरता से विचार करता। मैं यह नहीं कहता कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, अपने सुझाव दिये, उनका कोई मूल्य नहीं। परन्तु मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि यह दो घण्टे सत्ताइस मिनट में विरोध पक्ष से जो सुझाव आये हैं वह एक खानापूर्ति की गयी है। इस प्रदेश की १४ करोड़ जनता की भलाई के लिये कोई सुझाव नहीं आये।

एक बात और कहना चाहता हूं, मान्यवर, इससे आप भी सहमत होंगे। श्रीमन्, कि कोई भी सरकार नये सिरे से काम नहीं करती। हमारी सरकार आ जाय तो, आपकी सरकार आ जाय तो। उसे पिछली सरकार की सफलताओं, पिछली सरकार की विफलताओं, पिछली सरकार की कार्य प्रणाली, पिछली सरकार के क्रिया कलाप, पिछली सरकार के निर्णय अथवा निर्णय करने की प्रवृत्ति, यह हर नई सरकार को ढोना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा सुनकर कि आज जो कुछ उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया गया है, यह सब आज है। २४ जून, १९९१ से पहले सब कुछ ठीक था, उसके बाद प्रदेश के अन्दर यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। श्रीमन्, आजादी के बाद कई सरकारें आयीं, कई गयीं। नेतृत्व भी बदले। जो कार्य प्रणाली रही निर्णय करने की, जिस प्रकार की प्रकृति रही, जिस प्रकार की प्रवृत्ति रही। न्याय लेने में जिस प्रकार का एकांगीपन रहा, जिस तरह की अव्यवहारिकता रही उससे इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। मैं बहुत लम्बे पिछले कार्यकाल में नहीं ले जाना चाहता। दस वर्ष पीछे आपका ध्यान दिलाना

चाहता हूं। उस समय इस प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसी बातें रहीं जिससे कि इस प्रदेश की जो समस्यायें थीं उनका एकमुश्त समाधान नहीं खोजा गया। हम सब जानते हैं मैं किसी पक्ष की बात नहीं ले रहा हूं। दीर्घकालीन समस्याओं के लिये अल्पकालिक समाधान खोजे गये। स्थायी समस्याओं के लिये तदर्थ समाधान खोजे गये। समस्याओं का समाधान कैसे होता उसमें जिलावाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, दलवाद आड़े आ गया। समूचे प्रदेश को एक इकाई मानकर उसकी समस्याओं का समाधान करना होगा। जिस तरह से योजनायें बनायी जाती हैं। मान्यवर, जिस पृष्ठिभूमि में मैं चर्चा कर रहा हूं। मान्यवर, ८ महीने का कार्य-काल किसी भी सरकार के लिये उपलब्धियों के हिसाब से कोई बड़ा कार्यकाल नहीं होता। मुझे क्षमा किया जाय कहने के लिये। जब विरासत हमें मिली, बड़े विकराल रूप में मिली। हमें विरासत में मिली अराजकता। मत भूलिये हमें विरासत में मिला आतंकवाद, मत भूलिये हमें विरासत में मिला दंगा, हमें विरासत में मिला जंगल का कानून, मत भूलिये हमें विरासत में मिला जातिवाद का जहर। हमें वेरासत में मिला साम्प्रदायिक उन्माद। विरासत में मिली हमें दंगों की श्रृंखलाएं और कड़ियां। हमें मिला विरासत में राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण। हमें मिला धधकता हुआ उत्तर प्रदेश । हमें मिला कर्फ्यूग्रस्त उत्तर प्रदेश, हमें मिला अविश्वासपूर्ण उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह हुई कि घनघोर कठिनाइयों और आर्थिक संकट वाला उत्तर प्रदेश हमें मिला, यह सब मिला हमें विरासत में। एक तरफ आप इसको देख लें और एक तरफ हमारी आठ महीने की उपलब्धियां, उपाय जो हैं उन्हें देख लें आप दोनों को तौलिये और देखिये। अगर आठ महीने में कोई सरकार आती तो इससे अच्छा कार्य नहीं कर पाती। महंगाई के बारे में आपने कहा, मैं महंगाई की चर्चा आगे करूंगा। आज चिन्ता इस बात की करनी चाहिए कि जो अन्तर्प्रदेशीय आर्थिक गैर बराबरी है उत्तर प्रदेश इसका शिकार हो रहा है । आज १९५०-५१ से लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के हिस्से का हक का भाग नहीं मिल पाया यह आर्थिक व्यवस्था के अन्दर अन्तर्प्रदेशीय गैर बराबरी का माहौल खड़ा हो गया।

मैं दो बातें बुनियादी कहना चाहता हूं। वक्त आ गया है जब क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये अन्तर्प्रदेशीय आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये आर्थिक क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों पर फिर से विचार करने का निर्धारण होना चाहिए । मैं मानता हूं कि देश की अखंडता और एकता के लिए मजबूत केन्द्र चाहिए । लेकिन केन्द्र के लिए राज्य भी मजबूत होने चाहिए । राज्य अगर कमजोर रहेगा तो केन्द्र कैसे मजबूत हो पाएगा ? आज राज्य सरकार आर्थिक क्षेत्र में म्युनिसिपैल्टीज से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती है । बिक्रीकर, आबकारी शुल्क, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प को लें, कोई संसाधन राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है यह सारे संसाधन केन्द्र के पास हैं । मेरा यह कहना नहीं है कि केन्द्र से मतलब मेरा किसी पार्टी से है । पार्टी तो कोई भी हो सकती है लोकतन्त्र में सरकारें बदलती हैं । राज्यों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से लोगों को रोजगार देने के लिए आवश्यकता हो गई है आर्थिक क्षेत्र के बारे में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में निर्धारण होना चाहिए वरना राज्य सरकार केन्द्र का मुंह देखती रहेगी ।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आती है तो राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए । नरसिंघम कमेटी बनी है जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को मिल गई है कदाचित विचाराधीन है । जो आर्थिक प्राविधान इस कमेटी में सुझाए गए हैं वह ज्यों के त्यों मान लिये गये तो राज्य के लिए वित्तीय संकट और खड़ा हो जाएगा । राज्य सरकार और अधिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाएगी । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नरसिंघम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करें उसे लागू करने से पहले सर्भ राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और चूंकि अभी तक ऐसा नहीं होता आया है इसलिये

श्रीमन्, हम पिछड़ते चले गये हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सरकारों का नहीं है, यह प्रश्न दलों का नहीं है, यह प्रश्न हमारे और आपके व्यक्तित्व का नहीं है, यह प्रश्न है इस प्रदेश के १४ करोड़ लोगों के भविष्य को संवारने का, इस प्रदेश के करोड़ों किसानों के हित साधन का, करोड़ों मजदूरों की भलाई का। आज विचार करना पड़ेगा कि हमको उतने आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, हमारी ८वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए, हम प्रयास भी कर रहे हैं अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कि इस प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चे जो कल की धरोहर हैं उनको स्वास्थ्य मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, जो प्रान्त प्रगति के पथ पर बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की तुलना में मेरे प्रदेश के बालक भी खड़े हो सकें आने वाले भविष्य में हम सबको मिलकर इस बात की चिन्ता करनी है इसीलिये मैंने कहा कि यह प्रश्न सरकार का नहीं है, दलों का नहीं है, व्यक्तियों का नहीं है। यह हमारा दायित्व है, हमारा आपका सबका दायित्व है।

हमें बहुमत मिला आज हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं। लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है। यह सदन, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, इस प्रदेश की १४ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और १४ करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया वह बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आय में जो योगदान १९५०-५१ में था वह १७.१ फीसदी था। अब वह घटकर ११.७ फीसदी हो गया है। अब क्या आप कह सकते हैं कि यह ८ महीने में हुआ है। १९५०-५१ से लेकर आज तक यह हुआ है। खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश का योगदान १९५०-५१ में २३.२ फीसदी था। १९८९-९० में वह घटकर १९-८ फीसदी रह गया है। तो श्रीमन्, क्या यह ८ महीने में हुआ है। यह १९५०-५१ से लगातार घटता जा रहा है। इसी तरह से चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान १९५०-५१ में ५६.८ फीसदी था जो अब १९८९-९० में घटते-घटते २६.७ फीसदी रह गया है। तो माननीय तिवारी जी क्या यह केवल ८ महीने की देन है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यही स्थिति वनस्पति, सीमेंट, सूती वस्त्रों, सूती धागों की है। विकास के कार्यों में भी १९५० से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति जो सहायता केन्द्र से मिलनी चाहिए थी, मैं आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूं एक तथ्य रख रहा हूं, बुनियादी सवाल रख रहा हूं, यह कोई दलगत सवाल नहीं है, प्रति व्यक्ति जो केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही है और प्लान में कटौती १९५०-५१ से हमेशा होती रही है। इसी नाते यह प्रदेश आर्थिक विषमता का शिकार होता चला गया है। मान्यवर, दूसरी ओर आप देखें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली गयी है। जहां १ अप्रैल, १९८१ को ७ लाख ४२ हजार, १८८ कर्मचारी थे वहां पर आज १ अप्रैल, १९९० को ९ लाख, ५४ हजार, ३६६ कर्मचारी हो गये हैं। वेतन जो १९८०-८१ में ४०६.०१ करोड़ देना पड़ता था वह १९९१ आते-आते २७४१.७९ करोड़ लगभग ६ गुने बढ़ गया है, तो यह वृद्धि भी केवल इन ८ महीनों में नहीं हुई है। क्या आप अब भी कह सकते हैं कि इन ८ महीनों से यही स्थिति चली आ रही है ? यह व्यवस्था बन गयी है। पैसा जो विकास के काम में लगना चाहिए, यह अनुत्पादक कामों में बिना वजह खर्च हो रहा है। इस बुनियादी प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि पैसे को विकास के कार्य पर कैसे लगाएं, मैं प्रति व्यक्ति आय का कुछ ब्यौरा आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् १९५०-५१ में भारत में प्रति व्यक्ति जो आय थी, २६७ रुपये थी, उत्तर प्रदेश में २५९ रुपये थी, ८ रुपये कम थी। यह भी ३ प्रतिशत कम थी। फिर १९६०–६१ के १० साल के बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय ३०६ रुपये, उत्तर प्रदेश में २५२ रुपये, ५४ रुपये, का अन्तर आ गया, घटोत्तरी ७०.६ फीसदी हो गयी। दस साल बाद १९७०–७१ में भारत की प्रति व्यक्ति आय ६३३, उत्तर प्रदेश की ४८६.१४७ घट गया, २३.२ फीसदी

फीसदी घटोत्तरी हो गयी, ८०–८१ में १० साल के बाद भारत की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी १६२७ रुपये और उत्तर प्रदेश में १२८४ रुपये, यह २१.१ फीसदी घट गया। फिर ८९–९० में आएं, भारत का औसत ४२५२ रुपये प्रति व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में ३०७२, अन्तर आ रहा है ११८० और प्रतिशत बैठ गया २७.८, तो १९५० से लेकर हर एक दशक में उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है। यह केवल इस सरकार के केवल ८ माह के कार्यकलाप की देन नहीं है। यह देन धीरे-धीरे चली आ रही है।

श्रीमन्, एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं, जो आय की वृद्धि है, योजना के अनुसार भी भारत के अन्दर पहली योजना में ३.६ प्रतिशत की वृद्धि थी। हमारे यहां २ प्रतिशत हुई। घटते-घटते ८५ से ९० की योजना में, बीच के आंकड़े नहीं पढ़ना चाहता हूं, घटोत्तरी का ट्रेन्ड भारत में राष्ट्रीय औसत ५.६ उत्तर प्रदेश का ४.८ रह गया। कौन जिम्मेदार है, आठ माह की यह सरकार उत्तर प्रदेश के अन्दर जिन्होंने अनेकों पंचवर्षीय योजनाएं बनायीं, जीत कर आते रहे, बहुमत बनाते रहे, सरकारें चलतीं रहीं और लगातार अखिल भारतीय स्तर पर भी हम नहीं टिक सके ? मैं महाराष्ट्र से तुलना करता तो कहते कि महाराष्ट्र की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते. बहुत आगे जा चुका है। मैं राष्ट्रीय औसत की बात करता हूं जिसमें सर्वोच्च शिखर पर बैठे राज्य भी हैं और बिहार जैसे राज्य भी हैं। हम इसमें आसानी से नीचे चले जा रहे हैं कौन जिम्मेदार है ? बुनियादी सवाल यह है। यह जो आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी है, इसको कैसे दूर किया जाय ? श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि सरकार बिना नीति के, बिना कार्यक्रम के चल रही है, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने खुद अपने कागज देख लिये होते तो मैं यह कहना उचित मानता। क्या यह सच नहीं है कि माननीय नेता विरोधी दल जी, इस सरकार को जो बजट मिला था, उसको आपने पास किया था। आप थे, याद था। मैं जानता था कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को माननीय नेता विरोधी दल को प्राथमिकता देने पर एतराज हो सकता है, मैं जानता हूं। यह बजट किसने दिया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपकी याददास्त मुबारक हो !

श्री कल्याण सिंह–

बजट की प्राथमिकता किसने दी ? हमारी कठिनाई यह है कि हमको बना बनाया बजट मिला और उस बजट में इसके बावजूद हमने प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया अपनायी, बजट हम नहीं बदल सकते और किसी भेदभाव से नहीं, किसी की उपयोगिता, अपरिहार्यता क्षेत्र का असंतुलन दूर करने का कदम और उसके साथ-साथ आर्थिक संसाधन की उपलब्धता यही मानकर बजट के चौखटे के अन्दर रहते हुए हमने प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारण किया। कठिनाई यह है कि तालियां बजाने के बाद आप कह देंगे कि आप योजना लागू नहीं कर रहे हो, तब तो शायद माननीय नेता विरोधी दल और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी दोनों साझीदार थे।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, कृपया यह सुनिश्चित कर लें अपनी याददास्त को कि हर बात यह न बता दें कि मैं उस बजट का साझीदार था। मैं यह भी याद दिला दूं कि १९७७ में आप उस बजट के साझीदार रहे हैं, जिसके हम रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप सब लोग एक दूसरे के साझीदार रहे हैं, हम आपके कभी भी साझीदार नहीं रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पिछला बजट जब पास हुआ था, तब माननीय नेता विरोधी दल हमारे खिलाफ थे।

श्री कल्याण सिंह–

जिस प्रकार से यहां पर घोषणायें हुई, उनके लिये ऐसा कह दिया..... (व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जिन बिन्दुओं का बजट में प्राविधान नहीं है, उसको स्पष्ट कर दें।

श्री कल्याण सिंह–

आपने चूंकि कह दिया, तो बजट भाषण उठाकर देख लेंगे, बेरोजगारी दूर करने के लिये ५० करोड़ रु० की घोषणा की गयी है और बजट को उठा कर देख लेंगे, उसमें ५० नये पैसे का प्राविधान नहीं है। यह तो रिकार्ड की बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री कल्याण सिंह–

जो आरोप हमारे ऊपर लग रहा है..... (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो बजट भाषण बनाने वाले पहले थे, वही अब भी हैं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् इसी प्रकार से मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, संसाधन नहीं देखे गये और संसाधन के अभाव के बावजूद घोषणायें कर दी गयीं। अब हम पर एक आरोप लग रहा है कि पूरा नहीं कर रहे हो। मैं केवल एक आंकड़ा देना चाहता हूं। श्रीमन्, सिंचाई के बारे में बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणाएं यहां पर कर दी गयीं, उन वृहद योजनाओं को पूरा करने पर लग जायं, तो ४६ करोड़ रु० लगेगा। पिछली सरकारों में बिजली घरों की घोषणायें बहुत हुईं, उनके लिये पैसा चाहिए ५३१० करोड़। लेकिन उसका प्राविधान नहीं था। सड़क और पुल के लिये लगभग १२०० करोड़ की घोषणा हुई। यह कुल ११,११० करोड़ की घोषणा है और पैसा है नहीं। घोषणायें की जाती रही हैं, संसाधन नहीं देखे गये। इतने पैसे से इस काम को पूरा करने में २० साल लग सकते हैं और हम से ८ महीने में हिसाब पूछा जा रहा है।

श्रीमन्, एक बात कही गयी। माननीय नेता विरोधी दल और बाकी नेताओं ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को दंगा रहित और भयमुक्त समाज का नारा दिया है। श्रीमन्, यह हमारा नारा नहीं है, यह सरकार का संकल्प है और हमारी सरकार इस कीमत को पूरा करेगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

जैसा कि बनारस और पीलीभीत में पूरा किया है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, बनारस की बात को न खुलवायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरी चुनौती है। आप खोल दीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

आज उसकी न्यायिक जांच हो रही है और अगर वह न होती तो बहुत कुछ कह सकता था।

एक सदस्य–

कहना चाहिए।

श्री कल्याण सिंह–

नहीं कहूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

बनारस का मामला खोलिये। दंगे को खोलिये। उसमें कौन-कौन से लोग हैं?

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

भाषण के बाद जवाब दे देंगे।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, न्यायिक जांच हो रही है और उससे सारी ताकतें बेनकाब हो जायेंगी और उसमें जो कोई दोषी पाया जायेगा, उसको बक्शा नहीं जायेगा और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही जरूर होगी, आप निश्चिन्त रहें। हमने तो फैसला किया है कि प्रदेश को दंगा रहित बनायेंगे और समाज को भयमुक्त बनायेंगे। क्या यह सच नहीं है कि १९९० में २५ दंगे हुए ? १९९१ में जब से हमारी सरकार आयी है, हमारे कार्यकाल में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बनारस और हापुड़ में दंगा हो गया, लेकिन दोनों की न्यायिक जांच चल रही है। श्रीमन्, २३४ माफिया गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। उत्तर प्रदेश की जनता पर जो माफिया टैक्स लगता था, उससे उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलायी है, काली छाया से मुक्ति दिलायी है। यह उपलब्धि सरकार की है। श्रीमन्, अपराधों में कमी हुई है।

मैं फिर कहूंगा कि जिस प्रकार की विरासत हमें मिली थी, उसमें साम्प्रदायिक उन्माद था। हमारी कोशिश है कि दंगे न होने पावें। मैं मानता हूं कि बनारस का दंगा हो गया लेकिन इस सरकार से पहले का इतिहास बताता है, पहले जब कभी वहां पर दंगा हुआ तो दो-दो महीने तक चला, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर तत्काल काबू पाया। हमने तत्काल बनारस के दंगों पर काबू पाया और तत्काल हमने हापुड़ के दंगे पर काबू पाया। आगे भी हम दंगों के नाम पर किसी हिन्दू को कटने नहीं देना चाहते हैं न किसी मुसलमान को कटने देना चाहते हैं समानता के आधार पर सबकी सुरक्षा की गारन्टी की जिम्मेदारी हम देंगे। इसमें किसी जाति, मत की बात नहीं है, सम्प्रदाय की बात नहीं है, वर्ग की बात नहीं, पूजा

पद्धति की बात नहीं है, मैं अनेक बार कह चुका हूं और इस बार फिर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो लाशों को हिन्दू और मुसलमानों के रूप में गिनते हैं और हम लोग उनको इन्सान की लाश मानकर चलते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं मानते हैं। अभी मैं हापुड़ में गया, वहां पर जो लोग मारे गये थे यह नहीं देखा कि मजहब किसका क्या है और सब परिवार में गया जो सांत्वना दे सकता था, दी। मैं जानता हूं कि जिन्दगी की कोई कीमत नहीं होती लेकिन जो आर्थिक सहायता देना था, वह दिया। आज इस राज्य के अन्दर चूंकि हमारे अल्पसंख्यकों के अन्दर भ्रम पैदा कर रखा गया था भाजपा के बारे में, आज इलाके में जाकर पूछियेगा आज वह महसूस करते हैं कि इस राज्य के अन्दर हम ज्यादा महफूज हैं, इतनी सुरक्षा कभी नहीं महसूस करते थे। हमने दंगा को रोकने का संकल्प लिया है, उन ताकतों को, तत्वों के हौसले को पश्त करूंगा, कोई भी ताकत क्यों न हो, दंगाई दंगाई है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, दंगाई से दंगाई के रूप में निपटना है। यह हमारा संकल्प है कि प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनायेंगे और हम आशा करते हैं कि इतने बड़े काम में सदन के सम्मानित सदस्यों का और साथियों का हमें सहयोग चाहिए। अब लगे हाथों माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न किया था दो शब्द उसके बारे में कह दूं, छूट रहा था।

श्रीमन्, यह जो कहा गया श्री वी० पी० सिंह के बारे में, अगर आप न कहते तो कुछ न बोलता, मैं जानता हूं कि जो यहां नहीं है उसके बारे में कहना ठीक नहीं है, यह न कहकर तत्कालीन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश जिनका नाम माननीय वी० पी० सिंह है, आपने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर काल में नहीं हुआ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं यहां उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं और आप दिल्ली की बात कह रहे हैं।

श्रीमन्, ९ अगस्त, १९८० से लेकर १९ जुलाई, १९८२ के कार्यकाल में इस प्रदेश के अन्दर १० भयंकर दंगे हुए और मरने वालों की संख्या १९९ तथा घायलों की संख्या ३६३ और ४-४ सामूहिक हत्याकांड हुए, बेहमई कांड में २० आदमियों की सामूहिक हत्या हुई, यह उन्हीं के जमाने में हुई है मैनपुरी का दिहुली काण्ड उन्हीं के जमाने में हुआ जिसमें २४ निर्बल वर्ग के लोग मारे गये और ६ घायल हुए। मैनपुरी के साढ़ूपुर में १० लोग मारे गये, कानपुर देहात में १० लोगों की हत्या हुई। ४-४ सामूहिक हत्याकांड के अन्दर कुल मिलाकर ६४ लोग मारे गये और ११ लोग घायल हो चुके हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं बीच में बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने श्री वी० पी० सिंह जी का तत्कालीन प्रधान मंत्री के रूप में नाम लिया था, आप कार्यवाही निकालकर उसको देख लें मैंने कहा था और उसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने मुख्य मंत्री काल की बात कही है तो उन्होंने एक यहां पर कीर्तिमान भी स्थापित किया है कि जब इस तरह की डाकुओं ने दस्युओं ने सामूहिक हत्या की तो उन्होंने मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के तर्क को सुनकर मुझे उन पर बड़ी दया आती है। दया इसलिये आ रही है कि यहां बात हो रही है उत्तर प्रदेश शासन की और उत्तर प्रेश के मुख्य मंत्रित्व काल की और आपने कहना शुरू कर दिया प्रधान मंत्रित्व काल की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह एवं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार से व्यवधान हो रहा है आपको स्पष्टीकरण पूछने का अवसर प्राप्त होगा, आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपके पीरियड में पिछड़ों की कितनी हत्यायें हुई हैं, इनकी भी गिनती करवा लीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

हम तो नहीं कहना चाहते थे, चूंकि आप बता रहे हो तो यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट माननीय नेता विरोधी दल को दिखा दीजियेगा कि उस समय के मुख्य मंत्री श्री वी० पी० सिंह के जमाने में मुठभेड़ों के नाम पर कितने निर्दोष लोगों की हत्या की गयी थी, यह रिपोर्ट उन्हें बता दीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह जो मुख्य मंत्री के रूप में उनके समय में साम्प्रदायिक दंगे हो गये, पिछड़ी जाति के लोगों की हत्यायें हो गयीं, उसके बावजूद १९८९ में उनके साथ सीटों का बंटवारा आपने किया था या हमने किया था, इसको बता दें?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय तिवारी जी को सूचित कर दूं कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। यह गलती माननीय प्रमोद तिवारी जी ने की। पिछली सरकार को समर्थन देकर गड्ढे में चले गये।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, आतंकवाद की समस्या आयी, आतंकवाद की समस्या के बारे में मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। आतंकवाद की समस्या एक राज्य की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं, किसी एक दल की नहीं, आतंकवाद की समस्या समूचे राष्ट्र की समस्या है। अगर आतंकवाद की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं ला सके सब मिलकर, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, यहां किसी दलों की सरकार का प्रश्न नहीं है, तब फिर इस देश की एकता, अखंडता, देश की आजादी और देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा, देश के अन्दर बुलेट चलेगा बैलेट नहीं। इस समस्या के समाधान के लिये मैंने बार-बार भारत सरकार से अनुरोध किया, माननीय प्रधान मंत्री जी से,

माननीय गृह मंत्री जी से कि इस पर बैठकर विचार किया जाना चाहिए। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस बात की गम्भीरता से विचार किया और सूचना आयी है कि २९ तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आतंकवाद से प्रभावित मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया है। मैं भी जाऊंगा। हमने प्रधान मंत्री जी से कहा, माननीय गृह मंत्री जी से कहा कि समस्या राष्ट्र की है किसी दल की नहीं है और यह कोई नयी समस्या नहीं है। आपरेशन ब्लू स्टार १९८४ से शुरू हो गया परन्तु इसे पहले आतंकवाद के रूप में नहीं स्वीकारा गया इसे केवल कानून व्यवस्था की चुनौती मानकर हल करने का प्रयास किया गया जिससे यह बढ़ता गया, फैलता गया। उत्तर प्रदेश के अन्दर इसने अपने पैर जमा लिये हैं। यह पहली मांग है, यह फैसला सरकार का है कि उसने इस प्रदेश में फैले हुए आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में गम्भीरता से लिया है। उसने इस प्रदेश के अन्दर एक असिस्टेन्ट आई० जी० के नेतृत्व में दो एडीशनल डी० आई० जी० एक टास्क फोर्स तैयार की है, थानों में पुलिस बल को बढ़ाया गया है, चौकियों की संख्या बढ़ायी गयी है, पुरानी जो जीपें थीं उसकी जगह पर नयी जिप्सियां दी जा रही हैं, जनरेटर कम्युनिकेशन सेट लगाये जा रहे हैं, पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

अभी तक रैंक के हिसाब से मृतक के परिवार वालों को सहायता दी जाती थी। क्लास-४ को चालीस हजार रुपये, क्लास-३ को साठ हजार रुपये, क्लास-२ को अस्सी हजार रुपये तथा क्लास-१ को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता था परन्तु अब हमने यह किया है कि जो भी पुलिसकर्मी आतंकवादी से भिड़ते हुए मारा जायेगा चाहे वह किसी क्लास का हो हम उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे और उसके परिवार में उसका लड़का हो या लड़की हो उसे नौकरी देंगे। यदि किसी के परिवार में लड़का या लड़की नहीं है तो उसकी विधवा को हम उसकी पूरी तनख्वाह , जब तक वह जिन्दा रहता है, पाता रहेगा । उसके परिवार का संरक्षण करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी। हमने आतंकवाद से लड़ने के लिये ३६ करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है और हमने यह मांग की है कि हम केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि जहां-जहां पर आतंकवाद है, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, उनको आतंकवाद विरासत में मिला है। अगर मैं उनसे तीन महीने बाद कहूं कि तुम आतंकवाद से निपटने में फेल हो गये हो तो क्या यह उचित होगा ? जहां-जहां प्रदेश के अन्दर आतंकवाद की समस्या है, केन्द्र सरकार को उस समस्या से निपटने के लिये आधुनिकतम हथियार देना चाहिए और ५० प्रतिशत व्यय भार उनको हर्जाना के रूप में देना चाहिए। हमारा तराई का इतिहास, १९८४ से अब तक का है, वह बताता है कि पुलिस का जवान, पुलिस का अफसर वह अपने को बचाकर रखने की कोशिश करते थे। यदि आतंकवादी उत्तर में है तो बचाने वाला दक्खिन में । लेकिन आज पुलिस का वही जवान और अफसर आतंकवादियों के खिलाफ जान हथेली पर रखकर मुठभेड़ कर रहे हैं। यदि कहीं आतंकवादी एक पुलिस वाले को मारता है तो हमारे पुलिस वाले उसकी जगह पर चार आतंकवादी को गिराते हैं । मान्यवर, हमने पुलिस के मानोबल को बढ़ाने का काम किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वहां लोग मारे गये, तो उसके लिये तमाम आंसू बहाये जायेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ४०-४० पुलिस के लोग मारे जाते हैं, तो किसी भी नेता की जुबान से क्यों एक भी शब्द नहीं निकला। आतंकवादियों की गोली से पुलिस के लोगों के मारे जाने पर उसकी निन्दा में एक भी शब्द उधर से नहीं कहा गया। कुल मिलाकर अकेले आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमको विचार करना होगा, इस समस्या पर और दलगत मतभेदों को भुलाकर, राजनीति की रोटी सेंकने की भावना छोड़कर, देश और प्रदेश के व्यापक हित में हमको आपकी संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए, इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। श्रीमन्, मैं बहुत

ज्यादा आंकड़ों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता, हमने फैसला किया है, हम आतंकवाद से लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की धरती को इस काली छाया से मुक्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर हमारे विपक्ष के सभी माननीय नेतागण, सभी सदस्यगण हमारा सहयोग करेंगे। यह सहयोग हमारा नहीं होगा, बल्कि जनता का होगा।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने गन्ना के बारे में, चीनी मिलों के बारे में बात कही। आपको पता है कि केन्द्र की सरकार ने २६ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य घोषित किये थे, हमने परामर्शित मूल्य ४१ रुपये से बढ़ाकर ४५ रुपये प्रति क्विंटल किया है और जल्दी पकने वाले जिन्सों की कीमत ४५ रुपये से ४८ रुपये की है। माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि ३ रुपये किसानों के हमने काट लिये। दो रुपये तो आप लोग ही कटवा गये हो। मान्यवर, डीजल की कीमत बढ़ जाने के कारण ढुलाई की कीमत बढ़ी, जो गन्ना बाहर से ढोया जायेगा, उस पर केवल एक रुपया बढ़ाया है, जबकि गेट पर पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। मान्यवर, किसानों के लिये हमने जो गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, उससे लगभग १५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ किसानों को जायेगा, इसे आप क्यों नहीं मान लेते हैं। इस सरकार ने किसानों के गन्ने का अधिकतम भुगतान करा दिया है और जो थोड़ा बहुत रह भी गया है, उसे हम जल्दी ही करा देंगे। जो पहले वर्षों से भुगतान लटका हुआ था, वह हमने किया है और कुल मिलाकर ८८ करोड़ रुपये का भुगतान किया है। मान्यवर, यह भी कहा गया कि पेराई कम हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि ३१ जनवरी, १९९२ तक १४७.७४ लाख टन गन्ने की पेराई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल १३१.४ लाख टन गन्ना पेरा गया था और इस प्रकार ३१ जनवरी, १९९२ तक किसानों का ३६६.९६ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की यह बात सही है और अन्य नेताओं की भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पूरे गन्ने की पेराई नहीं हुई है, यह बात सच है। मान्यवर, केवल लगभग ३२ फीसदी गन्ने की पेराई चीनी मिलों में होती है, बाकी ६८ फीसदी गन्ने की पेराई नहीं हो रही है, यह समस्या आज से नहीं है, यह केवल पिछले ८ महीनों की समस्या नहीं है, बल्कि हमने तो पहले से फिर भी ज्यादा गन्ना पेरा दिया है। यह समस्या तब से चली आ रही है जब नेता विरोधी दल सरकार में रहे हैं, प्रमोद तिवारी रहे हैं और बेनी प्रसाद वर्मा सरकार में रहे हैं। इसलिये हम माननीय प्रमोद तिवारी जी का सहयोग चाहते हैं, माननीय नेता विरोधी दल व श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का सहयोग चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर ८० स्थानों पर गन्ना मिल लगाने हेतु १५४ प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। फिर भी आप कहेंगे कि हर चीज को भारत सरकार के खाते में डाल देते हैं। वह केवल १०-११ व १२ ही देने को तैयार हैं। हमने कहा कि प्रथम चरण में हमें ५० दे दीजिये, शेष आगे हम कहेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मिल लगाने वाला लगायेगा, परन्तु भारत सरकार को लाइसेन्स देने में पता नहीं क्या आपत्ति हो रही है ? अगर इन चीनी मिलों के लाइसेन्स मिल जायेंगे तो गन्ना की पेराई हो जायेगी। चीनी मिल न लगने से दो तरह की हानि हो रही है। पहला, किसानों को गन्ने का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, चीनी मिलों के न होने से चीनी का उत्पादन नहीं हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय क्षति हो रही है। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी जब दिल्ली जायें तो थोड़ा सा केन्द्र सरकार का ध्यान वह इस ओर अवश्य आकर्षित करने का कष्ट करें।

श्रीमन्, एक बात महंगाई के बारे में कही गयी। महंगाई क्यों बढ़ती है ? इस तथ्य व इस कड़ुवे सत्य को हमें स्वीकारना होगा कि महंगाई का बढ़ना व महंगाई का घटना केन्द्र सरकार का बजट, केन्द्र की नीतियां, उसका नियोजन बहुत जिम्मेदार है। चाहे वह किसी की भी सरकार आ जाये। रुपये का अवमूल्यन किसने किया ? हमने किया ? नहीं हमने नहीं किया। यह भारत सरकार ने किया। रुपये का अवमूल्यन होगा तो महंगाई बढ़ेगी। मुद्रास्फीति को किसने बढ़ाया ? हमारी सरकार ने मुद्रास्फीति को नहीं

बढ़ाया। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। रेलवे भाड़े में पिछली बार बढ़ोत्तरी की गयी थी, अबकी बार फिर कर दी गयी। इससे महंगाई बढ़ेगी। ब्याज़ की दरों में वृद्धि हुई, पेट्रोल पदार्थों की कीमत में वृद्धि हुई। हमने इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई। यदि कीमतें बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। उर्वरकों की कीमतें बढ़ा दी गयीं। अनुदान खत्म कर दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस गलत तथ्य को रिकार्ड में न रखें कि उर्वरकों की कीमत बढ़ाई गयी। मान्यवर, सब्सिडी वापस ली गयी है। क्या यह सही नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां-वहां हम इस सब्सिडी को देंगे। इसके बारे में आप बता दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी विद्वता से अपने भाषण में यह कहा कि केन्द्र सरकार कीमतें बढ़ा रही है, इसलिये महंगाई बढ़ रही है। मैं विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों का क्या आपका दल लोक सभा में समर्थन नहीं कर रहा है ? अगर कर रहा है तो आप भी उतने ही भागीदार हैं, जितनी कि केन्द्र सरकार में कांग्रेस पार्टी ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, अन्य माननीय सदस्य भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मैं एक साथ सबको उत्तर दे दूंगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बाद में जो २० मिनट का समय रहेगा, वह स्पष्टीकरण के लिये होगा। उसमें आप अपना स्पष्टीकरण पूछ लीजिये। इस समय माननीय नेता सदन को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय प्रमोद तिवारी ने कहा कि खाद की कीमत नहीं बढ़ायी बल्कि अनुदान समाप्त कर दिया। मैं अपनी बात को सही करा देता हूं पर कठिनाई यह है कि जिस किसान को वह करीब ३० फीसदी कुछ कम में मिल रही थी [illegible] समाप्त होने के बाद खाद क्या महंगी हुई या नहीं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

प्रतिशत बता दें, कितने किसानों की सब्सिडी विधवा हुई ? मेरी जानकारी के अनुसार ९० प्रतिशत किसानों को उसी कीमत पर मिलनी चाहिए। आपकी सरकार के जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग के कारण खाद उन तक नहीं पहुंचने दी।

श्री कल्याण सिंह–

अब माननीय तिवारी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के बचाव में लेकिन किसान जानता है कि आपने उसकी कमर तोड़ी है।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों का क्या हमारा दल समर्थन नहीं करता है ? तो मेरा दल किसी भी अव्यावहारिक और गलत नीतियों का समर्थन नहीं करता है। जहां तक महंगाई का प्रश्न है और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है हमें जितना खाद्यान्न का कोटा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। हमने जो उपाय किया उसमें यह पहली बार है पौने तीन करोड़ यूनिट लगभग फर्जी हमने रद्द किये हैं, निगरानी समितियों का गठन किया १३,४७७ छापे डाले हैं जिसमें ८ करोड़ रुपये का माल बरामद किया है। ४७६ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह सरकार जनता की सरकार है । हम किसी प्रकार की कालाबाजारी सहन नहीं करते हैं। जो कालाबाजारी करेंगे जेल के सींखचों में जायेगा। कालाबाजारियों को कांग्रेस ने सहारा दिया। मैं जानता हूं बड़े-बड़े पैसों वालो को, सेठों को इन्होंने सहारा दिया। करोड़पति से लेकर अरबपति कांग्रेस के फाइनेंसर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार है। जो कालाबाजारी करेगा, ब्लैक मारकेटिंग करेगा जेल के सींखचों में जायेगा यह हमने करके दिखा दिया है जिसका कदाचित आप साहस नहीं करते थे।

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल और बाकी नेताओं ने भूकम्प के बारे में कहा, भूकम्प की त्रासदी भयंकर है, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। लगभग मान्यवर, ४ सौ करोड़ की क्षति हुई है, जनधन की हानि हुई है, पशुधन की हानि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बावजूद अपने सीमित संसाधनों के १५३ करोड़ की व्यवस्था का बचनबद्धता तय की है उसमें से लगभग ८५ करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। प्रत्येक मृतक परिवार को ३० हजार रुपया दिये हैं मैं कहता हूं कि मानव की कोई कीमत नहीं है, यह केवल एक आर्थिक सहारा है। मकान बनाने के लिये २०-२० हजार रुपया दिया है कुछ हुडको से कर्ज लेकर दे रहे हैं गम्भीर रूप से घायलों को ५-५ हजार दिया है मामूली घायलों को दो-दो हजार दिया है, डाक्टरों की टीम वहां भेजी है। अतिरिक्त वहां पर अधिकारी और कर्मचारी लगाये हैं। भारत सरकार की जो टीम आयी थी उसने भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की है। यहां से हमारे पत्रकार बन्धु वहां गये थे उनकी लौट आने के बाद रिपोर्ट थी कि हम अपनी आंखों से देख कर आये हैं अन्यथा यकीन नहीं होता। उनकी टिप्पणी है कि बिना देखे सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी विकराल समस्या का समाधान कोई सरकार इतनी जल्दी कर सकती है। इसलिये हमने कोशिश किया है कि सर्दी से कोई मरने न पाये, दवाइयों के अभाव में कोई मरने न पाये। कुल मिलाकर ऐसी त्रासदी है जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई शिकायत करता है, कोई अनियमितता हुई होगी तो आप हमें लिखकर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच करा ली जायेगी और यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने और दूसरे सदस्यों ने भी उद्योगों के बारे में कहा है कि यहां उद्योग नहीं आये हैं तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि १९९१-९२ में प्रदेश में ३३ हजार छोटी-बड़ी और दस्तकारी इकाइयां यहां लगाने का वर्तमान सरकार ने लक्ष्य रखा है। वर्तमान सरकार के समय में जुलाई, १९९१ से लेकर ३१-१-९२ तक इन लक्ष्यों में क्रमशः २३,६३८ लघु इकाइयां और ३,५८६ दस्तकारी इकाइयां स्थापित की गयी हैं। पिकअप ने भी एक हजार इकाइयों को २४० करोड़ रुपयों का ऋण दिया है और ३०० करोड़ रुपये का पूंजी निवेश उनके द्वारा होगा जिनको ऋण दे रहे हैं। भारत सरकार के पास जो ५१७ नई इकाइयां पंजीकृत हुई हैं जिनमें ३१ लाइसेंस दिये गये हैं। आंकड़े मैं बताना चाहता हूं १८% सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिये लोगों ने मांगे हैं। इसी प्रकार से पिकअप ने

भी मथुरा में २० करोड़ रुपये का करार किया है। प्रवासी कार्यालय का गठन प्रदेश में हुआ है। १७० करोड़ रुपये की योजनायें विचाराधीन हैं। लेकिन मान्यवर, जो मुख्य मुद्दे हैं जिनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में उद्योगों के लिये माहौल कहां है? यह सरकार उसके लिये माहौल पैदा कर रही है और मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण तेजी से बढ़ेगा। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत हमने बाधाओं को चिह्नित किया है जिससे उद्योगों में क्रान्ति आयेगी और ध्वस्त कानून व्यवस्था में यहां कोई आना नहीं चाहते थे चूंकि यहां अराजकता और जंगल का राज कायम था। इसलिये हमने सबसे पहले कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का काम किया है। लालफीताशाही के फंदे को हमने काटा है। हमने तीन स्तरीय सोपानों का लालफीताशाही को काटने के लिये गठन किया है। कलक्टर की अध्यक्षता में जिले में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद्, यह तीन स्तरीय समितियां गठित की हैं। इस प्रकार सिंगल टेबिल सिस्टम हम इन्ट्रोड्युस कर रहे हैं। अब कोई उद्यमी दस टेबिल पर चक्कर काटने के बजाय संबंधित विभाग के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर उद्योग लगाने के संबंध में एक उद्यमी को चाहे वह राजस्व का मामला हो, प्रशासन का मामला हो. एक ही जगह उसकी समस्या को निपटायेंगे। इस प्रकार लालफीताशाही के फंदे को हमने काटा है जिससे धीरे-धीरे उद्योग यहां बढ़ रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से कर-दुरूहता के सरलीकरण की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कर-दुरूहता का जितना सरलीकरण हमने किया उतना आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। हमने कर दुरूहता के सरलीकरण के लिये एक उप समिति का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट हमको मिल गयी है। उसका शासन में परीक्षण किया जा रहा है। हमारे सामने हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है राहत और राजस्व। किस प्रकार कर-दुरूहता को समाप्त करके राजस्व ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाय। राजस्व और राहत दोनों साथ-साथ बढ़े हैं। विद्युत की कमी के कारण से भी उद्योग नहीं आते थे, हमने फैसला दिया। सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यह किया है। यहां पर दो-दो भूतपूर्व बिजली मंत्री बैठे हैं। विद्युत के उत्पादन में जोर दिया जा रहा है। पारेषण और वितरण में कोई जोर नहीं दिया गया। इस सरकार ने विद्युत उत्पादन पर जोर दिया है। उसके पारेषण और वितरण की व्यवस्था सही हो इसके उपाय किये हैं। मान्यवर, इसी तरह से हमने तीन बातें और की हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने दो मंत्रियों का जिक्र किया है।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बता दें प्लान्ट लोड फैक्टर ५७ प्रतिशत था। आपके समय में कितना है?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश में ५७ प्रतिशत कभी नहीं रहा है। मुझे आभास है आप इसी तरह से गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह करते रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर ५७ प्रतिशत न रहा हो। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी चुनौती स्वीकार कर लें और अपने विभाग से आंकड़े मंगवा कर देख लें। ५७ प्रतिशत रहा है।

श्री कल्याण सिंह–

५७ प्रतिशत कभी नहीं रहा है। अगर रहा होता तो आज प्रदेश जग-मग जग-मग हो रहा होता। इन्हीं के शासनकाल में अंधकार में डूबा रहा है। चौदह-चौदह घण्टे बिजली दी गयी है। आपकी सरकार में प्लान्ट लोड फैक्टर ५७ प्रतिशत था, क्या तब ही किसानों को ४-५ घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी गयी ?

श्री प्रमोद तिवारी–

आज कितनी है? यह बता दें।

श्री कल्याण सिंह–

बात यह है कि सच्चाई कुछ कड़ुवी होती है और सही है कि सच्चाई को सहन कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज का प्लान्ट लोड फैक्टर बता दें कितना है ? आप बता इसलिये नहीं सकते क्योंकि आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में तीन फैसले लिये हैं। प्रदेश में खेती से हटे हाथों को वैकल्पिक रोजगार दिये बगैर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। हमने फैसला दिया है कि कोई व्यक्ति कैप्टू पावर प्लान्ट लगाना चाहे वह लगा सकता है। पहले इस पर प्रतिबन्ध लगा था हमने उसको तोड़ा है। हमने यह भी तय कर दिया है कि निजी क्षेत्र में अगर कोई पावर प्लान्ट लगाना चाहे वह लगा सकता है। पहले कोई डीजल जेनरेटर सेट लगाता था तो उसे यू० पी० एस० ई० बी० की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। हमने इस पाबन्दी को हटाकर उसे स्वतंत्रता दे दी है कि उसे यू० पी० एस० ई० बी० से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वह अपना प्लान्ट लगा सकता है। केवल वह सूचना भेज दे पोस्टकार्ड पर, सूचना इसलिये आवश्यक है कि कितना डीजल खर्च हो रहा है और कितने डीजल की व्यवस्था करनी होगी यह मालूम हो जाए ? हमने यह भी फैसला लिया है कि इंसपेक्टर राज से मुक्ति दिलायेंगे। सुविधाओं में विस्तार करायेंगे। हम बराबर कहते हैं कि हमारी योजनाओं में कटौती न की जाए। इन्हीं सब कामों के लिये हम लड़ रहे हैं यह विषय ऐसे हैं कि जिनसे प्रदेश का औद्योगीकरण होगा। जो सात-आठ महीनों में हमने कार्य किया है उसको आपके सामने रखा है। एक बात और कही माननीय नेता विरोधी दल ने और बाकी नेताओं ने भी जिक्र किया आरक्षण के बारे में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बारे में आपने कहा, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आलमारी में बन्द पड़ी थी वह निकल आयी, हां निकल आयी। ७ अगस्त, १९९० को। यह रिपोर्ट कब निकली, जब ठीक दो दिन बाद श्री देवीलाल जी की रैली होने वाली थी। अगर ईमानदार होते तो इसको बहुत पहले निकल आना चाहिए था। जिस प्रकार से आनन-फानन में नीति की घोषणा की गयी क्या ऐसा ठीक था ?

भारतीय जनता पार्टी की नीति आरक्षण की नीति थी, बात तो तब थी जब इसको पहले ही दिन अपना लिया जाता। भारत सरकार को बड़ी देर से हमारी बात समझ में आयी। २० जुलाई, १९८५ को भोपाल में हमने राष्ट्रीय सेवा समिति में आरक्षण की बात रखी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण यथावत जारी रहेगा। मैंने यह भी कहा है कि मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़ी

जातियों को सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं आरक्षण की सुविधायें दी जाएंगी। यह व्यवस्था हमने की है और पिछड़ी जातियों में जो बहुत पिछड़े हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण का जो कोटा है वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा जबकि आपके जमाने में ऊपर से नीचे की ओर गया। पिछड़ेपन का प्रमुख कारण गरीबी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा समाज में शेष जातियां जो हैं उनको कौशिक कमेटी में उजागर किया गया है। उसमें गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, यह है। हम तो चाहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनका आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने तो केवल आरक्षण की नीति को लागू किया है हम तो २० जुलाई १९८५ से कह रहे हैं आपने तो १९९० में घोषणा की है। भारत सरकार ने बड़ी देर से हमारी बात को समझा। अब भारत सरकार हमारी नीति को अपनी नीति कह दे तो और बात है लेकिन यह हमारी नीति है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं किया जा रहा है। आरक्षण का कोटा बरसों से पूरा नहीं हुआ है। यह आठ महीनों का कोटा नहीं है। इसलिये तय करना है, कैसे आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए ? अभ्यर्थी मेरिट के हिसाब से चुन लिये जाते थे उसको निकाल देते थे। अब इस सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई मेरिट में आ जाता है तो मेरिट किसी की काटी नहीं जायगी। मेरिट-मेरिट होगी उसको १८-२० प्रतिशत की सीमा में नहीं बांधा जायगा और इसीलिये हमने रिक्तियों को भरने का फैसला लिया है।

एक सदस्य–

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ६३ जिलों में से, पुलिस में, केवल २० जिलों में आरक्षण पूरा है, बाकी में नहीं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्वीकार किया है कि बैकलाग चला आ रहा है। उसको दूर करने के लिये हमने फैसला लिया और जो नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी उसको १७ जुलाई, ९१ से समाप्त कर दिया है।

श्री ऊदल–

अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री कल्याण सिंह–

कर दिया है। श्रीमन्, बड़ी अजीबोगरीब बात यह थी कि कर्मचारियों की भर्ती के लिये या उनकी प्रोन्नतियों के लिये सेवा नियमावलियां ही नहीं थीं। दाद दो इस सरकार को कि केवल ६-७ महीनों में हमने १२० सेवा नियमावलियों को पास किया है जिनके आधार पर नियुक्तियां और प्रोन्नतियां होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में लोग भर्ती करते रहे। हमने तय किया है कि जो अध्यापक नियुक्त हैं उनका विनियमितीकरण करेंगे। जो भी नियुक्ति करेंगे उसमें पहली नियुक्ति आरक्षित कोटे से भरी जायगी और उसके बाद सामान्य से, इसके बाद आरक्षित कोटे से और फिर सामान्य कोटे से। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आरक्षित कोटे का बैकलाग पूरा नहीं हो जाता। यह सरकार आरक्षण का कोटा भरने जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हम प्रतिबद्ध हैं अपने दलित भाइयों को ऊपर उठाने के लिये वे हमारे समाज का अंग हैं। अगर वह लोग पिछड़े रह गये तो समाज पिछड़ा रह जायगा, समाज

कमजोर हो जायगा। हम जानते हैं, उनके साथ में सबका खून का रिश्ता है। किसी भी दल के क्यों न हों, उनको ऊपर उठाने के लिये हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। श्रीमन्, एक बात पूछी थी नेता विरोधी दल ने कि कितने पट्टे दिये गये हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कितने पट्टे दिये गये और कितने कब्जे दिये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

आपने पूछा था कि कितने पट्टे दिये गये, कितने कब्जे दिये गये और कितने आवास के लिये स्थान दिये गये ? श्रीमन्, १ जून, १९९० से लेकर ३१ जनवरी, १९९१ अर्थात् पिछली सरकार के काल में जो कुल आवंटन हुए थे वह २३,८७१ थे उनमें से अनुसूचित जाति के १०,९०२ आवंटी थे। आवंटन के अन्तर्गत ७,३९८ हेक्टेयर क्षेत्रफल था। इसमें से निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये २,९६३ हेक्टेयर क्षेत्रफल था। इसी अवधि में १ जून, ९१ से लेकर ३१ जनवरी, ९२ तक कुल मिलाकर ३१,०३० आवंटियों को आवंटन किया गया है जिसमें से १३,०७४ आवंटी अनुसूचित जाति के थे (इस समय ६ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम प्यारे शुक्ल पीठासीन हुए) जिनको एलाटमेंट हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से निर्बल वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों को ८,०९१ हेक्टेयर आवंटित किया गया। अनुसूचित जाति के लिये ३,७१९ हेक्टेयर क्षेत्रफल एलाट किया गया है और प्रयास यह है कि इस पर इन सबको कब्जा दिलाने की भी बात हो गयी है। इसी प्रकार से जो आवास आवंटन का है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह सरकार निर्बल वर्ग के लोगों के लिये, दलितों के उत्थान के लिये क्या कर रही है ? जुलाई, ९० से जनवरी, ९१ तक पिछले समय में अनुसूचित जाति के १५,२३६ लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे, अनुसूचित जनजाति के लिये भी इसी प्रकार आवंटन किया गया था। सामान्य वर्ग के लोगों के लिये ३६,६९३ भूखण्ड आवंटित किये गये थे, उसी कालखण्ड में हमारी सरकार आने पर जुलाई, ९१ से लेकर जनवरी, ९२ तक के आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये भूमि का आवंटन जहां पिछली सरकार में केवल १५,२३६ आवंटन कर पायी थी, उसी कालखण्ड में हमने ४३,६७९ भूखण्ड आवंटित किये थे। पिछली सरकार अनुसूचित जनजाति के लिये ४२ भूखण्ड आवंटित कर पायी थी, हमने अनुसूचित जन-जाति के लिये १,०८६ आवास के भूखण्ड आवंटित किये हैं और सामान्य श्रेणी के निर्बल वर्ग के लिये ३४,६२४ आवास का आवंटन किया है। श्रीमन्, मैं एक बात ऊंचाहार के बारे में कहूं, श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में यह कहा कि हमने इसे २८५ करोड़ में एन० टी० पी० सी० को बेच दिया। कैसे कह दिया ? सच यह है कि ९२५ करोड़ में एन० टी० पी० सी० से एग्रीमेंट हुआ है और मैं दो मिनट में संक्षेप में इसका इतिहास बताना चाहूंगा यह बताने के लिये कि यह जानें कि प्रदेश की जनता के हित में कैसे था ? श्रीमन्, प्रथम स्टेज की दो इकाइयां २१०–२१० की लागत की थीं। पहली मशीन १९८९ में चल गयी और अप्रैल, ९० में दूसरी चल गयी। दो वर्षों में निर्धारित जो पी० एल० एफ० था, यह निर्धारित क्षमता के अनुसार नहीं चल पाया। दूसरे स्टेज की मशीन २१० की थी। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक से ३२० करोड़ के ऋण के हिसाब से लेना था। ऋण का उपयोग नहीं हो पाया राज्य के संसाधन कम, हम सेकेण्ड स्टेज लगा नहीं सकते थे। उल्लेखनीय बात यह है कि तत्कालीन सरकार ने २८ अगस्त, १९९० को मंत्रि-परिषद् में फैसला लिया, आपने नहीं लिया, आप बच गये, माननीय तिवारी जी की पीठ पर कोड़ा नहीं लगा, तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया था कि सेकेण्ड स्टेज को तो बन्द कर दिया जाय, दूसरा था कि फर्स्ट स्टेज को निजी क्षेत्र को दे दिया जाय। तीसरी बात एक कम्पनी आयी थी जिससे

हिसाब-किताब बना, कुछ परिस्थितियां उग्र हुईं, सौदा नहीं हो पाया, कौड़ियों के मोल में सौदा होने जा रहा था, अच्छा हुआ,नहीं हुआ, नहीं तो प्रदेश का बड़ा अहित हो जाता।(व्यवधान) न सौदा करने वाला मेरे दल का था और जिससे सौदा होने वाला था, वह भी मेरे दल का नहीं था और जिसके साथ सौदा हो रहा था, वह शायद आपके दल का रहा हो। केन्द्र के राज्य मंत्री माननीय कल्पनाथ राय जी के साथ हमारी बात हुई, ६ अक्टूबर, १९९१ को यह करार हुआ, एन० टी० पी० सी० की ४६३ करोड़ की देनदारी हमारी थी, २४१ करोड़ रु० का सर चार्ज था और मार्च, १९९२ तक चूंकि हम और लेने वाले हैं, उसे मिला कर लगभग २०० करोड़ और हो जाता, यह सब कुल मिला कर, एन० टी० पी० सी०ने साफ कह दिया कि अगर हमारे ड्यूज नहीं दिये जायेंगे, तो हम बिजली काट देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अंधेरे में छिप जाने देंगे? क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर जो किसानों को बिजली दी जा रही है, उसको काट देंगे, क्या उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है, उनको बिजली देना बन्द कर दें? भारत सरकार ने फैसला किया कि कुल मिला कर, कुल लागत ६५७ करोड़ थी, डिप्रिसियेशन काट दें, तो ६०९ करोड़ की बुक वैल्यू आती है। भारत सरकार की ओर से माननीय कल्पनाथ राय जी वह बुक वैल्यू मान लेंगे, तो ६०९ करोड़ मिलेंगे। इसको व्यापक हित में ९२५ करोड़ में करार दिया।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

जो पैसा ज्यादा दे दिया, उसमें केन्द्र की गलती है।

श्री कल्याण सिंह–

कोई-कोई काम केन्द्र सरकार समझदारी का कर देती है। यह जो बड़े स्टेज की मशीन है, यह मान कर कि एन० टी० पी० सी० का पी० एल० एफ० ६८ फीसदी होगा, जबकि यू० पी० एस० आई० बी० या विद्युत निगम, यह मान कर कि एन० टी० पी० सी० का ६८ प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर मान लेगा। हमने करार में तय कर लिया है कि २६८ मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को एन० पी० सी० देगा। इसी प्रकार से सेकेण्ड स्टेज की जो २१०-२१० की इकाई है, उससे भी बिजली उत्पन्न होगी, जिसमें वह लगभग ३५ प्रतिशत की बिजली राष्ट्रीय नीति के अनुसार हमको मिलेगी। जो तीसरी स्टेज की इकाई दो गुणे दो सौ दस, यह उत्तर प्रदेश की सरकार सीमित संसाधनों से लगा नहीं सकती। करार में तय हो गया है कि एन० टी० पी० सी० दूसरी स्टेज की इकाई लगायेगी। इसमें भी करीब एक हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग हजार-बारह सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा जो श्रीनगर का हाइड्रोप्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक से सहायता की बात चल रही थी और एक शर्त थी कि अगर एन० टी० पी० सी० का देय नहीं दे सकते, तो श्रीनगर का हाइड्रोप्रोजेक्ट जिस दिन बन जायगा, सस्ती बिजली मिलेगी। वह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता लेकिन हमने उसको निकलने नहीं दिया। मुझे आशा है कि वह पुनर्जीवित होगा। करार में साफ-साफ तय हुआ है कि इंजीनियर्स की सेवा और शर्तों में किसी प्रकार की तबदीली नहीं होगी। यह ऊंचाहार को एन० टी० पी० सी० को सौंपने का फैसला जनहित में किया है, टेबुल के नीचे नहीं किया है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं किया है, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं किया है। भारत सरकार के उपक्रम और भारत सरकार के राज्य मंत्री के साथ बैठ कर सब बातें हुई हैं। मैंने कहा था कि छिप करके काम नहीं करेंगे, हमारी सरकार पारदर्शी है, ट्रान्सपैरेन्ट है, हम कोई काम छिप कर नहीं करेंगे। मान्यवर, यह जो करार हुआ है वह टेबिल के नीचे नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

बीच में टोकिये नहीं। कृपया बैठ जाइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

जो आप बिजली लेंगे उसकी दर क्या होगी?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

डेढ़ घन्टा हो गया है।

श्री कल्याण सिंह–

चार दिन से सुन रहा हूं और अगर कोई बिन्दु छूट जायेगा तो कहेंगे कि उत्तर नहीं दिया। कहने वाली बात आपने ज्यादा नहीं कही है।

श्रीमन्, अस्पतालों की चर्चा की गयी, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। श्रीमन्, सी० एम० एस० डी० द्वारा ज्यादा दवायें खरीद ली जाती रहीं और सी० एम० ओ० को दवायें खरीदने का कम अधिकार था। ४० और ६० का अनुपात था। हमने दो बातें कही हैं। एक तो आम जनता के लिये जिन दवाओं की आवश्यकता होती है, उसका टेन्डर निकलवा रहे हैं। सी० एम० एस० डी० के द्वारा पहले जो दवायें खरीदी जाती थीं उसको यह पता नहीं रहता था, लखनऊ में बैठकर कि किन दवाओं की आवश्यकता अधिक है, उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं। अब हमने केन्द्रीय-स्तर पर २० प्रतिशत दवायें और ८० प्रतिशत दवायें स्थानीय स्तर पर खरीदने की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को समय से दवायें मिल सकें। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, मान्यवर, अध्यादेशों की चर्चा की गयी। मैं सहमत हूं कि जितने कम से कम अध्यादेश जारी किये जायें, अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह तुलना करके देखें पिछली सरकार के कुल कार्यकाल में ५ दिसम्बर, ८९ से लेकर २३ जून, १९९१ तक क्योंकि २४ जून को हम आ गये, कुल मिलाकर ६८ अध्यादेश जारी हुए थे और अब आप कहें कि यह तो उनके पूरे १८ महीने का लेखा जोखा दे दिया तो ६ महीने की बात बताये दे रहा हूं २४ जून ९० से लेकर २२-२-९१ तक ३९ अध्यादेश जारी हुए हैं। मान्यवर, हमारी सरकार में यह बात ठीक है कि २४ अध्यादेश जारी हुए लेकिन पिछली सरकार के ३ अध्यादेशों को पुनर्प्रख्यापित करना पड़ा तो तीन तो वह कट गये, पूर्व सरकार के निर्णय के आधार पर भारत सरकार के पूर्व निर्देश प्राप्त होने पर एक प्रख्यापित करना पड़ा, स्थानीय निकायों के कार्यकाल बढ़ाने पर ७ ऐसे थे, यह करने पड़े तो इस तरह से ११ तो उसमें चले गये १३ विशेष थे जो सरकार ने अध्यादेश जनहित में आवश्यकता पड़ने पर जारी किये और यह परम्पराएं केवल ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव के मुख्य मंत्रित्वकाल की हो, प्रमोद तिवारी की पार्टी की सरकार थी तब से अध्यादेशों की परम्पराएं चली आ रही हैं। श्रीमन्, एक सी०पी०एम०टी० के बारे में कहा गया है, जौनपुर विश्वविद्यालय के बारे में था तो जो परीक्षा कराई गयी थी उसकी जांच

कराई गयी और जांच के आने पर उसमें कमियां पाई गयी तो उसको निरस्त कर दिया गया और नये सिरे से परीक्षा कराई गयी है। एक नहीं कई पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने शिकायतें की थी तो मैंने उसकी जांच कराई थी, जांच में आरोप सही पाये गये थे, कई लोगों के साथ हकतलफी हो जाती इसीलिये उसको हमने समाप्त कर दिया है, अच्छा काम किया है इसलिये आप लोगों को बधाई देनी चाहिए।

एक नकल के बारे में बड़ी चर्चा है, एक यह छपा है मैं इसे पढ़कर समय नहीं लेना चाहता। लोगों ने इसे पसन्द किया लोगों ने यह भी निर्णय दे दिया है जो नकल का विरोध कर रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं। मान्यवर, नकल एक अभिशाप है प्रतिभाशाली छात्रों के लिये, नकल अभिशाप है परिश्रम करके पढ़ने वाले छात्रों के लिए नकल अभिशाप है होनहार छात्रों के लिए, जब चाकू गाड़कर नम्बर ले सकते हैं तो पढ़ाई करने की जरूरत क्या रह जायेगी ? प्रतिभा कुंठित होगी, नकल चलने दें तो योग्यता कुंठित होगी। प्रशासन की सेवाओं में प्रतिभाशाली लोग नहीं आयेंगे, चाकू लगाकर नकल करके, लोग भर्ती हो जायेंगे तो प्रशासन की क्षमता गिर जायेगी। मैं समझता था कि नकल रोकने के इस अच्छे कदम का सभी लोग स्वागत करेंगे, इस अच्छे कदम का शिक्षकों ने, बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये, छात्रों को राजनीति का मोहरा बनाने के लिये, नकल विरोधी अध्यादेश का गलत तरीके से जो प्रचार कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बीच में टोकिये नहीं, कृपया बैठिये। यह भाषण होने के बाद आप अपनी बात कहियेगा, बीच में मत टोकिये।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, एक विषय उठा यहां पर कि डा० जोशी कश्मीर में झंडा लहराने के लिये गये और पुलिस के पहरे में झंडा लहराया, लहरा आये। लेकिन, आज यह सोचने के लिये क्यों तैयार नहीं हैं कि कश्मीर की स्थिति कितनी असामान्य है ? कश्मीर हाथ से जा रहा है, कश्मीर को बचाने के लिये, कश्मीर की समस्या केवल कश्मीर की नहीं है, कश्मीर की समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं, इस भाव को जगाने के लिये डा० जोशी यात्रा पर थे, इसके पीछे राजनीति नहीं थी, इसके पीछे राष्ट्रनीति थी। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) अगर आज झंडा न फहराया होता तो क्या संदेश जाता हिन्दुस्तान में, क्या संदेश जाता दुनिया में यह सिद्ध नहीं हो पाता कि कश्मीर में आतंकवाद का राज है। झंडा हमने वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का नहीं फहराया, झंडा हमने तिरंगा फहराया, राष्ट्रीय झंडा फहराया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पूरे देश के अन्दर राष्ट्रीय एकता यात्रा ने जनजागरण पैदा किया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं.....

श्री प्रमोद तिवारी–

यह बता दें कि जोशी जी ने जो झंडा फहराया उसके पहले पुलिस कमांडेंट ने वहां झंडा फहरा दिया था कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह–

अगर दोनों ने फहराया होगा तो पाप क्या है, इसको राजनीति से न जोड़ें। राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय प्रमोद तिवारी और इनका दल संकीर्ण राजनीति और संकीर्ण भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसे हल्केपन से नहीं लेना चाहिए, यह गम्भीर मुद्दा है। इसलिये इस देश में जो अलगाववाद की ताकतें बढ़ रही हैं यह इसी प्रकार के वोट की छोटी राजनीति के कारण बढ़ रही है। राष्ट्र का व्यापक हित देखिये। राष्ट्रीय एकता यात्रा देश की एकता और अखण्डता के लिये एक संस्कार एक व्यवहार जगाने के लिये निकाली गयी थी, जिसका स्वागत होना चाहिए था।

मान्यवर, कुछ बातें कही गयी विकास के बारे में। मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं और फिर दुहरा कर कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र के निर्माण के लिये कार्य, कोई भी विकास योजना, किसी भी दलीय पक्षपात के कारण से न हटायी गयी है और न कटौती की गयी है। आगे भी पूरे प्रदेश का क्षेत्रीय असंतुलन कम कैसे हो इसकी कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा है, पूर्वांचल भी पिछड़ा है, यह भी जानता हूं कि उत्तरांचल भी पिछड़ा है। उत्तरांचल के लिये विशेष आर्थिक सहायता लेने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। पिछली बार २०० करोड़ रुपये में से १८२ करोड़ रु० दिया था, १८ करोड़ रुपये वहां काटा गया था क्योंकि हमारी सोच है, हमारी सोच बड़ी साफ है। गांव के गरीब किसान का, छात्र और नौजवान का, बेरोजगार इन्सान का, नारी के सम्मान का, अनुसूचित जाति दलितों के उत्थान का (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) उसी आधार पर हमने यह तय किया है, पहली बार यह सरकार आयी हमने कहा है कि योजना का ६० फीसदी खर्च गांव और गरीब किसान पर करेंगे। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इसके लिये हमने, जो आर्थिक संसाधन सीमित हैं उनको बढ़ाया है, विकास का काम कहीं रुक नहीं रहा है। यह आरोप लगाना गलत है कि विकास के कार्य बन्द पड़े हुए हैं। हमने यह देखा कि कितना पैसा है और जितना पैसा था उसमें जो हमारे अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाये यह नहीं कि एक शुरू किया उसको आधे में छोड़कर दूसरा शुरू कर दिया और फिर तीसरा शुरू कर दिया। हमें सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण दोनों को साथ-साथ चलाना होगा। जो कुछ हो चुका है उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे और आगे का विस्तारीकरण करेंगे यह हमारी योजना की दिशा होगी। जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है वह हमने खत्म कर दिया, हमने किसानों को राहत देने के लिये १२ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, किताब कापी पर १७ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये हमने कदम उठाये हैं। दीन दयाल विकास योजना का हम श्रीगणेश कर चुके हैं, रोजगार क्षेत्रीय योजना का प्राविधान किया है और इस योजना के लिये [illegible] के लिए आप पायेंगे हमने इसका प्राविधान किया है। इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि, इनकी निधियों में भी जो शिकायत आज हो रही है। कटौती कर दी गयी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमने अपने पास से नहीं की यह कटौती तो प्रमोद तिवारी जी की पार्टी ने पैदा की है, क्योंकि उन्होंने इस हेतु पैसा नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले बजट में दोनों विकास निधियों में कुछ अधिक पैसे का हम प्राविधान कर रहे हैं। श्रीमन्, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक बात कही कि हम तो अफसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं और आपके सामने बहादुर बनते हैं तो श्रीमन्, मैं इतना कह सकता

हूं कि हमने प्रशासनतंत्र के टूटे हुए मनोबल को साधा है, इसमें एक नयी संस्कृति का इजाफा किया है, हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं हम कार्यवाही करते हैं। हमारी मान्यता है कि वह ब्यूरोक्रेसी एक ट्रेंड घोड़े के समान है। जिस प्रकार से एक ट्रेंड घोड़ा अपने सवार को पहचानता है, उसके हाथों की लगाम को पहचानता है, (इस समय ६ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) उसकी ताकत को पहचानता है उसी प्रकार से इस सरकार के रगों में ताकत है, सरकार के हाथ में लगाम है और मजबूती से पकड़ने की क्षमता है और इस सरकार की नियत साफ है। यह ब्यूरोक्रेसी का घोड़ा इस सरकार की तीनों चीजों को देखते हुए, उसकी क्षमता को देखते हुये उसकी लगाम को देखते हुये उसकी ताकत को देखते हुये, उससे डरता है। आज हमने यह किया है कि जो अच्छा कार्य करेगा उसे हम शाबाशी देंगे और जो गलत कार्य करेगा हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और कर भी रहे हैं। यह इस सरकार का ही कलेजा है कि ६ महीनों के अन्दर उसने जितनी अनियमितताएं पायीं उसके खिलाफ उसने कार्यवाही की। यह किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती है। हमने छः महीने के अन्दर दो आई० ए० एस० अफसरों को निलम्बित कर दिया जबकि आपके जमाने में जीरो परसेन्ट था, २० अफसरों को भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया जिनमें से ८ को सस्पेन्ड कर दिया गया, दो आई० ए० एस० अफसरों के खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं ३१ पी० सी० एस० अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, कुल मिलाकर हमने अब तक ३,१५२ लोगों की स्क्रीनिंग करायी है, उसमें से २४३ की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। जिस किसी के खिलाफ अनियमिततायें पायी जा रही हैं, उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस के अन्दर भी हम अच्छा काम करने वालों को शाबाशी दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं। पुलिस के लोगों को भी हम जेल के सीखचों में बंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभियोजन चला रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया कभी भी इससे पहले नहीं हुई। यह सरकार बड़ी मजबूती के साथ चल रही है और प्रशासन तंत्र के ऊपर शासन में बैठे हुए लोगों का पूरा-पूरा नियंत्रण है, यह कहना कि हम गिड़गिड़ाते हैं, गलत है, पिछली सरकारें गिड़गिड़ाती रही हैं, यह सरकार दहाड़ कर काम कर रही है।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हम टेम्परेरी हैं, आप परमानेंट हैं, उसके बारे में बता दीजिये ?

श्री कल्याण सिंह–

यह बात कौन नयी है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

यह संविधान के विरुद्ध है। भाजपा टेम्परेरी हो सकती है लेकिन यह व्यवस्था परमानेन्ट है। सरकारी अधिकारी परमानेन्ट नहीं होता, आपका यह गिड़गिड़ाना नहीं तो और क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं जानता हूं कि माननीय प्रमोद तिवारी के पेट का दर्द, जब इनके पास कोई उत्तर नहीं होता तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचा करती है। अरे यही वही सरकार है, जिसने इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत की है। जो अच्छा काम करने वाला अधिकारी कर्मचारी होगा, उसे हम प्रोत्साहन देंगे शाबाशी देंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे लेकिन जो गलत काम करने वाला होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी चाहे वह कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, जो

दोषी होगा। श्रीमन्, एक बात माननीय तिवारी जी ने और कही, उपचुनाव के बारे में। में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितने निष्पक्ष चुनाव हमने करा दिये, उतना कोई सरकार नहीं करा पायी। जनता जिसको वोट देना चाहे, दें, इतने निर्भीकता के साथ चुनाव पहले कभी नहीं हुए। हमने चुनाव उन ऐसे जिलों में करा दिये, जैसे बुलन्दशहर, इटावा, अमेठी, सुल्तानपुर में जहां हिंसा के कारण इलेक्शन काउन्टरमेंड हुए थे, वहां पर हमने ऐसे निर्भीक चुनाव कराये, जनता जिसको चाहे, उसको वोट दे। कहीं किसी भी बूथ पर कैप्चर नहीं होने दिया, एक फायर नहीं होने दिया। मेरी कुछ जिलों में लोगों से बातचीत भी हुई, लोगों ने बताया कि हम पहली बार बैलेट पेपर देख रहे हैं, उन्होंने किसको जिताया, किसको हराया, इस बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस सरकार ने एक मानदंड प्रदेश में जरूर कायम किया है। श्रीमन्, दो बातें और कहकर मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं। माननीय तिवारी जी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण १९८० से ९२ तक के भाषणों में बिल्कुल निरर्थक है। श्रीमन्, अभिभाषण तो महामहिम राज्यपाल का बहुत सार्थक है, संकीर्णताओं की दशा में उसको समझने के लिये ज्ञान चाहिए, मेरी दिक्कत यह है कि मैं समझा तो बहुत सकता हूं कि परन्तु समझने की शक्ति नहीं दे सकता हूं। समझ किसी दुकान पर तो मिलती नहीं, जो मैं खरीद कर इनको दे दूं। चूंकि ये शहरों की तरफ देख रहे है और राज्यपाल का अभिभाषण गांवों की तरफ देख रहा है तो ऐसी स्थिति में उनकी समझ में कैसे आ जायेगा। अगर गांव की तरफ ये देखेंगे तो इनकी समझ में बात आ जायेगी। अगर इनकी आंखों में दृष्टिदोष पैदा हो गया हो तो इन्हें आइ-टेस्ट करानी चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट दिशायें हैं। ग्रामोन्मुखी दिशा है, विकासोन्मुखी दिशा है, गरीबोन्मुखी दिशा है। परन्तु माननीय श्री तिवारी जी उस दिशा को नहीं देख पा रहे हैं। इन्होंने यह कहा कि यह सुगन्धहीन अभिभाषण है। मान्यवर, अगर किसी को नासिका रोग हो गया हो और उसे किसी चीज में सुगन्ध महसूस नहीं हो रही हो तो यह मेरी मजबूरी है। इस अभिभाषण में भिन्न-भिन्न फूलों की सुगन्ध, समाज के अन्दर समरसता व ममतामय इत्र की सुगन्ध इसमें उढ़ेली गयी है। मान्यवर, जिनकी मानसिकता वर्षों से साम्प्रदायिक बनी हुई है, जो वर्षों से साम्प्रदायिकता की जंजीरों में गुलाम रहे हों, उन्हें हर चीज में साम्प्रदायिकता नजर आती है। यह कहा गया कि अभिभाभषण अविवेकपूर्ण है। भाषण तो विवेकपूर्ण है, लेकिन उस विवेक को समझने के लिये मैं विवेक कहां से ला दूं ? आपने कहा कि बड़ा निराशाजनक है।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप वही तो देंगे, जो आपके पास है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इस अभिभाषण में आशा की किरण है। १४ करोड़ जनता की आशा व आकांक्षा की किरण इस अभिभाषण में है। आपने हमारे बारे में कह दिया कि हम असफलतम मुख्य मंत्री हैं। आप कह रहे हैं तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अब तक आजादी के ४४ सालों की सरकारों के इतिहास में यह एक सफलतम सरकार है, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं। जिनकी आंखों में राजनैतिक चश्मा लगा हो, वह इस पैमाने को नहीं देख सकते हैं। यह पैमाना तो जनता बता रही है। जनता ने दो-दो बार बता दिया है। एक बार सामान्य निर्वाचन में और फिर उप चुनावों में। आज इस सरकार की साख प्रदेश की आम जनता में बढ़ती जा रही है।

श्रीमन्, जनसंख्या नीति के बारे में एक बात कही गयी। हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, परन्तु जबरदस्ती नहीं। इसे एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में चलाया जाना चाहिए। इसमें कोई धर्म व मजहब आड़े नहीं आना चाहिए। अगर जनसंख्या को नहीं रोका गया तो १०-१२ सालों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर चला रही है और चलायेगी। इसके लिये हमने विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से ८१५ करोड़ रुपये की व्यवस्था हेतु बातचीत की है। अगर यह हमें मिल जाता है तो हम परिवार कल्याण के कार्यक्रम को और द्रुतगति से आगे बढ़ायेंगे।

श्रीमन्, हमने जो वायदे किये थे, हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। दंगा रहित, भयमुक्त समाज के वायदे को भी हम पूरा कर रहे हैं बी० जे० पी० की सरकार, जनता का द्वार, इस वायदे को भी हम पूरा कर रहे हैं और अच्छा शासन व प्रशासन देने के वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने ही कहा है कि सबको परखा बार-बार हमको परखो एक बार। हां, पांच साल परखने के बाद जनता के सामने हम अपने काम पर वोट मांगने जायेंगे और लौट कर इससे ज्यादा संख्या में यह सरकार आयेगी।

अब हमारे कुछ मित्र कहते हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे कभी ६ महीने में कहते हैं कभी ८ महीने में कहते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सरकार की जड़ें बहुत गहराई में पैठी हुई हैं, सरकार को उखाड़ने वालों का दम फूल जायेगा, पसीने छूट जायेंगे। सरकार ५ साल तक चलेगी और फिर आने वाले दिनों में हम आयेंगे।

श्रीमन्, मुझे खुशी इस बात की है हमारे कई माननीय नेताओं ने चाहे जाने में या अनजाने में, चाह कर या अनचाह कर राम का नाम कई-कई बार लिया।श्रीमन्, अजामिल मरते समय केवल एक बार राम बोल गया था तो वह तर गया। जहां तक अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा है हम एक बार अपनी नीति स्पष्ट कर चुके हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिये हम प्रतिबद्ध हैं, हमको इसके लिये जनादेश मिला है। यह कोई मामूली मंदिर नहीं है, राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राम का मंदिर भारतीय संस्कृति का मंदिर है, राम का मंदिर भारत के मूल्यों का मंदिर है, राम का मंदिर भारत की एकता का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, हमारे स्वाभिमान का मंदिर है, हमारे सम्मान का मंदिर है, हिन्दू मुसलमान सभी के गौरव का मंदिर है। राम किसी मजहब विशेष के मानने वालों के नहीं रहे हैं, राम को किसी मजहब के साथ जोड़ना ठीक नहीं । वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके लिये बातचीत चल रही है ३-३, ४-४ दौर बातचीत हो चुकी है हम आशावान हैं मामला वार्ता से सुलझेगा। हम सद्भाव से समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मंदिर बनाने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह हमने सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी दोहराई है। सरकार को जिस पृष्ठभूमि में काम करना पड़ रहा है उस पर मैंने विचार व्यक्त किये, सरकार क्या उपाय कर रही है इस पर विचार व्यक्त किये, सरकार की नीति क्या है, उसकी नियत क्या है, सोच क्या है, दिशा क्या है इस पर विचार व्यक्त किये।

अन्त में मैं इस सरकार का क्या संकल्प है वह कहना चाहता हूं । प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ हर एक की जानमाल की सुरक्षा की गारंटी देनी यही हमारा संकल्प है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय बसन्त लाल गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। (तालियों की गड़गड़ाहट)

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी किसी दल की जो यहा सख्या है उसके अनुसार जो प्रक्रिया है, उसका पालन करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

अब मैं खड़ा हुआ हूं, बोलने दें। स्पष्टीकरण में दो चीजें जानना चाहता हूं। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधान मंडल दल के नेता थे, १६ जनवरी, १९९० को कहा था कि हमारी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उसी तारीख को यह भी उन्होंने कहा था कि बिक्रीकर समाप्त होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार गंभीरतापूर्वक इन दो चीजों पर विचार करे और जो स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे और बिक्रीकर समाप्त करेंगे, तो इन दोनों बिन्दुओ पर उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में कुछ नहीं कहा है, तो इन दोनों बिन्दुओ पर अपनी नीति स्पष्ट कर दें।

मान्यवर, एक सवाल यह भी पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की केरल में जो मीटिंग हुई थी उसमें नीतिगत निर्णय लिया गया था कि सब्सिडी, लघु और सीमान्त किसानों को जो दे रखी है उसकी भरपाई हुई है कि नहीं? (व्यवधान)

क्या यह भी बतायेंगे कि पिछले १५ दिनों में बिजली के उत्पादन के रूप में उनका प्लांट लोड फैक्टर क्या रहा है? इन बातों का स्पष्टीकरण दे दें?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, कठिनाई यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मा० नेता ने बजट भाषण समझकर कुछ बातें की हैं, इसलिये मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब बजट आयेगा तो उसमें इन सारी बातों का उल्लेख हो जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो मुख्य मंत्री जी बोले वह ऐसा है जैसे सौ सौ चूहे खाये बिलारी हज को जाये। मेरी बातों का जवाब नहीं आया है, इसलिये अभिभाषण के उत्तर के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के उत्तर को मैंने ध्यान से सुना। वह सातवीं बार यहां चुनकर आये हैं। लेकिन उन्होंने वी० पी० सिंह का नाम लिया है, जो यहां के सदस्य नहीं हैं, इसलिये मैं भी श्री सुरेश आनन्द जो जलेसर से एम० पी० हैं उनका नाम लेते हुए कहना चाहता हूं कि साढ़ूपुर और देहुली कांड में जो हरिजनों का नरसंहार हुआ था जिसमें श्री सुरेश के भतीजे संतोषा का जिक्र नहीं किया है क्योंकि वह नरसंहार में प्रमुख अभियुक्त था। इसलिये संतोषा के बारे में बतायें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस नरसंहार के बाद श्रीराम मल्लाह और फूलन देवी के गिरोह का एक आदमी जिसको कानपुर से भगा दिया गया था और वह दूसरे नाम से मथुरा से एम० पी० बन गये हैं जिनका नाम स्वामी साक्षी है, उनके बारे में आप बतायें?

श्री अध्यक्ष–

भाषण पर स्पष्टीकरण नहीं होता है। इसलिये आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

* श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को बड़ी गम्भीरतापूर्वक सुना। मान्यवर, दो-तीन बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट हम लागू करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। लेकिन नीचे से ऊपर लागू करने की बात कही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह रूपरेखा क्या है? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर और प्राइमरी विद्यालय जो भवनहीन हैं। उनके भवन निर्माण के लिये और उनमें जो अध्यापकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिये आपका क्या दृष्टिकोण है ? तीसरी बात मान्यवर, यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने गढ़वाल में भूकम्प पीड़ितों के लिये १४२-४३ करोड़ रुपये की सहायता की है। मान्यवर, इस सहायता में क्या विदेशी सहायता, तमाम समितियों द्वारा की गयी सहायता और व्यक्तिगत लोगों ने जो सहायता दी है वह सब शामिल है या राज्य सरकार ने स्वयं इतनी सहायता दी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपने जो प्रश्न किये हैं वह स्पष्टीकरण के नहीं हैं।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, पहले उत्तर तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न करिये। ठीक है आप पहले वाला प्रश्न फिर से दोबारा दोहरा दें। (व्यवधान)

श्री श्याद अली–

मान्यवर, आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं। पुराने मेम्बर्स की बात सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याद अली जी ऐसी बात नहीं है। स्पष्टीकरण की बात है। दो-चार नाम रह गये हैं। एक-एक करके आने दीजिये। माननीय वर्मा जी का प्रश्न है, उत्तर आने दीजिये।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिये वह प्रतिबद्ध हैं लेकिन जो नीचे से ऊपर लागू किये जाने की बात कही है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रूपरेखा क्या है और वह किस प्रकार लागू की जायेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मण्डल आयोग की सिफारिशें आप किस तरह से लागू करेंगे ? इसका उत्तर उन्हें दे दीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, अपनी सरकार की नीति का पूरा स्पष्ट सदन में खुलासा किया है। शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों को इससे लाभ मिल सके। इसकी व्यवस्था हमने की है। वह इससे वंचित न रह जायें। इसलिये नीचे वर्ग से ऊपर की ओर लागू करने की बात हमने कही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, इन्होंने बड़ा बल दिया नकल विरोधी अध्यादेश पर बोलने का और जो हमने महसूस किया है कि इस प्रदेश में सबसे बड़े नकलबाज तो मुख्य मंत्री जी हैं। मान्यवर, जब वह विरोध पक्ष में थे तो माननीय अटल बिहारी बाजपेई का डायलाग बोलते थे और जब नेता सदन हो गये हैं तो माननीय अटल बिहारी बाजपेई को छोड़ शत्रुघन सिन्हा का डायलाग बोलने लगे। इतने बड़े नकलबाज तो वह स्वयं हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं हुई।

श्री श्याद अली–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाने के लिये आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) चुनाव के समय जनता के सामने इन्होंने यह वायदा किया था जैसा कि कहा था कि ए० टी० एल० के कर्मचारियों को समयोजित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनावश्यक बातें न पूछें। अब आप बैठ जाएं। नेता विरोधी दल अभी सब बिन्दुओं पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भयमुक्त समाज की स्थापना के लिये कहा। मैनपुरी जनपद में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। यह पूछने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सोना सिंह हैं उनके खिलाफ ३२ मुकदमें कायम हैं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्तापक्ष वाले बेचारे आज भोजन नहीं कर पाये हैं मुख्य मंत्री जी ने भोजन का प्रबन्ध नहीं किया इसलिये यह परेशान हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवधान न करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं चार-पांच स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो ए० टी० एल० फैक्ट्री के बारे में जब आप विपक्ष में बैठते थे तो बहुत कुछ कहते थे आज ए० टी० एल० फैक्ट्री के कर्मचारी १५ महीनों से बिना तनख्वाह के हैं उनकी तनख्वाह और उनके समायोजित करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

दूसरी बात ऊंचाहार के बारे में बताना चाहूंगा २१ करोड़ रुपया यू० पी० एस० बी० का रेलवे के ऊपर बकाया है अगर वह बिजली काट देते तो उनकी रेलवे बन्द कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार के दबाव में घाटे का सौदा किया है यह समय बतायेगा।

तीसरी बात, तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का प्रकरण बहुत दिन से लम्बित हैं क्या आप बिजनौर, जौनपुर, देवरिया इन तीन महाविद्यालयों को, जो आयुर्वेद के हैं इनको वित्तविहीन मान्यता देंगे ? इनको सहायता न देने का क्या कारण हैं ?

चौथी बात, ७५० यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको तत्काल तनख्वाह दिलाने की कृपा करेंगे ? आखिरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले १२ करोड़ लोगों में से बहुत बड़ी संख्या अकलियत के लोगों की है। मैं यह मानता हूं कि उर्दू केवल अकलियत के लोगों से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि वह सबकी भाषा है, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों। उर्दू भाषा के विकास के लिये क्या इसको दूसरी राज भाषा का दर्जा आप देंगे ? मैं इन बिन्दुओं पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, ३-४ बिन्दुओं को माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है। मान्यवर, आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ के संबंध में सदन में चर्चा लगी हुई है। सरकार इस संबंध में स्पष्टीकरण देगी जिससे सरकार की नीति स्पष्ट हो जायगी। दूसरा प्रश्न जो ऊंचाहार के बारे में कहा गया कि भारत सरकार के दबाव में आकर ऐसा किया है तो ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऊंचाहार के संबंध में एन० टी० पी० सी० के साथ एग्रीमेंट किया गया है। तीसरी बात जो आपने कही है आयुर्वेदिक कालेजों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो प्रान्तीयकृत आयुर्वेदिक महाविद्यालय चल रहे हैं उनके अलावा और किसी आयुर्वेदिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन नहीं है ।

उर्दू के संबंध में, उर्दू के विकास के बारे में सरकार पूरा प्रयास करेगी। उर्दू को हम कोई अलग भाषा नहीं मानते हैं। उर्दू हमारे यहां की भाषा है और उर्दू भाषा को किसी एक जाति या मजहब से जोड़ना उचित नहीं है। जब किसी भाषा को किसी मजहब या जाति से जोड़ दिया जाता है तो किसी भाषा की हिमायत करने वाले लोग उस भाषा का अहित करते हैं। उर्दू के विकास में सरकार की ओर से कोई बाधा नहीं है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के पक्ष में हमारी सरकार नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ७५० आयुर्वेदिक और युनानी चिकित्सकों को ११ महीने से तनख्वाह वितरित नहीं हो रही है। क्या उनकी तनख्वाह वितरित करा देंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

यह जो प्रश्न उठाया गया है, यह मेरे सामने भी आया है। देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं।

श्री बसन्त लाल गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता सदन का भाषण सुनने के बाद वह हमारे पक्ष में मतदान करने के लिये बहिष्कार कर गये हैं। मैं पूरी तरह से धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट कर चुका हूं। मान्यवर, आप मतदान करवा दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुत मामूली सा सवाल है। स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं। माननीय नेता विरोधी दल आपने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन दिया है क्या उसको वापस लेते हैं ?

(वापस न लेने पर)

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं अस्वीकृत माने जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक १० फरवरी, १९९२ को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक २७ फरवरी, १९९२ को नियम ५१ के अन्तर्गत कुल १५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है उनकी सूचना प्रदेश में मिट्टी के तेल एवं डीजल की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गतिरोध उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष सूचनायें श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री गिरधारी लाल, श्री बृजभान यादव, श्री मुन्ना चौहान, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री हृदय नारायण, श्री ज्वाला प्रसाद रावत तथा श्री श्याद अली, श्री राममूर्ति सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री भागवत पाल, श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री गामाराम शास्त्री की हैं, जो अस्वीकृत हुई हैं।

जनपद देहरादून में जुनियर प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों पर अवैधानिक ढंग से तदर्थ नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना के लिये पर्याप्त समय नहीं है ....(व्यवधान)...वक्तव्य क्या व्यवस्था होगी, जब माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना के लिये थोड़ा समय और चाहते हैं, इसको आज के लिये स्थगित कर रहा हूं, किसी और कार्यकारी दिवस में ले लूंगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी थी नियम ५१ में वह जनपद देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में ३०६ अध्यापकों के रिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में थी, जबकि कार्यसूची में जनपद देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर अवैधानिक ढंग से तदर्थ नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है, तो यह मेरे द्वारा नियम ५१ में दी गयी सूचना से ताल्लुक नहीं रखती है।

श्री अध्यक्ष

मैं इसको देख लूंगा और यदि आपकी सूचना के आधार पर कोई बात होगी तो देख लूंगा। मूल सूचना देख लूंगा। जो सूचना आपने दी है उसकी प्रति माननीय मंत्री जी को दी जाती है, उन्होंने समय मांगा है, इस बीच में कोई बात संज्ञान में आयेगी और कोई असमानता होगी तो परीक्षण करा लूंगा।

जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी के प्रेषित पत्र से सम्बन्धित दि० १४ फरवरी, १९९२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९ नवमी (ग) के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान २-३ बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जो इसमें पूछा गया है कि जो जांच अधिकारी नियुक्त था वह वहां का परगनाधिकारी, बांदा वाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या और कोई उच्च स्तरीय जांच किसी अन्य अधिकारी से करायेंगे कि जो सारी गड़बड़ियां थीं, अनियमिततायें थीं, वह सबके समक्ष आ जायं और उसकी समय सीमा जल्द से जल्द करेंगे, दूसरी बात जो उसमें दोषी कर्मचारी थे, जो सड़क

नाले की गड़बड़ी में दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, तीसरे उस पर जो गड़बड़ी पायी गयी उसे रुकवाने के लिये माननीय मंत्री जी द्वारा उसकी एफ० आई० आर० की गयी और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज, गाजीपुर के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच, जिलाधिकारी, गाजीपुर के माध्यम से करायी गयी। जिला मैजिस्ट्रेट ने दिनांक ११ दिसम्बर, १९९१ को शासन को जांच आख्या भेजी। जांच आख्या में परीक्षणोंपरान्त मामले में दोषी पाये गये अध्यक्ष के विरुद्ध अधिनियम की धारा ७-क के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर को दिनांक २१ दिसम्बर, १९९१ को निर्देश भेजे गये।

जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में ३० दिसम्बर, १९९१ को स्पष्टीकरण मांगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें ३१ दिसम्बर, १९९१ को स्पष्ट आदेश भेजे गये कि अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज को तत्काल अधिनियम की धारा–७-क के अन्तर्गत पद से हटाया जाय। पुनः इस निर्णय की पुष्टि दिनांक ७ जनवरी, १९९२ को की गयी। २–प्रश्नगत जांच में अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज के अतिरिक्त सचिव, टाउन एरिया कमेटी, अवर अभियन्ता, नगरपालिका, मुहम्मदाबाद, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध भी गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें बतायी गयीं। अतएव यह निर्णय लिया गया कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। निर्णयानुसार जिलाधिकारी, गाजीपुर को शासनादेश संख्या–१०००९/९-१-९१, दिनांक २१ दिसम्बर, १९९१ द्वारा लिखा गया कि सचिव, नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज, अवर अभियन्ता, नगरपालिका, मुहम्मदाबाद का स्पष्टीकरण प्राप्त कर एक सप्ताह में भेजें तथा लोक निर्माण विभाग के दोषी सहायक अभियन्ता के बारे में इस विवरण को भेजें ताकि अपेक्षित कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग को लिखा जा सके। इस संबंध में जिलाधिकारी को दिनांक २१ जनवरी, १९९२ व २१ फरवरी, १९९२ को पत्र भेज कर स्मरण कराया गया। जिलाधिकारी से इस संबंध में दिनांक २६ फरवरी, १९९२ को सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर सचिव तथा अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है। ३–सचिव, नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज, अवर अभियन्ता, नगरपालिका, मोहम्मदाबाद तथा सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने,.....

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, ये पढ़ रहीं हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, प्रभारी अधिकारी तो एस० डी० एम० हैं। मैं यह चाहता हूं कि किसी उच्च अधिकारी से क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जहां तक एस० डी० एम० पर कार्यवाही का प्रश्न है, वह जिस रैंक के हैं, उस आधार पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता और दूसरी बात इसमें यह है कि जांच में एस० डी० एम० का होना सिद्ध नहीं पाया गया है, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं यह भी पूछना चाहता हूं मान्यवर, क्या रिकवरी के लिये कोई एफ० आई० आर० हो गयी है। ३१ दिसम्बर, १९९१ को निलम्बित कर दिया, लेकिन आज तक रिकवरी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लगातार ३-४ पत्र लिखे गये हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है, कार्यवाही में हीला हवाली की जा रही है और जो प्रभारी अधिकारी थे, उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई उच्च स्तरीय जांच करायेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, एफ० आई० आर० कराकर रिकवरी के निर्देश शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं। जिस समय की बात है, उस, समय एस० डी० एम० प्रभारी अधिकारी नहीं थे, अध्यक्ष थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही कर अध्यक्ष पद से हटाया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रभारी वही थे। क्या उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आदरणीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी देंगे, एस० डी० एम० के विरुद्ध लिखकर देंगे, तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

गाजियाबाद स्थित करनाल फार्मेसी से निर्मित कर्फूसत्व से ५०० लोगों की मृत्यु तथा आयुर्वेद यूनानी प्रयोगशाला इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा जांच में ५०% असफोइस पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने पर नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम आसरे वर्मा और श्री नरेश अग्रवाल, उपस्थित नहीं हैं।

अब हम उठते हैं कल ११ बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२७ फरवरी, १९९२

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(दखिये नत्थी 'ख' के ता० प्र० सं० २ का उत्तर पीछे पृ० सं० ७–१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के तीसरे गुरूवार के लिये निर्धारित श्री अरविन्द प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-२ के उत्तर से सम्बन्धित सूची (क)

उत्तर प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को जो सुविधायें दी जाती है उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

बन्दियों का वर्गीकरण

जेल नियमों के अनुसार बन्दियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सुविधा है । एक उच्च श्रेणी बन्दी तथा दूसरा साधारण श्रेणी बन्दी ।

भोजन–

उच्च श्रेणी बन्दियों को जेल नियमानुसार सामिष अथवा निरामिष भोजन जैसा बन्दी लेना चाहे जेल की ओर से सरकारी खर्चे पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है । नाश्ते में चाय, दूध मिलता है सप्ताह में तीन बार फल भी दिये जाने की व्यवस्था नियमों में है ।

साधारण श्रेणी बन्दियों को प्रातः काल नाश्ता दिया जाता है दोपहर में रोटी तथा चावल का भोजन दिया जाता है । इसके साथ में बदल-बदल कर एक दाल प्रत्येक दोपहर और शाम के भोजन के साथ दिया जाता है, जिसमें पामआयल, मिर्चा के छौंके की व्यवस्था की जाती है । प्रत्येक भोजन के साथ मसालेदार आलू की सब्जी अथवा मसालेदार हरी सब्जी देने की व्यवस्था की जाती है तथा चटनी दी जाती है । प्रतिदिन ४५ ग्राम गुड़ भी सरकारी खर्चे पर दिया जाता है । दिन में अपराह्न में एक चाय तथा पहाड़ी जिले की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को जाड़े के मौसम में दिन में सुबह और शाम दोनों समय एक-एक प्याला चाय सरकारी खर्चे पर दी जाती है । गर्मी ऋतु में मई तथा जून के महीने में बन्दियों को शासन के आदेशों के अन्तर्गत आम पना सरकारी खर्चे पर सभी बन्दियों को उपलब्ध कराया जाता है । सप्ताह में एक दिन एक भोजन में हलुआ पूड़ी का विशेष भोजन दिया जाता है । बन्दियों को उनके धर्म के अनुसार व्रत रखने की सुविधा दी जाती है । मुसलमान बन्दियों को रोजा रहने पर उन्हें सेहरी खाने की सुविधा दी जाती है तथा रोजाआफ्तारी की सुविधा दी जाती है । गर्मी के दिनों में आफ्तारी के समय नीबू का शर्बत बर्फ के साथ मौसमी फल, बिस्कुट, डबलरोटी, शक्कर तथा जाड़े की ऋतु में आफ्तारी के समय मौसमी फल बिस्कुट, डबलरोटी, चाय, चीनी, तथा दूध दिये जाने की सुविधा दी जाती है। हिन्दू बन्दियों को व्रत रहने पर प्रत्येक दिन भर के भोजन के मूल्य के बराबर तक व्रत का सामान सरकारी खर्चे पर दिये जाने का प्राविधान है । बन्दियों के बीमार होने पर उन्हें डाक्टर द्वारा अनुमोदित भोजन जिसमें दूध, साबूदाना, खिचड़ी तथा विशेष भोजन जैसे मक्खन, दूध, फल, दही या इसी प्रकार के अन्य सामान दिये जाने का जेल नियमों में प्राविधान है । दूध पिलाने वाली माताओं को तथा छोटे बच्चों को सरकारी खर्चे पर दूध तथा फल दिये जाने की सुविधा का जेल नियमों में प्राविधान है । बन्दियों को स्वाद बदलने के लिये उनको दी जाने वाली दाल के बजाय बड़ी मंगौरी अथवा कढ़ी सरकारी खर्चे पर दाल के बदले में दिये जाने का प्राविधान है ।

हवालाती बन्दियों को अपने निजी साधनों से भोजन सामान मंगाकर उसका उपभोग कराने की भी सुविधा जेल नियमों में की गयी है तथा उनके द्वारा कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वयं भोजन

बनाकर खाने की सुविधा जेल नियमों में है । श्रम करने वाले हवालातियों को अथवा साधारण सजा पाये जाने वाले बन्दियों को श्रम करने पर लेबरिंग डाइट (जो नान लेबरिंग बन्दियों की डाइट से अधिक होती है) दिये जाने की सुविधा जेल नियमों में है । विशेष त्योहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों पर भी साधारण बन्दियों को विशेष भोजन दिये जाने की सुविधा है ।

अन्य सुविधायें–

१–जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार बंदियों को बर्तन, वस्त्र, बिस्तार, साबुन, तेल तथा महिला बन्दियों को सिंदूर, कंघा, तेल, बिन्दी आदि की सुविधा सरकारी खर्चे पर दी जाती है ।

२–महिला बंदियों को अपने साथ ६ साल तक की उम्र तक के बच्चों को रखने की सुविधा है ।

३–सभी बंदियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है ।

४–पुस्तकालय /मनोरंजन आदि की सुविधा है ।

५–गर्मी के दिनों में बाहर सोने की सुविधा उच्च सुविधा श्रेणी के बंदियों को मच्छरदानी तथा पंखा की सुविधा तथा साधारण श्रेणी के बंदियों को गर्मी में पानी पीने के लिये घड़े तथा पंखा की सुविधा ।

६–धर्मपालन की सुविधा ।

७–शिक्षा तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्रोत्साहन एवं पारिश्रमिक की सुविधा ।

८–वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोत्साहन एवं पारिश्रमिक की सुविधा ।

९–मुलाकात एवं भेंट एवं पत्र लिखने की सुविधा ।

१०–प्राईवेट कैश डिपाजिट एकाउन्ट की सुविधा ।

११–स्थानान्तरण /जेल से मुक्ति पर रेल किराया तथा अनुमन्य भोजन व्यय की सुविधा ।

१२–होम लीव की सुविधा ।

१३–अपील की सुविधा ।

१४–समय पूर्व मुक्ति तथा परिहार की सुविधा ।

१५–शिविरों में कार्य करने वाले बंदियों को एक कार्य दिवस पर एक दिन का परिहार देने की विशेष सुविधा ।

उमानाथ सिंह,
राज्य मंत्री, कारागार ।

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के तीसरे गुरूवार के लिये निर्धारित श्री अरविन्द प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या—२ के उत्तर से सम्बन्धित सूची (ख)

१—सभी कारागारों में बन्दियों के लिये वाचनालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही हैं।

२—बन्दियों के मनोरंजन हेतु खेलकूद सामग्री तथा टी० वी०, वी० सी० पी० आदि की व्यवस्था की गयी है।

३—बन्दियों पर भोजन व्यवस्था पर सुधार किया जा रहा है। २६ कारागारों में आटा गुथने तथा चपाती बनाने की मशीन की व्यवस्था व डीजल वर्नर की व्यवस्था तथा सभी कारागारों के किचन में एक्जास्ट पंखों की व्यवस्था की जा रही है।

४—बन्दियों के चिकित्सा व्यवस्था में विस्तार किया जा रहा है और पैथालोजिकल लैव की स्थापना तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला कारागार, सुल्तानपुर तथा रायबरेली में निरूद्ध टी० बी० तथा कुष्ट रोग बन्दियों के विशेष उपचार हेतु अस्पताल का आधुनिककरण किया जा रहा हैं।

५—नारी बन्दी निकेतन में तथा १० अन्य कारागारों में छोटे बच्चों के लिये कंचो की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नारी बन्दी निकेतन की मीहला बन्दियों को होजरी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

६—किशोर सदन बरेली में अल्प वयस्क बन्दियों को रेडियों, टी० वी०, आटोमोबाइल, ट्रैक्टर मरम्मत तथा टाइपिंग, लकड़ी के खिलौने बनाने, पेटिंग तथा फल संरक्षण, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, राजगीरी, प्लम्बर, विद्युत वायरिंग एवं मैकेनिक तथा जूता-चप्पल आदि बनाने के कार्य का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

७—कारागारों में पुष्प एवं अलंकृत बागवानी, वृक्षारोपड़ तथा साग सब्जी एवं मसालों के उत्पादन का प्रशिक्षण भी देने हेतु प्रस्ताव है।

उमानाथ सिंह,
राज्य मंत्री, कारागार।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

अतिवृष्टि वर्ष १९९०-९१ में क्षतिग्रस्त मार्गों में माह ११/९० तक किए गए व्यय का विवरण

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा

क्रम सं०	कार्य का विवरण	११/९० तक व्यय (लाख रू०)
१	२	३
१	लामा–पचनेही मार्ग	०.१०
२	फतेहपुर बबेरू–अतर्रा मार्ग	०.२६
३	रामनगर सम्पर्क मार्ग	०.२७
४	बांदा हमीरपुर मार्ग	०.२३
५	गिरवां खुरहन्ड मार्ग	०.१६
६	बांदा–नरैनी कालींजर मार्ग	०.८७
७	आलोना खपटिहा कलां मार्ग	०.१९
८	तिन्दुवारी–जौहरी मार्ग	०.५६
९	बांदा–तिन्दुवारी फतेहपुर मार्ग	२.३५
१०	पपरेन्दा–तिन्दुवारी मार्ग	१.२६
११	बांदा–बबेरू मार्ग	१.३६
१२	मटौध गौरिहार मार्ग	०.१५
१३	हथौडा–छिनअहरा–फूलकुम्हारी मार्ग	०.१८
१४	बबेरू–कमासिन–राजापुर मार्ग	०.५५
१५	विसण्डा सम्पर्क मार्ग	०.११
१६	कमासिन–ओरन मार्ग	०.८८
१७	कमासिन–दादो मार्ग	०.१०
१८	बबेरू–ओरन मार्ग	०.८४
१९	अतर्रा–नरैनी करतल मार्ग	०.०९
२०	गोखिया सम्पर्क मार्ग	०.१७
२१	पल्हरी सम्पर्क मार्ग	०.१०
२२	नसैनी सम्पर्क मार्ग	०.१२
२३	खलारी सम्पर्क मार्ग	०.२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
२४	साथी–मिलाथू मार्ग	१.२५
२५	तिन्दुवारी सम्पर्क मार्ग	०.०६
२६	बबेरू–तिन्दवारी मार्ग	०.४१
२७	पलरा –पैलानी मार्ग	०.३३
२८	पपरेन्दा–पैलानी मार्ग	०.१८
२९	पडुई सम्पर्क मार्ग	०.१५
३०	मलेहरा–निवादा मार्ग	०.१६
३१	अनथुआ–देवरार मार्ग	०.१७
३२	ममसी खुर्द सम्पर्क मार्ग	०.२२
३३	अतर्रा–चौसड़ मार्ग	०.२९
३४	ओरन–चौसड़ मार्ग	०.१५
३५	झासी–मिर्जापुर मार्ग (कि०मी० २१३ से २४४)	१.७०
३६	विसण्डा–ओरन पहाड़ी मार्ग	०.३५
३७	विल्हरका सम्पर्क मार्ग	०.०५
३८	रियान सम्पर्क मार्ग	०.४५
३९	तिलौसा सम्पर्क मार्ग	०.१५
४०	रानीपुर सम्पर्क मार्ग	०.३८
४१	बगेहटा सम्पर्क मार्ग	०.२७
४२	अमलोहरा सम्पर्क मार्ग	०.१८
४३	दुरेडी सम्पर्क मार्ग	०.२७
४४	झासी–मिर्जापुर मार्ग (१९२ से २१२)	१.००
४५	पैलानी–गुलौली से लसड़ा मार्ग	०.४९
४६	लामा–लुकतरा मार्ग	०.६०
४७	चिल्ला–लोमर वाया गौरीकिसनपुर मार्ग	०.३१
४८	बांदा–विसण्डा मार्ग	०.५२
४९	हरदौली सम्पर्क मार्ग	०.२३
५०	विविध मार्गों पर व्यय लम्पसम	१.१०
	योग ..	२२.४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्वी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५–४६ पर)

तालिका–१

माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर, ९१ में पी० सी० एफ०, बांदा से तिलिवार चीनी की उठान

माह सितम्बर, ९१		माह अक्टूबर, ९१		माह नवम्बर, ९१	
तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)
२-९-९१	२४,०००	१०-१०-९१	४६,६००	११-११-९१	७८,१००
३-९-९१	६३,३००	११-१०-९१	४७,५००	२-११-९१	७९,०००
४-९-९१	२६,३००	१४-१०-९१	३२,५००	३-११-९१	१४७,४००
५-९-९१	६,७००	१५-१०-९१	४४,९००	४-११-९१	११,०००
६-९-९१	७,२००	२३-१०-९१	४६,२००	५-११-९१	७,०००
				११-११-९१	३७,३००
७-९-९१	६,५००	२४-१०-९१	३७,२००	१२-११-९१	६६,१००
९-९-९१	१,६००	२५-१०-९१	७४,०००	१३-११-९१	९२,३००
१०-९-९१	३६,०००	२६-१०-९१	१२,०००	१४-११-९१	३२,२००
११-९-९१	४६,९००			१५-११-९१	६९,३००
१२-९-९१	१६,९००			१६-११-९१	४८,३००
१३-९-९१	६,७००			१८-११-९१	१,७००
१६-९-९१	४५,९००			१९-११-९१	५३,०००
१७-९-९१	८,८००			२०-११-९१	४६,१००
२३-९-९१	२१,८००			२२-११-९१	३६,०००
२४-९-९१	३,१००			२३-११-९१	८८,७००
२५-९-९१	२२,५००			२५-११-९१	७८,०००
२७-९-९१	१०,०००			२७-११-९१	१०,४००
२८-९-९१	२४,०००				
३०-९-९१	२३,८००				
योग ..	४०२,०००	योग ..	३४०,९००	योग ..	९८१,९००

संसद विधायिका सचिवालय

तालिका–२

माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर, ९१ में भा० खा० नि०, अंतर्गत से तिलियार चावल की उठान

माह सितम्बर, ९१		माह अक्टूबर, ९१		माह नवम्बर, ९१	
तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)
११-९-९१	३१,१६९	८-१०-९१	२१,७७७	१९-११-९१	१०.८२१
१२-९-९१	३२,२३७	९-१०-९१	४३,४०१	२०-११-९१	६४,२७०
१३-९-९१	३८,०५३	१०-१०-९१	४३,३९९	२२-११-९१	४१,७३१
१७-९-९१	३०,३०५	११-१०-९१	४३,६७२	२३-११-९१	२१,९४७
१८-९-९१	३०,६२०	१५-१०-९१	२१,७३२	२५-११-९१	१९.०९१
[illegible]	१०,१२०	१९-१०-९१	२१,७३२	२०-११-९१	६४,२२८
२०-९-९१	३०,२८०	२१-१०-९१	१०,९५७	२७-११-९१	८६,०२९
२१-९-९१	३०,२८०	२२-१०-९१	३१,०९१	[illegible]	६४,१०७
२३-९-९१	२१,२८१	२३-१०-९१	१०,९५०	२९-११-९१	६८,९१३
२४-९-९१	६२,५५८	२४-१०-९१	२९,७७९	३०-११-९१	१७८,८६३
२५-९-९१	१०,१७४	२६-१०-९१	५२,६३१		
२८-९-९१	३८,८५३	२८-१०-९१	२०,७९९		
		२९-१०-९१	२०,६५३		
		३०-१०-९१	९,४१७		
योग :	३५८,०००	योग :	[illegible],०००	योग :	५६४,०००

तालिका–३

माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर १९९१ में भारतीय खाद्य निगम बांदा से तिथिवार गेहूं की उठान

माह सितम्बर, ९१		माह अक्टूबर, ९१		माह नवम्बर, ९१	
तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)	तिथि	उठान की मात्रा (मी० टन में)
१६-९-९१	२६,५२३	७-१०-९१	६७,१७०	१५-११-९१	०९,३९०
१७-९-९१	७२,७३३	८-१०-९१	७९,४०५	१६-११-९१	०९,२२०
१८-९-९१	५८,४५२	९-१०-९१	३६,४४०	१८-११-९१	६८,२६०
		११-१०-९१	०९,९९५	१९-११-९१	११६,२८०
१९-९-९१	१६१,९९९	२१-१०-९१	२०,३७०	२०-११-९१	१६४,१४०
२०-९-९१	८४,८७१	२३-१०-९१	९,७२४	२५-११-९१	४५,१००
२१-९-९१	३२,१६४	२४-१०-९१	४१,७३२	२६-११-९१	२०२,७८०
२३-९-९१	९१,४१०	२५-१०-९१	७५,९०३	२७-११-९१	२२५,७९०
२४-९-९१	८२,९१३	२६-१०-९१	७६,८५७	२८-११-९१	१२२,२३३
२५-९-९१	८७,३२५	२७-१०-९१	६३,५०२	२९-११-९१	८७,०५५
२६-९-९१	९९,०५४	२८-१०-९१	९१,७६५	३०-११-९१	८२,७५२
२७-९-९१	४३,४३०	२९-१०-९१	९३,४९७		
३०-९-९१	१३४,११०	३०-१०-९१	६०,७८८		
		३१-१०-९१	०१,८५२		
योग :	९७५,०००	योग :	१०४९,०००	योग :	११३३,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ–५१–पर)
विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के ३सरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–६१ का संलग्नक

क्रम सं०	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	निवास स्थान	जनपद
	अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों पर श्रेणी ३ में नियुक्त कर्मचारियों की सूची			
१	श्री शोभ नाथ	श्री भवानी भीख	पातूपुर	फैजाबाद
२	श्री श्याम लाल	श्री गिरधारी लाल	पिलखांवा	,,
३	श्री राम उजागिर	श्री मुरली राम	सुलेमपुर परसांवा	,,
४	श्री पलटू राम	श्री राम लोटन	अमोला बुजुर्ग	,,
५	श्री रविशंकर	श्री राजेन्द्र नाथ	आयुक्त परिसर कालोनी	,,
६	श्री जय कुमार	श्री मोहन लाल	,, ,,	,,
७	श्री कौशलेन्द्र किशोर	श्री बजरंग प्रसाद	ख्वासपुरा कालोनी	,,
	तकनीकी/प्राविधिक पदों पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों की सूची			
	तृतीय श्रेणी में (टी० पी० आपरेटर)			
१	श्री अरुण मोहन	श्री शिव प्रसाद	कन्धारी बाजार	फैजाबाद
२	श्री मो० अफरूज अहमद खां	श्री बाबू खां	मिसरौली	,,
	चतुर्थ श्रेणी में (जीप चालक)			
१	श्री अनिल कुमार दुबे	श्री चन्द्रिका प्रसाद दुबे	गोड़वा	फैजाबाद
२	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	श्री हरीराम वर्मा	पूरेडील पुरवा	,,
३	श्री बुद्ध पाल	श्री भगवानदीन	मसनिया	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७-५८ पर)

क्रमांक	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	वर्तमान स्थान पर तैनाती की तिथि
	अस्थायी गोदाम चौकीदारों की सूची		
१	सर्वश्री राम लाल (द्वितीय)	पलिया (खीरी)	२५-३-८०
२	हेमराज	तिकुनिया (खीरी)	१-९-८१
३	जिया लाल	मिहिपुर (रायबरेली)	३-९-८५
४	गया दीन	[illegible] (उरदौई)	१४-१-८०
५	राम चन्द्र	तालकटोरा (लखनऊ)	१-१-७८
६	हीरा लाल	लखीमपुर खीरी	१-१९-८१
७	पूरन	सीतापुर	२४-३-९०
८	फागू लाल	चौकखंडी (लखनऊ)	१-१२-८२
९	गोपाल सिंह	तालकटोरा (लखनऊ)	१-[illegible]-८[illegible]
१०	सीता राम	मियांगंज (उन्नाव)	२८-३-८५
	अस्थायी बैरियर चौकीदारों की सूची		
१	सर्वश्री शिव शंकर	मैगलगंज (खीरी)	१८-४-८०
२	जसवन्त	बांगरमऊ (उन्नाव)	१८-४-८०

उत्तर प्रदेश सभा

१८—गोदाम चौकीदारों की प्राविजनल ज्येष्ठता सूची

क्रमांक	नाम	गृह जनपद	जन्म-तिथि	शैक्षिक योग्यता	तदर्थ नियुक्ति की तिथि	विनियमितीकरण का आदेश जारी होने की तिथि	स्थाई है, तो स्थाईकरण की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	सर्वश्री नारायण	हरदोई	२७-८-२९	—	२३-१-५९	१७-५-८४	—	५-१-८९ को निधन हो चुका है।
२	गया प्रसाद	लखीमपुर	१२-७-२९	—	१-२-५९	१७-५-८४	—	३०-९-८८ को सेवानिवृत्त
३	त्रिभुवन	बाराबंकी	१९-८-३८	—	७-३-६०	१७-५-८४	१-३-९०	—
४	राम प्रसाद	लखनऊ	१९-८-३४	—	२६-३-६०	१७-५-८४	—	२३-१०-८८ को निधन हो चुका है।
५	मुन्ना	सीतापुर	१२-९-४३	—	४-२-६३	१७-५-८४	१-३-९०	—
६	राम जीवन	सीतापुर	१०-८-२८	—	३-४-६३	१७-५-८४	—	३१-८-८८ को सेवानिवृत्त
७	रामजी लाल	—	—	—	२०-१२-६४	२-२-८८	१-३-९०	—
८	सुखलाल सिंह-I	मुजफ्फरनगर	८-९-२७	—	४-११-६५	१७-५-८४	—	३०-९-८७ को सेवानिवृत्त
९	सुखलाल सिंह-II	बिजनौर	३-४-४६	—	१०-३-६६	१७-५-८४	१-३-९०	—
१०	रघुनाथ	रायबरेली	२४-८-३८	—	१६-८-६६	१७-५-८४	१-३-९०	—
११	शिव दयाल	हरदोई	२२-८-३१	—	२०-१२-६६	१७-५-८४	—	८-१-८८ को निधन हो चुका है।
१२	मोहम्मद अहमद	लखनऊ	२०-८-३८	—	[illegible]-६-६७	१७-५-८४	१-३-९०	—
१३	मिश्री लाल	सीतापुर	२०-६-४६	—	१९-१०-६७	२४-११-८४	१-३-९०	१२-१०-९० को निधन हो चुका है।
१४	भीम सिंह	अल्मोड़ा	२६-५-४७	—	१-१[illegible]	१७-५-८४	१-३-९०	—
१५	मुन्ना लाल	सीतापुर	१२-९-४३	—	१२-११-६८	१७-५-८४	—	५-८-८८ को निधन हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४		५	६	७	८
१६	रामराज सिंह	रायबरेली	२६-९-४८	-	२७-१२-६८	१७-५-८४	१-३-९०	-
१७	राम धनी	रायबरेली	–	–	१९-१-७१	१७-५-८४	१-३-९०	–
१८	कन्हैया लाल	रायबरेली	–	–	१-२-७१	२८-१-८७	१-३-९०	-
१९	राम लाल-I	बस्ती	१२-८-४६	--	१५-१०-७१	२८-१-८७	१-३-९०	–
२०	रमेश शंकर	उन्नाव	–	–	११-११-७१	२८-१-८७	१-३-९०	--
२१	मथुरा प्रसाद	प्रतापगढ़	११-२-४७	–	४-४-७२	१६-११-८७	१-३-९०	--
२२	राम लाल-II	सीतापुर	–	–	२६-४-७२	१५-२-९२	–	–
२३	हेमराज	सीतापुर	१-१-४४	–	१-८-७२	१-८-८३	–	–
२४	मन्नू लाल	रायबरेली	१२-२-४५	–	१-८-७२	२८-१-८७	१-३-९०	–
२५	श्याम लाल-I	सीतापुर	२८-११-४९	–	१-८-७२	७-२-८४	१-३-९०	–
२६	श्याम लाल-II	रायबरेली	५-११-५१	–	७-९-७२	७-२-८८	१-३-९०	–
२७	छेदी लाल	उन्नाव	१६-८-४५	–	२२-२-७३	२८-१-८७	१-३-९०	–
२८	दल बहादुर	नेपाल	१६-२-४५	–	१२-३-७३	९-३-८८	१-३-९०	–
२९	मुरलीधर	बलिया	१-७-५४	–	११-४-७३	२८-१-८७	१-३-९०	–
३०	कृपा शंकर	लखनऊ	१५-७-५३	–	१०-५-७३	२८-१-८७	१-३-९०	–
३१	जवाहर	हरदोई	७-१०-४६	–	२६-५-७३	१६-११-८७	१-३-९०	–
३२	कल्लू	हरदोई	१२-२-४१	–	१-६-७३	२१-८-९०	१-३-९०	–
३३	जिया लाल	बाराबंकी	८-१०-५४	कक्षा-७	२१-९-७३	१५-२-९२	–	–
३४	गया दीन	प्रतापगढ़	७-१-५५	कक्षा-५	२९-६-७४	१५-२-९२	–	–
३५	राम चन्द्र	बाराबंकी	६-१२-४८	–	१-७-७४	१५-२-९२	–	–
३६	हीरा लाल	सीतापुर	१५-५-४९	–	४-७-७४	१५-२-९२	–	–
३७	पूरन	सीतापुर	१३-१२-५२	–	२१-४-७९	१५-२-९२	–	–
३८	फागू लाल	बलिया	–	–	४-२-८०	१५-२-९२	–	–
३९	गोपाल सिंह	अल्मोड़ा	८-१२-५४	हाई स्कूल	७-२-८०	१५-२-९२	–	–
४०	सीताराम	नेपाल	–	–	१७-३-८०	१५-२-९२	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बैरियर चौकीदारों की अनन्तिम (प्राविजनल) ज्येष्ठता सूची

क्रमांक	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	पद पर तदर्थ नियुक्ति की तिथि	विनियमितीकरण का आदेश जारी होने की तिथि	स्थाई है तो स्थाईकरण की तिथि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	सर्वश्री अर्जुन लाल	गोंडा	२-११-५४	–	१-५-७८	१७-१-९२	१-११-९१	–
२	राम खेलावन सिंह	प्रतापगढ़	५-३-३६	–	१-७-७९	१७-१-९२	१-११-९१	–
३	ओम प्रकाश मिश्रा	सीतापुर	२५-१२-५७	इण्टर	१८-४-८०	३०-१-९२	१-११-९१	–
४	शिव शंकर	–	१६-८-३५	–	–१८-४-८०	१७-२-९२	– –	
५	जसवन्त	उन्नाव	६-३-५७	–	–१८-४-८०	१७-२-९२	–	–
६	राम सेवक	हरदोई	१०-१-५५	–	–१-१०-८०	१५-२-९२	१-११-९१	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर का संलग्नक

सूची

नाम	पता
१—श्री विश्वनाथ पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट अलहदादपुर, जिला सुल्तानपुर।
२— ,, राजनरायन पाठक	ग्राम व पोस्ट पयागीपुर, जिला सुल्तानपुर।
३— ,, गया प्रसाद तिवारी	ग्राम व पोस्ट बांसी, जिला सुल्तानपुर।
४— ,, राम दास यादव	ग्राम व पोस्ट पीरो सरैया, जिला सुल्तानपुर।
५— ,, राम सेवक यादव	ग्राम टोलवा, पोस्ट उधरपुर, जिला सुल्तानपुर।
६— ,, राम प्रताप तिवारी	ग्राम कचनावां, पोस्ट बंधुआ कला, जिला सुल्तानपुर।
७— ,, गुरूदीन मिश्र	ग्राम व पोस्ट मिश्रौली, जिला सुल्तानपुर।
८— ,, आबिद अली	ग्राम व पोस्ट प्रतापपुर, जिला सुल्तानपुर।
९— ,, राम आसरे मिश्र	ग्राम दौलतपुर, पोस्ट मिश्रौली, जिला सुल्तानपुर।
१०—,, जगतपाल सिंह	ग्राम व पोस्ट कसेपुर, जिला सुल्तानपुर।
११—,, मुमताज अहमद	ग्राम व पोस्ट डोमनपुर, जिला सुल्तानपुर।
१२—,, राम प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बिकना, जिला सुल्तानपुर।
१३—,, राम गरीब यादव	ग्राम व पोस्ट नारायणपुर, जिला सुल्तानपुर।
१४—,, श्रीराम हरिजन	ग्राम होली का पुरवा, पोस्ट दुबेपुर, जिला सुल्तानपुर।
१५—,, मो० शरीफ	ग्राम पोस्ट सोनारा, जिला सुल्तानपुर।
१६—,, राम प्रताप यादव	ग्राम व पोस्ट बरौसा, जिला सुल्तानपुर।
१७—,, मो० नईम	ग्राम व पोस्ट नरसेडा, जिला सुल्तानपुर।
१८—,, इकबाल हुसैन	ग्राम व पोस्ट हसनपुर, जिला सुल्तानपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम	पता
१९–श्री मो० आवेश	ग्राम व पोस्ट कनौली, जिला सुल्तानपुर ।
२०–,, राम सहाय हरिजन	ग्राम व पोस्ट श्रीरामपुर पो० कूरेभर, जिला सुल्तानपुर ।
२१–,, मो० अमीन	ग्राम व पोस्ट झलियहवां, जिला सुल्तानपुर ।
२२–,, राम नरेश दुबे	ग्राम व पोस्ट बदौलिया, जिला सुल्तानपुर ।
२३–,, रैसुरा जमां	ग्राम व पोस्ट सिरवारा, जिला सुल्तानपुर ।
२४–,, राम करन सिंह	ग्राम व पोस्ट कटांवा, जिला सुल्तानपुर ।
२५–,, सत्यदेव	मो० लखनऊ नाका, जिला सुल्तानपुर ।
२६–,, राम अजोर शुक्ल	ग्राम लखनपुर, पोस्ट अलहदादपुर, जिला सुल्तानपुर ।
२७–,, सुखदेव प्रसाद	ग्राम व पोस्ट वांसी, जिला सुल्तानपुर ।
२८–,, मो० शफीक	ग्राम व पोस्ट अंगनाकोल, जिला सुल्तानपुर ।
२९–,, राम औतार सिंह	ग्राम व पोस्ट उतरी, जिला सुल्तानपुर ।
३०–,, मो० शाकिर	ग्राम व पोस्ट लौहर दखिन, जिला सुल्तानपुर ।
३१–,, समर बहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट उतेरी, जिला सुल्तानपुर ।
३२–,, राम अचल सिंह	ग्राम व पोस्ट पलिया, जिला सुल्तानपुर ।
३३–,, वंश बहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट सेवराई, जिला सुल्तानपुर ।
३४–,, श्रीराम यादव	ग्राम व पोस्ट बरौसा, जिला सुल्तानपुर ।
३५–,, अवधेश प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट लोकेपुर, जिला सुल्तानपुर ।
३६–,, राम अमृत मिश्रा	ग्राम व पोस्ट लोदीपुर, जिला सुल्तानपुर ।
३७–,, उग्रसेन सिंह	ग्राम व पोस्ट गौरा खरसोमा, जिला सुल्तानपुर ।
३८–,, शिवबहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट सौगरा भारी, जिला सुल्तानपुर ।
३९–,, सरदार सिंह	ग्राम व पोस्ट महेसुवा, जिला सुल्तानपुर ।
४०–,, कपिल मुनि	ग्राम व पोस्ट पयागीपुर, जिला सुल्तानपुर ।
४१–,, जगंत नरायन मिश्रा	ग्राम व पोस्ट दौलतपुर, जिला सुल्तानपुर ।
४२–,, रामबोध सिंह	ग्राम व पोस्ट लहिया, जिला सुल्तानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम	पता
४३—श्री काली सहाय यादव	ग्राम व पोस्ट खुटहना गुप्तारगंज, जि० सुल्तानपुर ।
४४—,, रामू यादव	ग्राम व पोस्ट इमिलिया, जिला सुल्तानपुर ।
४५—,, इसरार अहमद	ग्राम व पोस्ट नेवादा, जिला सुल्तानपुर ।
४६—,, बैजनाथ यादव	ग्राम व पोस्ट नरायनपुर, जिला सुल्तानपुर ।
४७—,, झेल्लूराम	ग्राम असरोगा, पोस्ट सरकेन्डीह, सुल्तानपुर ।
४८—,, श्याम लाल	ग्राम व पोस्ट ढकवा, जिला सुल्तानपुर ।
४९—,, गुरुदत्त लाल	ग्राम व पोस्ट उत्तरदहा, जिला सुल्तानपुर ।
५०—,, मगरू सिंह	ग्राम व पोस्ट सुरौली, जिला सुल्तानपुर ।
५१—,, राम अंजोर तिवारी	ग्राम परसोय (उदयपुर), पो० कारेबन, जिला सुल्तानपुर ।
५२—,, राम चरन द्विवतीय	ग्राम पाल्हनपुर, पो० भरथीपुर, जिला सुल्तानपुर ।
५३—,, राजेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम दिखौली, पो० बैजापुर, जिला सुल्तानपुर ।
५४—,, केशव राम	ग्राम व पोस्ट तिवारीपुर उत्तरी, जि० सुल्तानपुर ।
५५—,, राम चरन प्रथम	ग्राम व पोस्ट माधवपुर दरपीपुर, जिला सुल्तानपुर ।
५६—,, राम आधार यादव	ग्राम व पोस्ट सरैया वधुआ कला, जिला सुल्तानपुर ।
५७—,, अब्दुल सलाम	ग्राम व पोस्ट सुरौली, जिला सुल्तानपुर ।
५८—,, राम रसीले	ग्राम व पोस्ट कामेतागंज, जिला सुल्तानपुर ।
५९—,, त्रिभुवन प्रसाद	ग्राम व पोस्ट बोखारेपुर, जिला सुल्तानपुर ।
६०—,, राम सुन्दर सिंह	ग्राम व पोस्ट इनायतपुर, जिला सुल्तानपुर ।
६१—,, राम प्रताप तिवारी	ग्राम व पोस्ट कचनांवा, जिला सुल्तानपुर ।
६२—,, लालता प्रसाद सिंह	ग्राम व पोस्ट नौगवातीर, जिला सुल्तानपुर ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ---६२---पर)

जनगणना के अनुसार गोंड जाति की जनपदवार जनसंख्या

क्रम सं०	जनपद का नाम	जनसंख्या					
		१९८१	१९७१	१९६१	१९३१	१९११	१८९१
१	२	३	४	५	६	७	८
१	जालौन	१२	-	-	१२	६	१०
२	झांसी	५७	२२	१०३	३२०	९६	८
३	ललितपुर	५८१	-	-	-	-	५२५
४	हमीरपुर	५	१४	२	१	-	-
५	बांदा	६९९	६९२	७३९	४५६	४६६	१६६
६	खीरी	१३४	-	-	-	-	-
७	सीतापुर	३०९	-	-	-	-	-
८	हरदोई	१७४	-	-	-	-	-
९	उन्नाव	८९	-	-	-	-	-२
१०	लखनऊ	७००	-	-	-	-	-
११	रायबरेली	२१५	-	-	२	-	-
१२	बहराइच	४२०	-	-	-	-	४
१३	गोण्डा	८८	-	-	-	७	-
१४	बाराबंकी	२५२	-	-	-	-	-
१५	फैजाबाद	२,९९८	-	-	-	-	-
१६	सुल्तानपुर	१८२	-	-	-	१	-
१७	प्रतापगढ़	१०१	-	-	४	-	-
१८	बस्ती	३,३३८	-	-	११	८	-
१९	गोरखपुर	१३,७९२	-	-	५०,५०१	४७,०३०	४७,८८४
२०	देवरिया	५६,२३२	-	-	-	-	-
२१	आजमगढ़	१३,४३४	-	-	७,९६८	५,१०३	८,९७२
२२	जौनपुर	१,०९४	-	-	२,०९६	१,७९६	२,१७१
२३	बलिया	१५,७५५	-	-	२८,८६२	२६,१२६	२८,७८५
२४	गाजीपुर	११,२६८	-	-	९,६०४	१०,२११	१४,३०९
२५	वाराणसी	११,७५१	-	-	१३,९५०	१२,२२६	१२,७७९
२६	मिर्जापुर	६६,१९८	४४,८३२	३७,५१२	६,२७७	७,११०	८,८६१
२७	उत्तरकाशी	१९	-	-	-	-	-
२८	चमौली	४९	-	-	-	-	-
२९	टेहरी गढ़वाल	१	-	-	-	-	-
३०	देहरादून	१३३	-	-	-	-	-
३१	गढ़वाल	२१	-	-	-	-	-
३२	पिथौरागढ़	-	-	-	-	-	-
३३	अल्मोड़ा	४०	-	-	-	-	-
३४	नैनीताल	८६०	-	-	-	-	-

१	२	३	४	५	६	७	८
३५	सहारनपुर	८०	-	-	-	१	-
३६	मुजफ्फरनगर	४०	-	-	-	-	-
३७	बिजनौर	५८	-	-	-	-	-
३८	मेरठ	४३	-	-	-	-	-
३९	गाजियाबाद	९०	-	-	-	-	-
४०	बुलन्दशहर	७४	-	-	-	-	-
४१	मुरादाबाद	३४	-	-	-		-
४२	रामपुर	८२	-	-	-	--	-
४३	बदायूं	-	-	-	-	-	-
४४	बरेली	५२	-	-	-	-	-
४५	पीलीभीत	१७३	-	-	-		-
४६	शाहजहांपुर	३६	-	-	-	--	-
४७	अलीगढ़	३	-	-	-	-	-
४८	मथुरा	१०	-	-	-	-	-
४९	आगरा	१४७	-	-	-	-	-
५०	एटा	२१	-	-	-	-	-
५१	मैनपुरी	३८७	-	-	-	-	-
५२	फर्रुखाबाद	६	-	-	४	-	-
५३	इटावा	२	-	-	-	-	-
५४	कानपुर	१४३२	-	-	२	-	७
५५	फतेहपुर	३४	-	-	-	४	-
५६	इलाहाबाद	८१३	-	-	२३०	३३	२१
	योग :	२,०४,६२५	४५,५६०	३८,३५६	१,२०,२९६	१,१०,२२४	१,२४,५०४

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० १२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ —७४—पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९९२ के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० १२४ के उत्तर का संलग्नक

श्रेणी	वेतनमान	सृजित पद	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की		अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की		पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
					तृतीय श्रेणी			
क	९५०-१५००	१०३२	२०६	२०	-	-	२९१	२८
ख	१२००-२०४०	१४१	३१	२२	-	-	२४	१७
ग	१३५०-२२००	१४	२	१४	-	-	१	७
घ	१४००-२३००	६	१	१७	-	-	-	-
ङ	१६४०-२९००	१	-	-	-	-	-	-
च	१४००-२३००	१	-	-	-	-	०१	१००
					चतुर्थ श्रेणी			
	७५०-९४०	४०९	९४	२३	-	-	१११	२७
	कुल योग :	१६०४	३३४	२१	- -		४२८	२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अता० प्र० सं० १७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६-९७ पर)

विवरण

क्रमांक	विद्यालय का नाम	इण्टर			हाई स्कूल		
		८८-८९	८९-९०	९१-९२	८८-८९	८९-९०	९१-९२
१	नरेन्द्र देव इं० का०, जलालपुर	६०	६६	-	५२	३४	-
२	बाबा बरुआ दास इं० का० परुया आश्रम	५९	५३	५०	६८	६९	५०
३	जनता इं० का०, फतेहपुर, बड़ा गांव	५०	७६	५०	५५	४३	६२
४	रा० औ० इं० का०, कासिमपुर	९	१४	२५	५७	५२	२५
५	महात्मा गोविन्द्र सिंह इं० का०, दुल्हूपुर	२८	४३	५०	१६	१५	३
६	सुभाष इं० का०, सदही	२७	३८	५०	८३	११३	५०
७	रा० कन्या इं० कालेज, जलालपुर	३	-	-	-	-	-
८	रामलोचन इं० का०, शिवपाल	४४	२०	४५	५१	४८	५६
९	जनता उ० मा० वि०, सुररूपुर	-	-	-	४९	७७	-
१०	प्रगतिशील उ० मा० वि०, पेठिया	-	-	-	३१	३२	-
११	गांधी स्मारक वि० नत्थुपुर, लोधना	-	-	-	१२६	१३३	५०
१२	गांधी ग्रामोदय वि०, पिडरिया	-	-	-	३२	३४	२५
१३	जनता उ० मा० वि०, नेवादा	-	-	-	४६	३	२०
१४	श्री निर्मल बह्मचारी उ० मा० वि० मददूपुर।	-	-	-	२१	५६	१३
	योग :	२८०	३१०	२७०	६८७	७०९	३५४

विधान सभा प्रदर्शन

पी० एस० यू० पी०–एल० 117 विधान सभा (194)–572–1993। (डी० टी० पी०)